चतुर्दश माला, खंड 11, अंक 1

सोमवार, 25 जुलाई, 2005
3 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 58
Dated 13/3/06

(खण्ड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

चन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 11, पांचवा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 1, सोमवार, 25 जुलाई, 2005/3 श्रावण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की अद्यतन वर्णानुक्रम सूची	iii-xiv
लोक सभा के पदाधिकारी	xv
मंत्रिपरिषद्	xvii-xx
राष्ट्रगान	1
अध्यक्ष महोदय को जन्मदिन की बधाई के बारे में	1
निधन संबंधी उल्लेख	2-10
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	10-89
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230	89-510
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	511-512
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	511-526
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	527-528
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	527-530

चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की अद्यतन वर्णानुक्रम सूची

अं

अंगड़ि, श्री सुरेश (बेलगाम)

अंतुले, श्री ए.आर. (कुलाबा)

अंसारी, श्री फुरकान (गोड्डा)

अ

अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र (चतरा)

अजगल्ले, श्री गुहाराम (सारंगढ)

अजनाला, डा. रतन सिंह (तरनतारन)

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अटवाल, श्री चरणजीत सिंह (फिल्लौर)

अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा (बुलढाना)

अतिथन, श्री धनुषकोडी आर. (तिरूनेलवेली)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनसारी, श्री अफ़ज़ाल (गाजीपुर)

अप्पादुरई, श्री एम. (तेनकासी)

अबदुल्लाकुट्टी, श्री (कन्नानौर)

अब्दुल्लाह, श्री उमर (श्रीनगर)

अम्बरीश, श्री (मांडया)

अय्यर, श्री मणिशंकर (मयिलादुतुरई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अहमद, डा. शकील (मधुबनी)

अहमद, श्री अतीक (फूलपुर)

अहमद, श्री ई. (पोन्नानी)

अहीर, श्री हंसराज जी. (चन्द्रपुर)

आ

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजमी, श्री इलियास (शाहाबाद)

आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आडीकेसावुलु, श्री डी.के. (चित्तूर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आरून रशीद, श्री जे.एम. (पेरियाकुलम)

इ

इंगती, श्री बिरेन सिंह (स्वशासी जिला – असम)

इलेंगोवन, श्री ई.वी.के.एस. (गोविचेट्टिपालयम)

ठ

ठरांव, डा रामेश्वर (लोहरदगा)

ओ

ओराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)

ओसमानी, श्री ए.एफ.जी. (बारपेटा)

क

कटारा, श्री बाबूभाई के. (दोहद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कनोडीया, श्री महेश (पाटन)

कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)

करुणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)

कश्यप, श्री बलीराम (बस्तर)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कादर मोहिदीन, प्रो. के.एम. (वेल्लौर)

कामत, श्री गुरुदास (मुम्बई उत्तर-पूर्व)

किन्डिया, श्री पी.आर. (शिलांग)

कुन्नुर, श्री मंजुनाथ (धारवाड़ दक्षिण)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्रीमती मीरा (सासाराम)

कुमारी सैलजा (अम्बाला)

कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार (मिर्जापुर)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (खजुराहो)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)

कृष्ण, श्री विजय (बाढ़)

कृष्णदास, श्री एन.एन. (पालघाट)

कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)

कृष्णास्वामी, श्री ए. (श्रीपेरुम्बुदूर)

केरकेटा, श्रीमती सुशीला (खूंटी)

कोन्यक, श्री डब्ल्यू वांग्यू (नागालैण्ड)

कोया, डा. पी.पी. (लक्षद्वीप)

कोरी, श्री राधेश्याम (घाटमपुर)

कोल, श्री लालचन्द्र (राबर्टसगंज)

कोली, श्री रामस्वरूप (बयाना)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

ख

खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)

खन्ना, श्री अविनाश राय (होशियारपुर)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

ग

खारवेनथन, श्री एस. के. (पलानी)

खैरे, श्री चंद्रकांत (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

गंगवार, श्री संतोष (बरेली)

गढ़वी, श्री पी.एस. (कच्छ)

गणेशन, श्री एल. (तिरुचिरापल्ली)

गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर (अहमदनगर)

गद्दीगठडर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री प्रदीप (राजनंदगांव)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गायकवाड, श्री एकनाथ (मुंबई उत्तर-मध्य)

गाव, श्री तापिर (अरुणाचल पूर्व)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गिल, श्री आत्मा सिंह (सिरसा)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)

गुढ़े, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, श्री श्यामा चरण (बांदा)

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर (भटिंडा)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश (हापुड़)

गोविन्दा, श्री (मुम्बई उत्तर)

गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)

गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द (मंगलोर)

च

चक्रवर्ती, डा. सुजान (जादवपुर)

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चटर्जी, श्री सोम (सेरमपुर)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर, हि.प्र.)

चन्द्र कुमार, प्रो. (कांगड़ा)

चन्द्रप्पन, श्री सी.के. (त्रिचूर)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया, उ.प्र.)

चर्चील, श्री अलीमाऊ (मारमुगाओ)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (मालेगांव)

चारेनामै, श्री मणि (बाहरी मणिपुर)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)

चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)

चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा. (तिरुपति)

चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह (मांडवी)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल)

चौधरी, श्री ए.बी.ए. गनी खां (मालदा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज, उ.प्र.)

चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)

चौधरी, श्रीमती अनुराधा (कैराना)

चौधरी, श्रीमती रेनुका (खम्माम)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौरे, श्री बापू हरी (धुले)

चौहान, श्री नंद कुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

ज

जगदीशन, श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी (तिरुचेन्गोड़े)

जगन्नाथ, डा. एम. (नगर कुरनूल)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (मोहनलाल गंज)

जय प्रकाश, श्री (हिसार)

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इदुक्की)

जालप्पा, श्री आर.एल. (चिकबलपुर)

जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)

जाहेदी, श्री महबूब (कटवा)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरुक्षेत्र)

जीगजीणगी, श्री रमेश चंदप्पा (चिक्कोडी)

जेना, श्री मोहन (जाजपुर)

जैन, श्री पुष्प (पाली)

जोगी, श्री अजीत (महासमुन्द)

जोशी, श्री कैलाश (भोपाल)

जोगैया, श्री हरि राम (नरसापुर)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड़ उत्तर)

झ

झा, श्री रघुनाथ (बेतिया)

ट

टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

ठ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (वडोदरा)

ठुम्मर, श्री वी.के. (अमरेली)

ड

डांगावास, श्री भंवर सिंह (नागौर)

डेलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नागर हवेली)

डोम, डा. रामचन्द्र (बीरभूम)

ढ

ढिल्लों, श्री शरनजीत सिंह (लुधियाना)

ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह (संगरूर)

त

तंगबालु, श्री के.वी. (सेलम)

तस्लीमुद्दीन, श्री (किशनगंज)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (करोलबाग)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि (रीवा)

त्रिपाठी, श्री बृज किशोर (पुरी)

थ

थामस, श्री पी.सी. (मुवत्तुपुजा)

थुपस्तन, श्री छेवांग (लद्दाख)

द

दरबार, श्री छतर सिंह (धार)

दास, श्री अलकेष (नवद्वीप)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दासगुप्त, श्री गुरूदास (पंसकुरा)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)

दूबे, श्री चन्द्र शेखर (धनबाद)

देव, श्री बिक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र एस. (पार्वतीपुरम)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई-दक्षिण)

देवेगौडा, श्री एच.डी. (हसन)

देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र (शोलापुर)

ध

धनराजू, डा. के. (टिंडिवनाम)

धर्मेन्द्र, श्री (बीकानेर)

धारावत, श्री रविन्दर नाइक (वारंगल)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

न

नन्दी, श्री अमिताभ (दमदम)

नम्बाडान, श्री लोनाप्पन (मुकुन्दपुरम)

नरबुला, श्री डी. (दार्जिलिंग)

नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश (उस्मानाबाद)

नरेन्द्र, श्री ए. (मेडक)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागपाल, श्री हरीश (अमरोहा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्रीमती अर्चना (केन्द्रपाड़ा)

नायडु, श्री कोंडापल्ली पैडीयल्ली (बौब्बिली)

निखिल कुमार, श्री (औरंगाबाद, बिहार)

निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर (हिन्दुपुर)

निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद (फतेहपुर)

निहाल चन्द, श्री (श्रीगंगानगर)

नीतीश कुमार, श्री (नालन्दा)

प

पंडा, श्री ब्रह्मानन्द (जगतसिंहपुर)

पटेल, श्री किसनभाई वी. (बलसाड़)

पटेल, श्री जीवाभाई ए. (मेहसाना)

पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई (दमण और दीव)

पटेल, श्री दिन्शा (कैरा)

पटेल, श्री सोमाभाई जी. (सुरेन्द्र नगर)

पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई (पोरबंदर)

पटैरिया, श्रीमती नीता (सिवनी)

पानाबाका लक्ष्मी, श्रीमती (नेल्लौर)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)

पलनिसामी, श्री के.सी. (करूर)

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पाटले, श्री शिशुपाल एन. (भन्डारा)

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा आर. (बीजापुर)

पाटील, श्री डी.बी. (नांदेड़)

पाटील, श्री प्रकाशबापू वी. (सांगली)

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के. (दरन्दोल)

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़ (बीड)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब (कराड़)

पाटील, श्रीमती रूपाताई डी. (लातूर)

पाटील, श्रीमती सूर्यकांता (हिंगोली)

पाठक, श्री ब्रजेश (उन्नाव)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पायलट, श्री सचिन (दौसा)

पॉल, डा. सिबैस्टियन (एर्णाकुलम)

पाल, श्री राजाराम (बिल्हौर)

पाल, श्री रूपचंद (हुगली)

पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसड़ा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री वीरचन्द्र (नवादा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पिंगले, श्री देविदास (नासिक)

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (बापतला)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रधान, श्री धर्मेन्द्र (देवगढ़)

प्रधान, श्री प्रशान्त (कोंटई)

प्रभु, श्री आर. (नीलगिरि)

प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर (राजापुर)

प्रसाद, कुंवर जितिन (शाहजहांपुर)

प्रसाद, श्री लालमणि (बस्ती)

प्रसाद, श्री हरिकेवल (सलेमपुर)

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फैन्थम, श्री फ्रान्सिस (नामनिर्दिष्ट)

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वार)

बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह (जलेसर)

'बच्चा', श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बब्बर, श्री राज (आगरा)

बर्क, डा. शफीकुर्रहमान (मुरादाबाद)

बर्मन, प्रो. बसुदेव (मथुरापुर)

बर्मन, श्री रवेन (बलूरघाट)

बर्मन, श्री हितेन (कूच बिहार)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता (विष्णुपुर)

बादल, श्री सुखबीर सिंह (फरीदकोट)

"बाबा", श्री के.सी. सिंह (नैनीताल)

बारकू, श्री शिंगाडा दामोदर (दहानु)

बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई (जूनागढ़)

बालू, श्री टी.आर. (मद्रास दक्षिण)

बिश्नोई, श्री कुलदीप (भिवानी)

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)

बिसेन, श्रीगौरीशंकर चतुर्भुज (बालाघाट)

बुधौलिया, श्री राजनरायन (हमीरपुर, उ.प्र.)

बेल्लारमिन, श्री ए.वी. (नागरकोइल)

बैठा, श्री कैलाश (बगहा)

बैनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोस, श्री सुव्रत (बारासाट)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

भगोरा, श्री महावीर (सलूम्बर)

भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री कांति लाल (झाबुआ)

म

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मनोज, डा. के.एस. (अेलप्पी)

मनोज कुमार, श्री (पलामू)

मरन्डी, श्री सुदाम (मयूरभंज)

मरांडी, श्री बाबू लाल (कोडरमा)

मल्लिकार्जुनैया, श्री एस. (तुमकुर)

मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)

मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री टेक लाल (गिरिडीह)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)

महतो, श्री सुनिल कुमार (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्री वाई.जी. (जलगांव)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महावीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)

मांझी, श्री राजेश कुमार (गया)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)

माझी, श्री शंखलाल (अकबरपुर)

माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)

माधवराज, श्रीमती मनोरमा (उदुपी)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)

मारन, श्रीदयानिधि (मद्रास मध्य)

माहेश्वरी, श्रीमती किरण (उदयपुर)

मिडियम, डा. बाबू राव (भ्रदाचलम)

मिस्त्री, श्री मधुसूदन (साबरकंठा)

मिश्रा, डा. राजेश (वाराणसी)

मीना, श्री नमोनारायन (सवाई माधोपुर)

मुन्शी राम, श्री (बिजनौर)

मुकीम, मो. (डुमरियागंज)

मुखर्जी, श्री प्रणब (जंगीपुर)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मुफ्ती, सुश्री महबूबा (अनंतनाग)

मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मू, श्री हेमलाल (राजमहल)

मूर्ति, श्री ए.के. (चेंगलपट्टू)

मेघवाल, श्री कैलाश (टोंक)

मेहता, श्री आलोक कुमार (समस्तीपुर)

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)

मैन्या, डा. टोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड (नामनिर्दिष्ट)

मोघे, श्री कृष्णा मुरारी (खरगौन)

मो. ताहिर, श्री (सुल्तानपुर)

मोदी, श्री सुशील कुमार (भागलपुर)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)

मोहन, श्री पी. (मदुरै)

मोहले, श्री पुन्नूलाल (बिलासपुर)

मोहिते, श्री सुबोध (रामटेक)

य

यादव, कुंवर, देवेन्द्र सिंह (एटा)

यादव, डा. करण सिंह (अलवर)

यादव, प्रो. राम गोपाल (संभल)

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु (गोपालगंज)

यादव, श्री उमाकान्त (मछलीशहर)

यादव, श्री एम. अंजनकुमार (सिकन्दराबाद)

यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह (चन्दौली)

यादव, श्री गिरिधारी (बांका)

यादव, श्री चन्द्रपाल सिंह (झांसी)

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण (मुंगेर)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री धर्मेन्द्र (मैनपुरी)

यादव, श्री पारसनाथ (जौनपुर)

यादव,. श्री बालेश्वर (पडरौना)

यादव, श्री भाल चन्द्र (खलीलाबाद)

यादव, श्री मित्रसेन (फैजाबाद)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू (मधेपुरा)

यादव, श्री राम कृपाल (पटना)

यादव, श्री सीता राम (सीतामढ़ी)

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)

येरननायडु, श्री किन्जरपु (श्रीकाकुलम)

र

रंजन, श्रीमती रंजीत (सहरसा)

रघुपति, श्री एस. (पुडुकोट्टई)

रठवा, श्री नारनभाई (छोटा उदयपुर)

राई, श्री नकुल दास (सिक्किम)

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)

राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (घोसी)

राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)

राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाड़ा)

राजेन्तीरन, श्रीमती एम.एस.के. भवानी (रामनाथपुरम)

राजेन्द्र कुमार, श्री (हरिद्वार)

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

राठौड, श्री हरिभाऊ (यवतमाल)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री गुरजीत सिंह (जालंधर)

राणा, श्री रबिन्दर कुमार (खगड़िया)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)

रानी, श्रीमती के. (रासीपुरम)

रामकृष्णा, श्री बाडिगा (मछलीपत्तनम)

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन. (वन्डावासी)

रामदास, प्रो. एम. (पांडिचेरी)

राव, श्री के.एस. (एलूरू)

राव, श्री के. चन्द्रशेखर (करीमनगर)

राव, श्री डी. विट्टल (महबूब नगर)

राव, श्री पी. चलपति (अनकापल्ली)

राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)

रावत, प्रो. रासा सिंह (अजमेर)

रावत, श्री अशोक कुमार (मिसरिख)

रावत, श्री कमला प्रसाद (बाराबंकी)

रावत, श्री धनसिंह (बांसवाड़ा)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण-मध्य)

रिजीजू, श्री किरेन (अरुणाचल पश्चिम)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव (परभनी)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (विशाखापतनम)

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)

रेड्डी, श्री जी. करुणाकर (बेल्लारी)

रेड्डी, श्री मधुसूदन (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री वाई.एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर (नालगौंडा)

ल

लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू (जालौर)

'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह (बेगूसराय)

लालू प्रसाद, श्री (छपरा)

लाहिरी, श्री सुमिक (डायमंड हार्बर)

लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह (रोपड़)

व

वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र (मंगलवेढ़ा)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वल्लभनेनी, श्री बालाशौरी (तेनाली)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाघमारे, श्री सुरेश (वर्धा)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

विजयन, श्री ए.के.एस. (नामापट्टिनम)

विजयशंकर, श्री सी.एच. (मैसूर)

विनोद कुमार, श्री बी. (हनमकोंडा)

विरुपाक्षप्पा, श्री के. (कोप्पल)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी. (कालीकट)

वुन्डावल्ली, श्री अरुण कुमार (राजामुंदरी)

वेंकटपति, श्री के. (कुड्डालोर)

वेंकटस्वामी, श्री जी. (पेद्दापल्ली)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुपत्तूर)

वेलु, श्री आर. (अर्कोनम)

श

शर्मा, डा. अरविन्द (करनाल)

शर्मा, डा. अरूण कुमार (लखीमपुर)

शर्मा, श्री मदन लाल (जम्मू)

शहाबुद्दीन, डा. मो. (सिवान)

शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम (शिमला)

शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)

शाह, ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शाहिद, मोहम्मद (मेरठ)

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)

शिवनकर, प्रो. महादेवराव (चिमूर)

शिवन्ना, श्री एम. (चामराजनगर)

शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील (खेड़)

शीरमेश, श्रीमती तेजस्विनी (कनकपुरा)

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)

शुक्ला, श्रीमती करुणा (जांजगीर)

शेरवानी, श्री सलीम (बदायूं)

शैलेन्द्र कुमार, श्री (चायल)

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी. (चिकमगलूर)

स

संगमा, श्री पी.ए. (तुरा)

संगलिअना, डा. एच.टी. (बंगलौर उत्तर)

सईदा, श्रीमती रुबाब (बहराइच)

सज्जन कुमार, श्री (बाहरी दिल्ली)

सतीदेवी, श्रीमती पी. (बडागरा)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)

सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)

सरोज, श्री दरोगा प्रसाद (लालगंज)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री सर्वे (सिद्दीपेट)

सलीम, मोहम्मद (कलकत्त उत्तर-पूर्व)

सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)

साय, श्री नन्द कुमार (सरगुजा)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

साहु, श्री चंद्रशेखर (बरहामपुर, उड़ीसा)

साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)

सिंह, कुंवर मानवेन्द्र (मथुरा)

सिंह, कुंवर सर्व राज (आंवला)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, चौधरी विजेन्द्र (अलीगढ़)

सिंह, डा. अखिलेश प्रसाद (मोतिहारी)

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, डा. राम लखन (भिण्ड)

सिंह, राव इन्द्रजीत (महेन्द्रगढ़)

सिंह, श्री अक्षय प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री अजीत कुमार (बिक्रमगंज)

सिंह, श्री उदय (पूर्णिया)

सिंह, श्री कल्याण (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन (गोंडा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री गणेश प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप (सीधी)

सिंह, श्री चन्द्रभान (दमोह)

सिंह, श्री चन्द्रभूषण (फरुखाबाद)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज, बिहार)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (बलरामपुर)

सिंह, श्री मानवेन्द्र (बाड़मेर)

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री रामसेवक (ग्वालियर)

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री विजयेन्द्र पाल (भीलवाड़ा)

सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)

सिंह, श्री सरताज (होशंगाबाद)

सिंह, श्री सीताराम (शिवहर)

सिंह, श्री सुग्रीव (फूलबनी)

सिंह, श्री सूरज (बलिया, बिहार)

सिंह, श्रीमती कान्ति (आरा)

सिंह, श्रीमती प्रतिभा (मंडी)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी (कृषनगर)

सिद्दीश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे)

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)

सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन (शिवकाशी)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सील, श्री सुधांशु (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)

सुगावनम, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)

सुजाता, श्रीमती सी.एस. (मवेलीकारा)

सुब्बा, श्री मणी कुमार (तेजपुर)

सुब्बारायण, श्री के. (करोयम्बटूर)

सुमन, श्री रामजीलाल (फिरोजाबाद)

सुम्बरूई, श्री बागुन (सिंहभूम)

सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा (अट्टूर)

सूर्यवंशी, श्री नरसिंगराव हु. (बीदर)

सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेनथिल, डा. आर. (धर्मपुरी)

सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेलवी, श्रीमती वी. राधिका (तिरूचेन्दूर)

सोनोवाल, श्री सर्वानन्द (डिब्रुगढ़)

सोरेन, श्री शिबु (दुमका)

सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह (आनन्द)

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह (गोधरा)

स्वाईं, श्री खारबेल (बालासोर)

स्वाईं, श्री हरिहर (आस्का)

ह

हनुमनथप्पा, श्री एन.वाई. (चित्रदुर्ग)

हमजा, श्री टी.के. (मंजेरी)

हर्ष कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)

हसन, श्री मुनव्वर (मुजफ्फरनगर)

हान्डिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुसैन, श्री अनवर (धूबरी)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हुसैन, श्री अनंत कुमार (कनारा)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

मंत्रिपरिषद्

मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री

डा. मनमोहन सिंह	प्रधानमंत्री तथा उन मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी जो विनिर्दिष्टतया किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किए गए हैं जैसे : 1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; 2. योजना मंत्रालय 3. परमाणु ऊर्जा विभाग; तथा 4. अंतरिक्ष विभाग
श्री प्रणब मुखर्जी	रक्षा मंत्री
श्री अर्जुन सिंह	मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री लालू प्रसाद	रेल मंत्री
श्री शिवराज वि. पाटील	गृह मंत्री
श्री रामविलास पासवान	रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री
श्री गुलाम नबी आजाद	संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री
श्री शीश राम ओला	खान मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम	वित्त मंत्री
श्री महावीर प्रसाद	लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री
श्री पी.आर. किन्डिया	जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री
श्री टी.आर. बालू	पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
श्री शंकर सिंह वाघेला	वस्त्र मंत्री
श्री के. नटवर सिंह	विदेश मंत्री
श्री कमल नाथ	वाणिज्य और उद्योग मंत्री

श्री हंस राज भारद्वाज	विधि और न्याय मंत्री
श्री पी.एम. सईद	विद्युत मंत्री
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	जल संसाधन मंत्री
श्री मणि शंकर अय्यर	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री
श्रीमती मीरा कुमारी	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री के. चन्द्रशेखर राव	श्रम और रोजगार मंत्री
श्री शिबु सोरेन	कोयला मंत्री
श्री ए. राजा	पर्यावरण और वन मंत्री
श्री दयानिधि मारन	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
डा. अंबुमणि रामदास	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री संतोष मोहन देव	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री जगदीश टाइटलर	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री ऑस्कर फर्नांडिस	सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती रेनुका चौधरी	पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री सुबोध कांत सहाय	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा मह्सागर विकास विभाग के राज्य मंत्री
श्री विलास मुत्तेमवार	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री
कुमारी सैलजा	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री प्रफुल पटेल	नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री प्रेमचंद गुप्ता	कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ई. अहमद	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री सुरेश पचौरी	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विजय झान्डिक	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. दासरि नारायण राव	कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. शकील अहमद	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
राव इन्द्रजीत सिंह	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नारनभाई रठवा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.एच. मुनियप्पा	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.वी. राजशेखरन	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कांतिलाल भूरिया	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री माणिकराव होडल्या गावित	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
श्री तस्लीमुद्दीन	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री ए. नरेन्द्र	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री आर. वेलु	रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री एस. रघुपति	गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री के. वेंकटपति	विधि और न्याय मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री

श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्रीमती कान्ति सिंह	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री नमोनारायन मीना	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री
डा. अखिलेश प्रसाद सिंह	कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री

लोक सभा

सोमवार, 25 जुलाई, 2005/3 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजायी गयी)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

अध्यक्ष महोदय को जन्मदिन की बधाई के बारे में

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : अध्यक्ष महोदय, इस सभा के कार्यवाही शुरू होने के पहले, सभा की ओर से मैं आपको जन्म दिन की शुभकामनाएं देता हूं और आपके खुशहाल और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं, देश की सेवा में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए, समृद्ध जीवन के कोई आसार नहीं है। फिर भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, सभा के नेता के साथ-साथ आज मैं भी आपको जन्म दिन की मुबारक बाद देता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरन्नायडु (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, सभा के नेता के साथ-साथ आज मैं भी आपके जन्मदिन पर आपको बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आपकी सहायता और मदद की जरूरत है।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारे दो वर्तमान सहयोगियों श्री सुनील दत्त तथा श्री पी.के. वासुदेवन नायर एवं छह भूतपूर्व सहयोगियों श्री हुकम राम, श्री मुरलीधर माने, श्री छंगुर राम, श्री लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी, श्री बलराम सिंह यादव और डा. बिप्लव दासगुप्ता के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री सुनील दत्त, वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे, उन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर-पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व वर्ष 1984 से 1996 और वर्ष 1999 से 2004 तक वह इसी निर्वाचन क्षेत्र से आठवीं से दसवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

मृत्यु के समय वह युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री थे।

वह एक कुशल सांसद थे। वह नौवीं लोक सभा में पंजाब राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित परामर्शदात्री समिति के सदस्य थे और वर्ष 1999 से 2000 तक मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के सदस्य थे।

वर्ष 1947 में भारत-विभाजन से विस्थापित हुए श्री दत्त ने अपनी कड़ी मेहनत, धैर्य और दृढ़ता के बल पर हिन्दी जगत में स्वयं को एक प्रतिभाशाली कलाकार, फिल्म निर्माता और निर्देशक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने लगभग 100 फिल्मों में अभिनय किया। वर्ष 1967 में फ्रैंकफर्ट फिल्म उत्सव में उनकी परंपरा से हटकर एकल कलाकार फिल्म ''यादें'' के लिए श्री दत्त को ग्रैंड प्रिक्स एवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी महान फिल्में ''मदर इंडिया'' तथा कैंसर रोगियों की सहायता के लिए बनाई गई 'दर्द का रिश्ता', उनकी अनेक लोकप्रिय फिल्मों में से उत्कृष्ट फिल्में थीं। फिल्मों में उपलब्धियां श्री दत्त के बहुआयामी व्यक्तित्व का केवल एक आयाम है। वर्ष 1982 से 1983 तक उन्होंने प्रभावशाली ढंग से मुम्बई के शेरिफ के रूप में कार्य किया। वह स्पास्टिक सोसायटी ऑफ इंडिया के संरक्षक थे।

एक समर्पित लोकोपकारी के रूप में उन्होंने समाज के अभावग्रस्त, अल्पसुविधा प्राप्त और जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए अनेक

प्रयास करने के साथ-साथ कैंसर की चिकित्सा के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान कराने, कैंसर अस्पताल स्थापित करने और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान कराने के प्रयास किए।

वर्ष 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान श्री दत्त और उनके अजंता आर्ट्स वेल्फेयर ट्रुप ने सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रेरणादायक और मनोरंजक कार्यक्रमों के द्वारा भारतीय जवानों का मनोबल बढ़ाया।

शांति और साम्प्रदायिक सदभाव के समर्थक श्री सुनील दत्त ने वर्ष 1987 में मुंबई से अमृतसर तक मह्न-शांति पदयात्रा का नेतृत्व किया जिसमें उन्होंने पंजाब में शांति और सौहार्द को प्रोत्साहन देने के लिए 2000 कि.मी. से भी अधिक दूरी की पैदल यात्रा की। विश्व शांति तथा परमाणु निरस्त्रीकरण के उद्देश्य से उन्होंने वर्ष 1988 में जापान में नागासाकी से हिरोशिमा तक शांति मार्च निकाला। उनके अनुकरणीय प्रयासों, निष्ठा और समर्पण के कारण उन्हें सारे विश्व में अथाह प्रशंसा मिली।

उनकी उपलब्धियों और कल्याण गतिविधियों के लिए उन्हें अनेक सम्मान तथा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें मिलने वाले मुख्य पुरस्कार और सम्मान हैं:– वर्ष 1968 में पद्मश्री; वर्ष 1988 में आलमी ऊर्दू कान्फ्रेंस, नई दिल्ली की ओर से अंतर्राष्ट्रीय शांति, साम्प्रदायिक सद्भाव, एकता तथा राष्ट्रीय अखंडता के लिए "खान अब्दुल गफ्फार खान अवार्ड; वर्ष 1997 में राष्ट्रीय अखंडता और साम्प्रदायिक सद्भावना के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड; वर्ष 1998 में शांति, सौहार्द के प्रोत्साहन एवं हिंसा और आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष के लिए "राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना अवार्ड"; वर्ष 1989 में राष्ट्रीय अखंडता की दिशा में असाधारण योगदान के लिए प्रियदर्शनी अकादमी, मुम्बई की ओर से "नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड"।

केन्द्रीय युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री के रूप में भी श्री दत्त ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वे हैं राष्ट्रीय युवा नीति तथा अभिसारिता के अंतर्गत राष्ट्रीय नीति तैयार करना; विशेष रूप से नवयुवकों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए युवा क्लबों को शक्तियां प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति तैयार करना। गांधी जी के ग्राम स्वराज सिद्धांतों के अनुसार आत्मनिर्भर गांवों के विकास के लिए "गांधी ग्रामोदय संकल्प अभियान" नाम की एक और योजना आरंभ की गयी।

उनके नेतृत्व में खेल मंत्रालय ने वर्ष 2010 में दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के सफल तथा निर्विघ्न आयोजन के लिए प्रबंधों को अंतिम रूप दिया। खिलाड़ियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने के लिए मादक औषधियों का सेवन रोकने के लिए विशेष उपाय किए गए। खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली रिवार्ड की राशि में उचित वृद्धि की गयी।

श्री सुनील दत्त एक महान आत्मा थे जिनके पास कार्य करने, योगदान देने की दूरदृष्टि और क्रियाशक्ति थी, चाहे यह फिल्म उद्योग था या सामाजिक कार्य क्षेत्र। उन्होंने शांति, साम्प्रदायिक सद्भाव, नशाखोरी, कैंसर तथा एड्स के रोगियों की बेहतर देखभाल के लिए कार्य किया।

श्री सुनील दत्त का निधन मुंबई, महाराष्ट्र में 25 मई, 2005 को 76 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री पी.के. वासुदेवन नायर, केरल के तिरूवनंतपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे। इसके पूर्व वह वर्ष 1957 से 1970 तक राज्य के थिरुवल्ला, अम्बलपुझा और पीरमडे संसदीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में क्रमश: दूसरी, तीसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य रहे।

अपने अंतिम समय में श्री नायर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संसदीय दल के नेता, श्रम संबंधी स्थायी समिति के सभापति और सदन की सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के सदस्य थे। संसद सदस्य के रूप में अपने आरंभिक काल में उन्होंने अनेक संसदीय समितियों को अपनी सक्रिय सेवा प्रदान की। वह वर्ष 1960 से 1970 तक याचिका समिति; वर्ष 1962 से 1965 तक आवास समिति; वर्ष 1963 से 1965 तक प्राक्कलन समिति और वर्ष 1966 से 1967 तक कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य रहे। वह केरल राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1965 के अंतर्गत सलाहकार समिति के भी सदस्य रहे।

आधुनिक केरल के एक अत्यंत प्रतिष्ठित नेता के रूप श्री नायर ने अत्यंत दक्षता से राज्य और देश की सेवा की। वह वर्ष 1977 से 1982 तक केरल विधान सभा के सदस्य और वर्ष 1977 से 1978 तक केरल सरकार के उद्योग मंत्री रहे। अक्तूबर, 1978 में वह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने इस पद पर वह अक्तूबर, 1979 तक कार्यरत रहे और उस छोटी अवधि के दौरान ही उन्होंने राज्य पर अमिट छाप छोड़ी।

स्वतंत्रता-पूर्व काल के दौरान अपने छात्र जीवन में ही श्री नायर

सार्वजनिक जीवन में आ गए। वह वर्ष 1945 से 1946 तक यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज, अलवाये के छात्र संघ और वर्ष 1948 से 1951 तक केरल छात्र परिसंघ के भी अध्यक्ष बने। वह केरल पीपुल्स आर्ट्स क्लब, कायमकुलम के सभापति और प्रतिष्ठित वयालार रामावर्मा न्यास के अध्यक्ष भी थे।

श्री नायर ने अनेक देशों की यात्राएं की जिनमें प्रमुख हैं तत्कालीन सोवियत संघ, चेकेस्लोवाकिया और हंगरी। उनकी अध्ययन में गहरी रुचि थी और उन्होंने जीवनी के अलावा राजनैतिक तथा सामाजिक मुद्दों पर कई पुस्तिकाएं लिखीं। वे केरल से प्रकाशित राजनैतिक साप्ताहिक 'नवयुगम' श्री के संपादक भी थे।

श्री वासुदेवन नायर देश में वामपंथी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे और हमेशा श्रमिक वर्ग तथा दलितों के कल्याण के लिये कार्य करते रहे। सिद्धांतों में उनकी गहरी आस्था थी और वे पूरी तरह से ईमानदार थे। जीवन पर्यन्त वे गरीबों और देश के वंचित लोगों के उत्थान में लगे रहे। स्वभाव से मृदु और दोस्ताना व्यवहार करने वाले श्री वासुदेवन नायर एक कुशल प्रशासक, संसदविद और उत्कृष्ट नेता थे। पिछले कुछ महीनों में बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद वे हमेशा सभा की कार्यवाही और श्रम संबंधी स्थायी समिति के कार्यकरण, जिसके वे सभापति थे, में गहरी रुचि लेते थे। देश के राजनैतिक जीवन में उनके स्थान की भरपाई नहीं हो सकती है।

श्री पी.के. वासुदेवन नायर, जो कुछ समय से बीमार थे, का निधन 12 जुलाई, 2005 को 79 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

श्री हुकम राम 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने राजस्थान के जालौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री हुकम राम एक योग्य संसदविद थे और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य थे।

पेशे से अध्यापक श्री हुकम राम एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण तथा उत्थान के लिए कार्य करते रहे। उन्होंने (राजस्थान में, पाली) में मेघवाल कॉलोनी और पाली जिले में फलना में अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास का निर्माण किये जाने में सक्रिय भूमिका निभाई। वे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारी कल्याण संघ, राजस्थान के अध्यक्ष; अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों और जनजातियों के परिसंघ के उपाध्यक्ष; पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संघ, बापू भवन, नई दिल्ली के उपाध्यक्ष; और श्री मेघवाल समाज, पाली जिला, राजस्थान के सचिव पद पर भी रहे।

श्री हुकम राम का निधन 12 मई, 2005 को पाली, राजस्थान में 79 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री मुरलीधर माने वर्ष 1984 तक आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने महाराष्ट्र के नासिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री माने वर्ष 1987 से 1989 तक सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री माने ने वर्ष 1975 से 1980 तक सलाहकार बोर्ड, क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, नासिक के सदस्य के रूप में कार्य किया। वह 1983 के दौरान महराष्ट्र राज्य वन्य-प्राणी सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी रहे।

एक प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्री माने ने रक्तदान तथा परिवार नियोजन शिविरों और युवा रैलियों का आयोजन किया। उन्होंने झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों के विकास और निरक्षरता के उन्मूलन के लिए कार्य किया। उन्होंने युवाओं को संगठित करके उन्हें राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में लाने के लिए भरसक प्रयास किया।

श्री मुरलीधर माने का निधन 24 मई, 2005 को 56 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ।

श्री छंगुर राम, वर्ष 1980 से 1984 तक सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के लालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व, श्री छंगुर राम वर्ष 1962 से 1967 और 1969 से 1974 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

एक कृषक और सामाजिक कार्यकर्ता, श्री छंगुर राम, जिला ग्रामीण मजदूर यूनियन, आजमगढ़ के अध्यक्ष; प्रांतीय ग्रामीण मजदूर यूनियन, लखनऊ के उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय ग्रामीण मजदूर परिसंघ के सदस्य थे। उन्होंने 'आदर्श पूर्व-माध्यमिक विद्यालय' के प्रशासक के रूप में कार्य किया और वह 'लोक निर्धन संस्थान', सिंघपुर के संस्थापक और सभापति भी थे।

श्री छंगुर राम का निधन थोड़े समय बीमार रहने के पश्चात् 16 जून, 2005 को 73 वर्ष की आयु में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ।

श्री लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी, वर्ष 1991 से 1996 तक दसवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के कैसरगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक योग्य संसदविद्, श्री त्रिपाठी वर्ष 1992 से 1994 तक सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति तथा वर्ष 1993 से 1995 तक ऊर्जा संबंधी समिति के सदस्य रहे।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, श्री त्रिपाठी समाज सेवा के लिए स्थापित संगठन, 'जनसंघर्ष समिति', के संस्थापक अध्यक्ष थे। उन्होंने ''पंडित सत्यदेव मणि त्रिपाठी जन-कल्याण एवं मानव सेवा संस्थान'' नामक न्यास की स्थापना भी की। इस न्यास के अंतर्गत वर्तमान में दो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी का निधन त्रासदीपूर्ण परिस्थितियों में 19 जून, 2005 को 65 वर्ष की आयु में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ।

श्री बलराम सिंह यादव 1984 से 1989 तथा 1998 से 2004 तक आठवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री यादव 1990 से 1996 तक उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सभा के भी सदस्य रहे। वह 1969 से 1974 तथा पुन: 1980 से 1984 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे।

एक कुशल प्रशासक के रूप में श्री यादव केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में 1991 से 1995 तक खान राज्य मंत्री और 1995 से 1996 तक योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन रराज्य मंत्री रहे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार में वह 1969 से 1970 तक उपमंत्री तथा 1971 से 1973 तथा पुन: 1980 से 1984 तक कैबिनेट मंत्री रहे।

एक सक्रिय सांसद के रूप में श्री यादव 1998 से 1999 तक सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति; पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक संबंधी समिति; आवास समिति; और नागर विमानन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। वह 1999 से 2000 तक सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति; विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समिति; पर्यावरण और वन संबंधी समिति तथा 2000-2001 के दौरान लोक लेखा समिति के सदस्य भी रहे।

एक कृषक और पेशे से वकील श्री यादव अपने सार्वजनिक जीवन के आरंभिक वर्षों में सहकारिता आंदोलन से भी जुड़े थे। वह 1980 से 1982 तक उत्तर प्रदेश मंडी परिषद लिमिटेड और उत्तर प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, लखनऊ के अध्यक्ष रहे। वह 1982 से 1984 तक युवा कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे।

काफी भ्रमण कर चुके श्री यादव 1986 में यूगोस्लाविया और 1992 और 1998 में तुर्की का दौरा करने वाले भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य थे।

श्री बलराम सिंह यादव का निधन 66 वर्ष की आयु में 4 जुलाई, 2005 को इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ।

डा. बिप्लव दासगुप्ता 1989 से 1991 तक नौवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने पश्चिम बंगाल के कलकत्ता दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

मृत्यु के समय वह राज्य सभा के वर्तमान सदस्य थे। इससे पूर्व 1944 से 2000 तक भी वह राज्य सभा के सदस्य थे।

डा. दासगुप्ता एक कुशल सांसद थे तथा वर्ष 1990 में वह योजना तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य थे। राज्य सभा की सदस्यता के दौरान उन्होंने 1994 से 1999 तक वित्त संबंधी समिति; 1996 से 2004 तक संसद सदस्य वेतन, भत्ते तथा पेंशन संबंधी संयुक्त समिति; और 2004 से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी समिति और पंचायती राज मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री दासगुप्ता व्यवसाय से एक अर्थशास्त्री, विख्यात राजनीतिज्ञ तथा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और शिक्षाविद् थे। डा. दासगुप्ता ने कलकत्ता विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉलेज ऑफ लॉ, लंदन स्कूल ऑफ ''इकोनोमिक्स तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर साइंस, लंदन विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की थी। वह 1957 से 1959 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ, कलकत्ता जिला समिति तथा 1971 से 1977 तक ग्रेट ब्रिटेन के एसोसिएशन ऑफ इंडियन कम्यूनिस्ट के महासचिव थे। वह 1975 से 1977 तक ग्रेट ब्रिटेन की भारत में नागरिक स्वतंत्रता संबंधी समिति के संयोजक भी थे।

डा. दासगुप्ता 1965 से 1972 तक लंदन विश्वविद्यालय में सांख्यिकी

और अर्थशास्त्र के व्याख्याता थे। वह 1972 से 1980 तक ससेक्स विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के रीडर और फेलो थे वह 1980 से 1998 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर; 1984 से 1988 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय की सीनेट में सदस्य, तथा 1984 से दक्षिण कलकत्ता विधि महाविद्यालय के शासकीय निकाय के अध्यक्ष भी थे। वह 1980 में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, हेग तथा 1984 से 1988 तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर थे। वह 1980 से 1987 तथा पुन: 1992 से 1998 तक सेंटर फोर अर्बन इकोनोमिक स्टडीज, कलकत्ता विश्वविद्यालय के निदेशक थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा अन्य निकायों में परामर्शदात्री तथा विशेषज्ञ के रूप में भी विभिन्न अस्थायी पदों पर भी कार्य किया।

डा. दासगुप्ता 1978 से 1987 तक पश्चिम बंगाल सघन क्षेत्र विकास निगम के अवैतनिक कार्यकारी उप सभापति तथा 1986 से 1989 तक अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव भी थे।

डा. दासगुप्ता एक विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने अनेक शैक्षणिक पुस्तकों ''दा ऑयल इंडस्ट्री इन इंडिया; दो नक्सेलाईट मूवमेंट; पैटर्नस एंड ट्रैंडस इन इंडियन पालिटिक्स; माइग्रेशन फ्राम रूरल एरियाज; एग्रेरियन चेंज एंड दा न्यू टेक्नालॉजी इन इंडिया'' का लेखन किया। उन्होंने बंगाली में तीन यात्रा वृतांत, ''किसीमंजारोर देशे'', ''अटलांटिक अफ्रीका'' और ''सहारा'' लिखे। अपने अंतिम दिन तक वह सुविख्यात बंगाली पत्रिका। ''नंदन'' के सम्पादक थे।

डा. दासगुप्ता ने अनेक देशों की यात्राएं की और विश्वभर में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लिया।

उनके निधन से देश ने एक बहु प्रतिभा सम्पन्न, उत्कृष्ठ विद्वान, एक सुविख्यात अर्थशास्त्री और दलितों और कामगारों का मसीहा खो दिया है।

डा. बिप्लव दासगुप्ता का निधन थोड़े समय बीमार रहने के पश्चात् 17 जुलाई, 2005 को 66 वर्ष की आयु में कोलकाता में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा दुख: व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने में मेरे साथ हैं।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि लंदन में 7 और 21 जुलाई, 2005 को हुए उग्रवादी बम धमाकों ने संपूर्ण देश को शोकाकुल कर दिया है। 7 जुलाई के बम धमाकों में अनेक निर्दोष लोग मारे गए और अन्य अनेक लोग घायल हुए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इन आतंकवादी हमलों की निंदा की और दु:ख के समय ब्रिटेन के लोगों के प्रति सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त की। दो दशकों से भी अधिक समय से भारत आतंकवाद से पीड़ित रहा है और इन घृणित कृत्यों से पीड़ित ब्रिटेन के लोगों के दु:ख-दर्द के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।

हम 23 जुलाई, 2005 को प्रात:काल अरब गणराज्य, मिस्र के राष्ट्रीय दिवस के पावन पर्व पर शरम-अल-शेख में आम नागरिकों पर हुए भयंकर आंतकवादी हमलों, जिनमें काफी नागरिक मारे गए व घायल हुए से भी शोकाकुल है। आंतकवादियों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए क्रूर हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं और शोकाकुल परिवारों और अरब गणराज्य, मिस्र की सरकार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं।

विश्व को आंतकवाद से मुक्त करने के लिए इस प्रकार के आंतकवादी हमले हमें समन्वित और सुनियोजित तरीके से लड़ने के लिए बल प्रदान करते हैं।

इन घृणित हमलों में मारे गए लोगों के प्रति हम गहरा दुख: व्यक्त करते हैं और यह सभा इन घटनाओं पर अपनी गहरी संवेदना और दुख: व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेगें।

पूर्वाह्न 11.22 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

वन्य जीवों का अवैध शिकार

*1. श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में कुछ राज्यों में काले हिरण, तेंदुओं और बाघों जैसे वन्य जीवों/संकटापन्न प्रजातियों के गायब होने/अवैध शिकार होने के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए हैं और सरकार द्वारा अवैध शिकारियों के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या वन विभाग के कर्मचारियों के भी अवैध शिकार में संलिप्त होने की सूचना मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) बाघों के लुप्त होने की सूचना केवल राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व से प्राप्त हुई। बाघों, चीतों और अन्य वन्यजीवों के अवैध शिकार के संबंध में राज्यों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है। मामलों का कारणवार विवरण और प्रत्येक मामले में राज्य द्वारा की गई कार्रवाई मंत्रालय द्वारा एकत्र नहीं की जाती है। वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके शरीर के अंग प्रत्यंगों के व्यापार पर नजर रखने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाए संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) ऐसी श्रेणीवार कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	बाघ	शेष	हाथी	चीता	गैंडा	मयूर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2001	1	–	–	–	–	–
		2002	–	–	–	1	–	–
		2003			–		–	
		2004	–		–			
		कुल	1			1		
2.	अरुणाचल प्रदेश	2001	–	–	–	–	–	–
		2002	–	–	–	–	–	–
		2003	–		–			
		2004	–		–			
		कुल			0			
3.	असम	2001	–	–	–	–	10	–
		2002	–	–	–	–	5	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2003	–		1		6	
		2004	–		–		1	
		कुल	0		1	0	22	
4.	बिहार	2001	–	–	–	–	–	–
		2002	–	–	–	–	–	–
		2003	–					
		2004	–					
		कुल						
5.	दिल्ली	2001	–	–	–	6	–	–
		2002	–	–	–	–	–	–
		2003	–		–			
		2004	–		–			
		कुल				6		
6.	छत्तीसगढ़	2001	–	–	–	–	–	1
		2002	–	–	–	–	–	–
		2003	–		–			
		2004	–		–			
		कुल						1
7.	गोवा	2001	–	–	–	–	–	–
		2002	–	–	–	–	–	–
		2003	–		–			
		2004	–		–			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	गुजरात	2001	—	2	—	—	—	6
		2002	—	—	—	—	—	5
		2003	—	1	—			
		2004	—	—	—			
		कुल		3		0		11
9.	हिमाचल प्रदेश	2001	—	—	—	7	—	—
		2002	—	—	—	—	—	—
		2003	—		—			
		2004	—		—			
		कुल				7		
10.	झारखण्ड	2001	—	—	2	—	—	—
		2002	—	—	1	—	—	—
		2003	—					
		2004	—					
		कुल			3			
11.	कर्नाटक	2001	—	—	12	—	—	—
		2002	—	—	3	—	—	—
		2003	—		5			
		2004	—		6			
		कुल			26			
12.	केरल	2001	3	—	5	—	—	—
		2002	—	—	5	—	—	—
		2003	—		2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2004	—		3			
		कुल	3		15			
13.	मध्य प्रदेश	2001	4	—	—	2		6
		2002	—	—	—	—	—	—
		2003	—		—			
		2004	1		—			
		कुल	5			2		6
14.	महाराष्ट्र	2001	17	—	—	6	—	3
		2002	3	—	—	1	—	—
		2003	—		—			
		2004	—		—			
		कुल	20			7		3
15.	मेघालय	2001	—	—	2	—	—	—
		2002	—	—	—	—	—	—
		2003	—		—			
		2004	—		—			
		कुल			2			
16.	मिजोरम	2001	—	—	—	—	—	—
		2002	—	—	1	—	—	—
		2003	—		2			
		2004	—		—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	उड़ीसा	2001	–	–				
		2002	–	–	2	–	–	–
		2003	–		6			
		2004	–		7			
		कुल	0		22			
18.	पंजाब	2001	–	–	–	–	–	–
		2002	–	–	–	–	–	–
		2003	–		–			
		2004	–		–			
		कुल				0		
19.	राजस्थान	2001	–	–	–	2	–	–
		2002	1	–	–	2	–	–
		2003	–		–			
		2004	–		–			
		कुल	1			4		
20.	तमिलनाडु	2001	–	–	5	26	–	3
		2002	–	–	3	1	–	–
		2003	–		5			
		2004	–		1			
		कुल	0		14	27		3
21.	उत्तर प्रदेश	2001	20	–	1	28	–	2
		2002	1	–	–	–	–	1
		2003	–		1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2004	—		—			
		कुल	21		2	28		3
22.	उत्तरांचल	2001	—	—	2	6	—	—
		2002	—	—	—	4	—	—
		2003	—		—			
		2004	—		—			
		कुल			2	10		
23.	पश्चिम बंगाल	2001	2	—	7	3	1	—
		2002	—	—	—	1	—	—
		2003	—		3			
		2004	—		2			
		कुल	2		12	4	1	
		कुल योग	53	3	102	96	23	27

विवरण-II

(i) वन्यजीवों (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के उपबंधों के अंतर्गत वन्यजीवों के अवैध शिकार एवं वाणिज्यिक दोहन के लिए इन्हें वैधानिक सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

(ii) वन्यजीवों की अनेक दुर्लभ और खतरे में पड़ी प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में शामिल करके इन्हें अत्याधिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

(iii) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है और इसे और अधिक कड़ा बनाया गया है। अपराधों के मामले में सजा को बढ़ाया गया है। अधिनियम में वन्यजीव अपराध में प्रयुक्त किसी भी उपस्कर, गाड़ी या हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है।

(iv) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा दायर करने की शक्तियां प्रदान की गई है।

(v) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के मुख्य निर्यात और व्यापार केन्द्रों में क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए है।

(vi) राज्यों को विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत जैसे कि बाघ परियोजना, हाथी परियोजना और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए राज्यों की क्षमता और अवसंरचना को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों एवं

अभ्यारण्यों के विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

(vii) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा जनवरी 2002 में एक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-16 अपनाई गई है। योजना में देश में वन्यजीवों के सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कार्यनीति तैयार की गई है।

(viii) भारत ने जैव विविधता संरक्षण और वन्य वनस्पति जाति और प्राणी जाति के अवैध व्यापार पर नियंत्रण संबंधित अनेक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों पर हस्ताक्षर किए है।

(xi) वन्यजीवों के सीमापार व्यापार पर नियंत्रण के लिए नेपाल और चीन के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए है।

(x) बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों को निपटाने के लिए बाघ वाले देशों का एक विश्व बाघ फोरम तैयार किया गया है।

बाल श्रम संबंधी दिशानिर्देश

*2. **श्री एम. अंजनकुमार यादव :**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल में बाल श्रम संबंधी कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारें उपरोक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त राज्यों द्वारा उपरोक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) की गई कार्रवाई के क्या परिणाम निकले?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बाल श्रम के संबंध में एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य के मामले में 1996 में दिए गए उनके निर्णय में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(ख) 1996 में दिए गए निर्णय में निम्नलिखित मुख्य दिशानिर्देश शामिल हैं:

- जोखिमकारी उद्योगों/व्यवसायों/प्रक्रियाओं में नियोजित कामकाजी बच्चों की पहचान करने और उनकी गणना करने में लिए छः माह की अवधि के भीतर सर्वेक्षण कराना और पूरा करना।
- जोखिमकारी उद्योगों/व्यवसायों/प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक बच्चे को 20,000/- रुपये मुआवजे के रूप में अपराधी नियोजक द्वारा भुगतान।
- बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण निधि की स्थापना।
- संचित निधि को इस तरह से निवेश करना जिससे सर्वोत्तम संभावित लाभ प्राप्त हो।
- उस प्रत्येक परिवार के एक सक्षम वयस्क सदस्य को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करना जिसने अपने बच्चे (बच्चों) को जोखिमकारी उद्योग/व्यवसाय/प्रक्रिया में नियोजन के लिए भेजा हो। ऐसा करने में असफल रहने की स्थिति में, बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण निधि में 5000/- रुपये प्रति बच्चे की दर से राज्य सरकार द्वारा राशि का जमा किया जाना सुनिश्चित करना।
- जोखिमकारी कार्य से हटाए गए सभी बच्चों के लिए उपयुक्त शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा के अवसर की पहुंच का प्रावधान करना।
- गैर-जोखिमकारी कार्यों में लगे बच्चों को एक दिन में कम से कम दो घंटों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें एक दिन में चार से छः घंटे तक कार्य करने की अनुमति प्रदान करना।
- राज्य सरकार के श्रम विभाग में एक अलग प्रकोष्ठ खोलना और उस विभाग के सचिव को अनुवीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपना।
- बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 17 के अंतर्गत नियुक्त किए गए निरीक्षकों को जिला

मजिस्ट्रेट के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया जाए और वह इन निरीक्षकों के कार्य निष्पादन पर निरंतर और नजदीकी निगरानी रखे।

(ग) जी, नहीं। राज्य सरकारें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बाल श्रम से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही हैं और इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय को इस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ-पत्रों के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भू-जलस्तर में गिरावट

*3. **श्री बालासाहिब विखे पाटील :**
डा. के. धनराजू :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में भू-जलस्तर बहुत नीचे गिर गया है और सिंचाई हेतु जल प्राप्त करने में किसानों को कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनसे केन्द्र सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) राज्यों में भू-जलस्तर में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा वर्ष 1995-2004 के दौरान किए गए भूजल स्तरों के दीर्घकालीन विश्लेषण से देश के विभिन्न राज्यों के जिलों के कुछ हिस्सों में भूजल स्तरों में गिरावट का पता चलता है जिससे किसानों को भी कठिनाई हुई है। ऐसे राज्यों/जिलों के नाम जिनमें पिछले 10 वर्षों (1995-2004) में जल स्तर में गिरावट वाले स्थान हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

'जल' राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के संवर्धन के लिए योजनाओं का प्रतिपादन करना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना" नामक एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें 39.25 लाख कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से 36453 मिलियन घनमीटर अधिशेष मानसून अपवाह के पुनर्भरण की योजना है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने आठवीं योजना और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम को कार्यान्वित किया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के शेष हिस्से के दौरान भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के लिए 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने एक स्कीम का भी प्रस्ताव किया है।

भूजल की कमी से निपटने के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त केन्द्र सरकार, राज्यों, स्थानीय निकायों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1970 में एक माडल बिल का परिचालन किया गया जिसे 1992 और 1996 में पुन: परिचालित किया गया ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें। भूजल के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए एक संशोधित मॉडल बिल, 2005 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुन: परिचालित किया गया है।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल/दिशा निर्देशों का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट के रूख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(iii) केन्द्रीय मंत्रालयों/रेल, रक्षा, डाक, दूरसंचार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन भवनों में छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले भवनों पर जल संचयन संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(v) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि

वे अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आने वाले स्थानीय निकायों को यह सलाह दें कि जो व्यक्ति अपने अहाते/परिसर में छत के वर्षा जल संचयन को अपना रहे हैं उन्हें संपत्ति कर में छूट दी जाए।

(vi) सीजीडब्ल्यूबी ने राज्य सरकार अभिकरणों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी उद्यमों और व्यक्तियों सहित लगभग 1800 अभिकरणों को वर्षा जल संचयन के संबंध में तकनीकी दिशानिर्देश मुहैया कराये हैं।

(vii) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत गठित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने भूजल संसाधनों के अति दोहन को ध्यान में रखते हुए 11 नाजुक क्षेत्रों और भूजल संरचनाओं के पंजीकरण के लिए 32 अतिदोहित क्षेत्रों को अधिसूचित किया है।

(viii) वर्षा जल संचयन की विभिन्न तकनीकों और भविष्य में उपयोग के लिए इसके भंडारण के संबंध में जनता को जागरूक और शिक्षित करने के लिए छत के वर्षा जल संचयन पर एक वेबसाइट (**डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीजीडब्ल्यूबी इंडिया.काम**) की शुरुआत करना।

(ix) वर्ष जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी जन-जागरुकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।

(x) युवा और बच्चों, महिलाओं, किसानों तथा ग्रामवासियों, नीति और विचारकर्ताओं जैसे विभिन्न लक्षित समूहों को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण अभियान चलाया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार, दूरदर्शन पर स्पाट का प्रसारण, रेडियो पर संदेशों का प्रचार-प्रसार, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि का आयोजन किया गया है।

(xi) गुजरात सरकार ने भूजल के अति दोहन वाले 54 तालुकों में नए ट्यूबवेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। महानगरीय क्षेत्रों में ऐसे नियम अधिसूचित किए गए हैं, जिनके अंतर्गत वर्षा जल संचयन संरचना के बिना किसी भी नयी भवन निर्माण योजना का अनुमोदन नहीं किया जाएगा तथा सड़क एवं भवन विभाग को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिये गए हैं कि सभी प्रमुख सरकारी निर्माणों में वर्षा जल संचयन को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो।

(xii) महाराष्ट्र सरकार ने वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक संकल्प पारित किया है जिसके अनुसार सभी घरों में वर्षा जल संचयन का प्रावधन होना चाहिए जिसके बिना गृह निर्माण योजना को मंजूर नहीं किया जाएगा।

(xiii) तमिलनाडु सरकार ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी भवनों, निजी भवनों/संस्थानों तथा व्यापारिक भवनों में बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन स्कीम के कार्यान्वयन को शुरू किया है।

(xiv) नागालैंड सरकार ने सभी नये सरकारी भवनों के लिए छत के वर्षा जल संचयन के प्रावधान को अनिवार्य कर दिया है।

(xv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने संबंधी अनुदेश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय ने भवन उपनियम, 1983 में संशोधन कर दिल्ली में 100 वर्गमीटर और इससे अधिक के प्लाटों में सभी नए भवनों में वर्षा जल सहित अपवाह जल संचयन के माध्यम से जल संचयन का प्रावधान रखा है।

(xvi) राजस्थान सरकार ने 500 वर्गमीटर से अधिक के प्लाट वाले भवनों के लिए भूजल जलभृत्तों के पुनर्भरण के उद्देश्य से वर्षा जल संचयन अपनाना अनिवार्य कर दिया है।

(xvii) कर्नाटक सरकार ने 20 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने के लिए भवन उप नियमों में संशोधन करने संबंधी कार्रवाई आरंभ कर दी है।

(xviii) हरियाणा सरकार ने छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने के लिए हरियाणा नगर निगम के भवन उप-नियम, 1982 में संशोधन किया है।

(xix) केरल सरकार ने नगर निगम क्षेत्रों में सभी नए निर्माणों में छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने संबंधी कानून बनाए हैं।

(xx) पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिकता वाले 7 जिलों के सरकारी भवनों में छत के वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने संबंधी कार्रवाई आरंभ की है।

(xxi) उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम क्षेत्रों में सभी नये निर्माणों में छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने के लिए स्थानीय निकायों को परिपत्र जारी किया है।

(xxii) मेघालय सरकार ने सरकारी इमारतों में छत के वर्षा जल संचयन करने वाले ढांचों के निर्माण के लिए संबंधित विभाग को उनकी अपनी वार्षिक योजना के अंतर्गत निधि उपलब्ध कराने का निदेश दिया है।

(xxiii) दमन तथा दीव प्रशासन ने स्थानीय लोक निर्माण विभाग को छत के ऊपर वर्षा जल संचयन एकत्र करने वाले ढांचों के निर्माण के निदेश दिए हैं तथा तदनुसार, लोक निर्माण विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है। इसने नगरपालिका तथा जिला पंचायतों जैसी स्थानीय निकायों को भी यह सलाह दी है कि वे छत के ऊपर वर्षा जल संचयन करने वाले ढांचों के निर्माण का प्रावधान करें।

विवरण

मानसून पूर्व अवधि के दौरान विगत 10 वर्षों (1995-2004) में जल स्तर (भागों में) की गिरावट दर्शाने वाले जिलों के नाम

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गिरावट का रूख दर्शाने वाले जिले (20 सेमी. प्रति वर्ष से अधिक)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, कुडप्पा, पूर्वी गोदावरी, गुन्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर मेडक, नलगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगा रेड्डी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजियानगरम, वारंगल, पश्चिम गोदावरी।
2.	असम	जोरहाट, नगांव, सोनितपुर
3.	बिहार	भागलपुर, पूर्वी चंपारन, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, सहरसा, सारन
4.	छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जंजगीर-चंपा, कांकेर, कावर्धा, कोड़िया, महासमन्द, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगांव, सरगुजा
5.	दिल्ली	नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम
6.	गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, डांग्स, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, मेहसाना, पंचमहल, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वड़ोदरा, वलसाड
7.	हरियाणा	अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत
8.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमुर, सोलन, ऊना
9.	झारखंड	धनबाद, दुमका, हजारीबाग, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, रांची

1	2	3
10.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू, कथुआ, राजौरी, ऊधमपुर
11.	कर्नाटक	बगलकोट, बंगलोर, बेलगाम, बेल्लारी, बीदर, बीजापुर, चमराजनगर, चिकमगलूर, चित्रदुर्ग, कूर्ग, दक्षिण कन्नड़ धारवाड़, गदग, गुलबर्गा, हासन, हवेरी, कोलार, कोप्पल, मंडया, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, तमकुर, उडुपी, उत्तर कन्नड़
12.	केरल	इडुकी कनूर, कसरगोड, कोल्लम, कोट्टायम, मल्लापुरम, पलक्कड, तिरूवनंतपुरम, थ्रीसूर, वायनाड
13.	मध्य प्रदेश	बरवानी, बालाघाट, बेतुल, भिंड, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, दिनधोरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सीवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुर, शिवपुरी, सिधी, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा, नीमार पश्चिम
14.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुलढाना, चंद्रपुर, धुले, गडचिरौली, गोंडिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नदुरबर, नासिक, उस्मानाबाद, परभनी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरा, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, ठाणे, वर्धा, वासिम, यवतमल
15.	उड़ीसा	अंगुल, बालेश्वर, बारगढ़, कटक, धेनकेनाल, गंजम, जाजपुर, झारसुगुडा, कालाहांडी, कोरापुट, केंदुझार, मयूरभंज, नवापाड़ा, फुलबनी, पुरी, रायगदा, संबलपुर, सुंदरगढ़
16.	पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मनसा, मोगा, नवाशहर, पटियाला, रोपड़, संगरूर
17.	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बरन, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालवाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर
18.	तमिलनाडु	चेन्नई, कोयंबटूर, कुड्डालोर, धरमपुरी, डिंडीगुल, इरोड, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, कराईकल, करूर, मदुरई, नमक्कल, नीलगिरी, पेरम्बलुर, रामनाथपुरम, सलेम, शिवगंगा, तंजावूर, थेनी, तिरुचिरापल्ली, तिरूनेलवेली, तिरूवल्लूर, तिरुवन्नामलाई, तूतीकोरिन, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरुधनगर
19.	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बलिया, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोंडा, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सहारनपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव
20.	उत्तरांचल	देहरादून, हरिद्वार

21.	पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा, बर्द्धमान, बीरभूम, हावड़ा, हुगली, पूर्वी मेदिनीपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, दक्षिण-24 परगना, पश्चिमी मेदिनीपुर
22.	दादरा एवं नगर हवेली	दादरा एवं नगर हवेली
23.	पांडिचेरी	पांडिचेरी

[हिन्दी]

समस्त संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का संयोजन

*4. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे :**
डा. राम लखन सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों से सटे गांवों में ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों के निष्पादन में समन्वय और कार्यकुशलता का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत समस्त संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का वन विकास एजेंसी के साथ संयोजन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस तरफ कब तक ध्यान दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। ग्रामीण विकास से संबंधित स्कीमें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मुख्यत: पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। तथापि, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। ग्रामीण लोगों की अधिकाधिक भागीदारी प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम में एन्ट्री पाइन्ट एक्टिविटी का प्रावधान है जिसके अंतर्गत स्थानीय ग्रामीण लोगों द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार सामुदायिक परिसंपत्तियों को सृजन किया जाता है।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत चुनी गई संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को वनीकरण कार्य के लिए उपलब्ध बजट के अंदर-अंदर सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वन विकास अभिकरण के क्षेत्राधिकार में वन सीमा पर बसे अन्य सभी गांवों में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन हेतु सहायता देने का भी प्रावधान है।

[अनुवाद]

गेहूं की खरीद में कमी

*5. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
श्री मोहन सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में गेहूं सहित अन्य खाद्यान्नों का कितना भंडार दर्ज किया गया;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान गेहूं की खरीद में कमी के कारण भंडार में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या खरीद की गई मात्रा चालू वर्ष के दौरान देश में गेहूं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार गेहूं का आयात करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन देशों से आयात किए जाने की संभावना है; और

(छ) कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए देश में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पहली जुलाई की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं सहित खाद्यान्नों का स्टॉक नीचे दिया गया है:-

(लाख टन में)

वर्ष	गेहूं	चावल	मोटे अनाज	जोड़
2002	410.74	219.37	0.36	630.47
2003	241.94	109.74	0.03	351.71
2004	191.52	107.63	6.41	305.56
2005	144.54	100.71	5.88	251.13

(ख) जी, हां।

(ग) 1.7.2004 और 1.7.2004 के बीच गेहूं के स्टॉक में 46.98 लाख टन की गिरावट आई है, ऐसा (i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याण योजनाओं के अधीन गेहूं के उठान में वृद्धि होने, और (ii) वर्तमान वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं की वसूली में 20.1 लाख टन की कमी होने के कारण हुआ है। राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं–

गेहूं की वसूली

(मात्रा हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06
1	2	3
बिहार	15	1
दिल्ली	2	2
हरियाणा	5115	4529
मध्य प्रदेश	349	484
पंजाब	9240	9010
राजस्थान	279	159
उत्तर प्रदेश	1741	560
उत्तरांचल	54	40
जोड़	16795	14785

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

(छ) देश में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मूल्यों में होने वाली बढ़ोतरी को रोकने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित 4 उपाय किए जा रहे हैं–

(i) देश के सभी प्रमुख केन्द्रों पर साप्ताहिक आधार पर थोक और खुदरा मूल्यों की मानीटरिंग करना।

(ii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन पर्याप्त मात्रा में गेहूं जारी करना।

(iii) खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन गेहूं रिलीज करना।

(iv) देश के सभी क्षेत्रों में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय कृषि-बीमा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसान

*६. **श्री प्रह्लाद जोशी :**
श्री दाभने रावसाहेब पाटील :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि-बीमा योजना शुरू होने के बाद इसके अंतर्गत लाभान्वित हुए किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) किसानों को आज तक कुल कितनी धनराशि जारी की गई है तथा इसमें राज्य तथा केन्द्र का राज्य-वार हिस्सा कितना है;

(ग) क्या सरकार को संबंधित किसानों को बीमा राशि को स्वीकृत करने में असाधारण विलम्ब होने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार को पूरी योजना की पुन:संरचना करने के लिए राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ज) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों में जिला/जोन स्तर पर कृषि-बीमा कार्यालय स्थापित करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक में खोले गए कार्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.) के अंतर्गत रबी 1999-2000 से खरीफ, 2004 तक लाभान्वित किसानों की संख्या तथा निर्गत दावों की कुल राशि दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) के अंतर्गत अनुमत्य दावे भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. (एआईसी), जो एनएआईएस की कार्यान्वयन एजेंसी है, द्वारा स्वीकृत किए और निपटाए जाते हैं।

कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कार्यान्वयन करने वाले विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न फसल मौसमों में दावों के निपटान में विलम्ब की सूचना प्राप्त हुई है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा उपज संबंधी आंकड़ों की प्रस्तुति में विलम्ब, बीमित क्षेत्र एवं प्रदत्त फसल ऋण में विसंगति, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा धनराशि प्रदान न करने जैसे एकाधिक कारणों के कारण दावों के भुगतान में विलम्ब हुआ।

(ङ) से (झ) बीमे का इकाई क्षेत्र घटाने, गारन्टीशुदा उपज में सुधार करने, क्षतिपूर्ति (इण्डेम्निटी) का स्तर बढ़ाने, रोकी गई बुआई जोखिमों, फसलोपरान्त नुकसान, बारहमासी बागवानी फसलों को भी बीमा कवर के तहत लाने, दावों के यथासमय भुगतान तथा कार्यान्वयन एजेन्सी के नेटवर्क को जिला/तालुका स्तर तक बढ़ाने आदि के बारे में विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

मौजूदा फसल बीमा स्कीमों में अपेक्षित सुधारों के अध्ययन हेतु भारत सरकार द्वारा गठित संयुक्त दल ने सरकार के समक्ष प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा फसल बीमा स्कीम में सुधार हेतु राज्यों से प्राप्त सभी प्रस्तावों पर विचार किया है। राज्य सरकारों और अन्य पणधारियों के परामर्श से इस रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है।

विभिन्न राज्यों में भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) के इस समय कार्यरत, कार्यालयों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

(धनराशि लाख रु. में)

क्र. सं..	राज्य/सं.शा.प्र.	दावे			लाभान्वित किसान
		भुगतान किए गए	भारत सरकार का अंश	राज्य का अंश	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	63122.32	20351.72	20351.72	1708057

1	2	3	4	5	6
2.	असम	51.67	34.00	34.00	7128
3.	बिहार	4992.40	2001.05	2001.05	395981
4.	छत्तीसगढ़	16462.50	7416.54	7416.54	952298
5.	गोवा	2.23	0.97	0.97	696
6.	गुजरात	165822.06	70927.68	70927.68	3429719
7.	हरियाणा	118.20	4.88	4.88	16600
8.	हिमाचल प्रदेश	491.63	211.88	211.88	65341
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0
10.	झारखण्ड	295.43	118.15	118.15	60934
11.	कर्नाटक	94203.11	41421.07	41421.07	2700791
12.	केरल	1253.00	510.86	510.86	36834
13.	मध्य प्रदेश	37549.51	13602.97	13602.97	2268974
14.	महाराष्ट्र	73336.10	26696.90	26696.89	4304834
15.	मेघालय	10.80	4.76	4.76	1161
16.	उड़ीसा	38845.35	15722.71	15722.71	1346164
17.	राजस्थान	871.38	1906.17	1906.17	302977
18.	सिक्किम	1.28	0.54	0.54	86
19.	तमिलनाडु	6099.25	2583.11	2583.11	154395
20.	त्रिपुरा	8.24	2.49	2.49	847
21.	उत्तर प्रदेश	9469.07	1923.90	1923.91	1003015
22.	उत्तरांचल	37.42	8.81	8.81	6411
23.	पश्चिम बंगाल	5472.40	1765.14	1765.14	336611

1	2	3	4	5	6
24.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.61	0.01	0.01	56
25.	पांडिचेरी	110.71	42.97	42.97	2486
	कुल	525926.67	207259.28	207259.28	19102396

टिप्पणी: खरीफ, 2004 के कुछ दावे निपटान की प्रक्रिया में है।

विवरण-II

भारतीय कृषि बीमा कम्पनी के कार्यालयों की सूची।

1. अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद (गुजरात)
2. भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
3. देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून (उत्तरांचल)
4. जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर (राजस्थान)
5. मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई (महाराष्ट्र)
6. रांची क्षेत्रीय कार्यालय, रांची (झारखंड)
7. बंगलौर क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर (कर्नाटक)
8. चण्डीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़
9. गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी (असम)
10. कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
11. पटना क्षेत्रीय कार्यालय, पटना (बिहार)
12. तिरुअनन्तपुरम क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुअनन्तपुरम (केरल)
13. भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (मध्य प्रदेश)
14. चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै (तमिलनाडु)
15. हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
16. लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
17. रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

कृषि वृद्धि दर

*7. **प्रो. एम. रामदास :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में बिगड़ते कार्य प्रदर्शन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों के लिए वृद्धि-दर का लक्ष्य सात और आठ प्रतिशत रखा है।;

(घ) यदि हां, तो क्या कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में कमी का रुझान दिख रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं; और

(च) कृषि समस्याओं से निपटने तथा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) वानिकी, लट्ठाबंदी (लॉगिंग) और मात्स्यिकी के संवर्गी क्षेत्रों सहित कृषि का अंश वास्तव में (1993-94

के मूल्यों पर) कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20 प्रतिशत है। अत: इसका निष्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को प्रभावित करेगा।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना में सतत आधार पर भूमि की उत्पादकता और जल संसाधन बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कृषि में वर्धित फसल गहनता पर जोर दिया गया है। केन्द्रीभूत और प्राथमिकता पर ध्यान देने के लिए अभिज्ञात क्षेत्रों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सहित सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी, कृषि ऋण, पश्च और अग्र सम्पर्कों (बैकवार्ड और फौरवार्ड लिंकेजिज) पर विशेष ध्यान के साथ बागवानी, कृषि विपणन अवसंरचना का विकास/सुदृढ़ीकरण, ग्रेडिंग और मानकीकरण तथा कृषि अनुसंधान शामिल है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-05) के पिछले तीन वर्षों में वास्तविक विकास और भारतीय विकास प्रक्रिया पर आधारित व्यवहारात्मक संबंधों के आधार पर योजना आयोग ने दसवीं योजना के अपने मध्यावधिक मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था के लिए कुल सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2005-06 में 7.6 प्रतिशत तथा वर्ष 2006-07 में 7.8 प्रतिशत के रूप में संभावित विकास का पुनर्मूल्यांकन किया है।

(घ) और (ङ) वास्तव में (1993-94 के मूल्यों पर) संगणित वानिकी, लट्ठाबंदी (लागिंग) और मात्स्यिकी के संवर्गी क्षेत्रों सहित कृषि में विकास दर नौवी योजना तथा दसवीं योजना (2002-05) के प्रथम तीन वर्षों के दौरान निम्नवत घटती प्रवृत्ति दर्शा रही है - जो इस प्रकार है:-

	योजना	कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी क्षेत्र में वास्तविक औसत वार्षिक वृद्धि (%)
आठवीं योजना	1992-97	4.7
नौवी योजना	1997-2002	2.1
दसवीं योजना (प्रथम तीन वर्ष)	2002-05	1.2

भारतीय कृषि के विकास की गति में कमी का कारण अधिकांशत: कम वर्षा की वजह से अनियमित मौसम तथा संबंधित उथल-पुथल, सिंचाई में अपर्याप्त सार्वजनिक निवेश और उसके द्वारा सिंचित क्षेत्र में बहुत कम वृद्धि हुई है। बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि में वास्तव में सार्वजनिक निवेश में सतत गिरावट आई जिससे बाद के वर्षों के सूखे सहित कम वर्षा से उत्पन्न समस्याएं बढ़ गईं। कृषि में सार्वजनिक निवेश की प्रवृत्ति का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि यह छठी योजना (1980-85) के दौरान 35640 करोड़ रुपये से वास्तव में (1993-94 मूल्यों पर) घटकर सातवीं योजना (1985-90) के दौरान 28793 करोड़ रुपये हो गया और आठवीं योजना (1992-97) में घटकर 25298 करोड़ रुपये हो गया। नौवीं योजना (1997-2000) के दौरान इसमें और अधिक गिरावट आई और यह 23626 करोड़ रुपये रह गया। चूंकि सार्वजनिक निवेश में सिंचाई पर होने वाला लगभग सभी खर्च शामिल है, अत: सार्वजनिक निवेश में गिरावट ने भारतीय कृषि में उत्पादन और उत्पादकता पर बुरा प्रभाव डाला है और मानसून पर निर्भरता बढ़ा दी है।

दसवीं योजना के प्रथम वर्ष, अर्थात् वर्ष 2002-03 में देश के कई राज्यों/क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले गंभीर सूखे के कारण कृषि विकास में 7.0 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आई। दसवीं योजना के दूसरे वर्ष अर्थात् वर्ष 2003-04 में अनुकूल वर्षा हुई जिसके कारण कृषि का विकास 9.6 प्रतिशत तक हुआ। इसने भी वर्ष 2002-03 में कृषि सकल घरेलू उत्पाद का बहुत ही निम्न आधार प्रदर्शित किया। दसवीं योजना के तृतीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2004-05 में दक्षिण-पश्चिम मानसून की कम वर्षा के कारण कई राज्यों में खरीफ फसल उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। यद्यपि वर्ष 2004 में वर्षा में कमी (-13%) वर्ष 2002 (-19%) की अपेक्षा काफी कम गंभीर थी तथापि इसने कृषि विकास दर को कम करके 1.1 प्रतिशत की सामान्य दर पर ला दिया। अत: दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में औसत वार्षिक विकास 4% के लक्षित विकास की तुलना में 12% की साधारण दर बनता है।

(च) अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को देखते हुए केन्द्रीय बजट 2005-06 ने बागवानी और सूक्ष्म सिंचाई सहित सिंचाई जैसे क्षेत्रों में बढ़े हुए परिव्यय की व्यवस्था की है। बजट में वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए 630 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो समेकित ढंग से एक छत्र के नीचे अनुसंधान, उत्पादन, कटाई पश्चात् प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन को कवर करते हुए पश्च और अग्र सम्पर्कों (बैकवर्ड एंड फारवर्ड लिंकेजिस) सहित सर्वांगीण दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा। बजट में वर्ष 2004-05 में 2800 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2005-06 के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम हेतु 4800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चूंकि कृषि में निवेश की गति बढ़ाने में ऋण का प्रवाह महत्वपूर्ण है अत: वर्ष 2004-05 में 1,15,243 करोड़ रुपये के ऋण संवितरण की तुलना में वर्ष 2005-06 में कृषि ऋण का संवितरण 30 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव है जो वर्ष 2003-04 में किए गए 86,981 करोड़ के ऋण संवितरण से 32 प्रतिशत अधिक था। समग्र रूप से प्रगामी आधार पर किए गए उपायों से

आशा की जाती है कि कृषि विकास की कमी की दिशा बदल जाएगी। साथ ही चूंकि कृषि राज्य का विषय है अत: राज्यों को कृषि पर अपने बजटीय परिव्यय को बढ़ाना होगा।

नदियों और झीलों की सफाई

*8. **श्री ई. पोन्नुस्वामी :**
श्री बाडिगा रामकृष्णा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नदियों ओर झीलों की सफाई के लिए चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी योजनाएं वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान नदियों और झीलों की सफाई करने में राज्य-वार, नदी-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ङ) इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है;

(च) क्या इन नदियों के आस-पास बीस स्लम आबादी, प्रदूषण के मुख्य कारकों में से एक है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ज) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत मुख्य नदियों में जल गुणता में सुधार के लिए सीवेज के अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन, सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित करना, अल्प लागत शौचालय, नदी तट विकास, शवदाहगृह स्थापित करने आदि जैसे प्रदूषण निवारण के विभिन्न कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत झीलों में गाद निकालना, खरपतवार निकालना, जैव-उपचार, कैचमेंट क्षेत्र/ सीवेज शोधन आदि जैसे स्व-स्थाने उपाय भी किए जाते हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत इस समय 396 परियोजनाएं चल रही हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत 27 परियोजनाएं चल रही हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत चल परियोजनाओं का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत शुरू की गई परियोजनाओं के परिणामस्वरूप जल गुणता में सुधार हुआ है।

(घ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार जारी की गई कुल राशि क्रमश: संलग्न विवरण-III और iv में दर्शाई गई है।

(ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

(च) से (ज) जी हां। इन नदियों के आस-पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग प्रदूषण का मुख्य कारण है। इन स्थानों पर होने वाले गैर-बिन्दु प्रदूषण का अल्प लागत शौचालय, नदी तट विकास, शवदाहगृह आदि स्थापित करने की स्कीमों के माध्यम से समाधान किया जा रहा है।

विवरण-I

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत चल रही परियोजनाओं का विवरण

क्र. स.	राज्य	नदी	आई एण्ड डी	एस टी पी	आई डब्ल्यू सी	एल सी एस	आर एफ डी	विविध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश								
		गोदावरी	3	7		1		1	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		मुसी		1					1
	उप जोड़		3	8	0	1	0	1	13
2.	गोवा								
		मान्डवी	1	2		1		1	5
	उप जोड़		1	2	0	1	0	1	5
3.	गुजरात								
		साबरमती	1					1	2
	उप जोड़		1	0	0	0	0	1	2
4.	झारखण्ड								
		सुबर्णरेखा			3	3	3		9
		दामोदर		1					1
	उप जोड़		0	1	3	3	3	0	10
5.	कर्नाटक								
		भद्रा	1						1
		तुंगभद्रा			1	1	3		5
		कावेरी	1	2	1	2	4	1	11
		तुंगा		1			1		2
		पेनियार	1						1
	उप जोड़		3	3	2	3	8	1	20
6.	केरल								
		पाम्बा	1	1		1	1	2	6
	उप जोड़		1	1	0	1	1	2	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	महाराष्ट्र								
		कृष्णा	2	2					4
		गोदावरी	3	2				2	7
	उप जोड़		5	4	0	0	0	2	11
8.	मध्य प्रदेश								
		बेतवा	2	2					4
		तापी	1	1					2
		वेनगंगा							0
		खान	2	1					3
		नर्मदा				1		1	2
		चम्बल	1						1
		क्षिप्रा							0
	उप जोड़		6	4	0	1	0	1	12
9.	उड़ीसा								
		ब्राह्मणी	1	1	3	3	1		9
		महानदी	2						2
		तटीय क्षेत्र	1	1				4	6
	उपजोड़		4	2	3	3	1	4	17
10.	पंजाब								
		सतलज	5	6	2			13	26
	उप जोड		5	6	2	0	0	13	26
11.	राजस्थान								
		सतलज	1			1			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	उपजोड़		1	0	0	1	0	0	2
12.	तमिलनाडु								
		कावेरी	6	6	3	1	4	3	23
		अडयार	11	3				1	15
		क्यूम							0
		वेनार	1						1
		वैगई	2						2
		ताम्रबरनी		1					1
	उप जोड़		20	10	3	1	4	4	42
13.	दिल्ली								
		यमुना	0	0	0	0	0	0	0
	उप जोड़		0	0	0	0	0	0	0
14.	हरियाणा								
		यमुना	3	4	1	0	0	4	12
	उप जोड़		3	4	1	0	0	4	12
15.	उत्तर प्रदेश								
		गंगा	14	6		2		6	28
		यमुना						2	2
		गोमती	5	2		1	1	3	12
	उप जोड़		19	8	0	3	1	11	42
16.	पश्चिम बंगाल								
		गंगा	43	23	1		11	68	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		दामोदर			1				1
	उप जोड़		43	23	2	0	11	68	147
17.	बिहार								
		गंगा			1	1	2		4
	उप जोड़		0	0	1	1	2	0	4
18.	उत्तरांचल								
		गंगा	9	4		7		4	24
	उप जोड़		9	4	0	7	0	4	24
19.	सिक्किम								
		रानी चु	1						1
	उप जोड़		1	0	0	0	0	0	1
	कुल जोड़		125	80	17	26	31	117	396

आई एण्ड डी-अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन

आई डब्ल्यू सी-उन्नत काष्ठ शवदाहगृह

आर एफ डी-नदी तट विकास

एस टी पी-सीवेज शोधन संयंत्र

एल सी एस-अल्प लागत शौचालय

विवरण-II

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत चल रही स्कीमों का विवरण

क्र.स.	राज्य	झीलों की संख्या	झीलों का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	बंजारा
	उप जोड़	1	
2.	माहाराष्ट्र		
		6	थाणे जिले में 6 झीलें
		1	महालक्ष्मी
	उप जोड़	7	
3.	तमिलनाडु	1	कोडइकनाल
	उप जोड	1	

1	2	3	4
4.	कर्नाटक	1	बेलन्दुर
		1	कोटीकेरी
		1	भीष्मा
		1	लालबाग
		1	चन्नापाटन
		1	सहारनभावेश्वर
		1	अककामहादेवी
	उप जोड़	7	
5.	उत्तरांचल	4	नैनीताल जिले की झीलें
		1	नैनीताल झील
	उप जोड़	5	
6.	राजस्थान	1	मनसागर
	उप जोड़	1	
7.	पश्चिम बंगाल	1	रविन्द्र सरोवर
		1	मिरिक
	उप जोड़	2	
8.	त्रिपुरा	3	अगरतला की झीलें
	उप जोड़	3	
	कुल जोड़	27	

विवरण-III

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत जारी राज्यवार निधि का विवरण

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य	नदी	पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र पदेश	गोदावरी, मूसी	1600.00
2.	बिहार	गंगा	25.00
3.	झारखण्ड	सुर्बणरेखा, दाम्होदर	0.00
4.	गुजरात	साबरमती	4254.00
5.	गोवा	म्हादवी	756.00

1	2	3	4
6.	कर्नाटक	भद्रा, तुंगभद्रा, कावेरी, तुंग, पेनियार	2568.00
7.	महाराष्ट्र	कृष्णा, गोदावरी	4594.50
8.	मध्य प्रदेश	बेतवा, ताप्ती, वैनगंगा, खान, नर्मदा, चम्बल, क्षिप्रा	3375.00
9.	उड़ीसा	महानदी, ब्राह्मणी	970.00
10.	पंजाब	सतलज	6031.00
11.	राजस्थान	चम्बल	26.00
12.	तमिलनाडु	कावेरी, आडयार, क्यूम, वीनार, वेगई, ताम्रबरनी	29451.00
13.	दिल्ली	यमुना	9375.00
14.	हरियाणा	यमुना	477.00
15.	उत्तर प्रदेश	गंगा, यमुना, गोमती	6564.00
16.	उत्तरांचल	गंगा	727.00
17.	पश्चिम बंगाल	गंगा	6907.00
18.	केरल	पाम्बा	75.00
19.	सिक्किम	रानी चु	179.00
	कुल जोड़		77954.50

विवरण–IV

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत जारी राज्यवार निधि का विवरण

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य	पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी निधि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	80.00
2.	महाराष्ट्र	219.82
3.	तमिलनाडु	71.00
4.	कर्नाटक	1427.44
5.	उत्तरांचल	2111.18
6.	राजस्थान	1200.00
7.	पश्चिम बंगाल	400.00
8.	त्रिपुरा	50.00
	कुल जोड़	5559.44

चिकित्सा पर्यटन

*9. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उपलब्ध सस्ती चिकित्सा के मद्देनजर भारत को एक आधुनिक चिकित्सा महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने चिकित्सा सहायता चाहने वालों के लिए भारत को एक अग्रणी स्थान के रूप में प्रोन्नत करने हेतु क्या उपाय किए हैं;

(ग) क्या सरकार ने विशेषज्ञ सहायता चाहने वाले विदेशी पर्यटकों हेतु कोई दिग्दर्शिका तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किन-किन राज्यों की पहचान की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) से (ङ) विश्व भर में भारत को एक स्वास्थ्य गंतव्य के रूप में प्रमोट करने के उद्देश्य से सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा चिकित्सा विशेषज्ञों की एक कार्यदल गठित किया है, ताकि देश में उपलब्ध स्वास्थ्य संबंधी विशेषज्ञता और अवसंरचना का लाभ उठाया जा सकें। पर्यटन मंत्रालय के ''इन्क्रेडिबल इंडिया अभियान'' के अंतर्गत प्रासंगिक सामग्री, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं इंटरनेट मीडिया के जरिए भारत का एक हेल्थ केयर गंतव्य के रूप में संवर्धन एवं विपणन करने का निर्णय लिया गया है।

बाढ़ प्रभावित राज्य

*10. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :**
श्री कीर्तिवर्धन सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष भारी वर्षा और बाढ़ के कारण कुछ राज्यों में भारी तबाही हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप ऐसे राज्यों को कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे राज्यों को कोई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण पश्चिम मानसून 2005 के दौरान भारी वर्षा एवं बाढ़ आदि के कारण हुई क्षत का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

दक्षिण पश्चिम मानसून 2005 के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ आदि के कारण हुई क्षति

क्र. स.	राज्य	जिलों की कुल संख्या	जिलों की संख्या	प्रभावित तालुकों की संख्या	प्रभावित गांवों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या (लाख)	जन हानि	मवेशी एवं पशुधन	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	क्षतिग्रस्त घरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम	27	10	सू.न.	502	12.00	13	सू.न.	0.23	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	आंध्र प्रदेश	23	9	377	सू.न.	206.00	17	सू.न.	0.25	8706
3.	अरुणाचल प्रदेश	15	5	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.
4.	बिहार	38	2	2	4	0.02	सू.न.	सू.न.	0.005	4
5.	गोवा	2	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	1	6	सू.न.	52
6.	गुजरात	25	20	80	6719	7.19	213	7563	सू.न.	161628
7.	हरियाणा	20	9	सू.न.	80	0.01	9	89	12.99	227
8.	हिमाचल प्रदेश	12	6	156	195	3.63	2	116	0.15	1326
9.	जम्मू एवं कश्मीर		सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.
10.	कर्नाटक	27	सू.न.	सू.न.	सू.न.	1.50	68	95	0.38	2530
11.	केरल	14	10	21	54	0.37	59	402	0.008	5528
12.	मध्य प्रदेश		9	सू.न.	3104	8.69	63	63,593	सू.न.	88,613
13.	महाराष्ट्र		3	सू.न.	सू.न.	सू.न.	22	सू.न.	सू.न.	सू.न.
14.	मेघालय	7	2	2	25	0.07	1	सू.न.	सू.न.	सू.न.
15.	नागालैंड	11	1	सू.न.	सू.न.	सू.न.	14	सू.न.	सू.न.	190
16.	उड़ीसा		5	9	359	3.65	1	सू.न.	0.20	सू.न.
17.	पंजाब	17	7	सू.न.	195	सू.न.	23	104	1.00	180
18.	राजस्थान		सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	44	सू.न.	सू.न.	सू.न.
19.	सिक्किम	4	3	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	6	सू.न.	4
20.	तमिलनाडु	30	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	17	43	सू.न.	77
21.	उत्तर प्रदेश		सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.
22.	उत्तरांचल		सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.
23.	पश्चिम बंगाल	13	सू.न.	2	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.
	कुल	285	101	647	11245	243.13	567	71967	15.203	269201

टिप्पणी: सू.न. - सूचना नहीं

विवरण-II

वर्ष 2005-06 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई केन्द्र केन्द्रीय सहायता

रुपये करोड़ में

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी किया गया आपदा राहत कोष (सीआरएफ) का केन्द्रीय हिस्सा	तदर्थ आधार पर जारी की गई अतिरिक्त राशि/ राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ)
1.	आंध्र प्रदेश	129.03	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.62	—
3.	गुजरात	92.25	500.00
4.	हिमाचल प्रदेश	75.52	—
5.	कर्नाटक	43.00	—
6.	केरल	32.07	—
7.	मध्य प्रदेश	95.335	—
8.	महाराष्ट्र	83.59	103.97
9.	नागालैंड	1.44	
10.	उड़ीसा	113.08	
11.	राजस्थान	155.87	—
12.	सिक्किम	6.58	—
13.	उत्तरांचल	35.51	—

टिप्पणी : इसके अतिरिक्त गंभीर कटावरोधी कार्य प्रारंभ करने के लिए बिहार के लिए 5.51 करोड़ रुपये तथा उत्तरांचल के लिए 1.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

[हिन्दी]

रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरता में गिरावट

*11. **श्री काशीराम राणा :**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरता में गिरावट आने के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टी की उर्वरता को बचाने हेतु उपाय सुझाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बचाने हेतु क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) सामान्यतया रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण उर्वरता में गिरावट के बारे में कोई अखिल भारतीय अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, देश के कुछ भागों में विशेष तौर पर सिन्धु-गंगा तटीय मैदानों के चावल और गेहूं की खेती वाली भूमि में जैविक खादों की उपेक्षा और रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग के कारण मृदा में कुछ प्रमुख और सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा कार्बन तत्व में कमी होने के कुछ उदाहरण सामने आए हैं। 2003-04 के दौरान देश में रासायनिक उर्वरकों की औसतन खपत 89.83 कि.ग्रा./हैक्टेयर रही। खपत की यह स्तर भूमि की उर्वरता पर कोई बुरा प्रभाव डालता है, ऐसा नहीं माना जाता।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) द्वारा 30 वर्षों से भी अधिक समय से किए गए दीर्घावधिक उर्वरक प्रयोगों में यह दर्शाया गया है कि रासयनिक उर्वरकों के संतुलित एवं समेकित प्रयोग से और पोषक तत्वों के जैव स्रोतों से मृदा स्वास्थ्य को बरकरार रखा जा सकता है और फसल उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।

(ङ) सरकार समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (आई एन एम) को बढ़ावा दे रही है जिसमें मृदा परीक्षण के आधार पर मृदा स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता बरकरार रखने के लिए खेत पर ही तैयार होने वाली खाद, हरी खाद, कम्पोस्ट वर्मीकम्पोस्ट और जैव उर्वरकों इत्यादि के संयोजन से रासायनिक उर्वरकों का संतुलित एवं यथोचित प्रयोग करना शामिल होता है और देश में जैव उतपाद के संवर्द्धन, उत्पादन, प्रमाणन और मण्डी विकास के लिए 10वीं योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए "राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना" (एन पी ओ एफ) संबंधी नई स्कीम के अंतर्गत जैव कृषि को भी बढ़ावा दे रही है।

इसके अतिरिक्त भा.कृ.अ.प. द्वारा रासायनिक उर्वरकों के संपूरक प्रयोग के लिए देश के विभिन्न कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न फसलों/फसलन पद्धतियों के लिए संतुलित एवं समेकित पोषक तत्व प्रबंधन पैकेज और ग्रामीण एवं शहरी कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, हरित खाद, फसल अवशेषों के पुनर्चक्रण आदि पर समुचित प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं।

औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

*12. **श्री ब्रजेश पाठक** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ औषधियों/जीवन रक्षक औषधों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा कम लागत पर औषधियों के उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाने हेतु अनुसंधान और विकास को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने औषधियों के मूल्य नियंत्रण तंत्र की समीक्षा करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ङ) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) में जीवन रक्षक दवाओं तथा अन्य औषधों के बीच कोई भेद नहीं किया गया है। किसी औषध को जीवन रक्षक औषध के रूप में वर्गीकृत करने के बारे में कोई विशिष्ट मानक या मार्गनिर्देश नहीं हैं। सामान्यतया, प्रत्येक औषध को जीवन रक्षक तथा दीर्घजीवी बनाने के लिए उपयोगी माना जाता है।

विद्यमान में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओं, 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 प्रपुंज औषध और उन पर आधारित फार्मूलेशन, मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं तथा उनके मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा डीपीसीओ, 95 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। सितम्बर 1994 में घोषित "औषध नीति 1986 में संशोधन" में उल्लिखित मानदंड के आधार पर इन औषधों को डीपीसीओं 95 में मूल्य नियंत्रण के अधीन रखने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। इन मानदंडों में विभिन्न औषधों के इस्तेमाल की सीमा और बाजार प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखा जाता है।

गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य का निर्धारण, विनिर्माताओं द्वारा स्वयं उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान एवं विकास व्यय, व्यापारिक कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पाद सुधार, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सार्वजनिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में सरकार द्वारा उपचारी उपाय किए जाते हैं।

विगत पांच वर्षों के दौरान औषधों एवं दवाओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन सभी सामग्रियों से कम रहा है जैसा कि नीचे दिया गया है:–

गत वर्ष की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन के विवरण

वर्ष	औषध और दवा	सभी सामग्रियां
2000-2001	5.85	7.16
2001-2002	3.48	3.60
2002-2003	0.71	3.41
2003-2004	2.55	5.46
2004-2005	2.45*	6.42*

(*अनन्तिम)

(ग) मार्च 1999 में सरकार ने देश में भेषज उद्योग की अनुसंधान और विकास की सक्षमता सुदृढ़ करने और घरेलू अनुसंधान और विकास को हाथ में लेने हेतु भारतीय भेषज कंपनियों द्वारा अपेक्षित समर्थन की पहचान करने के उपायों की सिफारिश हेतु डॉ आर ए माशेलकर, महानिदेशक सीएसआईआर की अध्यक्षता में भेषज अनुसंधान और विकास समिति (पीआरडीसी) का गठन किया था। समिति ने सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ भेषज अनुसंधान और विकास समर्थन निधि (पीआरडीएसएफ) स्थापित करने की सिफारिश की थी।

विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 150 करोड़ रुपए की कार्पस निधि के साथ पीआरडीएसएफ की स्थापना की गई है। अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को अधिक से अधिक समर्थन प्रदान करने के क्रम में निधि में वृद्धि करने के विषय की जांच की जा रही है।

सरकार अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए घरेलू फार्मा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न आर्थिक लाभ प्रदान कर रही है। भेषज के व्यापार में लगी कंपनियों की संस्थागत अनुसंधान और विकास सुविधाओं पर व्यय के 150% की भारित कमी तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास करने वाली तथा वैज्ञानिक और अनुसंधान विभाग द्वारा अनुमोदित कंपनियों के लाभ में 100% कमी की निर्धारित तिथि आयकर अधिनियम में 31.3.2005 से बढ़ाकर 31.3.2007 कर दी गई है। अधिसूचना 50/96-सीमाशुल्क के अन्तर्गत सरकार द्वारा निधियत अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में प्रयोग के लिए मान्यता प्राप्त संस्थागत अनुसंधान और विकास यूनिटों द्वारा आयातित मालों पर सीमा शुल्क से छूट उपलब्ध है। अधिसूचना संख्या 26/2003-सीमा शुल्क दिनांक 1 मार्च 2003 के अन्तर्गत भेषज और जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए मान्यता प्राप्त संस्थागत अनुसंधान और विकास यूनिटों द्वारा आयातित विनिर्दिष्ट मालों (विश्लेषण और विशिष्ट उपकरण) पर भी सीमा शुल्क से छूट उपलब्ध है।

(घ) से (च) सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम और एसएलपी सं. (सी) 3668/2003 में उच्चतम न्यायालय के टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में और उचित मूल्य पर जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के उपाय सुझाने के लिए मूल्य नियंत्रण (व्यापार लाभ सहित) की अवधि की जांच करने हेतु संयुक्त सचिव (भेषज उद्योग) की अध्यक्षता में 19 अगस्त 2004 को एक समिति का गठन किया। औषध महानियंत्रक (भारत) सहित राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, वित्त कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं। समिति ने विभिन्न औषध उद्योग संघों, उपभोक्ता समूहों, राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों आदि के साथ विचार विमर्श किया।

इस समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ चयनित बास्केट (आवश्यक दवाओं की सूची, 2003) में से उन सभी दवाओं के मूल्यों की गहन मानीटरिंग करने, दवाओं के व्यापार लाभ पर अधिकतम सीमा, नई पेटेंटशुदा दवाओं के लिए मूल्य वार्ता की प्रणाली, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए विशेष योजना, विनिर्माताओं से दवाओं की बल्क खरीद के लिए राजस्थान मॉडल के लाइफ लाइन फ्लूड स्टोर्स (मेडिकेयर सोसायटी द्वारा संचालित अस्पताल फार्मेसी स्टोर) की शुरुआत और उन्हें कम दामों पर बेचना, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के लिए मुकदमा चलाना, कर्नाटक मॉडल पर सभी राज्यों में डीपीसीओ सेल की स्थापना, नई पेटेंटशुदा दवा शुरू करने के समय मूल्य वार्ता, जन जागरूकता बढ़ाने के उपाय, सरकार और एनपीपीए आदि की नीतियों और निर्णयों का व्यापक प्रचार करने की सिफारिश की है। समिति द्वारा अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जीवन रक्षक दवाओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मूल्य नियंत्रण के इतर विभिन्न विकल्पों का पता लगाने के लिए प्रधान सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है।

[अनुवाद]

पारादीप में इस्पात संयंत्र की स्थापना

*13. **श्री अनन्त नायक :***
श्री जुएल ओराम :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण कोरिया की पोहांग स्टील कंपनी (पोसको) के साथ पारादीप में इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसमें कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जाएगा;

(ग) क्या पोसको को राज्य में बहुत कम मूल्य पर भूमि दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इसमें स्थानीय लोगों के पुनर्वास के पहलू और रोजगार की व्यवस्था का ध्यान रखा गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पारादीप में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए दिनांक 22.6.2005 को उड़ीसा सरकार तथा दक्षिण कोरिया की पोहांग स्टील कंपनी (पोस्को) के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है।

(ख) समझौता ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में हैं।

(ग) और (घ) समझौता ज्ञापन के अनुसार प्राइवेट भूमि होने की स्थिति में कंपनी भूमि अधिग्रहण नियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित लागत तथा पारस्परिक रूप से सहमत आनुसंगिक प्रभारों का भुगतान करेगी। सरकारी भूमि के मामले में कंपनी प्रचलित औद्योगिक नीति संकल्प द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान करेगी तथा वन भूमि के लिए, कंपनी लागू नियमों के अनुसार निर्धारित दरों पर भुगतान करेगी।

(ङ) से (छ) समझौता ज्ञापन के अनुसार पुनर्स्थापना और पुनर्वास पैकेज, मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए विद्यमान प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा। समझौता ज्ञापन में यह निर्दिष्ट किया गया है कि आवश्यकता अनुसार आवश्यक अर्हता रखने की शर्त पर रोजगार में उड़ीसा के लोगों को तरजीह दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हुआ तो पोस्को विशेष प्रशिक्षण के जरिए उनकी दक्षता स्तर में सुधार के लिए, भरसक प्रयास करेगी।

विवरण

निहित एफ डी आई सहित समझौता ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें

– पोस्को ने उड़ीसा में जगतसिंह पुर जिले के पारादीप में 12 मिलीयन टन क्षमता का एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

– यह परियोजना दो चरणों में कार्यान्वित की जाएगी। प्रत्येक चरण में 3 मिलीयन टन प्रतिवर्ष अपरिष्कृत इस्पात क्षमता के दो माड्यूल होंगे।

– प्रस्तावित निवेश लगभग 12 बिलीयन अमरीकी डालर (लगभग 51,000 करोड़ रुपए) है।

– चरण-I का प्रथम माडयूल जुलाई, 2010 तक चालू किया जाएगा।

– प्रत्येक 2 वर्ष में 3 मिलीयन टन क्षमता बढ़ाई जाएगी।

– सम्पूर्ण परियोजना जुलाई, 2016 तक चालू किए जाने की संभावना है।

– उत्पाद मिश्र स्लैब, तप्त बेल्लित क्वायलें, प्लेट और शीत बेल्लित क्वायलें हैं।

– एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए आवश्यक अवसंरचना, समबद्ध परियोजनाएं तथा लौह अयस्क एवं अन्य अयस्कों की खानें पोस्को स्थापित करेगा।

– बस्ती सहित इस्पात परियोजना, सम्बद्ध सुविधाओं के लिए कंपनी को लगभग 6,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।

– प्राइवेट भूमि की लागत भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों और पारस्परिक रूप से सहमत आनुसंगिक प्रभारों के अनुसार होगी। सरकारी भूमि के मामले में कंपनी प्रचलित औद्योगिक नीति संकल्प द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान करेगी तथा वन भूमि के लिए कंपनी, लागू नियमों के अनुसार निर्धारित दरों पर भुगतान करेगी। भूमि के अधिग्रहण में उड़ीसा सरकार कंपनी की सहायता करेगी।

– पुनर्स्थापना और पुनर्वास पैकेज मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए विद्यमान प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।

– अपनी कोयला ब्लॉक की खान तैयार होने तक उपयुक्त

कोयला ब्लॉक और कोयला लिंकेज आबंटन के लिए राज्य सरकार भारत सरकार को सिफारिश करेगी।

– कंपनी को 600 मिलीयन टन लौह अयस्क की आवश्यकता होगी। कंपनी लौह अयस्क जिसमें एल्यूमिना अधिक हो और उसमें कम एल्यूमना युक्त लौह अयस्क उतनी ही मात्रा में हो, की कुछ मात्रा (पारादीप संयंत्र की कुल वार्षिक आवश्यकता के 30% से अधिक नहीं हो) स्वेप कर सकती है। स्वेप के जरिए लौह अयस्क के निर्यात की उतनी मात्रा की ही अनुमति दी जाएगी जितनी मात्रा संयंत्र के लिए आयातित की गई है। उच्च ग्रेड के लौह अयस्क के आयात की उतनी ही मात्रा के प्रतिस्थापन के जरिए लौह अयस्क की उपरोक्त मात्रा की सीमा समय-समय पर लागू भारत सरकार की आयात-निर्यात नीति के फ्रैम वर्क के भीतर होगी। स्पष्ट किया जाता है कि उच्च ग्रेड के लौह अयस्क को उतनी ही मात्रा के आयात के जरिए पूर्णतया प्रतिस्थापन को छोड़कर निजी खानों से लौह अयस्क की अनुमति उपरोक्त उल्लिखित सीमा के भीतर होगी।

– 600 मिलीयन टन लौह अयस्क के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस और निजी खनन पट्टा निर्धारित प्रक्रिया तथा भारत सरकार के अनुमोदन सहित समझौता ज्ञापन में निर्धारित अपेक्षित लक्ष्यों को पूरा करने पर दिया जाएगा।

– प्रथम दो माडयूलों और 3 मिलीयन टन के अन्तिम दो माडयूलों के अनुरूप खनन पट्टे की सिफारिश दो चरणों में की जाएगी जो प्रगति और हुए निवेश पर आधारित होगी।

– यदि कंपनी को आवश्यकता हुई तो पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार प्रारम्भिक अवधि के लिए राज्य में अन्य प्राइवेट लौह अयस्क पट्टों सहित ओ एम सी से उपयुक्त ग्रेड के लौह अयस्क की मात्रा को पूरा करने के लिए व्यवस्था करने हेतु राज्य सरकार कंपनी की सहायता करेगी।

– प्रारम्भ में लौह अयस्क खनन पट्टा 30 वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा और पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व कंपनी द्वारा आवेदन करने पर और 20 वर्षों के लिए पट्टे का नवीकरण करने पर विचार किया जाएगा।

– दक्षिण कोरिया में पोस्को के विद्यमान इस्पात संयंत्रों के लिए भारत से 400 मिलीयन टन अतिरिक्त लौह अयस्क का निर्यात विद्यमान आयात-निर्यात नीति के अनुसार किया जाएगा। केवल सीधे निर्यात के प्रयोजन से कोई खनन योग्य भण्डार उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

– एम.एम.डी.आर. एक्ट तथा एम.सी. रूल्स के दायरे में लाइम स्टोन और डोलोमाइट के लिए खनिज रियायत प्राप्त करने के लिए उड़ीसा सरकार कंपनी को सभी संभव सहायता देने के लिए सहमत है।

– संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्रोम अयस्क की सप्लाई के लिए ओ एम सी और अन्य पट्टाधारकों के साथ उपयुक्त दीर्घकालीन व्यवस्था करने में राज्य सरकार सहायता करेगी।

– उपलब्धता की शर्त पर प्रचलित दरों के अनुसार निर्माण और प्रचालन के लिए उपयुक्त स्रोतों से पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

– उड़ीसा सरकार निर्माण चरण के दौरान 25 मैगावाट विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित करेगी। प्रचालन चरण के दौरान राज्य सरकार विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगी।

– निजी विद्युत संयंत्र के लिए यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार ईंधन लिंकेज उपलब्ध कराएगी।

– राज्य सरकार उस तारीख को लागू संबंधित औद्योगिक नीति संकल्प में किए गए प्रावधानों के अनुसार कंपनी को प्रोत्साहन और रियायत देने के संबंध में विचार करेगी।

– राज्य सरकार केन्द्र सरकार को सिफारिश करेगी और कंपनी की आवश्यकता के अनुसार स्पेशल इकनामिक जोन का दर्जा देने में सहायता करेगी।

– दैतारी-बानसपानी रेल लिंक को शीघ्र पूरा करने, हरिदासपुर-पारादीप रेल लिंक तथा बानसपानी-पारादीप रेलिंग विकसित करने के लिए राज्य सरकार रेल मंत्रालय के साथ समन्वय बनाए रखेगी।

– हरिदासपुर (चण्डीखोल) और पारादीप के बीच राष्ट्रीय

राजमार्ग को शीघ्र पूरा करने तथा कटक से पारादीप तक दो लेन के राज्य राजमार्ग का विकास करने के लिए राज्य सरकार सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएगी।

– राज्य सरकार दो लेन का निर्माण करने, निर्बाध पहुंच तथा इस्पात परियोजना, खान परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राज्य राजमार्ग के समीप एकीकृत बस्ती विकसित करने के लिए इसे सार्वजनिक सड़कों से जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से विचार करेगी।

– राज्य सरकार के पारदीप के विद्यमान मुख्य पत्तन के समीप एक नया पत्तन विकसित करने के लिए सहायता करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो विद्यमान नीतिगत प्रावधानों के तहत पारादीप में समर्पित बर्थ उपलब्ध कराएगी।

– निर्धारित समय सीमा के भीतर एजेन्सियों/विभगों से राज्य के कानूनों के अनुसार अनुमति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार एक विशेष ''सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमेटी'' गठित करेगी।

नदियों को जोड़ना

*14. **श्री महबूब जाहेदी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश सरकार ने नदियों को जोड़ने के केन्द्र सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मानना है कि नदियों को जोड़े जाने से जल का पूरा बहाव मात्र भारत की ओर हो सकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस मुद्दे को बांग्लादेश के साथ सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) बंग्लादेश सरकार ने द्विपक्षीय बैठकों में नदियों को जोड़ने के प्रस्ताव पर आशंका व्यक्त की है। सितम्बर, 2003 में नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त नदी आयोग की 35वीं बैठक में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था। इसी प्रकार, बंग्ला देश के प्रधानमंत्री ने मई, 2004 में बंग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाइलैण्ड आर्थिक सहयोग (बीआईएमएसटी-ईसी) सम्मेलन के समय हुई एक द्विपक्षीय बैठक में इस मुद्दे को हमारे प्रधानमंत्री के साथ उठाया। जून, 2005 में विदेश कार्यालय के परामर्शों के दौरान भी यह बात उठाई गई।

(ख) और (ग) बंग्लादेश यह महसूस करता है कि नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजना से उसको अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होगा। भारत सरकार ने बंग्लादेश को आश्वासन दिया है कि यह परियोजना संकल्पना अवस्था में है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में केवल प्रायद्वीपीय क्षेत्र पर बल दिया और इसलिए इस अवस्था में बंग्लादेश सहित किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संबंध में आशंका प्रासंगिक नहीं है। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि वह ऐसी कोई एकपक्षीय कार्रवाई नहीं करेगी जिससे बंग्लादेश के हितों को नुकसान पहुंचता हो। बातचीत के अंत में जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में यह बात कही गई।

बाल श्रम कानून

*15. **श्री मदन लाल शर्मा** :
श्री सुरेश अंगड़ि :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने हाल ही में दिल्ली सहित कुछ राज्यों से बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा वहां से पिछले एक वर्ष के दौरान और उसके पश्चात् आज तक राज्य-वार कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवायी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) क्या सरकार इस समस्या के स्थायी समाधान के रूप में ऐसे बच्चों के पुनर्वास हेतु कोई योजना शुरू करने पर विचार कर रही हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या बाल श्रम कानूनों को क्रियान्वित करने वाले कार्मिकों को देश में बाल श्रम कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) से (घ) विभिन्न राज्य सरकारों में श्रम विभागों को उन बच्चों की मदद करने और पुनर्वासित करने के लिए अधिकार-समपन्न बनाया गया है जिन्हें बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कार्यरत पाया जाता है। विगत में ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां अनेक गैर-सरकारी संगठनों की शिकायतों पर कार्रवाई शुरू की गई है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने देश में कुछ राज्यों में स्वयं ही बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। तथापि, हाल ही में एक गैर-सरकारी संगठन ने दिल्ली सरकार से शिकायत की थी जिसने अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की थी और उन 28 बच्चों को मुक्त कराया जो जरी कारखाने में कार्य करते पाए गए थे। बाल श्रमिकों को मुक्त कराने और पुनर्वासित करने के लिए अधिनियम का प्रवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जो विभिन्न राज्यों में श्रम विभागों द्वारा किया जाता है। अत: गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर राज्यों के नाम और मुक्त कराये गए बच्चों की संख्या बता पाना संभव नहीं होगा।

(ङ) से (च) राष्ट्रीय श्रम परियोजना स्कीम बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए मुख्य स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत निधियां जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित परियोजना सोसाइटियों को प्रदान की जाती हैं। एन सी एल पी स्कीम में, बाल श्रमिकों को नियमित स्कूल शिक्षा प्रणाली द्वारा मुख्यधारा में लाए जाने के पूर्व उन्हें ब्रिजिंग शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष स्कूल चलाए जाते हैं। विशेष विद्यालय/पुनर्वास केन्द्र रोजगार से हटाए गए बच्चों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करते हैं।

- औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा;
- व्यावसायिक प्रतिक्षण;
- प्रति बच्चा 5/- रुपये की दर से अनुपूरक पोषणाहार;
- रोजगार से हटाए गए बच्चों को 100/- रुपये प्रतिमाह की दर से वजीफा;
- स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं।

(छ) और (ज) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों का प्रवर्तन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने श्रम विभागों के माध्यम से किया जाता है और कानून लागू करने वाले कार्मिकों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा सेवाकालीन के दौरान प्रशिक्षण (इन-सर्विस ट्रेनिंग) प्रदान किया जाता है।

शीतल पेयों की गुणवत्ता

*16. **श्री प्रबोध पाण्डा :**
श्री हंसराज जी. अहीर :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साफ्ट ड्रिंक्स और बेवरिज (शीतल पेयों) में धातुओं और कीटनाशकों की मौजूदगी को विनियमित करने हेतु मानदण्डों में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मानदण्डों के तहत किस प्रकार के पेय पदार्थों को शामिल किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की राय ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) सरकार भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किए जाने वाले भारतीय मानकों के प्रतिपादन अथवा संशोधन के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं करती है। भारतीय मानक ब्यूरो पेयों और कार्बनीकृत बेवरिज संबंधी अनुभागीय समिति के जरिए "रेडी टू सर्व नॉन-अल्कोहॉलिक बेवरिज" (आई एस : 2346) के मौजूदा भारतीय मानकों की समीक्षा कर रहा है।

(ग) और (घ) अनुभागीय समिति के अध्यक्ष खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, मैसूर के निदेशक हैं और इसमें विनिर्माताओं, उपभोक्ता समूहों तथा संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर; भाभा एटोमिक अनुसंधान केंद्र, मुंबई; केंद्रीय फौरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली; भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदरराबाद; राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद आदि के विशेषज्ञ शामिल हैं।

(ङ) भारतीय मानक : 2346 अधिकांश भारतीय मानकों की भांति स्वैच्छिक स्वरूप के हैं। अधिसूचित मानक तब तक वैध रहते हैं जब तक उनको औपचारिक रूप से संशोधित अथवा निरस्त न किया जाए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय खाद्य मानक समिति जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत एक सांविधिक समिति है, की सिफारिश पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत एक अधिसूचना सा.का.नि. 451(अ) तारीख 15.7.2004 जारी की है जो 13.10.2004 से लागू हो गई है, जिसके द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि कार्बनीकृत जल के विनिर्माण में प्रयोग होने वाला पानी उक्त नियमों के तहत पैकबंद पेय जल के मानकों के अनुरूप होगा।

[हिन्दी]

कार्यबल में वृद्धि

*17. **डा. चिन्ता मोहन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कार्यबल की संख्या में वर्ष 2011 तक 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2011 तक देश के कार्यबल की प्रत्याशित कुल संख्या कितनी होगी;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस प्रत्याशित कार्यबल को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो रोजगार के इन क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और

(ङ) प्रत्येक क्षेत्र में लगभग कितने व्यक्तियों को कार्य दिया जाएगा?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 2011-2012 के दौरान चालू दैनिक स्थिति आधार पर अनुमानित कार्यबल लगभग 451.53 मिलियन होना प्रक्षेपित है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) 10वीं योजना के दौरान पहचान किए गए क्षेत्र तथा अनुमानित रोजगार संभावना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विभिन्न क्षेत्रों में अनुमानित रोजगार संभावना

क्षेत्र/कार्यक्रम	दसवीं योजना में सृजित किए गए कुल अतिरिक्त रोजगार अवसर (लाख में)		योग (लाख में)
	विकास आधारित	कार्यक्रम आधारित	
1	2	3	4
वर्षापोषित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जलाशय विकास परियोजना (एनएसडीआरपीए) सहित कृषि, फार्म प्रबंधन कार्यक्रम, कृषि क्लीनिक, हरित भारत कार्यक्रम, जलाशय एवं बंजरभूमि विकास, औषधिय पौधे, बांस विकास एवं उर्जा पौधारोपण जैसे एथनाल आदि	4.1	90.6	94.7

1	2	3	4
खनन एवं खनिज	-2.0		-2.1
निर्माण (प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) को छोड़कर)	14.2 (बड़ा निर्माता)		14.2
	60.0 (एसएसआई)		60.0
विद्युत, गैस एवं जल	-2.1		-2.1
निर्माण	63.0		63.0
व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	112.3		112.3
परिवहन, भंडारण एवं संचार	55.1		55.1
वित्तीय क्षेत्र	19.3		19.3
सामुदायिक क्षेत्र	-27.1	32.0	4.9
विशेष कार्यक्रम:			
प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)		22.0	22.0
(एसएसआई) एवं आरईजीपी (केवीआईसी)		20.0	20.0
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)		12.9	12.9
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) तथा		7.7	7.7
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)		8.0	8.0
योग	296.8	193.2	490.0

टिप्पणी: हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

बेरोजगार व्यक्ति

*18. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बेरोजगार लोगों की संख्या में काफी वृद्धि होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 तथा वर्ष 2004-05 के दौरान देश में बेरोजगार लोगों की अनुमानित संख्या कितनी थी;

(ग) क्या इन वर्षों के दौरान वृद्धि दर में लगातार वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो अर्थव्यवस्था की वार्षिक वृद्धि दर में बढ़ोतरी के बावजूद बढ़ती बेरोजगारी के क्या कारण हैं;

(ङ) बढ़ती बेरोजगारी के इस परिदृश्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की क्या स्थिति है; और

(च) रोजगार के अवसरों के वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे पिछले दो सर्वेक्षण 1993-94 तथा 1993-2000 के दौरान किए गए। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, वर्ष 1993-94 तथा 1999-2000 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 7.5 मिलियन तथा 9 मिलियन के लगभग थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विकास की रोजगार सृजन क्षमता में गिरावट, अर्थव्यवस्था में अपेक्षित दर से वृद्धि न होना, रोजगार की वृद्धि दर की तुलना में श्रम बल की वृद्धि दर का अधिक होना इत्यादि देश में बढ़ती हुई रोजगारी के मुख्य कारण हैं।

(ङ) और (च) रोजगार कार्यालयों से प्राप्त सूचनानुसार, 31 दिसम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति के लगभग 66.3 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के 23.1 लाख रोजगार चाहने वाले, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, रोजगार हेतु रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत थे। सरकार का 10वीं योजनावधि के दौरान लगभग 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य है। इससे बेरोजगार व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होगा जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के बेरोजगार व्यक्ति शामिल हैं।

[अनुवाद]

खानों और खदानों में बाल श्रमिक

*19. **श्री निखिल कुमार :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) ने हाल ही में यह टिप्पणी की है कि इस समय पूरे विश्व में खानों और खदानों में 5 और 17 वर्ष के बीच की आयु के 10 लाख बाल श्रमिक कार्य करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश की खानों और खदानों में कार्यरत 5 और 17 वर्ष के बीच की आयु के बाल श्रमिकों की सही संख्या का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त रिपोर्ट में भारत का कोई उल्लेख नहीं है। तथापि, खनन व्यवसायों को बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जोखिमकारी व्यवसायों के रूप में पहले ही प्रतिषिद्ध कर दिया गया है।

(ग) और (घ) देश में बाल श्रमिकों के व्यवसाय-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) सरकार, जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों को कार्य से हटाने और उनके पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम में कामकाजी बच्चों का विशेष स्कूलों में नामांकन कराना तथा उन्हें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषाहार, स्वास्थ्य देख-रेख, छात्रवृत्ति आदि उपलब्ध करवाना तथा अंतत: उन्हें नियमित स्कूलों की मुख्य धारा से जोड़ना शामिल है।

खाद्यान्नों का निर्यात

*20. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन देशों को खाद्यान्नों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष और उसके बाद आज तक देशवार गेहूं और चावल की अलग-अलग कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और उसका मूल्य कितना है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान देशवार कितनी मात्रा में तथा किन दरों पर गेहूं और चावल का निर्यात किए जाने का विचार है;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्नों के निर्यात में और वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या भारत से निर्यात किए गए खाद्यान्नों को लेने से मना करने की घटनाएं हुई थीं; और

(च) यदि हां, तो आयातकों द्वारा भारतीय निर्यात की वस्तुओं को लेने से मना न करना सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) :

(क) फिलहाल कई देशों को गेहूं और चावल का विभिन्न मात्राओं में निर्यात किया जा रहा है। 2004-05 के दौरान भारतीय गेहूं और चावल के प्रमुख आयातकर्ता देशों के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए गेहूं और चावल की मात्रा तथा कीमत निम्नानुसार है:-

मात्रा टन में/कीमत लाख रुपये में

वर्ष	बासमती चावल		गैर बासमती चावल		गेहूं	
	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
2002-03	7,10,292	2,06,259	40,76,347	3,63,408	35,70,890	1,70,018
2003-04	7,70,764	1,99,092	26,01,471	2,14,216	40,93,081	2,39,115
2004-05*	11,26,125	2,74,194	36,45,873	3,89,973	19,95,997	1,44,803

(*उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार)

गेहूं और चावल का आयात करने वाले 10 शीर्ष देशों द्वारा भारत से आयात की गई गेहूं और चावल की मात्रा और कीमत का विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) गेहूं और चावल का निर्यात बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के मुक्त रूप से अनुमत है। 11 अगस्त, 2003 से निर्यात के प्रयोजन से केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल का कोई आबंटन नहीं किया जा रहा है। प्राइवेट खाते पर निर्यात बाजार शक्तियों द्वारा चालित होता है तथा उसका मूल्य और गंतव्य मांग और आपूर्ति की स्थितियों पर निर्भर करता है जो समय-समय पर भिन्न-भिन्न होता है।

(घ) खाद्यान्नों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कुछ उपायों में प्रचार करना, अभियान चलाना, विदेशों में शिष्टमंडल भेजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना और गुणवत्ता, पैकिंग में सुधार करने, उत्पादन के ब्रांड को बढ़ावा देने और बाजार सर्वेक्षण करने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय गेहूं की केवल एक खेप को अस्वीकार करने की घटना सरकार के ध्यान में आई है।

(च) सरकार ने अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों का निर्यात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ कृषि उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानदंड विहित किए हैं।

विवरण-I

भारतीय गेहूं/चावल के 10 शीर्ष आयातक देश

स्थिति	गेहूं	गैर-बासमती चावल	बासमती चावल
1	बंगलादेश	बंगलादेश	सऊदी अरब
2	संयुक्त अरब अमीरात	नाइजीरिया	कुवैत
3	सुडान	दक्षिण अफ्रीका	यूके
4	मलेशिया	कोटे डी इवोरे	संयुक्त अरब अमीरात
5	तंजानिया	सऊदी अरब	यमन
6	यमन	श्रीलंका	यूएसए
7	वियतनाम	संयुक्त अरब अमीरात	इटली
8	श्रीलंका	सेनेगल	फ्रांस
9	ओमान	सोमालिया	बेल्जियम
10	फिलीपीन्स	गुयाना	जर्मनी

विवरण-II

भारतीय गेहूं/चावल के दस शीर्ष आयातक देश

मात्रा लाख टन में/मूल्य लाख रुपयों में

गेहूं

क्र. सं.	देश	2002-03		2003-04		2004-05	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बांग्लादेश	982839	46552	15566070	90009	1164396	84174
2.	संयुक्त अरब अमीरात	120274	5910	361227	22316	199312	14813

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	सूडान	4	0.16	21459	1538	99021	7744
4.	मलेशिया	282725	13723	156457	8892	78277	5744
5.	तंजानिया	—	—	132988	8724	72473	5300
6.	यमन	89350	4347	347443	21714	70250	5417
7.	वियतनाम	266768	12563	85454	5102	54941	3696
8.	श्रीलंका	147095	7655	322278	20616	48027	3357
9.	ओमान	180	14	116133	7538	41070	3153
10.	फिलीपींस	831181	37675	118830	6417	23948	1344

चावल — बासमती

क्र. सं.	देश	2002-03		2003-04		2004-05	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	सउदी अरब	293350	84028	436417	106796	680278	156780
2.	कुवैत	43488	12257	48862	13768	93768	23300
3.	यू.के.	63	23	85849	21939	89224	25052
4.	संयुक्त अरब अमीरात	64027	18111	40255	10488	60017	14012
5.	यमन	13709	3117	15451	3609	35484	8964
6.	संयुक्त राज्य अमरीका	30475	10363	26758	9337	24731	7819
7.	इटली	8607	1997	19143	4572	18813	4372
8.	फ्रांस	12958	3258	12028	3158	15683	3660
9.	बेल्जियम	10712	2744	11574	3096	14075	3284
10.	जर्मनी	7657	2005	9160	2534	13171	3310

मात्रा लाख टन में/मूल्य लाख रुपयों में

चावल — गैर-बासमती

क्र. सं.	देश	2002-03		2003-04		2004-05	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	बांग्लादेश	791931	52178	1239260	89378	917540	83302
2.	नाइजीरिया	156778	12414	168705	14761	537481	63980
3.	दक्षिण अफ्रीका	527048	64889	273143	21114	496178	49792
4.	कोटे-डी-इवोरे	59686	2970	28154	2191	299567	29364
5.	सउदी अरब	29892	3761	142064	16802	222370	30193
6.	श्रीलंका	40991	3728	2694	273	221493	25347
7.	संयुक्त अरब अमीरात	48763	5243	110174	13162	149052	21271
8.	सेनेगल	77226	11328	—	—	148635	13169
9.	सोमालिया	21083	1560	54539	4337	131045	13896
10.	गुयाना	9100	582	11500	980	56345	6087

[हिन्दी]

बाघ अभयारण्य

1. **श्री अविनाश राव खन्ना** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाघ अभयारण्यों में रेड-अलर्ट घोषित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में इस समय बाघ अभयारण्यों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) बाघ अभ्यारण्यों में बाघों की संख्या में कमी आने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस अभयारण्यों के रख-रखाव हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। बाघ रिजर्वों को बाघ रिजर्वों में और उनके चारों ओर के वन क्षेत्रों में वन्यजीवों के चोरी छिपे शिकार में प्रयोग किए जाने वाले स्टील के पिंजरों, अग्नेय शस्त्रों और अन्य यंत्रों को व्यापक रूप से खोज करने के लिए सचेत किया गया है। सुरक्षा प्रयासों पर जोर देते हुए वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अग्नेय शस्त्रों के पंजीकरण के साथ-साथ शिकार रोधी आपरेशनों में स्थानीय पोलीस को सुग्राही बनाने ओर शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

(ग) देश में इस समय 28 बाघ रिजर्व है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) राज्य (राजस्थान) से यह सूचना प्राप्त हुई है कि सरिस्का

बाघ रिजर्व मे बाघ गायब हो गए हैं और रणथम्भौर में उनकी संख्या कम हो गई है यह अनुमान लगाने के कोई प्रमाण नहीं है कि देश के सभी अन्य बाघ रिजर्वों में भी बाघों की संख्या में कमी आई है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन रिजर्वों के रखरखाव के लिए उपलब्ध करवाई गई केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण-II में दर्शायी गई है।

विवरण-I

बाघ रेंज राज्यों में बाघ रिजर्व का नाम, उनके सृजन का वर्ष और क्षेत्र

क्रम सं.	सृजन वर्ष	बाघ रिजर्व का नाम	राज्य	कुल क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)
1	2	3	4	5
1	1973-74	बांदीपुर	कर्नाटक	866
	1999-2000	नागरहोल (विस्तार)		643
2.	1973-74	कार्बोट	उत्तर प्रदेश	1316
3.	1973-74	कान्हा	मध्य प्रदेश	1945
4.	1973-74	मानस	असम	2840
5	1973-74	मेलघाट	महाराष्ट्र	1677
6.	1973 74	पालमू	बिहार	1026
7.	1973-74	रणथम्बौर	राजस्थान	1334
8.	1973-74	सिमलीपाल	उड़ीसा	2750
9.	1973-74	सुन्दरबन	पश्चिम बंगाल	2585
10.	1978-79	पेरियार	केरल	777
11.	1978-79	सरिस्का	राजस्थान	866
12	1982-83	बुक्सा	पश्चिम बंगाल	759
13	1982 83	इन्द्रावती	मध्य प्रदेश	2799
14.	1982-83	नागार्जुन सागर	आंध्र प्रदेश	3568
15.	1982-83	नामदफा	अरुणाचल प्रदेश	1985
16.	1987-88	दुधवा	उत्तर प्रदेश	811

1	2	3	4	5
	1999-2000	केटरनियाघाट विस्तार		551
17.	1988-89	कलाकाड मुन्दुथुरई	तमिलनाडु	800
18.	1989-90	बाल्मीकी	बिहार	840
19.	1992-93	पेन्य	मध्य प्रदेश	758
20.	1993-94	ताड़ोबा-अंधेरी	महाराष्ट्र	620
21.	1993-94	बान्धवगढ़	मध्य प्रदेश	1162
22.	1994-95	पन्ना	मध्य प्रदेश	542
23.	1994-95	दम्फा	मिजोरम	500
24.	1998-99	भद्रा	कर्नाटक	492
25.	1998-99	पेंच	महाराष्ट्र	257
26.	1999-2000	पखई	अरुणाचल प्रदेश	862
27.	1999-2000	नमेरी	असम	344
28.	1999-2000	बोरी, सतपुड़ा, पंचमढ़ी	मध्य प्रदेश	148
			कुल	37761

विवरण-II

वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान बाघ परियोजना के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता संबंधी विवरण

बाघ रिजर्ववार जारी निधि

क्र. सं.	बाघ रिजर्व का नाम	2002-2003	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	बांधवगढ़	170.87	90.12	85.00
2.	बान्दीपुर	170.365	160.39	367.095
3.	भद्रा	119.195	108.93	119.197
4.	बुक्सा	30.00	52.45	50.75
5.	कार्बेट	168.00	200.91	200.12
6.	दाम्फा	98.32	67.56	94.37
7.	दुधवा	32.75	173.585	175.215

1	2	3	4	5
8.	इन्द्रावती	32.48	80.25	27.75
9	कलाकाड मुन्दुथुरई	125.00	35.00	80.00
10.	कान्हा	232.37	282.86	197.50
11.	मानस	50.70	50.00	—
12.	मेलाघाट	71.462	60.00	93.183
13.	नागार्जुन सागर	21.10	22.89	15.00
14.	नामदफा	35.875	38.75	—
15.	नमेरी	15.00	25.00	—
16.	पक्की	—	30.00	35.00
17.	पलामू	18.00	35.99	72.5005
18.	पन्ना	287.50	563.53	60.00
19.	पेंच (मध्य प्रदेश)	47.80	68.97	97.43
20.	पेंच (मध्य प्रदेश)	104.108	97.19	87.77
21.	पेरियार	63.75	120.68	105.75
22.	रणथम्भौर	225.92	14.245	—
23.	सरिस्का	69.00	144.085	79.00
24.	सतपुड़ा	47.90	97.92	170.00
25.	सिमलीपाल	32.88	151.91	116.4395
26.	सुन्दरबन	138.33	172.72	274.74
27.	तदोबा-अन्धेरी	446.22	71.26	75.00
28.	वाल्मिकी	25.00	50.00	85.00
	कुल	2879.895	3068.2105	2763.78

[अनुवाद]

औद्योगिक संयंत्रों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति

2. श्री मोहन रावले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उद्योग/संयंत्र लगाने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति लेना आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसे कितने मामलों को स्वीकृति दी गई है और ऐसी स्वीकृति हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए/मानदण्डों का पालन किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी हां। 22 श्रेणी की औद्योगिक परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 और इसके बाद के संशोधनों के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी लेनी अपेक्षित है।

(ख) औद्योगिक संयंत्रों को पर्यावरणीय मंजूरी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर किए गए ऐसे मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (जनवरी, 2002 से 30 जून 2005 तक) के दौरान औद्योगिक परियोजनाओं को प्रदान की गई पर्यावरणीय मंजूरी की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य	2002	2003	2004	1 जनवरी से 30, जून 2005	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8	7	12	22	49

1	2	3	4	5	6	7
2.	असम	1	1	2	0	4
3.	बिहार	0	0	0	0	0
4.	छत्तीसगढ़	2	1	3	2	8
5.	गुजरात	7	71	29	7	114
6.	गोवा	0	0	0	0	0
7.	हरियाणा	2	2	6	16	26
8.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	1	2
9.	झारखंड	1	0	1	1	3
10.	कर्नाटक	3	1	10	4	18
11.	केरल	0	0	0	0	0
12.	महाराष्ट्र	15	18	20	4	57
13.	मध्य प्रदेश	0	1	2	1	4
14.	उड़ीसा	0	0	7	2	9
15.	पंजाब	4	2	9	2	17
16.	राजस्थान	1	2	8	2	13
17.	तमिलनाडु	27	39	29	45	140
18.	उत्तर प्रदेश	0	4	8	1	13
19.	उत्तरांचल	0	0	1	0	1
20.	पश्चिम बंगाल	5	10	2	1	18
	कुल	77	159	149	111	496

[हिन्दी]

चारे का उत्पादन

3. **श्री वी.के. दुम्मर :**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री मनसुख भाई डी. वसावा :
श्री एम. अंजनकुमार यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा देश, विशेष रूप से गुजरात, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चारे का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या सरकार ने इन राज्यों में इस योजना की सफलता का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। चारा तथा चारा बीजों के उत्पादन के लिए और सूखे चारे की गुणवत्ता के सुधार के लिए भी निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई हैं।

1. 8 चारा केन्द्रों तथा चारा बीज मिनिकिट परीक्षण कार्यक्रम सहित केन्द्रीय चारा विकास संगठन।

2. दो घटकों अर्थात् चारा बैंकों की स्थापना तथा भूसा/ सैलूलोसिक अपशिष्ट का संवर्धन (2002-03 से 2004-05 तक) सहित "आहार एवं चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता" संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

3. एक नई केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना (2005-06 से)

(ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यों को अनुदान तथा किस्म (चारा बीज मिनिकिटों के रूप में प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय चारा संगठन के मूल्यांकन का काम शुरू किया गया है। "आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता" नामक योजना के मूल्यांकन के आधार पर नई केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना तैयार की गई है तथा उसे 2005-06 से क्रियान्वित किया गया है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान चारा विकास के लिए राज्यवार प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
अरुणाचल प्रदेश			99.00	–
असम			68.35	–
छत्तीसगढ़	100.00		25.00	–
हिमाचल प्रदेश	1.00	2.00	5.00	–
झारखंड			150.00	–
जम्मू-कश्मीर	55.50			–
कर्नाटक	38.55	25.00	9.50	–
केरल			90.00	–
महाराष्ट्र		8.44	46.525	–
मिजोरम	30.00	39.525	112.50	–
नागालैंड	20.00	27.575	112.50	–
पंजाब	20.00			–
राजस्थान		40.00	26.32	–
सिक्किम			57.65	–
त्रिपुरा		57.46	50.00	–
उत्तर प्रदेश			337.658	–
उत्तरांचल	76.75			–
कुल	341.80	200.00	1190.003	–

विवरण-II

विगत तीन वर्षों 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान "चारा फसल संबंधी केन्द्रीय मिनिकिट परीक्षण कार्यक्रम" योजना के तहत विभिन्न राज्यों को आबंटित चारा बीज मिनिकिट

(संख्या)

क्र. सं.	राज्य	2002-03	2003-04	जोड़
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	16000	16000	27300
2.	अरुणाचल प्रदेश	1500	3000	4300
3.	असम	2000	4000	3000
4.	बिहार	15000	12000	17500
5.	छत्तीसगढ़	7600	7500	16800
6.	गोवा	1000	2500	2300
7.	गुजरात	39000	36000	40651
8.	हरियाणा	1400	10000	21500
9.	हिमाचल प्रदेश	13000	10000	8600
10.	जम्मू-कश्मीर	5000	6500	26692
11.	झारखंड	6600	5000	4500
12.	कर्नाटक	32830	39000	43000
13.	केरल	7000	10000	10100
14.	मध्य प्रदेश	44000	40000	35686
15.	महाराष्ट्र	20000	24000	50500
16.	मणिपुर	15000	2500	3300
17.	मेघालय	1000	2500	2900
18.	मिजोरम	900	2500	—
19.	नागालैंड	700	2500	2000
20.	उड़ीसा	25000	20000	23600
21.	पंजाब	16000	25217	14908
22.	राजस्थान	46633	99661	20453
23.	सिक्किम	1400	3500	1150
24.	तमिलनाडु	12720	15000	10900
25.	त्रिपुरा	1500	4000	5775
26.	उत्तर प्रदेश	53000	47000	51238
27.	उत्तरांचल	6800	7500	16162
28.	पश्चिम बंगाल	11000	14000	18500
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	—	—	5200
30.	दिल्ली	—	3000	—
31.	पांडिचेरी	—	—	25
	कुल	400083	474378	490120

चालू वर्ष के दौरान मिनिकिट आबंटित नहीं किए गए।

[अनुवाद]

भेषज कृतिक बल की सिफारिशें

4. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भेषज कृतिक बल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है,

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) उचित मूल्य पर जीवन रक्षक औषधें उपलब्ध कराने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मूल्य नियंत्रण को छोड़कर अन्य विकल्पों का पता लगाने के लिए योजना आयोग के प्रधान सलाहकार (पीपी) की अध्यक्षता में एक कृतिक बल गठित किया गया है। कृतिक बल द्वारा अब तक कोई सिफारिश नहीं की गई है।

कपास उत्पादकों को राज सहायता

5. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कपास एकाधिकार योजना 2004-05 के अंतर्गत कपास उत्पादकों को राजसहायता देने हेतु 400 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने हेतु महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के लिए प्रयोज्य नियमों के अनुसार अपनी एकाधिकार खरीद स्कीम के अंतर्गत कपास की खरीद में हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए राजसहायता और कपास के निर्यात को प्रतियोगी बनाने के लिए निर्यात राजसहायता की मांग की है।

कृषि मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ की उन्हीं शर्तों के अनुसार निर्यात प्रोत्साहन के लाभ देने के प्रस्ताव का समर्थन किया है जो सीसीआई के लिए प्रयोज्य हैं। हालांकि सरकार ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति की है, विश्व बाजार में भारतीय कपास की प्रतियोगी क्षमता का तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर होने के कारण इसके आसार कम ही हैं विशेषकर वर्ष 2004-05 में उच्चतर विश्वीय कपास उत्पादन के संदर्भ में।

गुजरात में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन

6. **श्री एस.के. खारवेनथन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का पण्य वार वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या गुजरात में कई दुग्ध फैक्ट्रियों ने हाल ही में आई भारी बाढ़ और वर्षा के कारण अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो हानि का, यदि कोई हुई हो तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति को सामान्य बनाने और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) वर्ष 2004-05 के लिए गुजरात में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का वार्षिक उत्पादन पण्यवार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) उक्त (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गुजरात राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद वर्ष 2004-05

1.	दूध-कुल दुग्ध उत्पादन	68.52	लाख टन
2.	स्किम्ड दुग्ध पाउडर	40750.76	मी. टन
3.	संपूर्ण दुग्ध पाउडर	3811.79	मी. टन
4.	बटर	36836.80	मी. टन
5.	घी	21414.74	मी. टन
6.	दुग्ध क्रीम	4130.86	मी. टन
7.	मावा	103.15	मी. टन
8.	चीज	4409.38	मी. टन
9.	बटर मिल्क	67720.25	मी. टन
10.	अमूल स्प्रे	42127.89	मी. टन

11. आईस्क्रीम	14955.87	मी. टन
12. अमूल्य पाउडर	18702.45	मी. टन
13. पनीर	1542.59	मी. टन
14. कर्ड-दही	5551.00	मी. टन
15. बटर (पी सी सी) एवं सफेद	4881.59	मी. टन
16. मीठे उत्पाद	24736.37	मी. टन

[हिन्दी]

इस्पात का उत्पादन

7. **श्री आई.जी. महाचन :**
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात के उत्पादन का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान इस्पात के उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में परिसज्जित (कार्बन) इस्पात का उत्पादन निम्नानुसार रहा:

(मात्रा: मिलियन टन)

	2002-03	2003-04	2004-05 (अनंतिम)
परिसज्जित (कार्बन) इस्पात	33.67	36.957	38.385

(स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति)

(ख) नियंत्रणमुक्त और उदारीकरण के माहौल में इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य अलग-अलग इस्पात संयंत्रों द्वारा बाजार मांग और अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए तय किए जाते हैं। मांग और अन्य बाजार परिस्थितियों के आधार पर सरकार केवल संभावित उत्पादन स्तर का मूल्यांकन करती है।

(ग) से (च) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में हाथियों पर अत्याचार

8. **श्री ए.के. मूर्ति** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य में मनोरंजन आदि के नाम पर हाथियों पर अत्याचार करने और उनका उत्पीड़न करने की शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारी कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन की प्रवृत्ति

9. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्री गिरिधारी यादव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और बिहार में कृषि उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्ति क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त राज्य कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर है और क्या सरकार द्वारा इन राज्यों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो नई कृषि नीति के अंतर्गत इन राज्यों के किसानों को कितनी सहायता दी जा सकती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र से फसलों का निर्यात

10. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में उत्पादित फसलों और उनके निर्यात के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार निर्यात किए जाने वाली फसलों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के पूरा होने का ब्यौरा

11. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) की मुख्य विशेषताएं, उसे लागू करने का समय और इस योजना के अंतर्गत आज की तारीख के अनुसार पूरा किए गए कार्यों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी (राजस्थान) परियोजना का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषण को कम घटाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और चंबल नदी (राजस्थान) परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(च) उक्त परियोजना पर आज की तारीख तक किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की स्कीम का 1995 से कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें केन्द्र और राज्य की हिस्सेदारी से कुल 4704 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से 19 राज्यों में 32 नदियों के प्रदूषित किनारों पर स्थित 158 शहरों में प्रदूषण निवारण कार्य शामिल हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का उद्देश्य प्रदूषण निवारण के निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से नदी की जल गुणता में सुधार करना है:-

1. खुले नालों के माध्यम से नदी में बहने वाले अशोधित सीवेज को रोकने के लिए अवरोधन एवं दिशापरिवर्तन और शोधन के लिए उसका दिशा परिवर्तन।
2. दिशापरिवर्तन सीवेज के शोधन के लिए सीवेज शोधन संयंत्र।
3. नदी किनारे खुले में शौच को रोकने के लिए अल्प लागत शौचालय।
4. काष्ठ के प्रयोग के संरक्षण एवं नदी घाट पर लाए गए शवों के उचित दाह संस्कार को सुनिश्चित करने के लिए विद्युत एवं काष्ठ आधारित उन्नत शवदाह गृह।
5. नदी तट विकास कार्य जैसे स्नान घाटों का सुधार आदि।
6. अन्य विविध कार्य जैसे वनीकरण, जनभागीदारी आदि।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत स्वीकृत 915 अदद परियोजनाओं में से अब तक 519 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

(ख) उक्त परियोजना के अंतर्गत 396 अदद परियोजनाएं चल रही है। राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्रमांक	राज्य	चल रही परियोजनाएं
1	2	3
i	आंध्र प्रदेश	13
ii	बिहार	4
iii	झारखंड	10
iv	गुजरात	2
v	गोवा	5
vi	कर्नाटक	20
vii	महाराष्ट्र	11
viii	मध्य प्रदेश	12
ix	उड़ीसा	17
x	पंजाब	26
xi	राजस्थान	2
xii	तमिलनाडु	42
xiii	दिल्ली	0
xiv	हरियाणा	12
xv	उत्तर प्रदेश	42
xvi	उत्तरांचल	24
xvii	पश्चिम बंगाल	147
xviii	केरल	6
xix	सिक्किम	1

(ग) से (च) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में चम्बल नदी परियोजना को कोटा से केशोरायपाटन शहर तक सरकार द्वारा अनुमोदित 13.21 करोड़ रुपये की राशि पर चम्बल नदी के प्रदूषण निवारण के लिए शामिल किया गया था। राज्य सरकार ने 1.16 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी तुलना में कोटा और केशोरायपाटन में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 0.94 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा कोटा में 3 स्कीम, अर्थात् अल्प लागत शौचालय, नदी तट विकास और शवदाहगृह, स्वीकृत की गई थी, जो पूरी हो चुकी है। केशोरायपाटन शहर में 4 स्कीमें, अर्थात् अल्प लागत शौचालय, नदी तट विकास और शवदाहगृह, अव. एवं दि. परि और सी.शो.सं., राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा स्वीकृत की गई थी जिनमें से अव. एवं दिशा परिवर्तन और सी.शो.सं. का अभी कार्यान्वयन किया जा रहा है। अन्य स्कीमें पूरी हो चुकी हैं।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत निधियन पद्धति जनवरी, 2002 में शत प्रतिशत केन्द्रीय निधि से बदल कर केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 70:30 हिस्सेदारी की गई थी जिससे राज्य सरकारों को और अधिक सक्रिय रूप से शामिल किया जाए।

[अनुवाद]

वन विकास प्राधिकरण की स्थापना

12. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से राज्य के जूनागढ़ जिले में वन विकास प्राधिकरण स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव **प्राप्त** हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार के अनुरोध पर विचार किया हैं;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इसे कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को वन विकास अभिकरण, जूनागढ़ से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत विचार करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) से (ङ) प्रस्ताव को धन की उपलब्धता के अध्याधीन अनुमोदित किया जाएगा।

बीड़ी कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति

13. **श्री ए.वी. बेल्लारमिन :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर तमिलनाडु में वर्ष 2003-04 और 2004-05 में राज्यवार बीड़ी कामगारों के कुल कितने बच्चे शैक्षणिक छात्रवृत्ति पाने के हकदार हैं;

(ख) उनमें से कुल कितने बच्चों को वर्ष 2003-04 और 2004-05 में राज्यवार छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई; और

(ग) पात्र बच्चों को छात्रवृत्ति का शीघ्र भुगतान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

(ग) निधि की मांग अनुपूरक मांगों के अंतर्गत की गई है ताकि शेष बच्चों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सके। इसी दौरान, संबंधित क्षेत्रों को निर्देश दिए गए हैं कि चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2005-06 के दौरान वर्ष 2004-05 की पिछली छात्रवृत्तियों का भुगतान कर दिया जाए।

विवरण

वर्ष 2003-04 और 2004-2005 के लिए छात्रवृत्ति हेतु पात्र बीड़ी कामगारों के कुल बच्चों की संख्या और वर्ष 2003-2004 और वर्ष 2004-2005 के दौरान जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का भुगतान नहीं किया गया उनकी संख्या दर्शाता विवरण

क्र. सं.	राज्य	छात्रवृत्ति की मंजूरी हेतु पत्र विद्यार्थियों की संख्या		उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें छात्रवृत्तियों का भुगतान नहीं किया जा सका	
		2003-2004	2004-2005	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4	5	6
1.	तमिलनाडु	103607	101786	61010	31763
2.	आंध्र प्रदेश	98088	86935	50289	10187
3.	कर्नाटक	95519	166041	24272	95795
4.	केरल	22232	30909	5846	15710
5.	राजस्थान	2107	4601	865	526
6.	गुजरात	5843	4329	501	2816
7.	उत्तर प्रदेश	8226	13394	1800	4800
8.	उड़ीसा	49538	42535	25638	20189
9.	मध्य प्रदेश	32533	35438	6679	10112
10.	छत्तीसगढ़	859	1497	शून्य	शून्य
11.	बिहार	5916	10637	311	235

1	2	3	4	5	6
12.	झारखण्ड	2470	10680	238	169
13.	पश्चिम बंगाल	53773	98308	18028	54779
14.	असम	299	351	शून्य	शून्य
15.	त्रिपुरा	928	1140	शून्य	755
16.	महाराष्ट्र	23019	39627	शून्य	शून्य

[हिन्दी]

उर्वरकों का निर्यात

14. श्री सीताराम सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत किन-किन देशों को उर्वरकों का निर्यात करता है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) भारत प्राथमिक तौर पर उर्वरकों और उर्वरक आदानों का आयात करता है क्योंकि देश में आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। तथापि, देश के भूभाग से सटे पड़ोसी देशों को अल्प मात्रा में उर्वरकों का निर्यात किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, शारजाह और लंदन को उर्वरकों का निर्यात किया गया।

(ख) उर्वरक विभाग, निर्यातकों द्वारा उर्वरकों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नहीं रखता।

जल संसाधन परियोजनाएं

15. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा राज्यों में क्रियान्वित की जा रही जल संसाधन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, प्रतिपादन, निष्पादन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से तथा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। 1.4.2004 की स्थिति के अनुसार 169 वृहद और 219 मध्यम निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं ऐसी हैं जो कि संलग्न विवरण के अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना से दसवीं पंचवर्षीय योजना में आई हैं।

विवरण

(रुपए करोड़ में/हजार हेक्टेयर)

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या			नवीनतम अनुमानित लागत		1.4.2004 को शेष लागत (प्रत्याशित)		1.4.2004 को शेष क्षमता (प्रत्याशित)	
		वृहद	मध्यम	कुल	वृहद	मध्यम	वृहद	मध्यम	वृहद	मध्यम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	15	9	24	17593.75	481.28	8444.49	134.51	655.64	50.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	असम	5	5	10	1677.54	163.34	1284.12	60.63	123.78	13.17
3.	बिहार	9	3	12	4444.61	180.21	2237.84	66.32	667.36	11.97
4.	छत्तीसगढ़	3	5	8	1742.16	190.17	236.57	113.46	126.24	31.99
5.	गोवा	1	0	1	966.56	0.00	464.95	0.00	13.68	0.00
6.	गुजरात	3	18	21	31118.35	843.44	14453.64	252.49	1575.84	62.68
7.	हरियाणा	4	0	4	962.13	0.00	191.31	0.00	86.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1	2	3	203.84	84.73	121.55	74.00	23.80	8.24
9.	जम्मू-कश्मीर	0	7	7	0.00	226.30	0.00	83.23	0.00	24.21
10.	झारखंड	5	19	24	4670.05	1077.94	3246.62	565.5	418.57	83.54
11.	कर्नाटक	16	18	34	19175.60	1363.25	7232.26	329.92	750.93	53.76
12.	केरल	4	4	8	1884.80	724.00	600.78	487.77	106.51	28.13
13.	मध्य प्रदेश	16	5	21	17777.83	218.80	11682.48	164.52	1577.85	46.61
14.	महाराष्ट्र	56	95	151	32543.65	7151.91	17683.61	3204.22	1917.26	403.54
15.	मणिपुर	2	1	3	639.22	63.10	230.56	37.02	44.40	7.54
16.	मेघालय	0	1	1	0.00	57.07	0.00	34.48	0.00	5.15
17.	उड़ीसा	10	10	20	6504.12	674.40	3413.95	210.67	472.69	29.17
18.	पंजाब	1	0	1	1324.18	0.00	1196.09	0.00	0.00	0.00
19.	राजस्थान	4	4	8	6497.19	366.76	2346.45	20.27	386.54	12.12
20.	तमिलनाडु	0	2	2	0.00	105.36	0.00	19.24	0.00	7.19
21.	त्रिपुरा	0	3	3	0.00	178.00	0.00	40.39	0.00	23.42
22.	उत्तरांचल	3	0	3	5334.4	0.00	5081.03	0.00	290.60	0.00
23.	उत्तर प्रदेश	9	0	9	7534.32	0.00	3286.93	0.00	1440.28	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	पश्चिम बंगाल	2	8	10	2663.34	65.08	1666.92	22.55	516.76	4.03
	कुल	169	219	388	165257.35	14215.1	85102.15	6012.24	11194.7	906.9

[अनुवाद]

भद्रा बांध का सर्वेक्षण

16. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दावणगेरे में भद्रा बांध चैनल, जो कर्नाटक में शिमोगा से आ रहा है, का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को कोई सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि देवान्गरे शाखा नहर सहित भद्रा जलाशय नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कर्नाटक सरकार ने दिसम्बर, 2001 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने नहर प्रणाली के विस्तृत निरीक्षण और परिचर्चा के उपरांत रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में समिति ने नहर प्रणाली से होने वाली रिसाव संबंधी हानि तथा क्षतिग्रस्त संरचनाओं में हानि को कम करने जैसी कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपायों की निम्नानुसार सिफारिश की है:-

1. मुख्य नहरों और शाखाओं में संवेदनशील पहुंचों को सीमेंट कंक्रीट से पक्का करना।

2. क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत करना।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने इस परियोजना को कोई वित्तीय सहायता मुहैया नहीं कराई है।

दिल्ली के चिड़ियाघर में प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी आना

17. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक वर्ष शरद ऋतु के आरम्भ में दिल्ली के चिड़ियाघर में साइबेरिया और विश्व के अन्य भागों से आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में गत कुछ वर्षों से कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन प्रवासी पक्षियों के बारे में सरकार के पास वर्तमान सांख्यिकीय आंकड़े क्या हैं; और

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) गत कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली के चिड़ियाघर में आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली चिड़ियाघर में आने वाले पक्षियों की सही संख्या का पता लगाने के लिए ऐसी कोई गणना नहीं की जाती है।

(घ) दिल्ली चिड़ियाघर में सर्दियों के दौरान प्रवासी पक्षियों को बड़ी संख्या में आकर्षित करने के लिए तालाबों में बहता पानी उपलब्ध कराने, पर्याप्त भोजन और सुरक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यक व्यवस्था की गई हैं।

कृषि क्षेत्र में राजसहायता

18. **श्री जोवाकिम बखला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में दी जा रही राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान इसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) कृषि के विभिन्न क्षेत्रों को वर्ष 2000-01 से 2003-04 के दौरान दी गई सब्सिडी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान प्रस्तावित वृद्धि अपेक्षित जानकारी उपलब्ध न होने के कारण आंकड़ों में दर्शाई नहीं जा सकती।

विवरण

कृषि क्षेत्र को सब्सिडी

क्र सं.	मद	2000-01	2001-02	2002-03 (वास्तविक)	2003-04 (संशोधित प्राक्कलन)+
1.	उर्वरक (कुल)	13800	12595	11015	11847
1.1	स्वदेशी उर्वरक	9480	8044	7790	8521
1.2	आयातित उर्वरक	1	47	—	—
1.3	किसानों को रियायती मूल्य पर विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री	4319	4504	3225	3326
2.	बिजली**	6056	9342	7354	उपलब्ध नहीं
3.	सिंचाई##	13756	14602	15401	13627
	राज्य सरकारें	13563	13302	14039	उपलब्ध नहीं
	स्थानीय निकाय	193	1300	1362	उपलब्ध नहीं
4.	सीमान्त किसानों तथा कृषक सहकारी समितियों को बीजों, तिलहन, दलहन आदि के विकास के रूप में प्रदत्त अन्य सब्सिडियां	927	979	1259	

स्रोत: 1. उर्वरक एवं सीमान्त किसानों को दी गई अन्य सब्सिडियां : केन्द्रीय सरकार का व्यय बजट 2004-05 खण्ड-1

2. बिजली एवं सिंचाई : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

एन.ए. : उपलब्ध नहीं।

** : बिजली में सभी विद्युत बोर्डों एवं निगमों को राजसहायता शामिल है। खासतौर से कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली विद्युत राजसहायता के अलग अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

: किसानों को आपूर्ति किए जाने वाले जल की दरें, नीतिगत मामले के तौर पर कम रखी जाती हैं, परिणामत: सरकारी सिंचाई व्यवस्था को नुकसान होता है। सकल राजस्व तथा प्रचालन लागत के अतिरेक के बीच के अन्तर को परिकलित सिंचाई सब्सिडी माना जाता है।

+ : त्वरित अनुमान

वन भूमि के पट्टे के लिए किसानों की मांग

19. **श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर असम में किसानों द्वारा अपने उपयोग में लाई जा रही वन भूमि के पट्टे की मांग की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को वन भूमि पर पारम्परिक रूप से रहने वाले वन वासियों के कब्जे की भूमि पर उनके स्वामित्व अधिकारों की मांग के बारे में जानकारी है। मंत्रालय ने इस संबंध में पहले ही 18.9.1990 को वन (संरक्षण), अधिनियम 1980 के अंतर्गत मार्गनिर्देश जारी किए हुए है। 1990 के उक्त मार्गनिर्देशों के अंतर्गत ऐसे स्वामित्व अधिकारों की मंजूरी प्रक्रिया भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वनभूमि को अनारक्षित करने और अवैध कब्जों को नियमित करने पर रोक लगाए जाने तक निरंतर जारी थी।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में निवेश

20. **श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में निवेश पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कृषि क्षेत्र में निवेश से ग्रामीण भारत में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी नहीं। वानिकी, लॉगिंग और मात्स्यिकी के संबद्ध क्षेत्रों सहित कृषि क्षेत्र में निवेश के स्तर को बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय का योजना परिव्यय 43% बढ़ाकर, 2004-05 (बजट अनुमान) में 4192 करोड़ से 2005-06 (बजट अनुमान) में 5998 करोड़ रु. कर दिया गया है।

(ग) और (घ) अधिकतर ग्रामीण कृषि से जुड़े हुए लोग ही हैं। लगभग 62% किसान 1 हैक्टेयर से कम सीमांत जोतों का प्रचालन करते हैं, जबकि लगभग 19%, 1-2 हैक्टेयर की जोतों का प्रचालन करते हैं। अत: सरकार मुख्य कृषि वस्तुओं के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, फसल हानि की क्षतिपूर्ति करने, सहायता प्राप्त आदानों सहित अनेक स्कीमें कार्यान्वित कर रही है।

अनुभव से पता चलता है कि भारतीय कृषकों की खराब आर्थिक दशा में अंशदान करने वाले कारकों में खराब विपणन अवसंरचना, सिंचाई में निवेश के निम्न स्तर और कृषि को ऋण का अपर्याप्त निर्वाह शामिल है। अत: वर्ष 2005-06 के केंद्रीय बजट में कृषि के लिए ऋण के प्रवाह को और अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है तथा बागवानी और विपणन के संवर्धन के लिए नई स्कीमें आरंभ की हैं।

(i) **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) :**

केंद्रीय ऋण सहायता के माध्यम से चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु इसे वर्ष 1996-97 में आरंभ किया गया था। हाल ही में, इसकी समीक्षा की गई है और परियोजनाओं के अंतिम चरण के पूरा करने पर संकेंद्रण किया गया है। वर्ष 2005-06 में 4800 करोड़ रु. का परिव्यय रखा गया है, ताकि कार्यान्वयन की गति को सुधरा जा सके, जबकि वर्ष 2004-05 में परिव्यय 2800 करोड़ रु. था।

(ii) **सूक्ष्म सिंचाई :**

वर्ष 2005-06 में ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के संवर्द्धन के लिए 400 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है ताकि जल उपयोग की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सके। वारानी वर्षासिंचित खेती प्रणाली की वृद्धित दीर्घकालिकता के लिए 200 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय बांस प्रौद्योगिक मिशन और व्यापार विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का परिव्यय भी रखा गया है।

(iii) कृषि ऋण :

सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों वाले बैंकिंग क्षेत्र में वर्ष 2004-05 में 1,15,243 करोड़ रु. का सम्मिश्रण किया, जिसे 2005-06 में 30% तक बढ़ाया जाना है।

(iv) राष्ट्रीय बागवानी मिशन :

अनुसंधान, उत्पादन, फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन के एक एकीकृत तरीके से संवर्द्धन के लिए 630 करोड़ रु. की राशि की व्यवस्था की गई है।

(v) कृषि विपणन अवसंरचना, श्रेणीकरण और मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण :

निजी तथा सहकारी क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में निवेश को आकर्षित करने के लिए 72 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है ताकि कृषि मंडियों, विपणन और श्रेणीकरण, मानकीकरण आदि जैसी समर्थन सेवाओं की स्थापना की जा सके।

(vi) कृषि अनुसंधान :

वर्ष 2004-05 में 1,000 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2005-06 में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए 1150 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया है।

सरिस्का बाघ अभयारण्य के समीप खानें

21. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का बाघ अभयारण्य के आस-पास वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से लगभग पचास खानें अवैध रूप से चल रही हैं;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने 1993 में पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर इस क्षेत्र में खनन संबंधी गतिविधियां न करने संबंधी दिशा-निर्देश दिए थे; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों को लागू करने संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (ग) सूचना राजस्थान राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

माशेलकर समिति की रिपोर्ट

22. **श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक परिवर्तन लाने के संबंध में गठित की गई माशेलकर समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या डा. माशेलकर समिति ने पूर्व में डा. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों पर विचार किया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) डा. माशेलकर समिति की रिपोर्ट दिनांक 18.7.2005 को प्राप्त हुई है और जांच प्रक्रियाधीन है।

(ग) माशेलकर समिति ने डा. स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट सहित समस्त पूर्व रिपोर्टों पर विचार किया है।

(घ) लागू नहीं होता।

सुनामी के कारण बर्बाद हुई कृषि भूमि

23. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :**
श्री जे.एम. आरुन रशीद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सुनामी के कारण बर्बाद हुई भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी हां।

(ख) सुनामी के कारण भूमि को कृषि योग्य बनाने/सुधार लाने के लिए आवश्यकतानुसार उपाय जैसे मृदा परीक्षण, जमा हुए लवणों को खुरचना एवं हटाना, भूमि के ऊपरी सतह को समतल करना, अच्छे किस्म के पानी से लवणों का विक्षालन, जल निकासी में सुधार लाना, कार्बनिक अवयवों को मिलाना आदि किए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल/झारखंड में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां

24. **श्री बीर सिंह महतो :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल और झारखंड में वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत नगर-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ख) उक्त अधिनियमों के अंतर्गत अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) झारखंड राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान हजारी बाग और सारेकेला-खरसावा शहरों में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चार मामले दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हुगली जिले के सेराम्पुर और बर्दवान जिले के दुर्गापुर शहरों में दो मामले दर्ज किए हैं।

(ख) बोर्ड इन अधिनियमों के अनिवार्य प्रावधानों को लागू कर रहे हैं और उद्योग को विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अनुबंधित पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन करने को बाध्य करने के लिए प्रदूषक इकाइयों के विरुद्ध कारण बताओं नोटिस और बंद करने के नोटिस भी जारी किए हैं।

वन विकास परियोजनाओं की स्वीकृति

25. **श्री चन्द्रभान सिंह :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्तर वन विकास हेतु मध्य प्रदेश को छोड़ने और वर्तमान 523 परियोजनाओं में से केवल 35 परियोजनाओं को स्वीकृति किए जाने के क्या कारण हैं जबकि मध्य प्रदेश में 25 प्रतिशत वन क्षेत्र हैं;

(ख) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत मध्य प्रदेश से संबंधित कितनी परियोजनाएं सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) वनों के विकास के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण के माध्यम से और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा 47 वन विकास अधिकरण परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए जिसमें से 108.34 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 1402 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से कुल 73,350 हेक्टेयर क्षेत्र के उपचार के लिए 31.3.2005 तक 44 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश से वानिकी स्वीकृति हेतु प्राप्त 12 प्रस्ताव इस मंत्रालय में जांच की विभिन्न प्रावस्थाओं में है। विभिन्न राज्यों/संघ प्रदेशों से प्राप्त वन-भूमियों के गैर-वानिकी उपयोग से संबंधित परियोजना प्रस्तावों की जांच वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन (संरक्षण) नियमावली, 2003 और उनके अंतर्गत समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित क्रिया-पद्धति के अनुसार की जाती है। प्रस्ताव की पूरी जांच करना और उसके संबंध में निर्णय करना लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके लिए सरकार ने इन नियमों के अंतर्गत पूरे प्रस्ताव पर कार्रवाई करने और उसके संबंध में निर्णय करने के लिए, अपने लिए 60 दिन की समय-सीमा निर्धारित की है।

[अनुवाद]

भेषज प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना

26. **श्री उदय सिंह :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भेषज प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना विशेषकर लघु भेषज फर्मों हेतु भेषज प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वास्तविक लघु इकाइयों और लघु फार्मा इकाइयों की एशोसिएशनों से इस संबंध में विचार नहीं मांगे हैं बल्कि बड़ी इकाइयों से विचार मांगे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी औचित्य क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (घ) प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण में भेषज यूनिटों को सहायता करने के लिए एक स्कीम तैयार करने की संभावना पर इस विभाग में विचार किया जा रहा है। विभाग ने ओ पी पी आई, आई पी ए, आई डी एम ए आदि जैसे अनेक औद्योगिक संघों से विचार मांगे हैं। इस संबंध में विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के विचार/टिप्पणियां मांगी गई हैं। लघु उद्योग क्षेत्र सहित फार्मा उद्योग की रुचि इस योजना का आधार होगी।

पुनर्भरण संरचना का निर्माण

27. **श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूजल कृत्रिम पुनर्भरण योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के संबंध में लगभग 174 परियोजनाओं को शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, हां। नौवीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययन" के तहत पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 174 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 13 परियोजनाओं से संबंधित कार्य प्रगति पर है। इन निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए इस मामले को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया जा रहा है।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान कार्यान्वित केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम "भूजल का पुनर्भरण" के तहत कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत स्कीमों की संख्या	पूरी हो चुकी स्कीमों की संख्या	चल रही स्कीमों की संख्या	बंद कर दी गई स्कीमों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10	10	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0	0
3.	असम	1	1	0	0
4.	बिहार	2	1	0	1
5.	चंडीगढ़	7	7	0	0
6.	दिल्ली	18	16	0	2
7.	गुजरात	3	3	0	0
8.	हरियाणा	8	4	4	0
9.	हिमाचल प्रदेश	6	6	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	8	8	0	0
11.	झारखंड	5	3	0	2
12.	कर्नाटक	2	2	0	0
13.	केरल	13	13	0	0
14.	मध्य प्रदेश	5	5	0	0
15.	महाराष्ट्र	4	3	0	1

1	2	3	4	5	6
16.	मेघालय	1	1	0	0
17.	मिजोरम	1	1	0	0
18.	नागालैंड	3	3	0	0
19.	उड़ीसा	8	3	4	1
20.	पंजाब	17	17	0	0
21.	राजस्थान	18	18	0	0
22.	तमिलनाडु	10	10	0	0
23.	उत्तर प्रदेश	10	8	1	1
24.	उत्तरांचल	1	1	0	0
25.	पश्चिम बंगाल	7	4	2	1
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3	1	2	0
27.	लक्षद्वीप	2	2	0	0
	कुल	174	152	13	9

[हिन्दी]

कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना

28. श्री रामसेवक सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों को विशेषकर मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान राज्यों को विशेषकर मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) देश में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई स्कीमें पहले ही कार्यान्वयनाधीन हैं। इनमें कृषि का वृहद प्रबंधन, तिलहन, दलहन, ऑलयपाम और मक्का पर समेकित स्कीम (आइसोपाम), कपास प्रौद्योगिकी मिशन तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और कुछ पहाड़ी राज्यों में बागवानी के समकित विकास पर प्रौद्योगिकी मिशन की स्कीमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011-12 तक बागवानी उत्पादन को दुगुना करने को ध्यान में रखते हुए हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई। मृदा की उर्वरता में सुधार करने और उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैव खेती परियोजना एक अन्य नई शुरुआत है।

(ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग की केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 3092.29 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की गई, जिसमें से मध्य प्रदेश को 205.17 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की गई।

(घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग की केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत चालू वार्षिक योजना में मध्य प्रदेश (म.प्र.) सहित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए 2085.62 करोड़ रु. का परिव्यय रखा गया है। मध्य प्रदेश को दी जाने वाली राशि की मात्रा विभिन्न स्कीमों के लिए मध्य प्रदेश द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर निर्भर करेगी।

राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार

29. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूडी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरांचल स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार हुआ है या हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना क्षेत्र शामिल किए जाने की संभावना है और इस क्षेत्र के मूल निवासियों के पुनर्वास के लिए प्रस्तावित योजना क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र के ग्रामीणों को उनके गांवों से बेदखल करने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोरंजन भीना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी भी राजस्व गांव को पुन: स्थापित नहीं किया जा रहा है। तथापि, पूर्व में संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय उद्यान बन्दोबस्त के अनुसार, अतिक्रमणों और जिन क्षेत्रों का पट्टा समाप्त हो चुका है, उनको वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है।

कृषि उत्पादों की खरीद

30. **श्री के.सी. पलनिसामी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा तमिलनाडु से गेहूं और चावल सहित उत्पाद-वार खरीद की गई कृषि उपज की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु के कृषि उत्पादों को विदेशों में निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने विगत एक वर्ष के दौरान तमिलनाडु से चावल, गेहूं अथवा मोटे अनाजों की वसूली नहीं की है।

(ख) और (ग) यह सूचना इस विभाग में नहीं रखी जाती है।

नदियों को जोड़ने की योजना

31. **श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :**
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदियों को जोड़ने संबंधी योजना में आज की तारीख तक हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजना पर आज तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) नदियों को जोड़ने संबंधी संपूर्ण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के विभिन्न अध्ययनों के आधार पर व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफआरएस) तैयार करने के लिए 30 सम्पर्कों की पहचान की है। एनडब्ल्यूडीए ने अब तक प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के तहत 14 सम्पर्कों और हिमालयी नदी विकास घटक के तहत दो सम्पर्कों के लिए व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी की हैं। ऐसे सम्पर्कों, जिनकी व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी हो चुकी हैं और इनमें शामिल राज्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 2004-05 तक विभिन्न सम्पर्कों के अध्ययन तथा सर्वेक्षण एवं अन्वेषणों पर व्यय की गई कुल 165.08 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।

(ग) परस्पर जोड़ने संबंधी स्कीमों का पूरा किया जाना संबंधित राज्यों के बीच शीघ्र सहमति पर निर्भर करता है।

विवरण

क.	प्रायद्वीपीय घटक	लाभान्वित राज्य
1.	केन-बेतवा सम्पर्क	उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश
2.	पार-तापी-नर्मदा सम्पर्क	गुजरात और महाराष्ट्र
3.	पम्बा-अचनकोविल-वैप्पार सम्पर्क	तमिलनाडु और केरल

4.	गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) सम्पर्क	आंध्र प्रदेश
5.	कृष्णा (श्रीसेलम)-पेन्नार सम्पर्क	क्रम सं.14 और 10 के सम्पर्कों के लिए फीडर सम्पर्क
6.	कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमसिला) सम्पर्क	आंध्र प्रदेश
7.	दमन गंगा-पिंजाल सम्पर्क	महाराष्ट्र
8.	पारबती-कालीसिंध-चम्बल सम्पर्क	मध्य प्रदेश और राजस्थान
9.	कृष्णा (अलमट्टी)-पेन्नार सम्पर्क	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक
10.	कावेरी (कट्टालाई)-वैगाई-गुंडार सम्पर्क	तमिलनाडु
11.	महानदी (मणिभद्रा)-गोदावरी (दाउलेस्वरम) सम्पर्क	आंध्र प्रदेश और उड़ीसा
12.	गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) सम्पर्क	आंध्र प्रदेश
13.	गोदावरी (इंचमपल्ली निचली बांध)-कृष्णा (नागार्जुन टेलपांड) सम्पर्क	आंध्र प्रदेश
14.	पेन्नार (सोमसिला)-कावेरी (ग्रैंड एनिकट) सम्पर्क	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी

ख. हिमालयी घटक

1.	सारदा-यमुना सम्पर्क	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
2.	घाघरा-यमुना सम्पर्क	उत्तर प्रदेश

[अनुवाद]

नई इस्पात नीति

32. **श्री पुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**
श्री उदय सिंह :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक नई इस्पात नीति तैयार की गई है और यह नीति सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नई इस्पात नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) मसौदा राष्ट्रीय इस्पात नीति की कुछ खास बातें निम्नानुसार हैं:

- राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारतीय इस्पात उद्योग के सुधार, पुनर्संरचना और वैश्वीकरण के संबंध में व्यापक योजना तैयार की गई है।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य यह है कि भारत में विश्व स्तरीय आधुनिक और क्षमतावान इस्पात उद्योग हो जो विविधिकृत इस्पात मांग को पूरा कर सके। नीति का उद्देश्य न केवल लागत, गुणवत्ता और उत्पाद मिश्र के क्षेत्र में अपितु दक्षता और उत्पादकता के क्षेत्र में भी

वैश्रिक मानकों को प्राप्त करना है ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा हासिल की जा सके।

- वर्ष 2019-2020 तक 110 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति में मुक्त, वैश्विक स्तर पर एकीकृत और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में इस उद्योग के विकास में सामने आ रही आपूर्ति संबंधी अड़चनों को दूर करने की बात कही गई है।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति में दीर्घकालिक नीतिगत लक्ष्य हासिल करने के लिए एक बहुपक्षीय रणनीति अपनाने की बात कही गई है। मांग के संबंध में रणनीति प्रोत्साहन जनक प्रयासों और जागरूकता पैदा करके तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिलीवरी चेन को सुदृढ़ बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मांग सृजित करने की होगी। आपूर्ति के संबंध में अतिरिक्त क्षमता के सृजन को सुसाध्य बनाने, लौह अयस्क और कोयला जैसे आदानों की उपलब्धता में प्रक्रिया और नीति संबंधी बाधाओं को दूर करने, अनुसंधान और विकास में और अधिक निवेश करने तथा सड़कों, रेलवे और पत्तनों जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन को प्रोत्साहित करने की रणनीति होगी।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति में यह माना गया है कि देश में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत कम है और जीवन स्तर में सुधार करने और जनता की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करने के लिए इस्पात की खपत बढ़ाने की जरूरत है।

- वर्ष 2019-2020 तक 110 मिलियट टन इस्पात उत्पादन के नीतिगत लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्योग को अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होगी। इसके अलावा मौजूदा सुविधाओं के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए निधियों की जरूरत होगी। इतने बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। इसके अलावा, नीति में इस्पात उद्योग को प्राप्त होने वाले राजकोषीय प्रोत्साहन अवसंरचना परियोजनाओं को मुहैया करवाने की भी बात कही गई है।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति में इस्पात बाजार में कीमतों में अस्थिरता को रोकने के लिए फ्यूचर्स और डिरीवेटिव्ज जैसी जोखिम-रोधी व्यवस्थाएं करने में सहायता करने की बात कही गई है।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति में घरेलू इस्पात उद्योग को उपलब्ध मौजूदा प्रशिक्षण अनुसंधान सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की बात कही गई है ताकि गौण लघु इकाइयों को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करवाए जा सकें और उद्योग से संबंधित प्राचलों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जा सकें और उनका विश्लेषण किया जा सके।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति में विशेष श्रेणियों के इस्पात के लिए उत्पादन क्षमता सृजित करने, कोककर कोयले को प्रतिस्थापित करने, लौह अयस्क चूर्ण का उपयोग करने, ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप नए उत्पाद विकसित करने, सामग्री और ऊर्जा, अपशिष्ट का उपयोग करने और पर्यावरण के संबंध में हो रही गिरावट को रोकने के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी उद्यमशील प्रयास करने की बात कही गई है।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति में माना गया है कि गौण इस्पात क्षेत्र ने ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने, इस्पात की स्थानीय मांग पूरी करने और देश की कुछ विशेष उत्पादों की मांग पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस नीति में राज्य लघु उद्योग निगमों के मौजूदा तंत्र के जरिए प्रमुख संयंत्रों से इन इकाइयों को उचित कीमतों पर आवश्यक फीडस्टॉक उपलबध करवाने के लिए प्रयास करने की बात कही गई है।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति में माना गया है कि भारतीय इस्पात उद्योग का एकीकरण वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ करने के लिए आवश्यक है कि इस उद्योग को उन अनुचित व्यापार क्रिया-कलापों, जो विशेषकर मंदी की अवधि के दौरान आम हो जाते हैं, से बचाने की आवश्यकता है। इसलिए राष्ट्रीय इस्पात नीति में आयात को बनाए रखने के लिए तथा अन्य देशों में निर्यात इमदाद के प्रबोधन के लिए तंत्र स्थापित करने के बारे में भी कहा गया है।

समेकित खाद्य विधि

33. श्री सीताराम यादव : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों के समूह ने समेकित खाद्य विधि मसौदे को अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक अनुमोदित होने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने मसौदा समेकित खाद्य कानून अनुमोदित कर दिया हैं मसौदा समेकित खाद्य कानून की मुख्य-मुख्य विशेषताएं ये हैं - (i) बहु-स्तरीय और बहु-विभागीय नियंत्रण के स्थान पर समेकित नियंत्रण श्रृंखला, (ii) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करके खाद्य सुरक्षा और मानक, विनियमन और प्रवर्तन से संबंधित सभी मामलों के लिए एकल संदर्भ बिन्दु, (iii) खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के जरिए केवल विनियामक व्यवस्था की जगह स्व-अनुपालन, (iv) खाद्य उत्पादों के निर्माण, बिक्री आदि के लिए लाइसेंसिंग/पंजीकरण का विकेंद्रीकरण, जो वर्तमान में विभिन्न अधिनियमों और आदेशों के अंतर्गत केंद्रीय एजेंसियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, (v) अपराध की गंभीरता के आधार पर श्रेणीकृत शास्तियां।

कंपनी के उत्पादों का सत्यापन

34. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा'** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंपनियों द्वारा बाजार में आने से पूर्व अपने उत्पादों के संबंध में किए जाने वाले दावों की सत्यता की जांच करने के लिए किसी प्राधिकरण की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्राधिकरण के कब तक स्थापित होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लक्षद्वीप में हवाई अड्डे को पर्यावरणीय मंजूरी

35. **डा. पी.पी. कोया** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप के आगाती टापू पर स्थित हवाई अड्डे को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय को मंजूरी हेतु भेजे गए अन्य लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनको मिलने वाली मंजूरी में होने वाले विलंब के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) अगाती एयरोड्राम लक्षद्वीप में नए टर्मिनल भवन और सम्बद्ध सुविधाओं के निर्माण के लिए पर्यावरणीय शर्तों और सुरक्षा उपायों की शर्त पर 16.2.2005 को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है।

(ग) लक्षद्वीप प्रशासन का कोई अन्य प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में सिंहों की मौतें

36. **श्री पी.एस. गढ़वी** :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री परसुराम माझी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गुजरात में आई बाढ़ के कारण गिर वन के सिंह बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक वहां कितने सिंह मृत पाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार की एशियाई सिंहों को बचाने के लिए इनके खातिर कोई दूसरा स्थान बनाने के संबंध में कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो गिर सिंहों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) राज्य ने गिर सुरक्षित क्षेत्र के बाहर केवल दो सिंहों की बाढ़ के पानी में डूबकर मरने की सूचना दी है।

(ग) से (ङ) जी, हां। मध्य प्रदेश के क्यूनो पालपुर अभयारण्य को एशियाई बाघों के वैकल्पिक आवास के रूप में पहचाना गया है, और उक्त क्षेत्र में सिंहों के प्रवेश के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। आगे गुजरात, जो देश में सिंहों की संख्या वाला एकमात्र राज्य है, को राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास नामक केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

सूखा प्रभावित राज्यों को सहायता

37. **श्री गिरिधारी यादव** :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री हरिसिंह चायड़ा :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूखे के कारण हुई फसल और पशु हानि के कारण हुए पृथक-पृथक नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी सहायता मांगी गई है और वास्तव में सरकार द्वारा उन्हें कितनी धनराशि दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) फसल/पशुधन क्षेत्रों के लिए राज्यों द्वारा प्रक्षेपित सहायता की मांग जो ऐसे क्षेत्रों में हानि की मात्रा को दर्शाता संलग्न है, विवरण-I में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से सहायता सभी क्षेत्रों के सम्मिलित मांगों के रूप में निर्मुक्त की जाती है। अवधि के दौरान दी गई सहायता का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के सूखे के लिए फसल हानि और पशुपालन हेतु मांग का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	फसल	पशुधन
1	2	3	4
	वर्ष–2003-04		
1.	आंध्र प्रदेश	146.14	105.84
2.	कर्नाटक	278.44	126.62
3.	केरल	1982.46	–
4.	महाराष्ट्र	744.63	357.95
5.	तमिलनाडु	299.96	13.34
6.	उत्तरांचल	16.15	6.31
	वर्ष–2004-05		
1.	आंध्र प्रदेश	149.48	20.20
2.	बिहार	111.10	182.00
3.	छत्तीसगढ़	90.00	1.98
4.	झारखण्ड	110.00	1.86

1	2	3	4
5.	कर्नाटक	112.93	9.62
6.	मध्य प्रदेश	126.44	2.58
7.	महाराष्ट्र	300.46	201.00
8.	राजस्थान	91.49	488.90
9.	तमिलनाडु	272.82	–
10.	उत्तर प्रदेश	1605.20	51.21

स्रोत: राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से सहायता हेतु राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत मसौदा।

विवरण-II

वर्ष 2003-04 और 2004-05 में सूखे के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(एन.सी.सी.एफ.—करोड़ रुपए में)

(खाद्यान्न—लाख मीटरी टन में)

क्र. सं.	राज्य	2003-04 का सूखा				2004-05 का सूखा (जुलाई 2004 से मार्च 2005)				2004.05 का लगातार सूखा (अप्रैल 2005 से जुलाई 2005)			
		एन.सी.सी.एफ.		खाद्यान्न		एन.सी.सी.एफ.		खाद्यान्न		एन.सी.सी.एफ.		खाद्यान्न	
		मांग	निर्यात	मांग	निर्यात	मांग	निर्यात	मांग	निर्यात	मांग	अनुमोदित@	मांग	आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	859.88	50.58	15.00	7.82	1199.68	40.01	22.50	2.20	–	–	–	–
2.	बिहार	–	–	–	–	2312.48	162.15	12.93	2.00	–	–	–	–
3.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	604.96	52.74	7.20	0.90	–	–	–	–
4.	झारखंड	–	–	–	–	928.12	–	–	0.67	–	–	–	–
5.	कर्नाटक	1881.55	298.16	15.61	7.29	1147.72	49.14	4.53	1.14	–	–	–	–
6.	केरल	3847.00$	106.00	2.00	1.03	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	724.28	1.70	7.64	1.00	–	–	–	–
8.	महाराष्ट्र	1715.00	250.69	6.00	7.00	–	–	–	–	1117.99	174.66	2.00	–
9.	राजस्थान	–	–	0.22	0.19	2378.64	216.79	28.80	6.99	939.37	156.71	19.23	5.00
10.	तमिलनाडु	2283.73	173.35	10.80	3.04	1910.58	117.27	5.40	1.50	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	उत्तरांचल	411.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	2726.10	192.10	—	—	—	—	—	—

$ राज्य में कृषि क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए

@ संबंधित राज्यों के सी.आर.एफ. में मौजूद शेष के समायोजन की शर्त पर।

सी.आर.एफ. : आपदा राहत कोष

एन.सी.सी.एफ. : राष्ट्रीय आपदा आस्मिकता कोष

[अनुवाद]

अन्त्योदय अन्न योजना के लिए खाद्यान्न का आवंटन

38. **श्री सुव्रत बोस : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वितरित किए जा रहे खाद्यान्न की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा केवल अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है जिसमें केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की वसूली, भण्डारण और भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख वितरण केन्द्रों तक इनकी ढुलाई करने के लिए जिम्मेदार है। उचित दर दुकानों के जरिए खाद्यान्नों का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अंत्योदय अन्न योजना के अधीन वितरित खाद्यान्नों की गुणवत्ता के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, जब कभी केन्द्र सरकार को कोई शिकायत प्राप्त होती है, उसे जांच करने तथा आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेज दिया जाता है।

(ग) गरीब लोगों को केवल अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित पग उठाए गए हैं-

(i) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टॉक का उठान करने से पूर्व इसका निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं।

(ii) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठान करने से पूर्व खाद्यान्नों की जांच करने के लिए नियुक्त किया जाने वाला अधिकारी निरीक्षक के रैंक से कम न हो।

(iii) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टॉक जारी करने के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से खाद्यान्नों के नमूने लिए और सील किए जाते हैं ताकि इनका प्रदर्शन उचित दर दुकानों के काऊंटरों पर किया जा सके।

(iv) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए राज्य सरकारों तथा मंत्रालय के अधिकारी उचित दर दुकानों की औचक जांच करते हैं।

(v) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यों की संबंधित राज्यों में मानीटरिंग करने के लिए विभाग के क्षेत्र अधिकारी के रूप में नामित अधिकारी राज्य में अपने दौरे के दौरान

भण्डारण डिपुओं तथा उचित दर दुकानों का दौरा भी करते हैं ताकि जारी किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच की जा सके।

[हिन्दी]

पर्यटन को प्रोत्साहन

39. **श्री मो. ताहिर :**
श्री मुन्शी राम :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
प्रो. महोदवराव शिवनकर :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा नए कदम उठाए गए हैं और नई विपणन रणनीतियां बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चालू वर्ष के लिए नए घरेलू और विश्वव्यापी अभियान, चिकित्सा पर्यटन, क्रूज पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन आदि जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों के लिए एक गंतव्य के रूप में भारत पर फोकस करते हैं। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ग्राहकों के लिए भारत में पर्यटन उत्पादों की रेंज का विस्तार करना है। मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष में प्रारंभ किया गया अतिथि देवो भव: अभियान अतिथि को भगवान के रूप में मानने पर बल देता है तथा इसका एक घटक स्टेकहोल्डरों और सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करना है, ताकि वे पर्यटन के लाभों के विषय में जागरूक हो सकें और पर्यटकों के साथ सावधानीपूर्वक एवं उदारतापूर्वक बर्ताव करें।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनरुद्धार

40. **श्री पवन कुमार बंसल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न प्रदान करने के लिए देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के रूप में कुल कितने परिवारों की पहचान की गई है;

(ख) क्या बड़ी संख्या में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ नहीं मिलता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी नागरिकों के लिए भूख-रहित जीवन सुनिश्चित करने के लिए सभी गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनरुद्धार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रणाली के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 6.52 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (2.5 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित) की अनुमानित संख्या के लिए खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे के अनुमानित परिवारों की संख्या 1993-94 के लिए योजना आयोग के निर्धनता अनुपात और 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों पर आधारित है। 6.5 करोड़ की अनुमानित संख्या के प्रति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 8 करोड़ से अधिक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान की है और उन्हें राशन कार्ड जारी किए हैं। सभी राशन कार्ड धारकों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंच है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दृष्टि से इसको सुचारू बनाना एक निरन्तर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणली को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए इसके कार्यकरण की समीक्षा करती है। सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से निर्धनतम के लाभ के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए दिसम्बर, 2000 में अंत्योदय योजना शुरू की गई थी ताकि 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न दिया जा सके। अंत्योदय अन्न योजना का 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है। अंत्योदय अन्न योजना से बाहर रहे गए पात्र व्यक्तियों और प्रवासी मजदूरों तथा शहरी

निराश्रितों को योजना में शामिल करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं ताकि सभी नागरिकों के लिए भुखमरी मुक्त जीवन सुनिश्चित किया जा सके।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को बंद करना

41. **श्री पी. करुप्पकरन :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के कार्यकरण को बंद करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के भंडारण हेतु वैकल्पिक प्रबंध को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पत्थरों की पिसाई से होने वाला प्रदूषण

42. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतमन न्यायालय के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के निदेशों के बावजूद, फरीदाबाद में पत्थरों की पिसाई करने वाले लगभग 160 क्रेशर्स के बारे में फरीदाबाद और दिल्ली के आस-पास के स्थानों पर प्रदूषण फैलाने की सारी सीमाएं लांघ देने के समाचार मिले हैं

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है/की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह सूचित किया है कि जिला फरीदाबाद के पाली/मोहबताबाद क्रशिंग जोन में पत्थरों की पिसाई करने वाली 163 इकाइयां चल रही हैं। इनमें से पत्थरों की पिसाई करने वाली 128 इकाइयों ने वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्याप्त उपाय किए हैं।

(ग) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण द्वारा दोषी इकाइयों के विरुद्ध "कारण-बताओ नोटिस" जारी करने जैसी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड ने इन इकाइयों को निदेश दिया है कि वे डस्ट कन्टेनमैंट-कम-सुप्रेशन सिस्टम, विंड ब्रेकिंग वॉल, परिसर के भीतर रोड़ी वाली सड़कें, जमीन की नियमित सफाई और उस पर छिड़काव, परिधि के साथ-साथ हरित-पेट्टी बनाने जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपाय करें ताकि मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

[हिन्दी]

बिहार में सीतामढ़ी का विकास

43. **श्री सुशील कुमार मोदी :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से सीतामढ़ी जिले के राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त प्रयोजन हेतु चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को कितनी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

किसानों के लिए उर्वरक और रसायनों की उपलब्धता

44. **श्री कालासोवरी वल्लभनेनी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीब किसानों को उर्वरक और रसायन उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) गरीब किसानों सहित सभी किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, एकमात्र नियंत्रित उर्वरक, यूरिया, सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचा जाता है। डी ए पी, एम ओ पी और एन पी के मिश्रित उर्वरकों जैसे नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरक निर्देशित अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचे जाते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट का अधिकतम खुदरा मूल्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्देशित किया जाता है।

जहां तक रसायनों का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि रसायन उद्योग को विनियमित कर दिया गया है, इसलिए रसायनों के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

[हिन्दी]

सभी श्रेणियों के लिए खाद्यान्नों की पूर्ति

45. **श्री रामदास आठवले** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कुछ बेस डिपो गरीबी रेखा के नीचे वाले और गरीबी रेखा के ऊपर वाली श्रेणियों को एक साथ खाद्यान्नों की पूर्ति नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन डिपो द्वारा दोनों श्रेणियों को एक साथ खाद्यान्नों की पूर्ति कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अभयारण्य भूमि वनवासियों को सौंपना

46. **श्री सुनिल कुमार महतो :**
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अभयारण्य भूमि का बड़ा भाग वनवासियों को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए किस मानदंड और विधि को अपनाया गया है; और

(ग) इस नई नीति को कार्यान्वित करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों की कमी

47. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री वाई.जी. महाजन :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में उर्वरक संयंत्रों की क्षमता कितनी है;

(ख) क्या देश में उर्वरकों की कमी थी;

(ग) यदि हां, तो उर्वरकों की कम पूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन उर्वरकों की मांग और स्वदेशी उत्पादन क्या है;

(ङ) उर्वरकों के उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(च) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) वर्तमान में देश में उर्वरक संयंत्रों की उत्पादवार उत्पादन क्षमता निम्नानुसार है :

(लाख मी. टन)

उत्पाद का नाम	स्थापित क्षमता
यूरिया	205.12 (प्रचालन क्षमता 194.60)
डीएपी	72.99
मिश्रित उर्वरक	50.98
एसएसपी	58.99
अन्य	17.43

(ख) हाल ही में कोई कमी नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान उर्वरकों की मांग और स्वेदशी उत्पादन नीचे दिया गया है:

(लाख मी. टन)

उर्वरकों का नाम	मांग	वास्तविक उत्पादन
यूरिया	214.08	202.63
डीएपी	70.60	51.84
मिश्रित उर्वरक	63.42	53.61
एसएसपी	33.86	23.87
अन्य	12.23	8.76

(ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान सभी उर्वरकों का उत्पादन अब तक सर्वाधिक रहा है।

(च) विभाग ने यूरिया उत्पादक इकाइयों से अपने स्ट्रीम दिन बढ़ाकर, स्थापित क्षमता से अधिक उत्पादन करने के लिए कहा है। इस मौसम के दौरान लगभग 3.5 लाख मी. टन अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन होने का अनुमान है। इसके अलावा ओमान ऑयल कंपनी और इफको/कृभको द्वारा सुर, ओमान में 16.52 लाख मी.टन की वार्षिक क्षमता वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी ओमिफको से आयात भी शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने आपूर्तियों को बढ़ाने के लिए डीएपी की पर्याप्त मात्रा का आयात करने के लिए सारणीबद्ध एजेंटों जैसे आईपीएल और एमएमटीसी से अनुबंध भी किया है। ऐसा अनुमान है कि ये उपाय चालू खरीफ मौसम के लिए उर्वरकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे।

पशुओं की खाल की तस्करी

48. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाघ और तेंदुओं की खाल और अंगों की देश में और सीमापार तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है;

(ग) वर्ष 2001 और 2005 के बीच और आज तक कितने बाघ और तेंदुओं की खाल और अंगों को जब्त किया गया है;

(घ) पशुओं के अंगों की बाहर तस्करी करने के लिए किन-किन प्रमुख मार्गों का इस्तेमाल किया जाता है; और

(ङ) ऐसे मार्गों को बंद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) बाघों/चीतों की खाल और शरीर के हिस्से की सीमा पार तस्करी की रिपोर्ट कई बार ध्यान में आई है।

(ख) भारत के पड़ोसी बाघ देशों के साथ निम्नलिखित द्विपक्षीय समझौते हैं।

(i) सीमा पार अवैध आवाजाही पर नियंत्रण रखने के लिए संयुक्त टास्क फोर्स गठित किए जाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(ii) बाघ संरक्षण पर भारत चीन प्रोटोकॉल भी विद्यमान है जिसमें बाघों के अवैध शिकार, तस्करी और बाघों की हड्डियों को बेचने और इनसे प्राप्त होने वाली अन्य वस्तुओं के साथ ही साथ बाघों के शरीर के अन्य हिस्से से संबंधित अवैध कार्यों का भंडाफोड़ करने के लिए संयुक्त उपाय अनुबद्ध हैं।

(ग) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2001 से 2005 के बीच जब्त किए गए बाघ/चीतों की खालें और शरीर के भागों का विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) अवैध सामान की सीमापार आवाजाही के लिए कोई निर्धारित मार्ग नहीं है। भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश की सीमा पर अनेक छोटे-छोटे और संवेदी मार्ग हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2001-2005 में (बाघ/चीते और उनके शरीर के भागों) जब्ती के आंकड़ें

राज्य	वर्ष	बाघ के जब्त किए गए शरीर के भाग	चीते के जब्त किए गए शरीर के भाग
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	2001	10 खालें, 10 खोपड़ियां, 20 किलों हड्डियां	42 खालें
	2002	2 खालें	8 खालें
	2003	–	12 खालें
	2004	–	–
	2005	–	3 खालें
पंजाब	2001	1 खाल	1 खाल
महाराष्ट्र	2001	5 खालें, 5 खोपड़ियां, 5 कंकाल, 10 पीछे के पंजे 3 केकनीस, 1 पशु शव	14 खालें
	2002		3 खालें 3 पीछे के पंजे
	2003	7 किलो हड्डियां	7 खालें 2 खोपड़ियां 5 किलो हड्डियों और दांत
पश्चिम बंगाल	2001	2 खालें	3 खालें
	2002	4 खालें	1 जीवित चीता, 500 ग्राम मांस
	2003	7 खालें	30 खालें, 1 खोपड़ी, 1 माउंट

1	2	3	4
तमिलनाडु	2001	2 खालें	30 खालें
	2003	20 नाखून	
कर्नाटक	2001	2 खालें	—
	2002	—	1 खाल
उत्तरांचल	2001	1 खाल, 8.5 किलो हड्डियों और खोपड़ी	11 खालें
	2002	5 खालें 23 किलो हड्डियां, 36 पीछे के पंजे	10 खालें
	2003	1 खाल	29 खालें
दिल्ली	2001	1 खाल	9 खालें
	2002	—	11 खालें
	2003	1 खाल 1 सिर	5 खालें
	2004	—	6 खालें
	2005	2 बाघ की खालें	39 खालें, चीते और बाघ के 14 दांत, बाघ/चीते के 60 किलो आगे के पंजे, बाघ/चीते के पीछे के पंजे, बाघ/चीते के 10 जोड़ी जबड़ें, बाघ/चीते की 40 छोटी हड्डियां, 45 खालें
मध्य प्रदेश	2001	3 खालें, बाघ की हड्डियां और पीछे के पंजे	12 खालें और हड्डियां
	2002	4 खाल 12 केकनीस 9 पीछे के पंजे और विसकर्स	2 खालें
	2003	5 खालें, 1 कंकाल	1 खाल
मिजोरम	2001	6.28 किलो हड्डियां	—
आध्र प्रदेश	2001	1 खालें	4 खालें
	2003	3 खालें	
राजस्थान	2001	—	7 खालें
	2002	—	1 खाल

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	2001	–	5 खालें
	2002	–	7 खालें
छत्तीसगढ़	2001	–	2 खालें
	2002	3 खालें	1 खाल
हरियाणा	2001	–	6 खालें
	2002	–	1 खाल
	2003	–	–
	2004	–	15 खालें
असम	2001	–	1.7 किलो हड्डियां
गुजरात	2001	–	1 खाल
	2002	–	4 खालें
उड़ीसा	2002	1 खाल	–
	2003	3 नाखून	–
केरल	2002	–	4 खालें, 1 पशु शव
झारखंड	2002	–	1 खाल
चंडीगढ़	2002	–	1 खाल

विवरण-II

(1) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत बाघों सहित वन्यजीवों के शिकार एवं वाणिज्यिक दोहन के विरुद्ध वैधानिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

(2) वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से क्षमता एवं अवसंरचना को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

(3) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्ग केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा दायर करने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

(4) वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को फील्ड संरचनाओं को सहायता देने के लिए कहा है।

(5) देश में वन्यजीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए अनेक कार्य-बिन्दुओं और प्राथमिक परियोजनाओं के साथ एक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) आरंभ की गई हैं।

व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान

49. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने जो कुछ श्रमिक बल का 92 प्रतिशत हैं, अधिक व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई मुख्य मांग क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) और (ख) केन्द्रीय श्रमिकों संघों, श्रम मंत्रालय से संबंद्ध संसदीय समिति आदि ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए व्यापक विधान की मांग की है। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी इन श्रमिकों के लिए व्यापक केन्द्रीय विधान की सिफारिश की थी। सरकार ने "असंगठित क्षेत्र कामगार विधेयक, 2004" का मसौदा तैयार किया है जिस पर पणधारियों, यानी राज्य सरकारों, केन्द्रीय श्रमिक संघो, कर्मचारी संगठनों तथा गैर-सरकारी संगठनों आदि के साथ परामर्श किया जाना है। राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग भी मामले पर नजर रखे हुए है।

पर्यटकों द्वारा कश्मीर की यात्रा

50. **श्री ए. साईं प्रताप**
श्री एस.के. खारवेनचन :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में इस वर्ष स्वदेशी और विदेशी पर्यटक अभूतपूर्व संख्या में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों ने कश्मीर की यात्रा की और इस वर्ष कितने पर्यटकों के यहां आने की आशा है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने घाटी में पर्यटन की स्थिति में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार से किसी सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) जी हां। जम्मू एवं कश्मीर राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान कश्मीर घाटी की यात्रा करने वाले घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्न प्रकार है:

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	घरेलू	विदेशी	कुल
2002	0.25	0.03	0.28
2003	1.82	0.09	1.91
2004	3.58	0.19	3.77

राज्य सरकार द्वारा दर्ज की गई सूचना के अनुसार वर्ष 2005 के प्रथम छह महीने अर्थात्:, जनवरी-जून 2005 के दौरान, 2.80 लाख घरेलू पर्यटक तथा 0.08 लाख विदेशी पर्यटक कश्मीर घाटी की यात्रा के लिए आए जो वर्ष 2004 की इसी अवधि की तुलना में घरेलू पर्यटक आगमन में लगभग 83 प्रतिशत तथा विदेशी पर्यटक आगमन में 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ग) जी हां।

(घ) राज्य में पर्यटन को पुर्नजीवित करने का सरकार का प्रयास रहा है तथा इस उद्देश्य के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य सरकार के लिए 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी और 865.00 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। चालू वर्ष 2005-06 में भी राज्य के लिए 6 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा 798.00 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2005-06 के दौरान "जम्मू एवं कश्मीर पुनर्निर्माण योजना" के अधीन अनेक परियोजनाएं ली जा रही हैं।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों के मूल्य

51. **श्री सुरेश चन्देल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट आ रही है जबकि उत्पादन लागत दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है;

(ख) क्या सरकार द्वारा आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाए जाने के बाद सस्ते कृषि उत्पादों का आयात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या देश में लंबित कृषि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए योजना परिव्यय में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) कृषि जिन्सों के मूल्य और उत्पादन की लागत संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) गत पांच वर्षों के लिए केन्द्रीय पूल स्टाक हेतु खाद्यान्नों का कोई आयात नहीं किया गया है। विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी समझौते पर चल रही वार्ता में सरकार राजसहायता प्राप्त आयातों से घरेलू उत्पादकों को आवश्यक संरक्षण देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। सरकार ने वर्ष 2001 में मात्रा संबंधी प्रतिबंधों को हटाने के बाद कई कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में वृद्धि की है ताकि घरेलू किसानों को उचित संरक्षण दिया जा सके। हाल ही में परिष्कृत पाम आयल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 90 प्रतिशत और कच्चे पाम आयल पर 80% किया गया है। संवेदनशील कृषि जिन्सों के आयात की नियमित रूप से मानिटरिंग एक समिति द्वारा की जाती है जिसकी अध्यक्षता सचिव, भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की जाती है। भारतीय कृषि जिन्सों के निर्यात हेतु ज्यादा मंडियों की व्यवस्था करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2005 में कृषि के लिए बजट परिव्यय में भी वृद्धि की गई है।

विवरण

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
	लागत	मूल्य#	लागत	मूल्य#	लागत	मूल्य#	लागत	मूल्य#	लागत	मूल्य#
धान/चावल*	429.32	941.00	471.71	928.00	505.16	940.00	525.24	1075.00	530.94	1090.00
गेहूं	448.74	614.00	478.92	650.00	483.27	708.00	496.82	736.00	515.56	752.00
अरहर/अरहर दाल@	1110.57	2065.00	1154.79	2278.00	1146.62	2441.00	1260.65	2733.00	1262.34	2694.00
चना/चना दाल@	932.93	2193.00	1058.79	2061.00	1101.44	1837.00	1141.59	1753.00	1221.46	1869.00
मूंगफली	1245.73	1737.00	1255.35	1729.00	1386.43	1757.00	1391.16	1725.00	1507.43	1659.00
सोयाबीन	865.29	998.00	864.74	1275.00	827.97	1377.00	860.90	1536.00	881.86	1334.00

*लागत धान के संबंध में है जबकि मूल्य चावल के संबंध में है।

@लागत अरहर/चने के संबंध में है जबकि मूल्य संगत दलहनों (दाल) के संबंध में है।

#मूंगफली/सोयाबीन को छोड़कर सभी जिन्सों के संबंध में वार्षिक थोक मूल्य जैसा कि दिल्ली में है।

मूंगफली के मामले में मूल्य जो हाथरस में है। सोयाबीन के मामले में मूल्य जो दिवास में है।

टिप्पणी : लागत सकल भारतीय प्रक्षेपित लागतों को दर्शाती है जैसा कि सी.ए.सी.पी. द्वारा तैयार की गई हैं।

[अनुवाद]

नीम कोटिड यूरिया को बढ़ावा

52. **श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :**
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :
डा. रतन सिंह अजनाला :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) और भारतीय उर्वरक संघ (एफ.ए.आई.) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने केंद्र सरकार से नीम कोटिड यूरिया को बड़े पैमान पर बढ़ावा देने का आग्रह किया है। जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि और कीटनाशकों में कमी के माध्यम से कृषि आय को काफी बढ़ाया जा सकता है जैसा कि दिनांक 30 मई, 2005 के ''द ट्रिब्यून'' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, तो उसका ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) नीम लेपित यूरिया को उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 की अनुसूची-I के भाग 'क' में एक नियमित उर्वरक के रूप में अभी शामिल नहीं किया गया है। कृषि मंत्रालय ने जुलाई, 2004 में मैसर्स एन एफ एल, मैसर्स श्री राम फर्टिलाइजर और मेसर्स इण्डो-गल्फ फर्टिलाइजर्स द्वारा उत्पादित नीम लेपित यूरिया को दो वर्ष की अवधि के लिए वाणिज्यिक परीक्षण हेतु एफ सी ओ, 1985 के खंड 2 'क' के अन्तर्गत रूप से जुलाई, 2004 में अधिसूचित किया है।

ये कम्पनियां नीम लेपित यूरिया का अपनी संबंधित उत्पादन इकाइयों में उत्पादन कर रही हैं और अपने उत्पाद का पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों में विपणन कर रही हैं। मैसर्स एन एफ एल और मैसर्स इण्डो-गल्फ ने सूचित किया है कि मौसम (रबी और खरीफ 2004) के वाणिज्यिक परीक्षणों के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। तथापि, नीम लेपित यूरिया की प्रभावकारिता अभी स्थापित होनी है। इस प्रयोजन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को ''स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नाईट्रिफिकेशन इनहिबिटरी प्रिंसिपलस इन नीम एण्ड नीम कोटिड यूरिया'' नामक विषय पर तदर्थ परियोजना स्वीकृत की है। नीम लेपित यूरिया के उत्पादन और विपणन का विस्तार कार्यक्रम भारतीय अनुसंधान परिषद की इस परियोजना के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा और इसे एफसीओ, 1985 की अनुसूची-I के भाग 'क' में एक नियमित उर्वरक के रूप में शामिल करने के अधीन होगा।

बाघ अभयारण्यों के लिए सहायता

53. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न बाघ अभयारण्यों के लिए मानसून गश्त सहायता की पहली किश्त जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अभयारण्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बाघ अभयारण्यों में स्थित गांवों को अन्यत्र बसाने, यातायात को नियंत्रित करने और राजमार्गों को अन्य स्थानों से निकालने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो बाघ अभयारण्यों से गांवों को अन्यत्र बसाने, यातायात को नियंत्रित करने, राजमार्गों को अन्य स्थानों से निकालने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्यों को केन्द्रीय सहायता बाघ परियोजना मार्ग निर्देशों की सीमा में राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामों को पुनस्थापित करने, यातायात नियमित करने रिजर्व के भीतर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के दिशा-परिवर्तन और सम्बद्ध कार्यों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है।

विवरण

बाघ रिजर्वों की सूची जिन्हें वर्षाकाल के पैट्रोलिंग के लिए निधि जारी की गई है।

(लाख रुपए)

क्र. स.	राज्य	बाघ रिजर्व	स्वीकृत राशि	कुल सी ए	जारी की राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1. नागार्जुन सागर	6.45	3.45	3.45
2.	बिहार	2. वाल्मिकी	5.35	3.475	3.475
3.	झारखण्ड	3. पलामु	3.50	2.00	2.00
4.	महाराष्ट्र	4. ताडोबा अंधेरी	4.32	4.32	4.32
5.	उत्तरांचल	5. कोरबट	9.50	4.75	4.75
			4.865	2.432	2.432
6.	राजस्थान	6. रणथम्बोर	20.00	17.50	17.50
		7. सरिस्का	14.00	12.00	12.00
7.	छत्तीसगढ़	8. इन्द्रवती	1.735	1.2175	1.2175
8.	उत्तर प्रदेश	9. दुधवा	18.00	11.00	11.00
9.	पश्चिम बंगाल	10. बक्सा	15.00	7.50	7.50
10.	अरुणाचल प्रदेश	11. पक्की	8.25	6.10	6.10
			110.97	75.7445	75.7445

[हिन्दी]

सूखाग्रस्त राज्य

54. **श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चालू वर्ष के दौरान विशेषकर मई 2005 के बाद राजस्थान और उड़ीसा के अनेक जिले भयंकर सूखे से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सूखे के परिणामस्वरूप कौन-कौन से जिले प्रभावित हुए हैं और वहां कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) मई 2005 से राजस्थान और उड़ीसा से सूखे के संबंध में कोई नई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून 2004 के दौरान कम वर्षा होने के कारण सूखे की स्थिति बनी रही। जुलाइ 2004 के बाद राजस्थान को निम्नलिखित सहायता दी गई।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से सहायता	216.79 करोड़ रुपये (जुलाई 2004 से मार्च 2005)	156.71 करोड़ रुपये (अप्रैल 2005 से जुलाई 2005)
राहत रोजगार के खाद्यान्न	6.99 लाख मीटरी टन (जुलाई 2004 से मार्च 2005)	5.00 लाख मीटरी टन (अप्रैल 2005 से जुलाई 2005)

* राज्य के आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) में उपलब्ध शेष के समायोजन की शर्त पर।

[अनुवाद]

एग्रो पार्क

55. **श्री रामकृपाल यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में समुचित अवसंरचना की अनुपलब्धता के कारण प्रति वर्ष 35-40 प्रतिशत कृषि उपज नष्ट हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय उपलब्ध एग्रो-पार्कों का राज्यवार ब्यौरा क्या है

(ग) क्या सरकार ने अब तक 45 एग्रो-पार्कों को स्वीकृति दे दी है जिनमें से 9 एग्रो-पार्क कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक एग्रो-पार्क के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) देश में कृषि उत्पाद की क्षति का आकलन करने के लिए सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली एक समिति ने नाशवान वस्तुओं के 25 से 30% तक के नुकसान की रिपोर्ट दी है।

(ख) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम.एफ.पी. एवं आई.) कृषि एवं बागवानी उत्पाद के प्रसंस्करण के संवर्धन हेतु फूड पार्कों की स्थापना के लिए एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। एम.एफ.पी.आई. द्वारा अभी तक 50 फूड पार्कों को मंजूरी मिली है जो प्रगति के विभिन्न स्तर पर है।

(ङ) फूड पार्कों के लिए दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	फूड पार्कों के स्थान	स्वीकृत अनुदान राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	कुप्पम, जिला चित्तूर	400.00
2.	असम	चायगांव, जिला कमरूप	350.00
3.	बिहार	हाजीपुर, जिला वैशाली	400.00
4.	छत्तीसगढ़	गांव टीडेसारा, जिला राजनंदगांव	400.00

1	2	3	4
5.	हरियाणा	सहा, जिला अंबाला	293.00
6.	हरियाणा	राई, जिला सोनीपत	400.00
7.	जम्मू और कश्मीर	खुनमोह, जिला श्रीनगर	400.00
8.	जम्मू और कश्मीर	सोपोर, बारामुला	400.00
9.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	346.00
10.	कर्नाटक	मलूर, जिला कोलार	400.00
11.	कर्नाटक	बगालकोट	400.00
12.	कर्नाटक	जेवारगी	400.00
13.	केरल	जिला मल्लापुरम	400.00
14.	केरल	अरूर, जिला अलांप्पुझा	299.00
15.	केरल	मझुवान्नुर, इरनाकुलम	200.00
16.	केरल	अदूर	388.00
17.	मध्य प्रदेश	जग्गाखेड़ी, जिला मंदसौर	381.83
18.	मध्य प्रदेश	निमरानी, जिला खरगोन	400.00
19.	मध्य प्रदेश	पिपारिया, बबाई, जिला होशंगाबाद	400.00
20.	मध्य प्रदेश	बोरगांव जिला छिंदवाड़ा	400.00
21.	मध्य प्रदेश	मलनपुर, घिरोंगी, जिला भिंड (म.प्र.)	400.00
22.	मध्य प्रदेश	मनेरी, जिला मंडला	400.00
23.	महाराष्ट्र	बुटीबोरी, जिला नागपुर	400.00
24.	महाराष्ट्र	विंचूर, जिला नासिक	400.00
25.	महाराष्ट्र	मोजा गुमथाला, भंडारा रोड, जिला नागपुर	400.00
26.	महाराष्ट्र	गांव सांगवी, जिला सितारा	400.00
27.	महाराष्ट्र	पालुस, जिला-सांगली	400.00

1	2	3	4
28.	महाराष्ट्र	लंफेलपट, इंफाल	400.00
29.	मणिपुर	जिला - उखरूल	400.00
30.	मणिपुर	छिंगाचिप	382.00
31.	उड़ीसा	खुरदा	400.00
32.	पंजाब	श्रीहिंद, जिला फतेहगढ साहिब	400.00
33.	राजस्थान	रनपुर, जिला कोटा	283.70
34.	राजस्थान	बोरनाडा, जिला- जोधपुर	387.77
35.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	227.89
36.	तमिलनाडु	विरुद्धनगर, जिला मदुरै	400.00
37.	तमिलनाडु	डिंडीगुल जिला	325.00
38.	त्रिपुरा	बोधजंगनगर, पश्चिम त्रिपुरा	400.00
39.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	395.00
40.	उत्तर प्रदेश	खरकियोन, जिला-बाराणसी	400.00
41.	उत्तर प्रदेश	शहजनवा, गोरखपुर	323.11
42.	उत्तर प्रदेश	गांव कुशलिपुर, जिला सहारनपुर	400.00
43.	उत्तर प्रदेश	कुरसी रोड, जिला बाराबंकी	400.00
44.	पश्चिम बंगाल	चंकगरिया 24 परगना (दक्षिण)	400.00
45.	पश्चिम बंगाल	डंकुनी, जिला हुगली	400.00
46.	पश्चिम बंगाल	हल्दिया जिला मदनापुर	400.00
47.	पश्चिम बंगाल	सुल्तानपुर, दक्षिण 24 परगना	200.28
48.	पश्चिम बंगाल	मालदा	387.00
49.	पश्चिम बंगाल	शंकरापुर, जिला पुरबा मेदिनीपुर	178.92
50.	पश्चिम बंगाल	संखरेल, हावड़ा	400.00

[हिन्दी]

सर्कस शो में पशुओं की सुरक्षा

56. **श्री राजेन्द्र कुमार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सर्कस शो में शेर, बाघ और अन्य पशुओं को पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन पशुओं को पूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) सर्कसों के जानवरों की समुचित सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है:–

(i) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या 9-9/1997-ए-डब्ल्यू दिनांक 14 अक्तूबर, 1998 के तहत जानवरों की पांच प्रजातियों अर्थात् शेर, बाघ, तेन्दुआ, बन्दर, भालू को करतब दिखाने वाले जानवर के रूप में प्रदर्शन और प्रशिक्षण हेतु प्रतिबन्धित कर दिया है। इस अधिसूचना के अनुसरण में वे सर्कस कम्पनियां, जिनके कब्जे में जानवरों की प्रतिबंधित प्रजातियां है, उन्हें यह निदेश दिया गया है कि वे बचाव केन्द्रों/जोनों के माध्यम से जानवरों के पुनर्वास के लिए उन्हें केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दें।

(ii) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने करतब दिखाने वाले जानवर (पंजीकरण) नियमावली, 2001 अधिसूचित की है जिसके अंतर्गत करतब दिखाने वाले किसी भी जानवर को प्रशिक्षित करने अथवा उसका प्रदर्शन करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तत्वावधान के अधीन एक स्वायत्त निकाय, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड में स्वयं को पंजीकृत करवाना लाज़िमी होगा।

(iii) सर्कस कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पशु चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित मासिक रिपोर्ट भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को भेजें।

(iv) जैसे ही कोई शिकायत मिलती है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नामित वन्यजीव विशेषज्ञों और पशु-चिकित्सकों द्वारा संबंधित सर्कस कंपनी का निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

अरुणाचल प्रदेश को चावल की पूर्ति

57. **श्री स्वदेश चक्रवर्ती :**
श्रीमती पी. सतीदेवी :
श्री समिक लाहिरी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में पूर्व कामंग जिले के हजारों व्यक्तियों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहां पर चावल की पूर्ति न कर पाने के कारण भुखमरी के खतरे का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय पर चावल की पूर्ति न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस जिले के लिए तत्काल चावल की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय खाद्य निगम अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामंग जिले को अपने भालुकपांग डिपो से और कभी-कभी अपने बिन्दुकुरी डिपो से खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

अक्वेरियमों का निर्माण

58. **डा. एम. जगन्नाथ : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मत्स्य उद्योग की विपुल संभावना का अभी भी दोहन नहीं किया जा सका है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को अक्वेरियमों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों विशेषकर आंध्र प्रदेश से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नकली बी.टी. कॉटन बीज

59. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जुलाई, 2005 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में देश में बेचे जा रहे नकली बी.टी. कॉटन बीजों के अवैध बिक्री के संबंध में प्रकाशित खबर की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान बी.टी. कॉटन के ऐसे नकली बीजों के कारण होने वाले इसके कम उत्पादन की वजह से किसानों को हो रही परेशानियों की ओर भी आकर्षित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/ किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) कुछ राज्यों विशेषकर आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में नकली बी.टी. कपास बीजों के उत्पादन और आपूर्ति की कुछ रिपोर्टें मिली हैं। भारत सरकार ने बी.टी. कपास उगाने वाले सभी राज्यों को वर्ष 2004 में सलाह दी थी कि अवैध बी.टी. कपास के उत्पादकों और विक्रेताओं के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के प्रावधानों के तहत आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई करें। विभाग ने बी.टी. कपास उगाने वाले राज्यों को वर्ष 2005 में पुन: निर्देश दिए हैं जिनमें इसने अपने पहले लिए गए निर्णय को दोहराया है और अवैध बी.टी. कपास बीजों से जुड़े सम्भावित खतरों के संबंध में जागरूकता अभियान के माध्यम से किसानों के बीच जागरूकता लाने का अनुरोध किया है।

आनुवांशिक इंजीनियरी स्वीकृति समिति (जी.ई.ए.सी.) ने भी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और बीज विधानों के प्रावधानों के अन्तर्गत नकली बी.टी. कपास बीजों के उत्पादकों, आपूर्तिकर्त्ताओं तथा विक्रेताओं के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करने की समय-समय पर सलाह दी है। इसके अलावा, केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर को बी.टी. जीन के होने/ न होने का पता लगाने के लिए संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया। बीज प्रमाणीकरण विभाग, तमिलनाडु द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार बीज प्रमाणीकरण निदेशालय, कोयम्बटूर में कपास बीज के परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है ताकि यह विश्लेषण किया जा सके कि क्या इसमें कोई अवैध बी.टी. जीन है अथवा नहीं। पंजाब, जहां खरीफ 2005 के दौरान खेती के लिए बी.टी. कपास की किस्में स्वीकृत की गई हैं, की सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने सभी फील्ड कर्मियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे किसी भी नकली बीज की जांच करें और उसकी बिक्री रोकें। उन्होंने इस मुद्दे पर किसानों को शिक्षित करने के लिए भी बड़े पैमाने पर अभियान चलाए हैं। गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि वे नकली बी.टी. कपास बीजों की बिक्री रोकने के लिए अपने गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के माध्यम से सभी एहतियाती उपाय कर रही है जिसमें सभी जिलाधीशों के लिए निर्देश और कृषक समुदाय के लिए एक विशाल जागरूकता कार्यक्रम शामिल है। अब तक जी.ई.ए.सी. द्वारा चार बीज कंपनियों की 22 बी.टी. कपास संकर किस्में वाणिज्यिक तौर पर निर्मुक्त की गई हैं और देश में कृषकों के जिले उपलब्ध हैं।

पश्चिम बंगाल में यूरिया और डीएपी उर्वरकों की कमी

60. **श्री रूपचन्द मुर्मू :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरकों की भारी मांग के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य द्वारा कितनी मात्रा में उर्वरकों की मांग की गई है तथा राज्य को कितनी मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल में गत दो वर्षों के दौरान यूरिया और डीएपी की मांग एवं उपलब्धता निम्नानुसार रही :

(मात्रा 000' मी.टन)

यूरिया

मौसम	मांग	उपलब्धता	बिक्री	शेष स्टॉक
खरीफ 2003	470.00	436.48	386.77	47.70
रबी 2003.04	630.00	656.69	603.62	53.80
खरीफ 2004	470.00	438.03	417.11	20.92
रबी 2004.05	680.00	696.19	665.70	30.49
डीएपी				
खरीफ 2003	150.00	141.68	88.99	52.69
रबी 2003.04	300.00	285.22	228.45	56.77
खरीफ 2004	141.00	137.92	102.81	35.11
रबी 2004.05	320.00	254.78	230.36	24.42

आयल पाम की खेती में सुधार

61. **श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अथवा आंध्र प्रदेश का विचार आयल पाम को उच्च उपज वाली बौनी किस्मों के जर्मप्लाज्म के विनिमय हेतु मलेशिया सरकार से बातचीत करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में मलेशिया सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये है;

(ग) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कार्यवाही कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस समझौते से आयल पाम की खेती में किस प्रकार से मदद मिलेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण

62. **श्री हरिसिंह चावड़ा** :
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस. पी.) इस प्रकार से निर्धारित करती है कि किसान यहां तक कि अपनी फसलों की उत्पादन लागत भी वापस पाने में असमर्थ हैं तथा ऋण की वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके पीछे तर्क क्या है;

(ग) न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने वाली समिति की कुल सदस्य संख्या में किसान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है तथा उनकी प्रतिशतता क्या है;

(घ) सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय किसानों को विश्वास में लेने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार को इससे क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.पी.एस.) की सिफारिश करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) द्वारा कपास अर्थव्यवस्था की समस्त संरचना के व्यापक दृष्टिकोण के अलावा उत्पादन लागत, बाजार मूल्यों के उतार-चढ़ाव,

आदान-उत्पादन सममूल्यता, मांग एवं आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के रुझान, आयात एवं निर्यात आदि पर भी समुचित ध्यान दिया जाता है।

(ग) आयोग की मौजूदा संरचना में अध्यक्ष, सदस्य (सरकारी), सदस्य (गैर-सरकारी) एवं सदस्य सचिव शामिल हैं। गैर-सरकारी सदस्य कृषक समुदाय के प्रतिनिधि हैं।

(घ) और (ङ) आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्यों के विचार निरूपण में किसानों सहित संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श किया जाता है। कपास के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने पर किसानों को अपने उत्पाद की मजबूरी में बिक्री से बचाने के लिए सरकार द्वारा भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.) तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) के माध्यम से मूल्य समर्थन प्रचालन आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2004-05 मौसम के दौरान मूल्य समर्थन प्रचालन के तहत भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.) द्वारा दिनांक 30.6.2005 तक कपास की 27.52 लाख गांठें (170 किलोग्राम की एक गांठ) तथा नेफेड द्वारा 1.07.2005 तक 0.39 लाख गांठें की खरीद की गयी।

[अनुवाद]

वन कानूनों की समीक्षा

63. **श्री गणेश सिंह :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री एम. शिवन्ना :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों से वन कानूनों की समीक्षा करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं क्योंकि ये कानून नक्सलवाद की समस्या से निपटने के रास्ते में बाधा डाल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) कुछ राज्यों ने नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों में छूट का अनुरोध किया है। भारत सरकार ने दिनांक 3.1.05 के आदेश और दिनांक 30.04.05 को जारी दिशा निर्देशों द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतग्रत स्कूलों, पेय जल, विद्युत और दूर संचार, विद्युत सब स्टेशन, संचार पोस्ट, लघु सिंचाई, अस्पतालों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत, पुलिस, स्थापना अरौर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के उन्नयन जैसी विकासीय और सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के निष्पादन के लिए सामान्य स्वीकृति प्रदान कर दी है।

अकाल संहिता की समीक्षा

64. **श्री लोनाप्पन नम्बाडन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकाल संहिता पुरानी पड़ गयी है तथा यह किसानों को राहत और पुनर्वास मुहैय्या कराने में नाकाफी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी परिस्थितियों से किसानों को बचाने हेतु उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अकाल संहिता की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) अकाल संहिता विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तैयार एवं कार्यान्वित की जाती है। अकाल (खाद्य की गम्भीर कमी) समाप्त होने के साथ ही राज्य सरकारें कमी या राहत मैनुअल को समय-समय पर अद्यतन बनाती हैं। केन्द्र सरकार अपनी ओर से आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से सहायता हेतु खर्च के मदों एवं मानकों में समय-समय पर परिवर्तन करती है ताकि सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को राहत दी जा सके।

जल की उपलब्धता

65. **श्री डी. पिट्टल राव :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता घट रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में देश के प्रत्येक जिले का सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी हां। देश की प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में वर्ष दर वर्ष कमी आती जा रही है।

(ख) प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में कमी आने का मुख्य कारण बढ़ती आबादी है।

(ग) जल की उपलब्धता का आकलन नदी बेसिन-वार किया गया है न कि जिला-वार।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता आबादी की बढ़ोतरी पर निर्भर करती है। तथापि उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग को देखते हुए जल संसाधन विकास और प्रबन्धन के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनेक उपाए किए जाते हैं जिसमें भंडारण का निर्माण, जल निकायों की पुनर्स्थापना, वर्षा जल संचयन, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और बेहतर प्रबन्धन प्रयास इत्यादि शामिल हैं।

उड़ीसा में अंतर्देशीय मत्स्यन का संवर्धन

66. **श्री परसुराम मांझी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अंतर्देशीय मत्स्यन के संवर्धन की व्यापक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि के विकास पर एक केंद्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है। योजना के अंतर्गत छः घटक है, नामतः, ताजा जल जलकृषि का विकास, खाराजल जलकृषि का विकास, शीतजल मात्स्यिकी का विकास, जल भराव क्षेत्र का विकास, जलकृषि तथा अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी (सहायक नदियां/नदियां आदि) के लिए क्षारीय/लवणीय मिट्टियों का सकारात्मक उपयोग। उपरोक्त योजना राज्य/केंद्र शासित सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत विकास कार्य संबंधी क्रियाकलापों के व्यय में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 75:25 के आधार पर हिस्सेदारी होती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, उपरोक्त योजना के तहत अंतर्देशीय मात्स्यिकी के विकास के लिए उड़ीसा की राज्य सरकार को केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में 435.21 लाख रुपए प्रदान किए गए।

सरिस्का पर सी.बी.आई. रिपोर्ट

67. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा सरिस्का पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा मार्च, 2005 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर अब तक क्या ठोस उपाय किए गए है;

(ख) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सिफारिशों पर की जा रही कार्रवाई की गति काफी धीमी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सरिस्का से संबंधित अपनी रिपोर्ट में की गई लघु और दीर्घ अवधि की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

लघु अवधि

सिफारिश	की गई कार्रवाई
1	2
• सरिस्का से संबंधित अपराधों की छानबीन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया जाना	• पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुरोध पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राजस्थान द्वारा अनुमति प्रदान की गई
• पिंजड़ों की व्यापक खोज	• अत्याधिक चौकसी के आदेश जारी
• चेतावनी जारी करना	• वर्षाकाल सुरक्षा पर निदेश जारी किए गए
• स्थानीय पुलिस को सुग्राही बनाना	• स्टाक अवसंरचना, अग्नि शस्त्रों का पंजीकरण, स्थानीय पुलिस को सुग्राही बनाना, पिंजड़ों की तलाशी पर निदेश जारी किए गए
• स्टाफ की कार्यभार रूपरेखा	• संचालन समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती निदेश जारी– – शिकार रोधी प्रयास – बफर जोर बनाना – राज्यों में समन्वय समितियों का गठन
• शिकार रोधी उपाय	• वर्षा काल के दौरान शिकाररोधी आपरेशनों के लिए 10 रिर्जवों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई।
• स्टाफ को उपस्कर और वर्दियों की आपूर्ति शिकार रोधी दस्तों का गठन	• उपस्करों, वर्दियों की आपूर्ति के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई चल रही है।
लम्बी अवधि	
• प्रशासनिक ढाचे में सुधार	• राज्यों से अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गवा है
• नियमित कर्मियों को बढ़ाना	• भारतीय वन्यजीव संस्थान ने बाघ स्थिति पर पारिस्थितिकीय अध्ययन किया है और निम्न सिफारिशें की है- – प्रजातियां रिकवरी योजना – ग्राम पुर्नवास
• बाघ परियोजना दिशा निदेशों के अनुसार पर्यटकों के आने और यातायात पर नियंत्रण करना	• बाघ परियोजना निदेशालय द्वारा निर्धारित मासिक बाघ प्रमाण मानीटरिंग फार्मेट

1	2
• बायपास मार्ग पर प्रयोग	• भारतीय वन्यजीव संस्थान से सूचनाएं प्राप्त करके बाघ परियोजना निदेशालय द्वारा तैयार अखिल भारतीय बाघ/वास स्थल प्रमाण मानीटरिंग प्रोटोकॉल
• ग्रामों का पुर्नवास	
• वैज्ञानिक मानीटरिंग प्रोटोकॉल और डाटा के मूल्यांकन का कार्यान्वयन	

[हिन्दी]

ऋण माफी

68. **श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल :**
श्री अवतार सिंह भड़ाना :
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान सहित अन्य सूखा प्रभावित राज्यों हेतु किसानों द्वारा लिए गए ऋण अथवा उसका ब्याज माफ करने तथा कल्याण योजना के संबंध में कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार द्वारा दिनांक 18 जून, 2004 को की गयी घोषणा, जिसमें अन्य बातों के अलावा राजस्थान सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों में किसानों को ऋण संबंधी राहत उपायों का उल्लेख है, के अनुसरण में बैंकों को निम्नलिखित परामर्श दिया गया है:–

(अ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.)/राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत ऋण पुन: संरचना:–

विपत्तिग्रस्त किसान : राज्य सरकार द्वारा "आपदा प्रभावित" घोषित जिलों में दिनांक 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार किसानों पर बकाया ऋण की भुगतान अवधि का पुन: निर्धारण/ पुन: संरचना। भुगतान अवधि का पुन: निर्धारण करने के बाद ऋण की अदायगी दो वर्ष के प्रारम्भिक स्थगन काल सहित मौजूदा ब्याज दर पर पांच वर्ष की अवधि में की जाएगी।

बकायादार किसान : ऋण के मामलें मं चूककर्त्ता किसानों, जिने ऋण अवमानक अथवा संदिग्ध घोषित कर दिए जाने के कारण वे नये ऋण प्राप्त करने के लिए अपात्र हो गए हैं, के ऋण की अवधि का पुन: निर्धारण दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, ताकि वे नये ऋण प्राप्त करने के पात्र हो सकें।

(ब) जिन छोटे तथा सीमान्त किसानों को चूककर्त्ता (डिफाल्टर) घोषित किया गया है और वे नया ऋण लेने के योग्य नहीं हैं, उनके ब्याज अथवा ऋण को आंशिक रूप से माफ करते हुए एकबारगी निपटान (ओ.टी.एस.) का अवसर देने हेतु बैंकों को परामर्श दिया गया है। बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि वे ऐसे मामलों की समीक्षा करें, जिन्हें ऋण से केवल इसी आधार पर वंचित किया गया कि ऋण खाते का निपटान समझौते के आधार पर किया गया अथवा ऋण माफ कर दिया गया।

(स) छेश के कुछ भागों में किसान गैर संस्थागत ऋणदाताओं (उदाहरणार्थ साहूकारों) के ऋण के बोझ में दबे होने के कारण अत्यंत व्यथित होते हैं। ऐसे किसानों को ऋणग्रस्तता से राहत देने के लिए उन्हें ऋण देने हेतु बैंकों को अनुमति दी गयी है।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे फसल ऋणों के लिए 50,000/- रुपये की सीमा तक कृषि ऋण की ब्याज दर एक अंक में लाकर 9% प्रति वर्ष से अधिक न रखें। इस ब्याज दर से फसल ऋण वाले अधिकांश खाताधारी लाभान्वित होंगे और लगभग सभी छोटे व सीमान्त किसान भी इसमें कवर हो जाएंगे।

3. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार के परामर्श से स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:—

I. प्राकृतिक आपदाओं के मामले में बार-बार फसल चौपट होने/फसलों को हुए नुकसान के स्वरूप के अनुसार ऋण का 3 से 9 वर्ष की अवधि के लिए परिवर्तन (कन्वर्शन)/अवधि का पुन: निर्धारण।

II. प्रभावित किसानों को नये फसल ऋण देना।

III. मौजूदा ऋण के मूलधन व देय ब्याज का परिवर्तन (कन्वर्शन)।

IV. उपभोग ऋण देना।

V. परिवर्तित/पुन: निर्धारित ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज प्रभारित न करना।

VI. चूक (डिफाल्ट) के मामले में वर्तमान बकाया राशि पर दण्डस्वरूप ब्याज प्रभारित न करना।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

शिकार की वजह से बाघों/हिरणों की संख्या में गिरावट

69. **श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिकार की वजह से बाघों और हिरणों की संख्या में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान अब तक उन वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां से शिकार के मामले सामने आए हैं तथा इन क्षेत्रों में कितने वन्य जीवों का शिकार किया गया है जिन में एफ आई आर दर्ज की गई है; और

(घ) वन्य जीवों के शिकार के मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) बाघों, चीतों और अन्य वन्य जीवों के अवैध शिकार के बारे में राज्यों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में है।

(ख) से (घ) मामलावार विवरण और अपराध के कारक तत्वों और प्रत्येक राज्य द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण भारत सरकार स्तर पर एकत्र नहीं किया जाता है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष	बाघ	शेष	हाथी	चीता	गैंडा	मयूर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2001	1	—	—	—	—	—
		2002	—	—	—	1	—	—
		2003	—		—		—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2004	–		–			
		कुल	1			1		
2.	अरुणाचल प्रदेश	2001	–	–	–	–	–	–
		2002	–	–	–	–	–	–
		2003	–		–			
		2004	–		–			
		कुल			0			
3.	असम	2001	–	–	–	–	10	–
		2002	–	–	–	–	5	–
		2003	–		1		6	
		2004	–		–		1	
		कुल	0		1	0	22	
4.	बिहार	2001	–	–	–	–	–	–
		2002	–	–	–	–	–	–
		2003	–					
		2004	–					
		कुल						
5.	दिल्ली	2001	–	–	–	6	–	–
		2002	–	–	–	–	–	–
		2003	–		–			
		2004	–		–			
		कुल				6		
6.	छत्तीसगढ़	2001	–	–	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2002	–	–	–	–	–	–
		2003	–		–			
		2004	–		–			
		कुल						1
7.	गोवा	2001	–	–	–	–	–	–
		2002	–	–	–	–	–	–
		2003	–		–			
		2004	–		–			
		कुल						
8.	गुजरात	2001	–	2	–	–	–	6
		2002	–	–	–	–	–	5
		2003	–	1	–			
		2004	–	–	–			
		कुल		3		0		11
9.	हिमाचल प्रदेश	2001	–	–	–	7	–	–
		2002	–	–	–	–	–	–
		2003	–		–			
		2004	–		–			
		कुल				7		
10.	झारखंड	2001	–	–	2	–	–	–
		2002	–	–	1	–	–	–
		2003	–					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2004	–					
		कुल			3			
11.	कर्नाटक	2001	–	–	12	–	–	–
		2002	–	–	3	–	–	–
		2003	–		5			
		2004	–		6			
		कुल			26			
12.	केरल	2001	3	–	5	–	–	–
		2002	–	–	5	–	–	–
		2003	–		2			
		2004	–		3			
		कुल	3		15			
13.	मध्य प्रदेश	2001	4	–	–	2	–	6
		2002	–	–	–	–	–	–
		2003	–		–			
		2004	1		–			
		कुल	5			2		6
14.	महाराष्ट्र	2001	17	–	–	6	–	3
		2002	3	–	–	1	–	–
		2003	–		–			
		2004	–		–			
		कुल	20			7		3
15.	मेघालय	2001	–	–	2	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2002	—	—	—	—	—	—
		2003	—		—			
		2004	—		—			
		कुल			2			
16.	मिजोरम	2001	—	—	—	—	—	—
		2002	—	—	1	—	—	—
		2003	—		2			
		2004	—		—			
		कुल			3			
17.	उड़ीसा	2001	—	—	7	—	—	—
		2002	—	—	2	—	—	—
		2003	—		6			
		2004	—		7			
		कुल	0		22			
18.	पंजाब	2001	—	—	—	—	—	—
		2002	—	—	—	—	—	—
		2003	—		—			
		2004	—		—			
		कुल				0		
19.	राजस्थान	2001	—	—	—	2	—	—
		2002	1	—	—	2	—	—
		2003	—		—			
		2004	—		—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		कुल	1			4		
20.	तमिलनाडु	2001	—	—	5	26	—	3
		2002	—	—	3	1	—	—
		2003	—		5			
		2004	—		1			
		कुल	0		14	27		3
21.	उत्तर प्रदेश	2001	20	—	1	28	—	2
		2002	1	—	—	—	—	1
		2003	—		1			
		2004	—		—			
		कुल	21		2	28		3
22.	उत्तरांचल	2001	—	—	2	6	—	—
		2002	—	—	—	4	—	—
		2003	—		—			
		2004	—		—			
		कुल			2	10		
23.	पश्चिम बंगाल	2001	2	—	7	3	1	—
		2002	—	—	—	1	—	—
		2003	—		3			
		2004	—		2			
		कुल	2		12	4	1	
	कुल योग		53	3	102	96	23	27

[अनुवाद]

मंगलौर मत्स्य-ग्रहण बंदरगाह

70. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि केन्द्र सरकार ने मंगलौर मत्स्य-ग्रहण बंदरगाह चरण-2 के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 144.67 लाख रुपए का प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। संघ सरकार ने केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार के मंगलौर मत्स्यन बंदरगाह के चरण-2 को 75.00 लाख रुपए की लागत के प्रस्ताव को सितम्बर, 1997 में स्वीकृति प्रदान की थी। राज्य सरकार को परियोजना लागत के 50% की केंद्रीय सहायता दो किस्तों, 30.00 लाख रुपए की पहली किस्त 30 जुलाई, 2000 में तथा 7.50 लाख रुपए की दूसरी किस्त जून, 2003 में दी गई।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत 144.67 लाख रुपए के संशोधित लागत प्राक्कलन के प्रस्ताव के संबंध में, अगस्त, 2004 में राज्य सरकार से स्वीकृत परियोजना में फेरबदल तथा परियोजना के समय पर पूरा करने की निश्चित अवधि के साथ अतिरिक्त मदों के शामिल किए जाने के संबंध में पर्याप्त औचित्य बताने का अनुरोध किया गया था।

[हिन्दी]

पेट्रोल के साथ नाफ्था मिलाया जाना

71. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को पेट्रोल के साथ नाफ्था मिलाये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या नाफ्था मिश्रित पेट्रोल का धुंआ पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है; और

(घ) यदि हां, तो नाफ्था मिश्रित धुंए से क्या-क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं तथा सरकार द्वारा इस मिलावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। ईंधनों के साथ नाफ्था और अन्य ज्वलनशील पदार्थों के अपमिश्रण के कुछ मामले सूचित किए गए हैं।

(ग) ईंधन अपमिश्रण से वाहन की निकास नली में हानिकारक प्रदूषकों के उत्सर्जनों में वृद्धि होती है जिनमें बेंजीन और पोली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन (पी ए एच) और विवक्त पदार्थ (पी एम) जैसे हाइड्रोकार्बन शामिल होते है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं।

(घ) अपमिश्रण को रोकने के लिए सरकार ने विशेष सतर्कता अभियानों के साथ-साथ खुदरा दुकानों का अकस्मात निरीक्षण, उद्योग दलों द्वारा खुदरा दुकानों का संयुक्त निरीक्षण और गश्ती प्रयोगशालाओं द्वारा अकस्मात निरीक्षण करना शुरू किया है। ईंधन की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर जांच और सघनता जांच शुरू की गई है, सार्वजनिक डिपो में आपूर्ति हेतु मिट्टी के तेल की फरफ्यूरल डोपिंग तथा मिट्टी के तेल को नीला रंगने की प्रक्रिया भी आरंभ की गई है।

जनजातीय लोगों को जबर्दस्ती बाहर निकालने का विचार

72. श्री महेश कनोडीया :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाघों को बचाने के बहाने जनजातीय लोगों को वनों से जबर्दस्ती बाहर निकालने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या बाघों का अवैध शिकार करने के मामले में कभी किसी जनजातीय व्यक्ति का नाम आया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत सरकार स्तर पर ऐसी कोई सूचना एकत्रित नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वदेशी पर्यटकों का विदेश भ्रमण

73. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री ए.के. मूर्ति :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् विदेश भ्रमण पर गए पर्यटकों की संख्या कितनी है और पूर्व की सदृश अवधि के दृष्टिगत इस संबंध में अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी धनराशि देश से बाहर गई; और

(ग) सरकार द्वारा भारत के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने हेतु पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) आप्रवासन ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2003 के दौरान 53 लाख की तुलना में वर्ष 2004 के दौरान लगभग 62 लाख भारतीय पर्यटक विदेश भ्रमण पर गए।

(ख) भारत की यात्रा अदायगी पर आंकड़ों का संकलन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान भारत की यात्रा अदायगी क्रमश: 3511 मिलियन अमेरिकी डालर और 5526 मिलियन अमेरिकी डालर थी।

(ग) भारतीय मंतव्यों का भ्रमण करने के लिए सरकार द्वारा पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे:

- महत्वपूर्ण गंतव्यों/परिपथों में पर्यटन अवसंरचना का सुधार करना;
- होटल अवसंरचना विशेषतया बजट होटलों की वृद्धि पर ध्यान देना;
- प्रमुख पर्यटक आकर्षणों के लिए एयर क्षमता में वृद्धि करने और सड़क अवसंरचना में सुधार करने के माध्यम से सम्पर्क बेहतर करना;
- "इन्क्रेडिबल इंडिया" अभियान द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच स्थापित करना;
- विश्व स्तर की प्रचार सामग्री का सृजन करना;
- केन्द्रीयकृत इलेक्ट्रानिक मीडिया अभियान;
- विदेशों में टूअर ऑपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष सहकारी मार्केटिंग करना;
- व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना;
- सम्पादकीय जनसम्पर्क तथा प्रचार को अधिकतम करना;
- इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना;
- पर्यटन संबंधी प्रकाशनों का सृजन करना; और
- विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों और टूअर ऑपरेटरों को भारत की सुपरिचितिकरण यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए आतिथ्य कार्यक्रम को पुन: प्रवर्तित करना, जिसमें एयर पैसेज प्रदान करना भी शामिल होगा।

वन भूमि को जनजातीय लोगों को सौंपा जाना

74. श्री सर्वानन्द सोनोवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों और वनों के किनारे बसे गांवों में निर्माण कार्य करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्यालय, अस्पताल, वर्षा जल संचयन ढ़ांचों, विद्युत लाइन और संचार लाइन, विद्युत उप केन्द्र इत्यादि के निर्माण को स्वीकृति दी है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत कितने राज्यों को शामिल किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ निजी एजेंसियों को आमंत्रित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (घ) पर्यावरणी चिन्ताओं पर समझौता न करते हुए आदिवासियों और वनवासियों को मूलभूत और आवश्यक विकासात्मक सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया करा कर उनके विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने 3.1.2005 को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत सभी राज्य/संघ शासित सरकारों के सरकारी विभागों को वन भूमि के वनेतर उपयोग का सामान्य अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसमें विद्यालयों, औषधालयों/हस्पतालों, विद्युत एवं संचार लाइनों, पेयजल, जल/वर्षा जल संचय ढ़ांचों, लघु सिंचाई नहरों, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों, कौशल बढ़ना/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, विद्युत सब स्टेशनों, संचार पोस्टो और पोलिस स्थापनाओं अर्थात पोलीस टेशनों/आऊट पोस्टो/ सीमा आऊटपोस्टो, वाच टावरों पर कुछ शर्तें लगाई गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

निर्धन परिवारों हेतु खाद्यान्न

75. **श्री रनेन बर्मन :**
श्री जोयाकिम बखला :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल, दिल्ली तथा पूर्वोत्तर राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों की कुल संख्या का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त परिवारों को खाद्यान्न किस दर पर मुहैया कराए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इन परिवारों को मुहैया कराए जा रहे खाद्यान्नों का मूल्य और भी कम करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, जिन्हें मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अधीन सहायता प्रदान की जा सकती है, की पहचान करने की दृष्टि से प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के आरंभ में राज्य सरकारों के जरिये ग्रामीण विकास मंत्रालय दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना कराता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मंत्रालय ने गरीबी रेखा से नीचे की 2002 की जनगणना करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तथापि, इसी बीच पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज, नई दिल्ली ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका संख्या 196/2001 दायर की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 5 मई, 2003 के आदेश में भारत संघ को निदेश दिया था कि राज्य सरकारों पर गरीबी रेखा से नीचे की मौजूदा सूची में से किसी भी व्यक्ति का नाम काटने पर जोर न दिया जाये। इस प्रकार गरीबी रेखा से नीचे की 2002 की जनगणना के परिणामों को किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है। दिल्ली के बारे में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग ने अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए एक सर्वेक्षण किया था।

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए आवंटित किए जा रहे चावल और गेहूं के वर्तमान केन्द्रीय निर्गम मूल्य 1.7.2002 से क्रमशः 565/- रुपये प्रति क्विंटल और 415/- रुपये प्रति क्विंटल हैं। उचित दर दुकानों के जरिये वितरण करने के लिए खाद्यान्नों के खुदरा निर्गम मूल्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो राज्य-दर-राज्य भिन्न-भिन्न होते हैं।

(ङ) और (च) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि लागत एवं मूल्य संबंधी आयोग की भूमिका

76. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री वी.के. थुम्मर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि लागत एवं मूल्यों संबंधी आयोग की खाद्यान्न का मूल्य निर्धारित करने में क्या भूमिका है;

(ख) कृषि उक्त आयोग समुचित ढंग से कार्य कर रहा है;

(ग) क्या सरकार उक्त आयोग की सिफारिशों की अनदेखी कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) मूल्य नीति के संबंध में सलाह देने के कार्य से संबंधित एक विशेष निकाय कृषि लागत तथा मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) खाद्यान्नों सहित कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करता है जिसमें इन बातों का ध्यान रखा जाता है:- (i) उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए और मुख्यतया राष्ट्रीय मांग के संदर्भ में एक उत्पादन प्रतिमान विकसित करने के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहन प्रदान करने की जरूरत; (ii) भूमि, जल तथा अन्य उत्पादन संसाधनों की संगत उपयोगिता सुनिश्चित करने की जरूरत; (iii) शेष अर्थव्यवस्था विशेषरूप से रहन-सहन की लागत, मजदूरी के स्तर, औद्योगिक लागत संरचना आदि पर मूल्य नीति का संभावित प्रभाव।

किसी विशेष जिन्स की अर्थव्यवस्था की समूची संरचना का एक व्यापक पर्यावलोकन करने के अलावा, सी.ए.सी.पी. मूल्य नीति संबंधी सिफारिशें तैयार करते समय उत्पादन की लागत, आदान लागतों में परिवर्तनों, आदान/उत्पादन मूल्य साम्यता, बाजार मूल्यों में रुख, मांग तथा आपूर्ति की स्थिति, अन्तर-फसल मूल्य साम्यता, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, रहन-सहन की लागत पर प्रभाव, अन्तरराष्ट्रीय बाजार मूल्य की स्थिति, किसानों द्वारा भुगतान किए गए मूल्यों और उनको प्राप्त मूल्यों के बीच साम्यता (व्यापार की शर्तें) पर विचार करता है। इसके अलावा, यह आयोग किसानों के साथ निकट से सम्पर्क करने के लिए देश के विभिन्न भागों में फील्ड दौरे भी करता है।

(ग) और (घ) कुल मिलाकर, सरकार थोड़ी बहुत फेरबदल के साथ इन सिफारिशों पर सहमति दे देती है। वर्ष 2001-02 से सी.ए.सी.पी. द्वारा संस्तुत और सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य दर्शाने वाला ब्यौरा एक विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ङ) और (च) सरकार प्रत्येक मौसम में प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) घोषित करती है और राज्य सरकारों द्वारा नामित अन्य एजेन्सियों के अलावा सार्वजनिक तथा सहकारी एजेन्सियों जैसे भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) भारतीय पटसन निगम (जे.सी.आई.) भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से खरीद प्रचालनों का आयोजन करती है। सरकार द्वारा निर्धारित एम.एस.पी. से नीचे मूल्य गिरने के मामलों में नामित केन्द्रीय नोडल एजेन्सियों को खरीद प्रचालन आरंभ करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ता है।

हाल ही के वर्षों में मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत कृषि जिंसों की बड़ी मात्रा में खरीद हुई है जो इस संबंध में सरकारी नीति की सफलता प्रदर्शित करती है। वर्ष 2002-03 से मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत सरकारी एजेन्सियों द्वारा की गई खरीदों का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

खाद्यान्नों के लिए सी.ए.सी.पी. द्वारा संस्तुत और सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य

(फसल वर्ष के अनुसार)

(रुपए प्रति क्विंटल)

जिन्स		2001-02	2002-03	विशेष सूखा राहत मूल्य	2003-04	2004-05	2005-06
1		2	3	4	5	6	7
धान सामान्य	सं.	520	530	20	550	560	560

1		2	3	4	5	6	7
	घो.	530	530	20	550	560	570
ग्रेड ए	सं.	550	560	20	580	590	600
	घो.	560	560	20	580	590	600
ज्वार	सं.	485	485	5	505	515	525
	घो.	485	485	5	505	515	525
बाजरा	सं.	485	485	10	505	515	525
	घो.	485	485	10	505	515	525
मक्का	सं.	485	485	5	505	525	540
	घो.	485	485	5	505	525	540
रागी	सं.	485	485	5	505	515	525
	घो.	485	485	5	505	515	525
गैहूं	सं.	620	620	10	630	640	
	घो.	620	620	10	630	640	
जौ	सं.	500	500	5	525	540	
	घो.	500	500	5	525	540	

सं.—संस्तुत

घो.—घोषित

विवरण–II

खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति

(लाख टन)

वर्ष	चावल (अक्तूबर-सितम्बर)	मोटे अनाज (अक्तूबर-सितम्बर)	गेहूं (अप्रैल-मार्च)
1	2	3	4
2002-03	164.11	0.60	190.25
2003-04	228.28	6.51	158.01
2004-05	232.48 (20.07.2005 तक)	8.27 (20.07.2005 तक)	167.96
2005-06			147.87 (20.07.2005 तक)

[अनुवाद]

नदियों की जल भंडारण की स्थिति

77. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री एस.पी.वाई. रेड्डी :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए देश की नदियों की जल भंडारण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या भंडारण स्तर लगातार कम हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) सिंचाई एवं विद्युत सहित अन्य विभिन्न उपयोगों के के लिए देश में जलाशयों की जल भण्डारण की वर्तमान क्षमता 213 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) आंकी गई है।

(ख) से (घ) जलाशयों में गाद जमा होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इससे जलाशय की सकल क्षमता में कमी आती है। हालांकि जलाशयों में अवसादनों के जमा होने के लिए आयोजना स्तर पर ही प्रावधान किए जाते हैं। अवसादनों का प्रवाह इस उद्देश्य के लिए निर्मित निष्क्रिय भण्डारण में जमा हो जाता है और इस प्रकार अवसादन के जमा होने से जलाशय की नियोजित आयु के दौरान परियोजना की क्षमता पर सामान्यत: प्रभाव नहीं पड़ता। भारत में जलाशयों के गाद जमने संबंधी अध्ययनों से यह पता चलता है कि जबकि कुछ मामलों में वास्तविक अवसादनों की दर, आयोजन के समय किए गए अनुमान से कुछ कम है, अन्य मामलों में यह अनुमान से अधिक है।

ईंटों के भट्टे में कार्य कर रहे बच्चे

78. श्री जे.एम. आरुन रशीद :
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में बच्चे ईंटों के भट्ठे में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईंटों के भट्ठे में कार्य करने से बच्चों के स्वास्थ्य को कोई खतरा है;

(घ) यदि हां, तो क्या बाल श्रम निरोधक अधिनियम के मद्देनजर बच्चों को इस प्रकार के कार्य में लगाना अवैध है;

(ङ) यदि हां, तो बाल श्रम के संबंध में मानवाधिकार आयोग तथा गैर-सरकारी संगठनों से राज्यवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) इन बच्चों को सामान्य जीवन प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) से (ग) देश में ईंट-भट्ठा सहित विभिन्न व्यवसायों में बाल श्रमिक पाए जाते हैं। तथापि, बाल श्रमिकों के व्यवसाय-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। ईंट-भट्ठा में कार्य की बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक जोखिमकारी व्यवसाय के रूप में पहचान की गयी है।

(घ) पहचान किये गये जोखिमकारी व्यवसायों में बच्चों को नियोजित करते पाये गये नियोजक, अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। अधिनियम में कम से कम तीन माह से एक वर्ष तक के कारावास अथवा कम से कम 10,000/- रुपये से 20,000/- रुपये तक के कारावास अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

(ङ) सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अधिनियम को कार्यान्वित करने हेतु समुचित प्राधिकरण राज्य सरकार है। जब कभी गैर-सरकारी संगठनों सहित विभिन्न स्रोतों से शिकायतें प्राप्त होती हैं, राज्य सरकार द्वारा उन पर कार्रवाई की जाती है।

(च) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम, ईंट-भट्ठा इकाइयों में लगे बाल श्रमिकों सहित बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए मुख्य स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत, जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित परियोजना समितियों को निधियां प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम में, बाल कामगारों के लिए विशेष

स्कूल चलाए जाते हैं ताकि उन्हें नियमित स्कूल शिक्षा व्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल करने से पूर्व ब्रिजिंग शिक्षा प्रदान की जा सके। विशेष स्कूलों/पुनर्वास केन्द्रों में रोजगार से हटाए गए बच्चों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है:-

- औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा
- व्यावसायिक प्रशिक्षण
- 5/- रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से अनुपूरक पोषणाहार
- रोजगार से हटाये गये बच्चों को 100/- रुपये प्रति माह की दर पर छात्रवृत्ति
- स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं।

[हिन्दी]

प्लास्टिक का उत्पादन

79. **डा. राकेश मिश्र : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या प्लास्टिक का उत्पादन और उपयोग पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्लास्टिक के थैले उपजाऊ भूमि को बंजर बना देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्लास्टिक के उत्पादन तथा उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) प्लास्टिक (पोलीमर) पैट्रोलियम उत्पाद हैं जिनमें हायड्रो कार्बन की एक लम्बी श्रृंखला होती है। यह रासायनिक रूप से अक्रिय या निष्क्रिय होते हैं और इनका प्रयोग अनेक उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है और इनका पुर्नचक्रण किया जा सकता है। प्लास्टिक अपने आप में हानिकारक नहीं है। केवल प्लास्टिक को अंधाधुंध इधर-उधर फैंकना और पर्यावरणीय प्रतिकूल पुर्नचक्रण प्रक्रिया पर्यावरण और स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का कारण हैं।

(ग) खाद्य पदार्थों के पैकेट बनाने में पुर्नचक्रण प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने और अपशिष्ट के उपयुक्त ढंग से इकट्ठा करने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने पुर्नचक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियमावली 1999 संशोधन 2003 निकाला है। इन नियमों के अनुसार खाद्य पदार्थों के भण्डारण, सामान ढोने, वितरण और पैकेट बनाने के लिए पुर्नचक्रित प्लास्टिक थैलों के प्रयोग पर प्रतिबंध है। साथ ही इन नियमों के अनुसार नए/पुर्नचक्रित प्लास्टिक से बने भार ढोने के 1×12 इंच से कम और मोटाई 20 माइक्रोन से कम आकार के थैलों के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण या विक्रय की मनाही है।

गन्ने का उत्पादन

80. **श्री दरोगा प्रसाद सरोज :**
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गन्ने का कुल कितना उत्पादन दर्ज किया गया तथा राज्यवार कितने भूमि क्षेत्र में इसकी खेती हो रही है;

(ख) औसत वैश्विक उपज की तुलना में देश में गन्ने की औसत उपज कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में गन्ने की गुणवत्ता तथा उत्पादन में सुधार हेतु कोई कार्यक्रम क्रियान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो गन्ने की उन्नत किस्मों के विकास हेतु अनुसंधान के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उत्तर प्रदेश में उक्त कार्यक्रम को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है तथा इस पर कितना खर्च आने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 हेतु गन्ने का कुल क्षेत्र और उत्पादन तथा राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) खाद्य एवं कृषि संगठन उत्पादन वर्ष पुस्तिका 2002 के अनुसार वर्ष 2002 में गन्ने की वैश्विक औसत उपज 65.8 मी टन

प्रति हैक्टेयर थी जो 68.0 मी. टन प्रति हैक्टेयर की अखिल भारतीय औसत उपज से थोड़ी ही कम थी।

(ग) गन्ने की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सहित 21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में वर्ष 1995-96 के दौरान गन्ना आधारित फसल प्रणाली के सतत् विकास से संबंधित एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सुबैक्स) शुरू की गई। इस स्कीम पर आने वाला खर्च भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच 90:10 आधार पर शेयर किया जाता है।

इस स्कीम में मुख्य रूप से खेतों पर प्रदर्शन, कृषक प्रशिक्षण, कृषि औजारों की आपूर्ति, बीज उत्पादन बढ़ाने तथा कृमि नियंत्रण उपायों के जरिए किसानों तक उन्नत प्रौद्योगिकी पहुंचाने पर जोर दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को (i) खेत पर प्रदर्शन, (ii) कृषक प्रशिक्षण, (iii) राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, (iv) औजार (क) बैल वाहित (ख) ट्रैक्टर चालित, (v) बीज बहुलीकरण, (vi) ताप उपचार संयंत्र, (vii) ड्रिप सिंचाई अवसंरचना और (viii) आकस्मिकता के लिए सहायता दी जाती है।

इसके अलावा, भारत सरकार फ्रंटलाईन प्रदर्शनों, राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण के आयोजन और प्रजनक बीज उत्पादन हेतु 100% वित्तीय सहायता देती है। ये घटक कृषि वैज्ञानिकों की भागीदारी से चलाए जाते हैं।

(घ) और (ङ) गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ और अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान परियोजना, जिसके केन्द्र देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में हैं, का मुख्य उद्देश्य अच्छी क्वालिटी के गन्ने की उन्नत किस्मों का विकास करना है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में वाणिज्यिक उत्पादन के लिए गन्ने की छह किस्में (श्यामा, रश्मि, जलपरी, रचना, सीओ पत 93227 तथा श्वेता) विकसित की गई हैं। उत्तर प्रदेश में खेती में खेती के लिए रश्मि, जलपरी, रचना और श्वेता जैसी किस्मों की सिफारिश की जाती है।

(च) उपर्युक्त सुबैक्स स्कीम पहले से ही उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा बृहत् कृषि प्रबंधन प्रणाली के लिए एकमुश्त निधियों का आवंटन और निर्मुक्ति की जाती है न कि एकल फसलों के लिए।

विवरण

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान गन्ने का राज्यवार क्षेत्र और उत्पादन

राज्य	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)			उत्पादन ('000 टन)		
	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	218.0	232.5	209.0	18082.0	15387.2	15070.0
अरुणाचल प्रदेश	1.0	0.8	0.7	18.9	15.3	15.2
असम	27.2	26.0	25.4	1011.4	916.0	981.4
बिहार	113.4	107.3	103.0	5211.1	4520.5	4222.0
छत्तीसगढ़	3.5	4.0	10.8	9.0	10.0	25.7
गुजरात	175.8	202.9	176.4	12464.6	14071.3	12669.1

1	2	3	4	5	6	7
गोवा	1.2	1.2	1.2	70.6	65.5	57.6
हरियाणा	161.0	189.0	161.0	9270.0	10650.0	9340.0
हिमाचल प्रदेश	3.0	2.9	3.0	82.7	49.1	50.0
जम्मू एवं कश्मीर	0.1	0.2	0.1	0.0	0.6	1.4
झारखण्ड	3.8	4.1	4.0	144.9	140.6	136.0
कर्नाटक	407.0	382.7	237.0	33016.6	32485.3	15800.0
केरल	3.3	3.8	3.4	269.8	312.8	286.5
मध्य प्रदेश	41.6	39.2	51.7	1616.0	1563.0	2176.0
महाराष्ट्र	578.0	573.0	526.0	45140.0	42617.0	26982.0
मणिपुर	0.7	0.7	0.3	21.2	20.6	22.0
मेघालय	1.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
मिजोरम	1.4	1.4	1.4	9.4	7.4	3.6
नागालैंड	1.0	2.0	1.1	50.0	80.0	52.6
उड़ीसा	11.0	14.2	14.6	644.0	753.2	858.1
पंजाब	142.0	154.0	123.0	9250.0	9290.0	6620.0
राजस्थान	9.1	10.0	5.8	432.2	421.7	309.4
तमिलनाडु	321.0	261.4	185.3	32620.0	24165.4	19713.6
त्रिपुरा	1.0	1.2	1.1	52.7	56.2	47.5
उत्तर प्रदेश	2035.0	2149.0	2030.1	117982.0	120948.0	112754.0
उत्तरांचल	125.9	134.4	128.0	7555.3	7331.7	7651.0
पश्चिम बंगाल	23.3	19.5	16.9	1983.4	1281.3	1252.6
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.1	0.5	0.3	2.4	13.8	2.9

1	2	3	4	5	6	7
पांडिचेरी	2.1	2.3	2.4	197.4	209.5	207.4
अखिल भारत	4411.6	4520.3	4023.1	297207.8	287383.2	237307.8

महाराष्ट्र में प्रदूषण नियंत्रण

81. **श्री देविदास पिंगले :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करने के नाम पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्यों में करोड़ों रुपए का गबन किया गया;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा किए गए विभिन्न उपशमन उपायों के कारण सक्षम वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा यथानिर्धारित पर्यावरणीय गुणता में स्पष्ट सुधार के साथ देश में बढ़ते हुए प्रदूषण की प्रवृत्ति को रोका गया है। इस संबंध में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) नगर ठोस अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन हेतु स्थानीय निकायों को राजी करना;

(ii) खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु साझा सुविधाओं की स्थापना सहित राज्य में खतरनाक अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करना;

(iii) 7000 स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाओं को प्राधिकृत करना और जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 22 साझा सुविधाएं विकसित करना;

(iv) विभिन्न शहरों में 23 वायु गुणता मानीटरी केन्द्रों की स्थापना करना; और

(v) स्वीकृति प्रबंधन हेतु शीघ्र कार्रवाई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान के वन क्षेत्रों में चल रही खानें

82. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :**
श्री प्रह्लाद जोशी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान तथा अन्य राज्यों के वन क्षेत्र में कितनी खानें चल रही हैं;

(ख) क्या वन क्षेत्रों में चल रही खानों को बंद करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो कब से; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) देश भर में वर्ष 1980 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत वन भूमि पर चल रही 1194 खानों को वानिकी मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें से 218 खाने राजस्थान राज्य से संबंधित है।

(ख) खनन एक आर्थिक कार्यकलाप है और यह राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में सहयोग प्रदान करता है। यह भी सही है कि अधिकतर

खानें वन क्षेत्रों में स्थित हैं। इसलिए विकास और संरक्षण के बीच तर्कसंगत अनुपात बनाए रखने के लिए कच्चे लोहे/खनिजों वाली राष्ट्रीय महत्व की खानों की कठोर शर्तों और उपयुक्त अवशमन उपायों जैसे प्रतिपूरक वनीकरण, बचाव क्षेत्र बनाना, अधिक भार भरण स्थिरीकरण, खनिज निकाले गए क्षेत्रों का पुनरुद्धार आदि के साथ वन भूमि पर अनुमति है। इन अवशमन उपायों का अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना लागत पर सुनिश्चित किया जाना है। अत: वन क्षेत्रों में खनन की अनुमति कड़ी जांच और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बाद दी जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मछली-पालन

83. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय जलचर-पालक को जलचर-पालन के विस्तार तथा मछली-पालन के कार्य के लिए प्रसिद्ध वर्ल्ड फूड पुरस्कार प्रदान किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जलचर-पालक द्वारा मछली-पालन की विकसित अनूठी प्रणाली को हमारे जलचर-पालन करने वाले किसानों के अनुप्रयोग तथा लाभ के लिए उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। डा. मोदादुगु वी. गुप्ता को जलकृषि के विस्तार तथा मछली पालन के संबंधी उनके कार्यों के लिए उन्हें 2005 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। डा. गुप्ता ने हाल ही में हुई अपनी सेवानिवृत्ति तक पैनांग, मलेशिया स्थिति विश्व मछली केन्द्र में सहायक महानिदेशक के रूप में काम किया है। यह बताया गया है कि उन्होंने आर्थिक रूप से व्यवहार्य कम आदान वाली जलकृषि प्रौद्योगिकी विकसित की है।

(ग) और (घ) उल्लिखित प्रौद्योगिकी भारत में 1970 के दशक में आई सी ए आर द्वारा मिश्रित मछली पालन संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत भी विकसित की गई थी। उपरोक्त अनुसंधान परियोजनाएं राज्य सरकारों के सहयोग से देश के काफी राज्यों में चलाई जाती हैं। देश में उपरोक्त प्रौद्योगिकी मत्स्य पालक विकास एजेंसियों (एफ एफ डी ए) के जरिए राज्यों में चलाए जा रहे ताजा जल जलकृषि के विकास संबंध चालू कार्यक्रम के तहत अपनाई गई है। इसके परिणामस्वरूप मछली पालन में औसत तालाब उत्पादकता जो 1970 के शुरू में 0.5 टन/हैक्टेयर थी, वह बढ़कर मौजूदा समय में 2.3 टन/हैक्टेयर/वर्ष हो गई है। उपरोक्त प्रौद्योगिकी को अपनाने से देश में अंतर्देशीय मछली उत्पादन जो 1983-84 में 9.87 लाख टन था, वह बढ़कर 2003-04 में 34.57 लाख टन हो गया है।

भेषज क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहन

84. **श्री सुरेश कुरूप :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेषज क्षेत्र से निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार के और अधिक निर्यात के प्रोत्साहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधों, भेषजों एवं अच्छे रसायनों का आयात निम्नानुसार रहा:-

2002-03	12837.89 करोड़
2003-04	15216.24 करोड़
2004-05	16681.14 करोड़

(ग) सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यात संवर्धन हेतु विभिन्न उपाय किए जाते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं;

1. निर्यात संबंधी आधारभूत सुविधाओं तथा संबद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए राज्यों को सहायता। (एएसआईडीई)
2. बाजार पहुंच पहल (एमएआई)।

3. व्यापार विकास सहायता (एमडीए)।

4. व्यापार से संबंधित मामलों पर होने वाले व्यय को पूरा करना।

5. निर्यात की दृष्टि से उत्कृष्ट शहरों का पुनर्गठन करना और निर्यातकों को सहायता प्रदान करना।

6. ब्रांड संवर्धन तथा गुणवत्ता।

7. परीक्षण गृहों का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन।

भारतीय निर्यात को समय-समय पर घोषित निर्यात-आयात नीतियों के माध्यम से सुकर बनाया जाता है।

भारत सरकार, अखिल भारतीय निर्यातकों (भारतीय निर्यातों को बढ़ाने के लिए औषधों, भेषजों और फाइन रसायनों के निर्यातकों सहित) को बाजार विकास सहायता स्कीम तथा बाजार पहुंच पहल स्कीम के रूप में निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

बाजार पहुंच पहल कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने प्रति उत्पाद 5 लाख रुपए मूल्य के साथ एक वर्ष में पांच उत्पादों के लिए पंजीकरण शुल्क के 50% वापसी के लिए विशिष्ट सुविधा प्रदान की है।

अनुबंध कृषि प्रणाली

85. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री सुव्रत बोस :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कतिपय राज्यों में चल रही अनुबंध कृषि प्रणाली की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इस प्रणाली को अपनाया है तथा इन राज्यों में अनुबंध प्रणाली की प्रकृति किस प्रकार की है;

(ग) क्या बहुत से मामलों में अनुबंध प्रमोटर कंपनियों के पक्ष में होते हैं तथा वे फसल उगाने वाले किसानों के साथ फसल खराब होने में भागीदार भी नहीं बनना चाहते, चाहे वह उन्हें प्रदान किए गए खराब बीजों अथवा प्रौद्योगिकी के कारण ही हो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अनुबंध कृषि प्रणाली अपनाने के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है; और

(ङ) अनुबंध कृषि करने वाले किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) देश के विभिन्न भागों में वाणिज्यिक फसलों जैसे गन्ना, कपास, चाय, कॉफी आदि के लिए अनुबंध कृषि प्रचलित रही है। तथापि आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप हाल ही में यह कृषि और महत्वपूर्ण हो गयी है। अनुबंध कृषि की मुख्य विशेषता है कि किसान व्यापार अथवा प्रसंस्करण के काम में लगी एजेन्सी के साथ बाइबैक समझौते के अंतर्गत चयनित फसलें उगाते हैं।

(ख) मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु तथा नागालैंड राज्यों ने राज्य कृषि उत्पाद विपणन विनियमन अधिनियम (एपीएमसी अधिनियम) के अंतर्गत अनुबंध कृषि के लिए प्रावधान करके अनुबंध कृषि को विधायी समर्थन प्रदान किया है। अनुबंध कृषि की प्रकृति फसल, खरीद करने वाली कंपनी के उद्देश्य और संसाधनों तथा किसानों के अनुभव पर निर्भर करती है। ये समझौते विशिष्टीकृत मूल्य पर फसल की बिक्री के लिए फर्म और उत्पादक को बंधनकारी कटाई-पूर्व समझौते की प्रकृति के हो सकते हैं। इस समझौते को क्रेता द्वारा विपणन समझौते के बदले फसल आदानों, विस्तार अथवा ऋण की आपूर्ति की भी आवश्यकता होगी।

(ग) से (ङ) भारत में छोटे किसानों के पास सामान्यतया पूंजी नहीं है तथा वे भूमि सुधार तथा आधुनिक आदानों में बड़े निवेश नहीं कर सकते हैं। अनुबंध कृषि किसानों को गुणवत्ताप्रद आदानों, तकनीकी मार्गदर्शन तथा प्रबंधन का ज्ञान प्रदान करके तथा सबसे महत्वपूर्ण यह कि उनको आश्वस्त और लाभप्रद मण्डियों से जोड़कर इस कमी को दूर कर सकती है। उपर्युक्त को देखते हुए सरकार द्वारा अनुबंध कृषि व्यवस्थाओं को कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार के उपाय के रूप में सहायता दी जाती है। ऐसा करते हुए सरकार ने अविश्वसनीय और फर्जी कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए प्रायोजक कंपनियों के पंजीकरण हेतु व्यवस्था का सुझाव देकर तथा अनुबंध कृषि समझौतों को रिकॉर्ड करके किसानों के साथ-साथ उद्योग के हितों की समान रूप से रक्षा करना चाहा है। किसानों तथा कंपनी के बीच उठने वाले विवादों, यदि कोई हो, को न्यायिक कल्प के ढंग से जल्द निपटाने के लिए किसानों के पास ही एक विवाद समाधान तंत्र की स्थापना करने का भी सुझाव है। किसानों को अनुबंध वाली फसलों को लगाने में फसल न होने की स्थिति में कर्ज तथा परिणामतः भूमि से बेदखली का जोखिम होता

है। किसानों को ऐसी बेदखली से कानून द्वारा क्षतिपूर्ति मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक मॉडल एपीएमसी अधिनियम, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उक्त प्रभाव के लिए प्रावधान है, राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अपनाने के लिए परिचालित कर दिया गया है क्योंकि यह विषय वस्तु उनके क्षेत्राधिकार में आता है।

[हिन्दी]

साइबेरियाई सारसों के प्रवास हेतु नेटवर्क

86. **श्री. मुकीम :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइबेरियाई सारसों तथा अन्य प्रवासी जल पक्षियों के सरल प्रवास हेतु नेटवर्क तैयार करने के बारे में भारत सहित कतिपय देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वसम्मति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में ब्लॉक ठेकमा, ग्रामसभा, जमुआवा में नौ सौ नवासी (989) बीघा क्षेत्र का एक तालाब है, जहां सर्दियों में नवंबर से मार्च तक बहुत से प्रवासी पक्षी तथा साइबेरियाई सारस आते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त तालाब को पक्षी विहार के रूप में विकसित करने तथा प्रवासी पक्षियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। साईबेरियाई सारस (और अन्य जलपक्षियों) के लिए प्रस्तावित पश्चिमी/केन्द्रीय एशियाई स्थल नेटवर्क को समर्थन प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में 13 जून, 2005 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

पश्चिमी/केन्द्रीय एशियाई स्थल नेटवर्क कमेटी में भारत सहित 9 देश होंगे। नेटवर्क हेतु 21 स्थलों की पहचान की गई है। भारत सहित कुछ ऐसे देशों जहां ये पाए जाते हैं, को शामिल करके एक 'स्थल नेटवर्क पुनरीक्षा कार्य दल' भी गठित किया गया है।

(ग) जी हां, आजमगढ़ जिले में ब्लॉक ठेकमा के जमुआवा ग्राम सभा में एक जमुआवा तालाब है, जहां सर्दियों के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं लेकिन विगत वर्षों में साईबेरियाई सारस नहीं देखे गए हैं।

(घ) राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, उस तालाब को वन्यजीव अभयारण्य (पक्षी विहार) के रूप में बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इन प्रवासी पक्षियों के शिकार की किसी भी घटना को रोकने के लिए फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित गश्त लगाई जाती है।

[अनुवाद]

जल संसाधनों का प्रबंधन

87. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, भू-जल संसाधनों के अन्वेषण तथा प्रबंधन हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए राजस्थान सहित राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) भूमि जल अन्वेषण तथा सर्वेक्षण करके राज्यों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्वेषण तथा अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों के दौरान एकत्र किए गए वैज्ञानिक आंकड़े राज्य सरकारों को उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे उन्हें भूमि जल संसाधनों की आयोजना, विकास तथा प्रबंधन में सहायता मिलती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, राजस्थान में 178 बोरहोल सहित विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में कुल 2488 अन्वेषणात्मक बोरहोल ड्रिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और केरल के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में कुल 1134 कुएं आउटसोर्सिंग द्वारा खुदवाए गए हैं जिनमें से 135 राजस्थान में हैं। राजस्थान में 50,540 वर्ग किमी. क्षेत्र सहित 6 लाख वर्ग किमी. क्षेत्र का पुनर्मूल्यांकन जल भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है।

इसके अलावा, नौवीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम "भूजल के पुनर्भरण का अध्ययन", जोकि दसवीं योजना में चली गई है, के अंतर्गत 27 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 165 वर्षा जल संचयन तथा कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं कार्यान्वित की गई। 2002-2004 की अवधि के दौरान राजस्थान को 30.52 लाख रुपये सहित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के निष्पादन अभिकरणों को कुल 1023.32 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

दूध का उत्पादन

88. श्री सूरज सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान दूध के उत्पादन, खपत तथा मांग का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दूध का उत्पादन कम हुआ है;

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए तथा इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) पिछले उपलब्ध तीन वर्षों 2001-02 से 2003-04 तक का अनुमानित दुग्ध उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। खपत तथा मांग संबंधी आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दुग्ध उत्पादन में सुधार के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:-

1. राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना,
2. सघन डेयरी विकास परियोजना,
3. पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता,
4. सहकारिताओं को सहायता,
5. चारा विकास योजना,
6. गुणवत्ता तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण।

विगत तीन वर्षों के दौरान दुग्ध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है तथा 2004-05 के दौरान अनुमानित उत्पादन 91 मिलियन टन है।

विवरण

तालिका : अनुमानित दुग्ध उत्पादन—2001-02 से 2003-04 तक

(000 टन)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5814	6584	6959
2.	अरुणाचल प्रदेश	42	46	46
3.	असम	682	705	727
4.	बिहार	2664	2869	3180
5.	गोवा	45	46	48
6.	गुजरात	5862	6089	6421
7.	हरियाणा	4978	5124	5221
8.	हिमाचल प्रदेश	756	773	786
9.	जम्मू-कश्मीर	1360	1389	1414
10.	कर्नाटक	4797	4539	3857
11.	केरल	2718	2419	2111
12.	मध्य प्रदेश	5283	5343	5388
13.	महाराष्ट्र	6094	6238	6379
14.	मणिपुर	68	69	71
15.	मेघालय	66	68	69
16.	मिजोरम	14	15	15
17.	नागालैंड	57	58	63
18.	उड़ीसा	929	941	997
19.	पंजाब	7932	8173	8391

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	7758	7789	8054
21.	सिक्किम	37	45	48
22.	तमिलनाडु	4988	4622	4752
23.	त्रिपुरा	90	79	84
24.	उत्तर प्रदेश	14648	15288	15943
25.	पश्चिम बंगाल	3515	3600	3686
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	23	26	25
27.	चंडीगढ़	43	43	44
28.	दादरा एवं नगर हवेली	8	8	8
29.	दमन एवं दीव	1	1	1
30.	दिल्ली	294	296	299
31.	लक्षद्वीप	2	2	1
32.	पांडिचेरी	37	37	40
33.	छतीसगढ़	795	804	812
34.	उत्तरांचल	1066	1079	1188
35.	झारखंड	940	952	954
	अखिल भारत	84406	86159	88082

[अनुवाद]

तीर्थस्थलों के लिए वन भूमि का दिया जाना

89. **श्री एन.एन. कृष्णदास** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के वन क्षेत्रों में स्थित तीर्थस्थलों के विकास के लिए वन भूमि देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोनारायन मीना) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में तीर्थ केन्द्रों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत 124 हैक्टेयर वन भूमि का वनेतर प्रयोग किया।

(ख) और (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में तीर्थ केन्द्रों के विकास के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनभूमि के वनेतर प्रयोग के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

तीर्थ स्थलों के विकास से संबंधित पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वानिकी मंजूरी पर सूचना (25.04.2005 तक)

क्र.सं.	प्रस्ताव नाम	क्षेत्रफल (है.)	टिप्पणी
1	2	3	4
	1. आंध्र प्रदेश		
1.	कोना, आनंथपुर जिले (रामालिंगेश्वर स्वामी मंदिर)	1.92	14.06.2004 को अनुमोदित

1	2	3	4
	से गट्टापल्ली, कुरनूल जिले तक लिंक रोड बनाने के लिए वन भूमि का वनेतर उपयोग		
2.	तिरुपति से तिरुमाला हिल्स (लार्ड वैंकटेश्वर मंदिर) तक यात्री रोपवे के निर्माण के लिए वन भूमि का वनेतर उपयोग	1.44	18.10.2004 को अनुमोदित
3.	नंदयाल-गिडडलूर रोड़ से सर्वे नरसिम्ह स्वामी मंदिर तक एपरोच ब्रिज के निर्माण के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	0.05	14.12.2004 को अनुमोदित
4.	कापेलेशवरम से संगमेश्वरम मंदिर तक रोड़ निर्माण और 11 के वी की लाईन बिछाने के लिए वन भूमि का वनेतर उपयोग	3.30	विवरण की अपेक्षा के कारण 30.12.2004 को प्रस्ताव बन्द कर दिया गया है।
	2. हिमाचल प्रदेश		
1.	ऊना जिले में राधास्वामी सत्संग व्यास डेरा जैमाल सिंह सोसाइटी के पक्ष में वन भूमि का वनेतर उपयोग	0.2959	02.12.2003 को अनुमोदित
2.	कुल्लु जिले के वैष्णों माता मंदिर समिति के पक्ष में वन भूमि का वनेतर उपयोग	0.452	राज्य सरकार से 17.06.2004 को सूचना मांगी गई है।
3.	सोलन जिले में श्री कृष्णा मंदिर चैरीटेबल ट्रस्ट के निर्माण के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	0.12	27.07.2004 को अनुमोदित
	3. कर्नाटक		
1.	मदीना जामा मस्जिद के निवासियों के प्रयोग के लिए ईदगाह के निर्माण के लिए पट्टे के नवीकरण के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.6	राज्य सरकार से 02.04.2004 को मांगे गए विवरण की प्रतीक्षा है।
2.	श्री मलय महादेवेश्वर मंदिर में कावेरी नदी से पेयजल की सप्लाई उपलब्ध करवाने के लिए इनटेक कुंए, जक कुंए, इन्टरमीडिएट पंपिंग स्टेशन और पाइपलाइन बिछाने के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	0.65	15.07.2004 को अनुमोदित
3.	सोडी वैधराज मठ के विश्वात्मा तीर्थ स्वामी जी के पक्ष में उत्तर कन्नड़ जिले में संत श्री वैधराज स्वामी की स्मृति में सोडी तपोवन में स्मारक मनताप निर्माण के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	0.02	विवरण की अपेक्षा में प्रस्ताव 08.07.2004 को बन्द कर दिया गया।

1	2	3	4
		4. केरल	
1.	पाम्बा और किक्को नदी में सिंचाई घटकों के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	1.4425	27.12.2004 को अनुमोदन प्रदान किया गया।
2.	त्रावनकोर देवसोम बोर्ड के पक्ष में बसे कैम्प/ सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए नीलाकल में वनभूमि का वनेतर प्रयोग	20.00	07.01.2005 को अनुमोदन प्रदान किया गया।
3.	केरल के पायानमथिट्टा जिले में त्रावणकोर देवसोम बोर्ड के पक्ष में साबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए नीलाकल बैस कैम्प के विकास के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग।	90.524	05.05.2005 को अनुमोदन प्रदान किया गया।
4.	साबरीमाल तीर्थयात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए त्रावणकोर देवसोम बोर्ड को वनभूमि का वनेतर प्रयोग	12.675	– चूंकि क्षेत्र पेरियर बाघ रिजर्व में आता है इसलिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और भारत वन्यजीव बोर्ड और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति प्राप्त करनी अपेक्षित है। – राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड स्थायी समिति ने 20.5.2005 को प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है और प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा (21.7.2005 के अनुसार) शीर्ष न्यायालय से अनुमति प्राप्त की जाती है।
		5. पंजाब	
1.	रोपड़ जिले में राधा स्वामी सतसंग (ब्यास के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	1.092	राज्य सरकार से 31.01.2005 को विवरण मांग गया है।
		6. सिक्किम	
1.	टींडांग हिल पिलग्रिमेज सैंटर डिवेलपमैंट कमेटी के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	0.4213	प्रस्ताव में किसी मंजूरी अथवा वनभूमि की ब्रेकिंग और स्थाई निर्माण शामिल नहीं था प्रस्ताव राज्य सरकार को राज्य वन अधिनियम के अंतर्गत सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नियमित करने के लिए लौटा दिया गया था।
		7. तमिलनाडु	
1.	पालामलय स्वामी मंदिर से बिजली के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.1392	30.10.2002 को अनुमोदित

1	2	3	4
		8. महाराष्ट्र	
1.	नासिक जिले में भक्तों के लिए धर्मशाला प्रसादालय शौचालय ब्लाक के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	1.2	अधूरी सूचना/प्रक्रिया के कारण मामला 28.7.2003 को राज्य सरकार को लौटा दिया गया।
2.	थाणे जिले में श्री बालयोगी साधना आश्रम के निर्माण के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	0.69	अधूरी सूचना/प्रक्रिया के कारण मामला 28.7.2003 को राज्य सरकार को लौटा दिया गया।
3.	जलगांव जिले में मनुदेवी मंदिर ट्रस्ट के विकास के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	0.24	02.11.2004 को अनुमोदित
		9. गुजरात	
1.	भावनगर जिले में शीतरुंजय पहाड़ी पर विसामा के निर्माण के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	0.0042	22.01.2003 को अनुमोदित
2.	भावनगर जिले में शीतरुंजय पहाड़ी पर विसामा के निर्माण के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	0.96	08.07.2004 को अनुमोदित
		10. मध्य प्रदेश	
1.	सतना जिले में परमहंस आश्रम के निर्माण के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	3.609	07.03.2003 को अनुमोदित
		11. राजस्थान	
1.	श्री सावित्रीमाता मंदिर पर यात्री रज्जूमार्ग स्थापित करने के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	0.874	अनुमोदित
2.	सुगंधा माता मंदिर पर रज्जुमार्ग स्थापित करने के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	0.7652	अनुमोदित
		12. उत्तरांचल	
1.	सीतामाता मंदिर और आश्रम के निर्माण के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	0.1	अनुमोदित
2.	बाबा काली कमली वाला के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	0.392	अनुमोदित
3.	हनुमान मंदिर और आश्रम के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	0.56	अनुमोदित

1	2	3	4
4.	तोसरी बाबा हदखाना मंदिर ट्रस्ट, चिलियानुल्ला खेराती अनुसंधान अस्पताल के लिए भूमि का वनेतर प्रयोग	0.2	अनुमोदित
5.	श्री श्री जगद्गुरू शंकराचार्य संस्कृत कालेज और अस्पताल ट्रस्ट के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.10	गुण दोष के आधार पर अस्वीकृत
6.	ऋषिकेश रेंज के अंतर्गत नीम करोली बाबा के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	0.4	अनुमोदित

राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण-पत्र

90. **श्री पी. मोहन :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी प्रबंधन के अंतर्गत इस प्रकार के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (आई.टी.सी.) की कुल संख्या कितनी है, जिसके माध्यम से भारत सरकार के ट्रेड टेस्ट कराए जाते हैं;

(ख) क्या इन आई.टी.सी. के सभी छात्रों को अपने-अपने संबंधित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण करने के बाद राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण-पत्र (एन.टी.सी.) जारी किए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण-पत्र न जारी करने के बारे में तमिलनाडु से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) इस समय देश भर में निजी प्रबंधन द्वारा 3218 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं। शिल्पकारों हेतु अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तत्वाधान में आयोजित की जाती है। इन संस्थानों के संबद्ध व्यवसायों/इकाइयों के पात्र प्रशिक्षार्थियों को उपर्युक्त परीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

(ख) और (ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों के केवल संबद्ध व्यवसायों/इकाइयों के सफल प्रशिक्षणार्थियों को परिणामों की घोषणा के उपरांत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं। प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी ब्यौरा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है।

(घ) और (ङ) तमिलनाडु के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों के संबद्ध व्यवसायों/इकाइयों के प्रशिक्षणार्थियों को राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

तथापि, तमिलनाडु के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के असंबद्ध व्यवसायों/इकाइयों के प्रशिक्षणार्थियों से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी न करने के मामले प्राप्त हुए थे, जिनका उत्तर दे दिया गया है।

गैस आधारित "आऊटबोर्ड इंजन"

91. **श्री पी.सी. थामस :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटी नौकाओं (बी.ए.एल.एल.ए.एम.एस.) हेतु गैस आधारित आऊटबोर्ड इंजनों के व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के इंजन से मछली पकड़ने वाली छोटी नौकाओं की ईंधन की लागत के कम हो जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के इंजनों की वर्तमान व्यावसायिक स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने मछुआरों के प्रोत्साहन हेतु कोई राजसहायता प्रदान की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

खान मजदूरों का बीमारियों से पीड़ित होना

92. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान अधिनियम, 1952 की धारा 25 के अंतर्गत अधिसूचित बीमारियों से पीड़ित खान मजदूरों का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार के खान मजदूरों का जीवन बचाने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार की बीमारियों को रोकने तथा इन पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) खान अधिनियम, 1952 की धारा 25 के तहत अधिसूचित रोगों के मामलों में पिछले पांच वर्षों के दौरान खान सुरक्षा महानिदेशालय को भेजा गया ब्यौरा निम्नवत् है:

वर्ष	कोयला श्रमिकों का न्यमोकोनिओसिस	सिलिकोसिस	मैंगनीज प्वाजनिंग	एस्बेस्टोइस	फेफड़े का कैंसर
2000	9	3	–	–	–
2001	2	1	–	–	–
2002	1	79**	–	–	–
2003	3	14	–	–	–
2004	41	12	–	–	–

* अनंतिम

** स्वास्थ्य चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जोधपुर की रिपोर्ट में शामिल सिलिकोसिस के 66 मामलों सहित

(ख) और (ग) खान अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों में खनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी आवश्यक उपाय बताए गए हैं कि खान निरीक्षक इन उपबंधों का पालन करें।

(घ) खानों में अधिसूचित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नांकित शामिल हैं:–

1. खान अधिनियम तथा अधीनस्थ विधानों का निर्माण व नियमित अद्यतनीकरण।
2. खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण के जरिए विधायी उपबंधों का प्रवर्तन
3. विधायी उपबंधों के बार-बार उल्लंघन की स्थिति में निषेधक आदेशों के रूप में विधिक कार्रवाई और अभियोजन।
4. अधिसूचित रोगों की पहचान के लिए अध्ययन और सर्वेक्षण।
5. त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय सम्मेलन।
6. श्रमिकों और नियोक्ताओं के लिए जागरुकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम

7. डी जी एम एस तकनीकी परिपत्रों को जारी करना।

[हिन्दी]

सेल से भिलाई इस्पात संयंत्र का अलग होना

93. श्री अमीत जोगी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भिलाई इस्पात संयंत्र को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से अलग करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं पाया गया।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उर्वरकों के मूल्य का निर्धारण

94. श्री रविचन्द्रन शिण्मीकाई : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों का मूल्य निर्धारित करने के लिए समय-समय पर अपनाई जाने वाली पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की उर्वरकों के मूल्य निर्धारण को विनियमित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) दिनांक 25.8.1992 तक सभी प्रमुख उर्वरक सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन थे। उसके बाद फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पी और के) उर्वरकों को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया। वर्तमान में केवल यूरिया ही सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है और इसका अधिकतम खुदरा मूल्य उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत निर्धारित किया जाता है।

पी और के उर्वरकों को नियंत्रणमुक्त किए जाने के तुरन्त बाद सरकार ने नियंत्रणमुक्त पी और के उर्वरकों की बिक्री के लिए एक तदर्थ रियायत योजना की शुरूआत की जिसके तहत राज्य सरकारें नियंत्रणमुक्त पी और के उर्वरकों के मूल्य की घोषणा कर रही थीं और भारत सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए गए बिक्री प्रमाणन के आधार पर रियायत का भुगतान कर रही थी। भारत सरकार ने 1.4.1997 से डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) और मिश्रित उर्वरकों के निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्यों की घोषणा करनी शुरू की। सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) के निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा अभी भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। 1.4.1997 से घोषित निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर आधारित थे।

किसानों को वहनीय मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने संबंधी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा/मूल्य में संशोधन किया जाता है।

हाथियों की अवैध शिकार/विद्युताघात से मौत

95. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री एम. शिवन्ना :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस वर्षों के दौरान कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में तथा इसके आसपास के वनों में हाथियों के मरने की रिपोर्ट मिली है जो अवैध शिकार तथा विद्युताघात से हुई मौतों सहित अप्राकृतिक कारणों से हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागरहोल में हाथियों की रहस्यमय मौत के पीछे कोई निहित स्वार्थ है; और

(घ) यदि हां, तो इन तत्वों पर नियंत्रण करने के लिए केन्द्र सरकार ने किन उपायों पर विचार किया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायण मीणा) :

(क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले दस वर्षों के दौरान नगारहोल नेशनल पार्क के वनों में और इसके आसपास केवल 23 हाथियों के मरने की रिपोर्ट मिली है। मौत के सूचित मामलों में से 18 हाथियों की मौत अवैध शिकार के कारण और पांच की मौत बिजली के झटके से हुई थी।

(ग) राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि नर हाथियों का अवैध शिकार संगठित गिरोह द्वारा हाथी-दांत के लिए किया था।

(घ) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है। जिसमें अवसंरचना विकास, उन्नत संचार व्यवस्था, पर्यावास सुधार और वन्यजीव सुरक्षा शामिल है। कर्नाटक वन विभाग ने नागरहोल नेशनल पार्क में अवैध शिकार रोधी शिविरों की स्थापना और क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा गहन गश्त लगाए जाने की व्यवस्था भी की है। जंगली हाथियों में बीमारियों की रोकथाम के लिए सीमावर्ती इलाकों पर मवेशियों का प्रतिरक्षण किया जाता है।

आंध्र प्रदेश द्वारा कृष्णा नदी के सरप्लस पानी का विनियोग

96. **श्री एम. शिवन्ना : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु कृष्णा नदी के सरप्लस पानी का विनियोग किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये निर्माण न्यायाधिकरण के पहले के पंचाट के निर्णय तथा उच्चतम न्यायालय के 1997 के निर्णय के विपरीत है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार हस्तक्षेप करने तथा इस मामले को सुलझाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) कृष्णा जल विवाद अधिकरण (के डब्ल्यू डी टी) ने विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के 75% विश्वसनीय प्रवाह को, जिसका आकलन 2060 हजार घन फीट (टीएमसी) किया गया है, 3 बेसिन राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को क्रमशः 560 टीएमसी, 700 टीएमसी और 800 टीएमसी के रूप में आवंटित किया है। आंध्र प्रदेश को 75% विश्वसनीय प्रवाह प्राप्ति में उसके हिस्से के अतिरिक्त शेष बचे हुए जल को, बिना उस जल के संबंध में कोई अधिकार देते हुए, उपयोग करने की स्वीकृति दी गई है। कर्नाटक द्वारा दायर 1997 की मूल याचिका-I पर उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25.4.2000 के निर्णय के अनुसार निचले तटवर्ती राज्य नदी बेसिन में प्रवाहित अधिशेष जल का निश्चित तौर पर उपयोग कर सकते हैं, परन्तु इस प्रकार के उपयोगों में बड़े पैमाने पर परियोजनाओं और जलाशयों का स्थाई निर्माण नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार ने ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान नहीं की है जो कि डब्ल्यू डी टी द्वारा राज्यों को आवंटित जल के हिस्से के अतिरिक्त जल के उपयोग के प्रति वचनबद्ध हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने 2 अप्रैल, 2004 को द्वितीय कृष्णा जल विवाद अधिकरण का गठन किया और कर्नाटक राज्य के शिकायत पत्र के साथ-साथ आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की शिकायत को एक ही साथ शिकायत में उठाये गए विवादों का अधिनिर्णय करने के लिए अधिकरण को भेजा।

[हिन्दी]

ई.एस.आई. अस्पताल

97. **श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितने ई.एस.आई. अस्पतालों का निर्माण कराया गया;

(ख) क्या राजस्थान सहित कई राज्यों ने इस संबंध में अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गयी?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) :

(i) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने वर्ष 2004-2005 के दौरान गुड़गांव, हरियाणा में एक 50 बिस्तरों वाले अस्पताल और दाण्डेली, कर्नाटक में 50 बिस्तरों के ब्लॉक की मंजूरी प्रदान की है।

(ii) वर्ष 2004-2005 के दौरान निम्नलिखित नए अस्पतालों में कार्य प्रगति पर है:—

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)। इस अस्पताल का फेज-I पूर्ण हो गया था और इसे मार्च, 2005 में मॉडल अस्पताल के रूप में अधिकार में लिया गया।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, आसरामम, कोल्लम, केरल।

(ख) और (ग) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों को स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से निम्नलिखित अनुरोध प्राप्त हुए हैं:—

(i) राजस्थान सरकार ने भिवाड़ी में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण हेतु अनुरोध किया है। राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, राजस्थान में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में अपर्याप्त अधिभोग को ध्यान में रखते हुए और सामान्यत: मौजूदा अस्पतालों/औषधालयों तथा भिवाड़ी स्थित रोग निदान केन्द्र में विशेष रूप से डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को उपलब्ध करवाने में राज्य सरकार की असमर्थता के कारण, राज्य सरकार से भिवाड़ी में अस्पताल का निर्माण होने पर अपेक्षित डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की उपललब्धता करवाने की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है।

(ii) तमिलनाडु सरकार ने तिरुनेलवेली और रानीपेट में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण का अनुरोध किया है। तिरूनेलवेली में अस्पताल के निर्माण के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है किन्तु राज्य सरकार से पर्याप्त सूचना/ औचित्य के अभाव में रानीपेट में अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान नही की जा सकी है।

(घ) राज्यवार निधि का आबंटन नहीं किया गया है। कार्य की मंजूरी मिलने के बाद ही आवश्यकतानुसार निधि उपलब्ध कार्रवाई जाती है।

गेहूं धान और गन्ने की नयी किस्में

98. **श्री पारसनाथ यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गेहूं, धान और गन्ने की कितनी नयी किस्मों का विकास किया गया है;

(ख) किसानों द्वारा अब तक कौन-कौन से राज्यों में इन नयी किस्मों का प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विकसित की गयी बीजों की नयी किस्में सभी किसानों को आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या अधिकांश किसान नयी किस्मों की जागरुकता के अभाव में बीजों की पुरानी किस्मों का प्रयोग करते हैं जिसके परिणामस्वरूप इन फसलों की पैदावार कम होती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान फसल मानक, अधिसूचना तथा कृषि फसलों की किस्मों को जारी करने से संबंधित केन्द्रीय उप-समिति द्वारा गेहूं की 17 नई किस्में, धान की 11 किस्में तथा गन्ने की 5 किस्में जारी की गईं। इसके अलावा अपनाने के लिए संबद्ध राज्य किस्म रिलीज समिति द्वारा इन फसलों में कई किस्में जारी की गईं। इन किस्मों का जिन राज्यों में उपयोग/जारी किया गया उन्हें संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कृषि तथा सहकारिता विभाग से प्राप्त मांग पत्रों के अनुसार अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रजनक बीज के उत्पादन के लिए अधिदेश है जिन्हें राज्य सरकारों, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगमों तथा अन्य अभिकरणों से बारी-बारी से मांग पत्र प्राप्त होते हैं। ये बीज इन्डेन्टिग अभिकरणों द्वारा फाउंडेशन तथा प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए प्रगुणित किये जाते हैं। इस प्रकार खेती के लिए किसानों को गुणवत्ता प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाये जाते हैं।

(घ) और (ङ) जी नहीं, किसान अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग कर रहे हैं इसलिए सभी फसलों में करीब-करीब उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ी है। कृषि विज्ञान केन्द्र, किसान मेला, अग्र पंक्ति के प्रदर्शन, प्रिन्ट तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया आदि के जरिए अधिक उपज देने वाली किस्मों की जानकारी देने तथा उसकी लोकप्रियता के लिए प्रयत्न भी किये जा रहे हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान रिलीज/अधिसूचना (केन्द्रीय रिलीज) के लिए अनुशंसित किस्में

क्र.स.	किस्म का नाम	रिलीज का वर्ष	संस्तुत राज्य
1	2	3	4
I. गेहूं			
1.	कौशाम्बी	2002	मध्य तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल तथा असम के हिस्से
2.	आदित्य	2002	कर्नाटक, महाराष्ट्र, आन्ध प्रदेश गोवा के हिस्से और तमिलनाडु का मैदानी भाग
3.	जी डब्ल्यू-322	2002	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, दक्षिणी तथा पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखण्ड क्षेत्र
4.	वी एल-804	2002	जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल
5.	हिमगिरी	2003	जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल
6.	अमृता	2003	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
7.	डी बी डब्ल्यू-14	2003	उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड
8.	नरेन्द्र व्हीट-2036	2003	उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड
9.	एम पी-4010	2003	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, दक्षिणी तथा पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखण्ड क्षेत्र
10.	वी एल गेहूं-829	2003	जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल
11.	शिवालिक	2003	जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल
12.	पी बी डब्ल्यू-502	2004	पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का हिस्सा
13.	पूर्वा	2004	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, उड़ीसा, असम
14.	राज 4037	2004	प्रायद्वीपीय क्षेत्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र
15.	वी एल गेहूं-832	2004	जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल के पहाड़ी जिले
16.	ऊर्जा	2004	गुजरात, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़

1	2	3	4
17.	एम ए सी एस-6145	2004	बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखण्ड क्षेत्र
II.	धान		
1.	अंजलि	2002	बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, असम तथा त्रिपुरा
2.	के आर एच-2	2002	तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा गोवा
3.	धानसारी	2003	तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश
4.	आर एच-204	2003	आन्ध्र प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा तथा राजस्थान
5.	सी एस आर सी (एस) 2-1-7	2004	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा केरल तथा आन्ध्र प्रदेश
6.	सी एस आर-23 सी एस आर-891 आर-5)	2004	उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल
7.	एच पी आर-1156	2004	मेघालय, हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल के पहाड़ी क्षेत्र
8.	जे आर-503 (रिचा)	2004	मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के सिंचित/बारानी क्षेत्र
9.	पूसा सुगंध-5	2004	दिल्ली, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर
10.	सुरुचि-5401	2004	महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक
11.	सुगंधमती	2004	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर की सिंचित दशाएं
III.	गन्ना		
1.	श्याम	2004	महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, आन्ध्र प्रदेश के बिल्कुल भीतरी इलाके तथा तमिलनाडु के पठारी क्षेत्र
2.	रश्मि	2004	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल
3.	जलपरी	2004	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल
4.	रचना	2004	मध्य तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान
5.	स्वेता	2004	पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की सिंचित दशाएं

[अनुवाद]

क्योंझर में स्पंज आयरन संयंत्रों द्वारा प्रदूषण

99. श्री अनन्त नायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के क्योंझर जिले में वायु और जल प्रदूषण फैलाने वाले स्पंज आयरन संयंत्रों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्पंज आयरन संयंत्रों की सूची क्या है;

(ग) इन स्पंज आयरन संयंत्रों द्वारा कितने लोग और कितने गांव प्रभावित हुए हैं; और

(घ) इन स्पंज आयरन संयंत्रों द्वारा फैलाये गये वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि पिछले एक वर्ष के दौरान, क्योंझर जिले में 17 स्पंज आयरन संयंत्रों में से छह इकाईयां को अपर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाने के कारण पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन नहीं करते हुए देखा गया है। ऐसे स्पंज आयरन संयंत्रों की सूची संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) स्पंज आयरन संयंत्रों से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने और नजदीक के गांवों में उनका प्रभाव कम करने के लिए, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पंज आयरन संयंत्रों को निम्नलिखित प्रदूषण उपशमन उपाय अपनाने का निदेश दिया है:

- उत्सर्जन नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी)/गैस क्लीनिंग संयंत्र/बैग फिल्ट्र्स को स्थापित करना,
- फ्युगिटिव उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त जल छिड़काव सुविधाओं का प्रावधान रखना,
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन;
- जल का संपूर्ण पुन: परिसंचरण।

उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमित रूप से पर्यावरणीय अनुपालन की मानीटरी कर रहा है और किसी उल्लघंन के मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रहा है।

विवरण

क्योंझर जिले में चूककर्ता स्पंज आयरन संयंत्रों की सूची:

क्र.सं.	इकाई का नाम
1.	बीके स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड, उलीबुरू, नाल्डा;
2.	ग्रेवाल एसोसियेट्स मटकमबेडा, बर्बिल;
3.	औरियन इस्पात लिमिटेड, रामचन्द्रपुर;
4.	श्री मेटाल्क्स लिमिटेड, लोईडापाडा;
5.	आदित्य स्पंज एण्ड पावर लिमिटेड, तेलकोई; और
6.	एम एस पी स्पंज आयरन (पी) लिमिटेड, हल्दिआगुना

दूध और दूध से बने उत्पादों का उत्पादन

100. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय दूध और दूध से बने उत्पादों की मांग और उतपादन कितना है;

(ख) अगले दो वर्षों के दौरान दूध और दूध से बने उत्पादों की अनुमानित आवश्यकता कितनी होगी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दूध से बने उत्पादों का कितना निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में दूध और दूध से बने उत्पादों का उत्पादन करने और इनका निर्यात बढ़ाने हेतु कोई व्यापक योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इस सबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान देश में

दुग्ध उत्पादन का अनुमान क्रमशः 88.1 मिलियन टन तथा 91.0 मिलियन टन लगाया गया है। 2005-06 तथा 2006-07 के लिए अनुमानित दुग्ध उत्पादन क्रमशः 93.5 मिलियन टन तथा 96.0 मिलियन टन है। राष्ट्रीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर पर्याप्त है। देश में दुग्ध उत्पादों के उत्पादन के संबंध में कोई प्रमाणिक आंकड़े नहीं है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए दुग्ध उत्पादों की मात्रा तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	मात्रा मीट्रिक टन में (एम टी)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
2001-02	24774	182.45
2002-03	21439	153.59
2003-04	15883	155.19
2004-05	लागू नहीं	413.55

(घ) और (ङ) भारत सरकार, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग देश में दुग्ध उतपादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:-

1. राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना।
2. पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण।
3. चारा विकास योजना।
4. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम।
5. सहकारिताओं को सहायता।
6. गुणवत्ता एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

1. दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत मानक निर्धारित किए गए हैं।
2. आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने तथा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता पद्धतियों के क्रियान्वयन के लिए निर्यातकों को एपेडा द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पैकेजिंग विकास, विपणन आदि के लिए पंजीकृत निर्यातकों को एपेडा सहायता भी प्रदान करता है।
3. डेयरी उत्पादों सहित भारतीय उत्पादों के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए व्यापार मेलों में भागीदारी।
4. हाल ही में घोषित विदेश व्यापार नीति में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने डेयरी क्षेत्र को भी विशेष कृषि उपज योजना के लाभ प्रदान किए हैं। इस योजना के तहत, प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के लिए निर्यातक 5% एफ ओ बी निर्यात मूल्य के समतुल्य डयूटी क्रेडिट स्क्रिप के हकदार हैं। स्क्रिप एवं इस पर आयातित वस्तुएं मुक्त रूप से स्थानान्तरणीय होंगी। डयूटी क्रेडिट का उपयोग पूंजीगत सामान सहित आदानों अथवा वस्तुओं के आयात के लिए किया जा सकता है बशर्ते कि वह मुक्त रूप से आयात योग्य हो।

[हिन्दी]

उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

101. श्री वाई.जी. महाजन :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करने/विस्तार करने के लिए आमतौर पर किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं

होती। उद्यमी देश में कहीं भी उर्वरक परियोजना स्थापित कर सकते हैं बशर्ते कि पर्यावरणिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों को अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक पूंजीगत व्यय करने से पहले सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। इसके अतिरिक्त जनवरी, 2004 में अधिसूचित यूरिया नई, विस्तार और अवरोध दूर करने की परियोजनाओं में निवेश करने लिए मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार यूरिया की नई परियोजना स्थापित करने, विस्तार करने और अवरोध दूर करने की परियोजनाओं, जो फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस द्रवित प्राकृतिक गैस पर आधारित होंगी, के लिए उर्वरक विभाग का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में वनों का विकास

102. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकारों ने केन्द्र सरकार को अपने-अपने राज्यों में वनों के विकास के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उक्त परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) को वन विकास एजेन्सी (एफ डी ए) और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे एफ एम सी) के विकेन्द्रीकृत तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है। अब तक, मंत्रालय ने महाराष्ट्र से 45 परियोजनाएं और उत्तर प्रदेश से 65 परियोजनाएं राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम के तहत प्राप्त की हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई 45 परियोजनाओं में से अब तक 42 परियोजनाओं को 63,413 हेक्टर क्षेत्र का उपचार 1398 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से करने हेतु 94.54 करोड़ रुपए की कुल लागत से अनुमोदित की गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई 65 परियोजनाओं में से अब तक 56 परियोजनाएं 61987 हेक्टर कुल क्षेत्र का उपचार 1892 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से करने के लिए 102.16 करोड़ रुपए की कुल लागत से अनुमोदित किया है। शेष परियोजनाओ को निधियां उपलब्ध होने के अध्यधीन अनुमोदित किया जाएगा।

[अनुवाद]

वनरोपण

103. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए देश को पुन: हराभरा बनाने हेतु कुछ नए प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वृक्षारोपण कार्यक्रम में सभी को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए किस प्रकार का तंत्र बनाया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम को अवक्रमित वन और साथ लगी भूमियों से पुनरुदभव हेतु द्वि-स्तरीय विकेन्द्रीकृत संस्थानों, वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफ डी ए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जे एफ एम सी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। एफ डी ए और जे एफ एम सी की यह द्वि-स्तरीय संस्था एन ए पी में ग्रामिणों की भागीदारी सुनिश्चित करती है।

[हिन्दी]

सरसों की खरीद में अव्यवस्था

104. **श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में सरसों की खरीद में अव्यवस्था के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खरीद प्रक्रिया में अव्यवस्था से बचने हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है;

(घ) इस दिशा में कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या कुछ राज्य ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई खरीद के लाभ उठा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि सभी राज्यों को बराबर लाभ मिले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) रबी फसल मौसम 2005 के दौरान सरसों का बम्पर उत्पादन होने और इसके मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे रहने के कारण देश में, विशेष रूप से राजस्थान में सरसों की रिकार्ड वसूली हुई है। कुल 2093298 टन की वसूली में से केवल राजस्थान में ही 1403781 टन की वसूली हुई थी। इतनी अधिक मात्रा में वसूली होने के कारण आरंभ में भंडारण स्थान, कार्यशील पूंजी, पैकिंग सामग्री आदि की समस्याएं थीं। तथापि, इन समस्याओं को हल करने के लिए केन्द्र सरकार ने अपनी केन्द्रीय एजेंसी के जरिए पर्याप्त भण्डारण क्षमता बुक करने, कार्यशील पूंजी और पैकिंग सामग्री की व्यवस्था करने आदि जैसे उपाय किए थे।

(ङ) से (छ) सभी प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों - राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और पंजाब में रबी फसल मौसम 2005 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की वसूली की गई थी जिससे इन राज्यों के सरसों उत्पादक किसानों को लाभ हुआ था। विभिन्न राज्यों में वसूल की गई सरसों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं–

राज्य	वसूली गई मात्रा (टन में)
1	2
राजस्थान	1403781
उत्तर प्रदेश	39623
गुजरात	188255
मध्य प्रदेश	137509
छत्तीसगढ़	2159
हरियाणा	306275
पंजाब	6718
दिल्ली	8978
जोड़	2093298

[अनुवाद]

दवाइयों के निर्यात के लिए राजसहायता

105. **श्री निखिल कुमार :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में चीन की तुलना में दवाई निर्माण के कितने लाइसेंस जारी किये गए;

(ख) क्या दवाइयों के निर्यात और चीन की दवा मध्यस्थ कंपनियों के लिए लगभग 13 प्रतिशत की राजसहायता उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने हमारे देश में खमीरीकरण और मूलभूत रसायनों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) देश में बड़ी संख्या में औषध और संबंधित मदों की निर्माण इकाइयां संगठित और लघु दोनों क्षेत्र में चल रही हैं। औषध और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के तहत औषधों के निर्माण और बिक्री की जिम्मेदारी उनकी गुणवत्ता की मानीटरिंग करने सहित मुख्य रूप से राज्य सरकारों में निहित है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, औषध और सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत चीनी विनिर्माताओं सहित उनके द्वारा विनिर्मित किए जा रहे औषधों के आयात के लिए विदेशी निर्माण स्थल पंजीकरण जारी कर रहा है। पंजीकृत चीनी विनिर्माताओं के बारे में ब्यौरे विभाग के वेबसाइट www.cdsco.nic.in पर उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त जहां कोई वस्तु किसी देश से भारत को सामान्य कीमत से कम कीमत पर निर्यात की जाती है, तब ऐसी वस्तु को भारत में आयात करने के लिए केन्द्रीय सरकार, डम्पिंग रोधी शुल्क लगा सकती है जो ऐसी वस्तु के संबंध में डम्पिंग के मार्जिन से अधिक न हो।

सरकार, विदेश व्यापार नीति के तहत समय-समय पर संशोधित अग्रिम लाइसेंस, डीईपीबी आदि अनेक प्रोत्साहन प्रदान करती है। एमएआई/एमडीए योजना के अन्तर्गत भी भारत सरकार, निर्यातकों को विशेषकर लघु और मध्यम स्तर के निर्यातकों को निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहन दे रही है।

गुजरात में मत्स्य ग्रहण कार्यों में सुधार

106. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गुजरात में मत्स्यन ग्रहण कार्यों में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां। संघ सरकार "समुद्र मात्स्यिकी, मूलभूत ढांचा, पोस्ट हार्वेस्ट आपरेशन" नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से गुजरात सहित अन्य राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रही है।

(ख) इस योजना के घटक इस प्रकार हैं (i) पारंपरिक नौकाओं के मोटरीकरण के लिए राज सहायता, (ii) एचएसडी ऑयल पर मछुआरा विकास छूट, (iii) मछली उतारने के केंद्रों तथा मत्स्यन बंदरगाहों के निर्माण के लिए सहायता।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस योजना के तहत 1247.44 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें नवसारी जिले के धोलाई तथा जामनगर जिले के ओखा में दो छोटे बंदरगाहों के निर्माण की स्वीकृति शामिल है। इन प्रयासों के परिणाम आने वाले वर्षों में राज्य के मछली उत्पादन में दिखाई पड़ने की आशा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) में अनुसंधान परियोजनाएं

107. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) द्वारा कृषि क्षेत्र में वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक के लिए निर्धारित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कर्नाटक को कितनी धनराशि जारी की गयी है;

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान कर्नाटक में आई.सी.ए.आर. द्वारा कितनी परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जाना है; और

(ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान कर्नाटक सरकार द्वारा कितनी तदर्थ परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाना है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्यवार आधार पर परियोजनाएं नहीं लेती है। तथापि कर्नाटक राज्य में स्थापित किए गए अनुसंधान संस्थान का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ), (ङ) और (ग) में दिए गए संस्थानों का कार्य वर्ष 2005-06 में भी जारी रहेगा।

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कर्नाटक सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान तदर्थ परियोजनाओं को वित्त पोषण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

देश में डेयर/भा.कृ.अ.प. द्वारा प्रदत्त निधि कृषि में अनुसंधान परियोजना का विवरण

I फसल विज्ञान

1. राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली

राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली

i अ.भा.स.अ.प.-अल्पदोहित फसल

ii एन आर सी-डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग, नई दिल्ली

2. भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली

भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली (इसमें भा.कृ.अ.सं., में इंडो-इजरायल सहित

i अ.भा.स.अ.प.-कीटनाशी अवशिष्ट

ii अ.भा.स.अ.प.-नेमाटोड

iii एन आर सी-पादप जैव प्रौद्योगिकी

iv मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली

v अ.भा.स.अ.प.-मक्का

vi राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंध केन्द्र

vii अ.भा.स.अ.प.-पुष्पोत्पाद

कीट जैव प्रणालीबद्ध नेटवर्क कार्यक्रम; भा.कृ.अ.सं. का हिस्सा

पराजीनी पर नेटवर्क परियोजना; एन आर सी पादप जैव प्रौद्योगिकी का हिस्सा

3. केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक

केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक

i चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद

ii अ.भा.स.अ.प.-चावल, हैदराबाद

4. विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा

5. भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर

भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर

i अ.भा.स.अ.प.-चना

ii अ.भा.स.अ.प.-मुलार्प

iii अ.भा.स.अ.प.-अरहर

iv अ.भा.स.अ.प.-शुष्क फलियां

6. गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल

गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल

i अ.भा.स.अ.प.-गेंहू एवं जौ सुधार परियोजना, करनाल

7. राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद

राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद

i अ.भा.स.अ.प.-ज्वार, हैदराबाद

ii अ.भा.स.अ.प.-बाजरा, जोधपुर

iii अ.भा.स.अ.प.-गौण अनाज, बंगलौर

8. भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी

भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी

i अ.भा.स.अ.प.-चारा फसलें

ii अ.भा.स.अ.प.-कृषि वानिकी

iii एन आर सी-कृषि वानिकी

9. केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री

केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री

I नेटवर्क परियोजना-तम्बाकू

10. भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

i गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर

ii अ.भा.स.अ.प.-गन्ना, लखनऊ

11. केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर

केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर

i अ.भा.स.अ.प.-कपास, कोयम्बतूर

ii केन्द्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर

iii अ.भा.स.अ.प.-जूट एवं संबद्ध रेशा

iv प्रौद्योगिकी मिशन-कपास; टी एम सीद्ध

प्रौद्योगिकी मिशन-जूट टी एम जे

12. तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद

तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद

i एन आर सी-मूंगफली, जूनागढ़

ii अ.भा.स.अ.प.-मूंगफली, जूनागढ़

iii एन आर सी-सोयाबीन, इंदौर

iv अ.भा.स.अ.प.-सोयाबीन, इंदौर

v एन आर सी-तोरिया एवं सरसों, भरतपुर

vi अ.भा.स.अ.प.-तोरिया एवं सरसों, भरतपुर

vii अ.भा.स.अ.प.-सूरजमुखी, कुसुम, अरण्डी, हैदराबाद

viii अ.भा.स.अ.प.-अलसी, कानपुर

ix अ.भा.स.अ.प.-तिल एवं रामतिल, जबलपुर

13. जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय, बंगलौर

जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय, बंगलौर

i अ.भा.स.अ.प.-जैविक नियंत्रण, बंगलौर

ii अ.भा.स.अ.प.-मधुमक्खी पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, हिसार

iii सफेद सूंडी एवं अन्य मृदा आर्थोपोड्स पर नेटवर्क, जयपुर

iv नेटवर्क कृषि एकोलोजी, बंगलोर

v नेटवर्क आर्थिकी पक्षी विज्ञान, हैदराबाद

14. बीज अनुसंधान निदेशालय, माउ

बीज अनुसंधान निदेशालय, माउ

i अ.भा.स.अ.प.-एन एस पी फसल का घटक

15. राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो, (एन बी ए आई एम) नई दिल्ली

II. बागवानी

16. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर

भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर

i अ.भा.स.अ.प.-उष्णकटिबंधीय फल, बंगलौर

ii केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

iii अ.भा.स.अ.प.-उपोष्ण फल, लखनऊ

iv एन आर सी-लीची, मुज्जफरपुर

v एन आर सी-नीबूवर्गीय फल, नागपुर

vi एन आर सी-अंगूर, पुणे

vii एन आर सी-केला, त्रिच्वि

17. केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर

18. केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर

केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर

i अ.भा.स.अ.प.-शुष्क फल

19. भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी

भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी

i एन आर सी-खुम्बी, सोलन

ii अ.भा.स.अ.प.-खुम्बी, सोलन

iii अ.भा.स.अ.प.-सब्जी, वाराणसी

iv राष्ट्रीय सब्जी बीज परियोजना, वाराणसी

v एन आर सी-प्याज एवं लहसुन, पुणे

20. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला

i अ.भा.स.अ.प.-ताड़

ii केन्द्रीय कन्दीय फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम

iii अ.भा.स.अ.प.-केन्द्रीय फसलें

21. केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड

केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड

i अ.भा.स.अ.प.-ताड़

ii एन आर सी-काजू, पुत्तुर

iii अ.भा.स.अ.प.-काजू

iv एन आर सी-तेलताड़, पेडावेगी, आं.प्र.

22. केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्टब्लेयर

23. भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट

भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट

i अ.भा.स.अ.प.-मसाले, कालीकट

ii एन आर सी-बीज प्रजाति, अजमेर

24. एन आर सी-औषधीय एवं सगंधीय पादप, आनन्द

एन आर सी-औषधीय एवं सगंधीय पादप, आनन्द

i नेटवर्क-ओषधीय एवं सगंधीय पादप

ii नेटवर्क-पान

III. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

25. राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर

26. केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून

27. भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल

भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल

i अ.भा.स.अ.प.-मृदा एवं पादपों में माइक्रो सेकेण्डरी एवं प्रदूषक तत्व

ii नेटवर्क-जैव उर्वरक

iii अ.भा.स.अ.प.-फसल अनुक्रिया के साथ मृदा जांच

iv अ.भा.स.अ.प.-दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण

28. केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल

केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल

i अ.भा.स.अ.प.-लवण प्रभावित मृदा और लवणीय जल का कृषि में उपयोग

29. पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, पटना

पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, पटना

i एन आर सी- मखाना, दरभंगा

30. पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, भुवनेश्वर

पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, भुवनेश्वर

i अ.भा.स.अ.प.-जल प्रबंध अनुसंधान, भुवनेश्वर

ii अ.भा.स.अ.प.-भूजल उपयोग, भुवनेश्वर

31. केन्द्रीय बारानी खेती अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

केन्द्रीय बारानी खेती अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

i अ.भा.स.अ.प.-बारानी कृषि, हैदराबाद

ii अ.भा.स.अ.प.-कृषि मौसम विज्ञान, हैदराबाद

iii नेटवर्क-भारतीय कृषि पर मौसम परिवर्तन का प्रभाव, अंगीकरण और महत्व

32. केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

i नेटवर्क परियोजना-रोडन्ट नियंत्रण

33. फसल प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय, मोदीपुरम

फसल प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय, मोदीपुरम

i अ.भा.स.अ.प.-फसलीय प्रणाली अनुसंधान (आर्गेनिक फार्म नेटवर्क सहित)

नेटवर्क परियोजना-जैविक कृषि

34. एन आर सी- खरपतवार विज्ञान, जबलपुर

एन आर सी-खरपतवार विज्ञान, जलबपुर

i अ.भा.स.अ.प.-खरपतवार विज्ञान, जबलपुर

35. भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, गोआ

36. उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, बाड़ापानी

उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, बाड़ापानी

i एन आर सी-याक

ii एन आर सी-मिथुन मेदजीफेमा, नागालैण्ड

iii एन आर सी-आर्किड, पैकयोंग, सिक्किम

IV. कृषि अभियांत्रिकी

37. केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल

केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल

i आर एन ए ई एम, भोपाल पर नेटवर्क योजना

ii एफ आई एम पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, भोपाल

iii कृषि में मानव अभियांत्रिकी एवं सुरक्षा पर अ.भा.स.अनु. परियोजना,; एच ई एस एद्ध भोपाल

iv कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों के लिए उर्जा के पुर्न संसाधनों पर अ.भा.स.अनु. परियोजना

v पशु उर्जा के उपयोग पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना; यू ए ईद्ध, भोपाल

38. केन्द्रीय फसल कटाई के उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना

केन्द्रीय फसल कटाई के उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना

i फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी पर अ.भा.स.अनु. परियोजना

ii कृषि में प्लास्टिक के उपयोग पर अ.भा.स.अनु. परियोजना

iii गुड़ एवं खांडसारी की प्रक्रिया का रख-रखाव एवं भंडार पर ए.आई.सी.आर.पी., लखनऊ

39. भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची

40. केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मुंबई

41. राष्ट्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान एवं प्रौद्योगकी संस्थान, कलकत्ता

V. (पशु विज्ञान)

42. राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, करनाल

राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, करनाल

i पशु आनुवंशिकी संसाधन पर नेटवर्क परियोजना

43. राष्ट्रीय पशु जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र सहित राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल

राष्ट्रीय पशु जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र सहित राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल

i औद्योगिक कार्यों के लिए देशी दुग्ध उत्पाद की उन्नयन प्रक्रिया के लिए आर एंड डी सहायता पर नई योजना

ii डेयरी उद्योग पर आधारित समेकित ग्रामीण विकास की पायलट परियोजना

44. केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, राजस्थान

केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, राजस्थान

i भेड़ सुधार पर नेटवर्क कार्यक्रम

45. केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम

केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम

i बकरी सुधार पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना

46. केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार

केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार

i भैंस सुधार पर नेटवर्क कार्यक्रम

47. राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान

राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान

i बढ़ते हुए पशु उत्पादन के लिए खाद्य संसाधन एवं पोषण उपयोग का सुधार पर

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना

48. राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर

49. राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार

राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार (इसमें पशु चिकित्सा टाइप कल्चर भी शामिल है।)

50. पशु परियोजना निदेशालय

पशु परियोजना निदेशालय

i पशु अनुसंधान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना

51. खुरपका एवं मुंहपका रोग पर परियोजना निदेशालय, मुक्तेश्वर

51. केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर

केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर

i मुर्गी पालन परियोजना निदेशालय, हैदराबाद

ii मुर्गी पालन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना निदेशालय

53. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसधान संस्थान, इज्जतनगर

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसधान संस्थान, इज्जतनगर

i गैस्ट्रो इंटैस्टीनल पैरोसटिज्म (जी आई पी) पर नेटवर्क

ii हिमोरा हिग संघटक पर नेटवर्क

iii नीली जीभ रोग पर नेटवर्क कार्यक्रम

iv पशु रोग मॉनीटरिंग और सर्वेक्षण पर परियोजना निदेशालय

उच्च सुरक्षा पशु रोग

54. राष्ट्रीय मांस एवं मांस उत्पाद प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद

55. राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केन्द्र

राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केन्द्र

i सूअर पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना

VI. मात्स्यिकी

56. केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन

केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन

i केन्द्रीय खारा जल जीव पालन संस्थान, चेन्नई

57. केन्द्रीय अन्तःस्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर

केन्द्रीय अन्तःस्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर

i राष्ट्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र, नैनीताल

58. केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन

59. केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुंबई

60. केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान, भुवनेश्वर

61. राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ

VII. कृषि सांख्यिकी एवं आर्थिकी

62. भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

i राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान आर्थिकी केन्द्र, नई दिल्ली

VIII. कृषि विस्तार

63. कृषि विज्ञान केन्द्र (नए एवं पुराने)

64. कृषि में महिलाओं पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर

65. कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय (दीपा)

IX. कृषि शिक्षा

66. कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

गृह विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना

राज्य कृषि विश्वविद्यालय का विकास एवं सुदृढ़ीकरण

मानद विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा का विकास एवं सुदृढ़ीकरण

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा का विकास एवं सुदृढ़ीकरण

ग्रामीण जानकारी कार्यानुभव (आर ए डब्ल्यू ई)

सर्वश्रेष्ठ अध्यापक पुरस्कार

प्रत्यायन बोर्ड

विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य-पुस्तकें तैयार करना

अवकाश प्राप्त विज्ञान स्कीम

अग्रणीय अध्ययन केन्द्र

जम्मू विश्वविद्यालय की स्थापना

उत्कृष्टता केन्द्र

67. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंध अकादमी (नार्म), हैदराबाद

68. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल

XI. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय

69. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण

कार्यालय स्थान और सुविधाओं का आधुनिकीकरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुस्तकालय

प्रचार एवं जनसम्पर्क

बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई पी आर)

एन ए ए एस सहित प्रोफेसर सोस. को सहायता

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड

एन ए एस सी पर सुविधाओं सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय

XII. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

70. राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (विश्व बैंक)

71. सीबास प्रजनन और सम्वर्धन पर इण्डो-फ्रेंच प्रस्ताव

विवरण-II

कर्नाटक में उनके आवंटन के साथ परियोजनाओं का विवरण

(रु. लाख में)

	2004-05 संशोधित अनुमान	2005-06 बजटीय अनुमान
1	2	3
छोटे-मोटे अनाजों पर अ.भा.स.अनु.प., बेंगलौर	243.00	193.75
जैवकीय नियंत्रण परियोजना निदेशालय, बेंगलौर	190.00	161.00

1	2	3
जैवकीय नियंत्रण पर अ.भा.स.अनु.प., परियोजना, बेंगलौर	144.00	156.63
कृषि एकारोलोजी पर नेटवर्क, बेंगलौर	150.00	76.83
भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलौर	450.00	500.00
उष्ण कटिबंधी फलों पर अ.भा.स.अनु.प., बेंगलौर	260.00	250.00
काजू राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, पुत्तुर	100.00	140.00
काजू पर अ.भा.स.अनु.प., पुत्तुर	90.00	90.00
राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कार्यिकी संस्थान, बेंगलौर	300.00	500.00
चारा साधनों एवं पोषण उपयोग का सुधार-अ.भा.स.अनु.प.	255.00	335.00
पशु रोग मानीटरण एवं सतर्कता परियोजना निदेशालय, बेंगलौर	390.00	390.00
कुल	2572.00	2793.21

[हिन्दी]

प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं का आयात

108. **श्री सीताराम सिंह : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के आयात का स्वदेशी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन सी भारतीय कंपनियां अपने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए विदेशी कंपनियों के ब्रांड नाम का इस्तेमाल कर रही हैं; और

(घ) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के आयात का स्वदेशी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी कोई स्पष्ट बात सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) और (घ) इस प्रकार की सूचना नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बाढ़ नियंत्रण संबंधी योजना

109. **श्री मणी कुमार सुब्बा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र में बाढ़ नियंत्रण और इसके मुहाने तथा इसके तटवर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अनुमानत: कितनी लागत आयेगी; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना को कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख शाखा के लिए मास्टर प्लान पार्ट-I तथा बराक नदी तथा इसकी सहायक नदियों के लिए पार्ट-II तैयार किए हैं जिन्हें भारत सरकार ने 1997 में अनुमोदित किया था। मास्टर प्लान पार्ट-III के अन्तर्गत पहचाने गए 49 उप-बेसिन मास्टर प्लानों में से भारत सरकार के अब तक 34 को अनुमोदन प्रदान किया है और शेष दाये उप-बेसिन मास्टर प्लान तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं। मास्टर प्लान में बाढ़ प्रबंधन के विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं:-

संरचनात्मक उपाय

1. लघु अवधि उपाय

(i) बाढ़ के दौरान नदी जल के देहात में बिखरने से रोकने के लिए सीमावर्ती तटबंधों का निर्माण, तटबंधों की दरारों को बंद करना एवं कटावरोधी कार्य।

2. मध्यम अवधि उपाय

(i) जल निकास वाहिका का निर्माण एवं जल निकास सुधार

(ii) नदी प्रशिक्षण कार्य

3. दीर्घावधि उपाय

(i) ब्रह्मपुत्र एवं इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों के ऊपरी विस्तार में अवरोधन जलाशयों/बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं का निर्माण।

2000 के मूल्य स्तर पर मास्टर प्लान पार्ट-I के क्रियान्वयन के लिए 1,22,944 करोड़ रुपये तथा मास्टर प्लान पार्ट-II के लिए 6,322 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार किए गए तथा बाद में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लानों को संबंधित राज्य सरकारों को क्रियान्वयन के लिए भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

टुलबुल नौवहन परियोजना

110. **श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर की टुलबुल नौवहन परियोजना का मौजूदा दर्जा दो दशकों से जस-का-तस पड़ा हुआ है;

(ख) क्या इस गतिरोध को दूर करने के लिए सिंधु जल संधि 1960 के अन्तर्गत सरकारों द्वारा हाल ही में कोई बातचीत की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) सरकार स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए पाकिस्तान द्वारा रखी गई एक पूर्व शर्त को पूरा करने के लिए वुलर बैराज/ तुलबुल नौवहन परियोजना का कार्य 2 अक्तूबर, 1987 से रोक दिया गया था।

(ख) भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त वार्ता के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में 28 से 29 जून, 2005 तक सचिव स्तरीय वार्ता आयोजित की गई, जिस के दौरान दोनों पक्षों ने अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।

(ग) समाधान की प्रक्रिया को तेज करने के प्रयास में दोनों पक्षों के तकनीकी विशेषज्ञों ने इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया तथा दोनों पक्षों के विचार रिकार्ड किए गए। एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई जिसके अनुसार दोनों पक्ष इस समस्या को संधि (सिंधु जल संधि-1960) के अनुसार हल करने के उद्देश्य से वार्ता-प्रक्रिया के अगले दौरे में विचार-विमर्श जारी रखने पर सहमत हुए।

झारखंड में नयी चीनी मिलें

111. **श्री बीर सिंह महतो :**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास झारखंड में नयी चीनी मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस वित्त वर्ष के दौरान राज्य में कितनी चीनी मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या पहले स्थापित की गयी कुछ चीनी मिलें रुग्ण हो चुकी हैं;

(घ) यदि हां, तो ये कब से बंद पड़ी हुई हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(च) इसमें कितनी सफलता प्राप्त की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) झारखंड राज्य में कोई चीनी मिल नहीं है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

वतरक जलाशय का सर्वेक्षण

112. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग द्वारा गुजरात में वतरक जलाशय का जल सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, हां। गुजरात में वतरक जलाशय का जल सर्वेक्षण केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2003 के दौरान कराया गया था।

(ख) इस जलाशय को पहले वर्ष 1984 में अवरुद्ध किया गया था। जलाशय के जल सर्वेक्षण से पता चला है कि अवरुद्ध करने के 19 वर्षों बाद गाद हटाने की दर 0.728 हजार घनमीटर/वर्ग किलोमीटर/वर्ष पाई गई है।

सीमा क्षेत्रों में नेपाल की नदियों से आने वाली गाद

113. **श्री रवि प्रकाश वर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा क्षेत्रों में नेपाल से नदियों के पानी के साथ-साथ बड़ी मात्रा में गाद भी आ रही है जिससे शारदा बैराज और सुहैल बैराज को भारी क्षति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गाद रोकने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में अन्य कौन-कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मानसून ऋतु में शारदा नदी द्वारा शारदा बैराज में और सुहेली नदी द्वारा सुहेली बैराज में बड़ी मात्रा में गाद बहकर आती है। शारदा बैराज और सुहेली बैराज की सुरक्षा के संबंध में इस गाद से सुरक्षा को खतरा नहीं है परंतु इससे नदी प्रणाली में आंतरिक भंडारण क्षमता और जल की उपलब्धता में कमी आती है।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सूचना दी है कि नहर में गाद के प्रवेश को कम करने के लिए संरचना में पहले ही प्रावधान किया गया है और यह भी कि नहरों में गाद के प्रवेश को कम करने के उपायों का पता लगाने के लिए समय-समय पर अध्ययन कराए जाते हैं।

[हिन्दी]

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु योजना

114. **श्री राजनारायन बुधौलिया** :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :
मोहम्मद शाहिद :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान और इसके पश्चात् देश में पर्यटन के विकास के लिए कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(घ) राज्य सरकारों द्वारा उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी/जारी की गयी?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान भी सरकार ने पर्यटन के संवर्धन के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं जो निम्नानुसार हैं:-

1. गंतव्य तथा परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास।
2. वृहत् राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता।
3. विदेशों में संवर्धन तथा प्रचार जिनमें बाजार विकास योजना शामिल है।
4. आतिथ्य सत्कार सहित घरेलू संवर्धन तथा प्रचार।
5. सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण।

(ग) सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पर्यटन के विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को आबंटित/अवमुक्त राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान (2002-03 से 2004-05 तक)
सेंट्रल सेक्टर योजनाओं के व्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	योजनाएं	वास्तविक 2002-03	वास्तविक 2003-04	वास्तविक 2004-05 (अनंतिम)
1.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	7.50	5.00	11.87
2.	पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास	46.92	*	*
3.	चल रही 9वीं प्लान योजनाएं	33.79	0.00	0.00
4.	आईएचएम्स/एफसीआईज/आईआईटीटीएम/एनआईडब्ल्यूएस/ एनआईएएस/एनसीएचएमसीटी	5.50	25.50	25.00
5.	सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	1.64	1.52	1.53
6.	चल रही 9वीं प्लान योजनाएं	10.40	0.00	0.00
7.	विदेशों में संवर्धन तथा प्रचार जिनमें एमडीए शामिल हैं	36.36	55.89	77.81
8.	घरेलू संवर्धन तथा प्रचार जिनमें आतिथ्य सत्कार शामिल हैं	8.29	22.77	26.20
9.	चल रही 9वीं प्लान योजनाएं	25.69	0.00	0.00
10.	आवास अवसंरचना के लिए प्रोत्साहन	2.00	10.00	10.00
11.	रियायतें तथा प्रोत्साहन (चल रही 9वीं प्लान योजनाएं)	9.00	0.00	0.00
12.	आईआईएसएम, गुलमर्ग में (जम्मू एवं कश्मीर पैकेज) भवन निर्माण	0.00	0.50	4.00
	जोड़	187.09	121.15	156.41

*पर्यटन परिपथों का एकीकृत विकास की योजना को वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 में सेंट्रल सेक्टर योजना से परिवर्तित कर सेंट्रली स्पॉंसर्ड स्कीम कर दिया गया है।

विवरण-II

दसवीं पंचवर्षीय योजना (31.3.2005 को) के दौरान स्वीकृत की गई राज्य-वार पर्यटन परियोजनाओं का विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-03			2003-04			2004-05 (अनंतिम)		
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2	507.50	195.00	6	946.50	896.44	16	2827.19	2240.68
2.	असम	9	768.13	618.85	3	313.46	313.06	8	986.03	766.22
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	41.30	32.50	6	1044.60	700.00	9	1325.50	927.96
4.	बिहार	8	505.00	505.00	6	1019.42	913.89	7	1901.43	1527.71
5.	छत्तीसगढ़	9	308.00	98.50	6	1005.00	364.00	6	1117.94	897.93
6.	गोवा	1	0.50	0.50	2	36.76	34.76	3	110.00	38.00
7.	गुजरात	2	197.12	59.13	8	920.51	815.82	2	138.93	111.14
8.	हरियाणा	8	332.25	311.00	16	1215.38	879.23	6	693.55	513.64
9.	हिमाचल प्रदेश	30	779.32	760.38	4	182.32	85.00	12	2680.00	2161.00
10.	जम्मू-कश्मीर	3	94.38	89.47	5	895.00	895.00	5	819.25	699.04
11.	झारखंड	0	0	0	2	1109.00	774.60	2	945.91	756.72
12.	कर्नाटक	6	902.49	625.49	14	932.66	792.51	12	2461.76	1937.37
13.	केरल	11	861.36	829.86	6	608.50	564.15	10	2283.63	1820.33
14.	मध्य प्रदेश	18	711.18	574.79	10	621.90	394.51	11	1595.19	942.21
15.	महाराष्ट्र	8	623.46	546.25	10	931.83	914.58	10	1620.62	925.30
16.	मणिपुर	2	5.24	2.62	1	82.44	24.73	0	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मेघालय	3	70.35	21.20	2	40.00	24.92	2	963.30	807.91
18.	मिजोरम	6	141.16	48.46	5	567.70	186.75	6	1086.35	382.38
19.	नागालैंड	5	360.50	323.43	4	711.00	220.80	7	2250.69	1413.40
20.	उड़ीसा	2	47.50	15.75	5	419.55	138.50	8	1320.74	1059.38
21.	पंजाब	3	23.00	14.60	2	96.00	12.30	7	724.68	581.47
22.	राजस्थान	13	1098.70	1096.20	14	1644.81	1414.25	13	2516.61	1375.07
23.	सिक्किम	13	346.24	269.76	8	1151.09	681.49	8	660.81	531.33
24.	तमिलनाडु	5	559.00	316.10	14	1339.82	850.53	7	1308.92	705.83
25.	त्रिपुरा	5	216.13	67.78	6	450.17	135.16	1	20.00	16.00
26.	उत्तरांचल	3	548.00	418.00	4	230.44	203.94	7	2199.98	1750.73
27.	उत्तर प्रदेश	3	295.00	295.00	7	1115.80	916.26	9	1044.93	831.19
28.	पश्चिम बंगाल	5	201.10	60.00	10	717.44	384.34	10	513.04	407.43
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
30.	चण्डीगढ़	3	7.75	6.63	2	10.00	8	3	467.00	373.60
31.	दादरा एवं नागर हवेली	2	8.07	6.46	0	0	0	0	0.00	0.00
32.	दिल्ली	14	504.00	449.02	17	3316.28	3222.13	8	628.85	511.00
33.	दमन एवं दीव	3	49.50	16.90	1	265.07	238.56	0	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	2	7.87	6.30	1	245.17	73.55	2	451.00	360.00
	कुल	212	11121.10	8680.93	207	24185.84	18073.76	217	37663.83	27371.97

टिप्पणी—इसमें परिपथों, गंतव्यों, एलआरजी, यूएनडीपी ग्रामीण पर्यटन साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर, आईटी, कार्यक्रम तथा मेले एवं त्यौहारों से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात

115. श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात किए गए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है और इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) वर्ष-वार सूचना दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। परंतु, इस संबंध में राज्य-वार सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) पंजीकृत निर्यातकों को बाजार विकास, बुनियादी सुविधा विकास, गुणवत्ता एवं अनुसंधान विकास और परिवहन सहायता संबंधी स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि निर्यातक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकें और अपने उत्पादों के निर्यात के लिए आयातक देशों की आवश्यकता को समझ सकें। कुछ संभावित खाद्य उत्पादों के संवर्धन के लिए कृषि निर्यात अंचल (ए ई जेड) स्थापित किए गए हैं।

विवरण

(क) पिछले तीन सालों के दौरान निर्यातित प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के ब्यौरे

(मात्रा 000 मी.टन में और मूल्य करोड़ रु. में)

मद	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
सूखी तथा परिरक्षित सब्जी	209.1578	537.15	216.64016	561.03	211.16009	520.49
आम गूदा	76.73518	241.34	96.10731	297.01	89.51484	241.99
अचार और चटनी	38.75897	120.34	56.38437	154.16	63.05273	119.75
अन्य प्रसंस्कृत फल तथा सब्जियां	61.33236	201.74	54.79277	194.73	66.07026	243.58
कुल प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां	385.9843	1100.57	423.92461	1206.93	429.79792	1125.81
अन्य प्रसंस्कृत खाद्य						
मूंगफली	112.8128	250.94	67.88975	178.3	176.10932	544.3
ग्वारगम	117.883	403.09	111.94836	486.74	120.56127	507.9
गुड़ तथा मिष्टान्न	365.8934	436.49	191.52254	212.98	295.01325	331.48
कोको उत्पादत	1.29338	12.87	1.23521	11.94	1.68837	16.15

1	2	3	4	5	6	7
अनाज व्यंजन	38.08717	224.67	51.80974	268.83	46.27535	241.71
अल्कोहलयुक्त एवं गैर अल्कोहलयुक्त पेय	49.67186	118.29	26.16458	102.47	28.96409	108.62
विविध व्यंजन	23.18916	137.33	38.68741	170.2	65.25202	210.33
मिल में तैयार उत्पाद	322.3465	196.39	499.69278	288.65	545.75539	355.95
कुल अन्य प्रसंस्कृत खाद्य	1031.177	1780.07	988.95037	1720.11	1279.61906	2316.44

(ख) पिछले तीन सालों यानी 2002-03 से 2004-05 के दौरान निर्यातित समुद्री उत्पादों के ब्योरे

(मात्रा 000 मी.टन में और मूल्य करोड़ रु. में)

मद	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कुल समुद्री उत्पाद	467.2	6881.31	412	6092	461.3	6647

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों की संख्या में कमी

116. **श्री बालासाहेब विखे पाटील :**
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरिस्का, रणथम्भौर और पन्ना राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सच्चाई का पता लगाने के लिए कोई प्रमाणिक सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और अन्य बाघ अभयारण्यों में बाघों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) राजस्थान के सरिस्का बाघ रिजर्व में से बाघों के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई है। राजस्थान सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स ने वर्ष 2001-02 के दौरान रिजर्व में किए गए अपने आकलन में 35 बाघों की तुलना में अब रणथम्भौर में 26 बाघों की संख्या का अनुमान लगाया है। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पन्ना में 34 बाघों के होने का अनुमान लगाया गया है। इनके वर्ष 2001-02 के अनुमान के अनुसार रिजर्व में इनकी संख्या 31 थी।

(ख) सभी राज्यों को शामिल करके भारत सरकार, द्वारा बाघ परभक्षियों और शिकारी जानवरों का अखिल भारतीय आकलन नवम्बर, 2005 से फरवरी, 2006 तक किया जाना है।

(ग) बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत बाघों सहित वन्यजीवों के शिकार एवं वाणिज्यिक दोहन के विरुद्ध वैधानिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

2. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से क्षमता एवं अवसंरचना को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

3. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा दायर करने की शक्तियां प्रदत्त की गई है।

4. वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को फील्ड संरचनाओं को सहायता देने के लिए कहा है।

5. देश में वन्यजीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए अनेक कार्य-बिन्दुओं और प्राथमिक परियोजनाओं के साथ एक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) आरंभ की गई है।

[हिन्दी]

वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलना

117. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने वन ग्राम हैं और इन वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इन वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों के रूप में कब तक अधिसूचित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में 925 वन ग्राम है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सभी 925 वन ग्रामों को परिवर्तित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इनमें से 315 वन ग्राम 11 जिलों अर्थात् खरगांव, देवास, राजगढ़, गुना, सिद्धि, विदिशा, बदवानी, दिन्दोरी, छिन्दवाड़ा, रायसेन और ओबेदुल्लाह गंज और सागर को पहले ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत राजस्व ग्रामों में परिवर्तित कर दिया गया है। वन ग्रामों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.11.2000 के आदेश के कारण रुकी हुई है जहां शीर्ष न्यायालय ने वनों/राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों को अनारक्षित करने पर रोक लगाई हुई है।

[अनुवाद]

किसानों के लिए परामर्श

118. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को खरीफ फसल के बीजा-रोपण के लिए भूमि में उपलब्ध नमी को बचाने और किफायती कृषि प्रणाली का उपयोग करने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों को कृषि कार्यों में आने वाली लागत में 20-25 प्रतिशत तक की कमी लाने के लिए रोटेवेटर और अन्य उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण इस प्रकार है:-

1. नमी के बेहतर उपयोग तथा जल भराव से बचने के लिए बुआई का मेढ और हल रेखा (खूड) (रिज एंड फर्रो) प्रणाली अपनाना,

2. फार्म तालाबों के माध्यम से वर्षा जल संचयन अपनाना तथा वर्षा में लम्बा अंतराल होने पर जीवन रक्षक सिंचाई लागू करना,

3. मृदा नमी हानि को कम करने के लिए मलचिंग का उपयोग, तथा

4. शुष्क भूमि क्षेत्रों में सूक्ष्म-सिंचाई प्रणाली अपनाना।

(ग) जी, हां।

(घ) विवरण इस प्रकार है:-

1. रोटावेटर का उपयोग

   – एक ही बार में बीज की क्यारी तैयार करता है बशर्ते पर्याप्त मृदा नमी हो (लगभग 10%)।

   – परंपरागत पद्धति की तुलना में बीज की क्यारी तैयार करने में 30-35% तक समय की बचत करता है।

   – प्रचालन लागत में 20-25% की कमी।

2. निम्नलिखित के लिए जीरो टिल सीड-कम-फर्टीलाईजर ड्रिल का उपयोग–

   – मृदा की बनावट को यथावत रखते हुए उपलब्ध मृदा नमी का इष्टतम उपयोग।

   – लगभग 1700 रुपये प्रति है० तक खेती लागत में कमी करके समय की बचत।

3. निम्नलिखित के लिए रेज्ड बैड प्लांटर का उपयोग–

   – बीजों व उर्वरकों को लगभग 25% तक बचाना।

   – सिंचाई जल को 25-30% तक बचाना।

   – खरपतवार नियंत्रण।

इस्को का सेल के साथ विलय

119. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री उदय सिंह :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री एस.के. खारवेनथन :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्को के भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के साथ विलय के प्रस्ताव को इस मंत्रालय ने मंजूरी दी है और इसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति की प्रतीक्षा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) सरकार ने जून, 2005 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) में विलय के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की अपेक्षित मंजूरी के पश्चात विलय की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सेल को अनुमति दे दी गई है क्योंकि इस्को का मामला बीआईएफआर के पास है। तदनुसार, सेल और इस्को ने विलय की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड

120. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड (एन.एफ.एल.) की वर्तमान में कितनी इकाइयां विद्यमान हैं;

(ख) क्या इन इकाइयों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा भर्ती नियम एक समान हैं अथवा ये प्रत्येक इकाई के लिए अलग-अलग हैं;

(ग) चिकित्सा तथा शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन इकाइयों में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है;

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा नांगल (पंजाब) की एनएफएल इकाई द्वारा संचालित स्कूल का कार्यभार निजी हाथों में सौंप दिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं? तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की इकाईयां नंगल और भटिंडा (पंजाब); पानीपत (हरियाणा) और विजयपुर I और II (मध्यप्रदेश) में कार्यरत हैं।

(ख) कंपनी की सभी इकाइयों के कर्मचारियों के भर्ती नियम समान हैं।

(ग) अपनी इकाईयों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए

कंपनी के पास कुल 25 कर्मचारी तथा शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 60 कर्मचारी है।

(घ) नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के प्रबंधन ने शैक्षिक सत्र 2005-06 से नंगल स्थित सीएके फर्टिलाइजर सीनियर सेकेंडरी स्कूल को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मानदण्डों के अनुसार संचालित करने के लिए एक शिक्षा समिति को सौंप दिया है।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

पशुधन बीमा योजना

121. **श्री सीता राम यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2005-06 के बजट आकलन में 50 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त करने वाली पशुधन बीमा योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के औपचारिक अनुमोदन के लिए योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के बाद, योजना को इसके अंतिम रूप से क्रियान्वयन के लिए आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

समुद्री जीवों को मारा जाना

122. **प्रो. एम. रामदास** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूंगे के खनन माफिया से मूंगे के ढेरों तथा तटीय जैवविविधता की सुरक्षा हेतु मोबाइल स्क्वाड बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मन्नार की खाड़ी में समुद्री जीवों के मारे जाने को रोकने के लिए कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन उपायों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) प्रवाल भित्तियों और तटीय जैव विविधता को बचाने के लिए संबंधित राज्यों द्वारा उपाय किए जाते है। प्रवाल खनन माफिया से प्रवाल भित्तियों और तटीय जैव विविधता की सुरक्षा हेतु मोबाइल स्कवाड बनाने की भारत सरकार की कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लोक सहभागिता प्राप्त करने के लिए 67 गांवों को शामिल करके मन्नार की खाड़ी में 67 पारि-विकास समितियों का गठन किया गया है। प्रवाल खनन और अवैध शिकार को रोकने के लिए द्वीप समूहों में और उनके आस-पास नियमित गश्त लगाई जाती है।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन

123. **श्री ई. पोन्नुस्वामी** :
श्री खाडिगा राममूर्ति :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, इसमें क्या बदलाव किए जाने की संभावना है;

(ग) विशिष्ट वन्य जीवों की जातियों की रक्षा करने में इसमें किस प्रकार सहायता मिलने की संभावना है; और

(घ) इसके कब तक प्रक्रिया में आने की तथा इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) जब कभी मंत्रालय में उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया जाता है। पिछली बार वर्ष 2002 के दौरान संशोधित इस अधिनियम के तहत देश में वन्य जीवों को पर्याप्त और प्रभावी सुरक्षा मुहैया करने का प्रावधान है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों का उत्पादन

124. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्री उदय सिंह :
श्री रामदास आठवले :
श्री तथागत सत्पथी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री गजेश सिंह :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री संतोष गंगवार :
श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान देश में गेहूं सहित खाद्यान्न के उत्पादन के लक्ष्य से कम होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कमी को पूरा करने के लिए गेहूं का आयात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) वर्ष 2005-06 के लिए खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य अनंतिम रूप से 215 मिलियन मी. टन रखा गया है जिसमें 109.92 मिलियन मी. टन खरीफ उत्पादन तथा 75.53 मिलियन मी. टन गेहूं सहित 105.08 मिलियन मी. टन रबी उत्पादन शामिल है।

जून 2005 में मानसून का मिजाज अस्थिर था और 1 जून से 29 जून तक अखिल भारतीय स्तर तक संचयी वर्षा सामान्य से 20% कम हुई। तथापि बाद में मानसून पुन: सक्रिय हो गया तथा अखिल भारतीय स्तर पर 1 जून से 13 जुलाई, 2005 तक संचयी वर्षा सामान्य से 1% अधिक हुई। कालिक और स्थानिक वितरण दोनों के संबंध में मानसून की मात्रा में आगे और कोई विचलन, न मानते हुए तथा आदानों की पर्याप्त उपलब्धता को मानते हुए 109.92 मिलियन मी. टन खरीफ उत्पादन संभव होगा।

गेहूं पूर्णतया रबी फसल है। वर्ष 2005-06 के दौरान लक्षित उत्पादन प्राप्त करने के विषय में इस समय कोई पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) बफर प्रतिमान यह निर्दिष्ट करते हैं कि वर्ष 2005-06 के दौरान चावल और गेहूं का स्टॉक निम्नलिखित होना चाहिए:

(लाख टन में)

तारीख	चावल	गेहूं	कुल
पहली अप्रैल	122.00	40.00	162.00
पहली जुलाई	98.00	171.00	269.00
पहली अक्तूबर	52.00	110.00	162.00
पहली जनवरी	118.00	82.00	200.00

इन प्रतिमानों के मुकाबले *30 जून, 2005 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य अभिकरणों के पास कुल 245.25 लाख मी. टन स्टॉक था जिसमें 100.71 लाख मी. टन चावल और 144.54 लाख मी. टन गेहूं शामिल हैं। चूंकि गेहूं की स्टॉक स्थिति निर्दिष्ट बफर प्रतिमान से थोड़ा ही कम है अत: गेहूं आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*अनंतिम

[हिन्दी]

गाय की सन्तति को बढ़ावा देना

125. **श्री काशीराम राणा :**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गाय की सन्तति को बढ़ावा देने, गो-वृध पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान गाय की सन्तति को बढ़ावा देने के लिए कितना व्यय किया गया;

(ङ) क्या देश में गाय के मांस का निर्यात किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो यह कितनी मात्रा में किया गया तथा प्रति वर्ष इससे कितनी आय हुई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) सरकार अक्टूबर, 2000 से पशुधन एवं भैंसों के आनुवंशिक उन्नयन के लिए राष्ट्रीय पशुधन एवं भैंस प्रजनन परियोजना क्रियान्वित कर रही है। इस परियोजना के तहत 2004-05 तक 2002.50 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। गोपशु संरक्षण ऐसा विषय है जिस पर राज्य विधानसभा को अनन्य रूप से कानून बनाने का अधिकार है—इससे संबंधित प्रविष्टि संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 15 है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एनपीसीबीबी के तहत प्रदान की गई राज्यवार धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) गोमांस का निर्यात निषिद्ध है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना के तहत राज्यवार जारी धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-2003	2003-04	2004-05	कुल निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	934.57	718.18	858.36	2511.1
2.	अरुणाचल प्रदेश			151.30	151.3
3.	असम			129.50	129.5
4.	छत्तीसगढ़		98.00	100.00	198
5.	गुजरात		40.00	279.70	319.7
6.	गोवा		58.71	97.29	156
7.	हरियाणा			454.00	454
8.	हिमाचल प्रदेश	220.00	100.00	270.20	590.2
9.	जम्मू एवं कश्मीर			135.91	135.91

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक		465.00	394.29	859.29
11.	केरल	230.0	220.00	801.95	1252
12.	मध्य प्रदेश	300.00	360.00	661.54	1321.5
13.	महाराष्ट्र		860.00		860
14.	कुल जारी		17.36		17.36
15.	मेघालय		65.64		65.64
16.	मिजोरम	17.97	40.00	71.00	128.97
17.	नागालैंड	96.00	182.00	159.67	437.67
18.	उड़ीसा	551.60		485.00	1036.6
19.	पंजाब	120.83		111.27	232.1
20.	तमिलनाडु	570.00		204.82	774.82
21.	त्रिपुरा		95.00	96.67	191.67
22.	उत्तर प्रदेश	1063.00		841.151	1904.2
23.	उत्तरांचल		275.00	841.80	359.8
24.	पश्चिम बंगाल			353.10	353.1
25.	दादरा व नागर हवेली			27.7600	27.760
26.	पाण्डिचेरी			18.15	18.15
	कुल	4103.97	3594.89	6787.431	14486.29

भूजल का दोहन

126. **श्री ब्रजेश पाठक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़गांव में भूजल के दोहन पर प्रतिबंध के बावजूद केन्द्रीय भूजल बोर्ड की अनुमति के बगैर ऐसा किया जा रहा है जैसा कि 31 मई, 2005 के 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण

यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने गुड़गांव शहर तथा समीपवर्ती गुड़गांव जिला, हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र को भूमि जल विकास तथा प्रबंधन के विनियमन के उद्देश्य हेतु अधिसूचित किया है। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के निदेशों के क्रियान्वयन हेतु उपायुक्त, गुड़गांव आवश्यक कार्रवाई कर रहे है। भूजल के अवैध रूप से निकालने के मामले उपायुक्त, गुड़गांव के संज्ञान में आए हैं जिन्होंने अवैध रूप से कार्य कर रहे 21 ट्यूबवेलों को सील तथा 40 को ढहा दिया है और 3 बोरिंग मशीनों को हटा दिया।

[अनुवाद]

पेप्सी द्वारा फसलों के लिए चमत्कारी द्रव

127. **श्री महबूब जाहेदी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सी फूडस द्वारा भारत में "मेजिक" नामक स्वास्थ्य संबंधी स्प्रे लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी ने दावा किया है कि पौधों का यह स्प्रे सस्ता है और यह किसान की आमदनी बढ़ाएगा;

(ग) क्या इस प्रौद्योगिकी को गुजरात के सेन्ट्रल साल्ट एण्ड मरी कैमिकल्स रिसर्च इंस्टीटयूट द्वारा पेटेन्ट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आईसीएआर तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ग्रामीण किसानों के लिए समुद्री खरपतवार की खेती पर पैसा कमाने के जरिए के रूप में जोर दिया गया है; और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान, कोची समुद्री शैवाल पर अनुसंधान और विकास कार्य कर रहा है तथा उसने खुले समुद्र में समुद्री शैवाल उगाने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है जिसमें समुद्री भोजन के साथ-साथ भेषज और संवर्गी उद्योगों में समुद्री शैवाल की बड़ी मांग के कारण मछुआरों की आय बढ़ाने की संभावित क्षमता है।

कृषि वृद्धि संबंधी समिति

128. **श्री उदय सिंह :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कृषि वृद्धि में लगातार आई कमी के कारणों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों की संरचना क्या है तथा कृषि वृद्धि में लगातार आई कमी के कारणों की यह किस प्रकार जांच करेगी;

(ग) क्या कृषि उत्पादों के निर्माण में तेजी लाने के लिए विभिन्न राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान केन्द्रों का अध्ययन किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) नवम्बर, 2004 में पुनर्गठित राष्ट्रीय कृषक आयोग के विचारार्थ विषय हैं खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु एक व्यापक मध्यावधिक रणनीति तैयार करने, कृषि पारिस्थितिकीय व कृषि जलवायुवीय दृष्टिकोण के आधार पर उत्पादकता बढ़ाने, कृषि-अनुसंधान आदि में निवेश बढ़ाने से संबंधित मुद्दे। पुनर्गठित राष्ट्रीय कृषक आयोग के अध्यक्ष डा. एम. एस. स्वामिनाथन हैं तथा इसके दो पूर्ण कालिक सदस्य, चार अंशकालिक सदस्य तथा एक सदस्य सचिव हैं। आशा है कि आयोग अपने गठन के दो वर्षों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

(ग) इस समय विभिन्न राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों के अनुसंधान केन्द्रों के उन्नयन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

कृषि अनुसंधान हेतु प्रोत्साहन योजना

129. **श्री मदन लाल शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के प्रत्येक कृषि अनुसंधान संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बराबर लाने के लिए कोई योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) कृषि अनुसंधान के स्तर, संस्थानों के विकास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने के लिए वर्षों से अनेक प्रयास किये गये हैं जिसमें संपूर्ण विकास के लिए सापेक्ष योजना, अनुसंधान सुविधाओं का सर्वांगीण सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण, व्यक्तिगत मैरिट की पहचान के लिए पुरस्कार और तंत्र व बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण शामिल है। अलग-अलग वैज्ञानिकों और संस्थानों को प्रोत्साहन देने के लिए एक खास स्कीम है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) ने 89 पुरस्कार शुरू किये हैं जिसमें 40 वार्षिक और 49 द्विवार्षिक पुरस्कार शामिल हैं जिन्हें संस्थानों, वैज्ञानिकों, यहां तक कि किसानों और पत्रकारों को उनके कार्य निष्पादन की पहचान और पुरस्कृत करने के लिए किया जाता है। इन पुरस्कारों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अतिरिक्त योग्य वैज्ञानिकों को परस्पर संघर्षों के जरिए उनके ज्ञान को बढ़ाने और विश्वास वृद्धि हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्रतिभागिता के लिए और चुने हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और/या सहयोगी अनुसंधान के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। अल्पावधि विशिष्ट अनुसंधान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि उत्पाद उपकर निधि के अधीन विकास स्कीमें तथा विश्व बैंक निधि से प्रदत्त निधि से राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना भी योग्य वैज्ञानिकों को प्रदान की गई/अनुमोदित की गई जो कि उनकी केन्द्रित गतिविधियों में उनकी सहायता करती हैं और समरूप बुनियादी ढांचा और सुविधाएं, अनुसंधान और संस्थानों के स्तर को उठाने के लिए प्रदान की गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पुरस्कारों का विवरण

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	वार्षिक अथवा द्विवार्षिक	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार की राशि (रु. लाख में)	पुरस्कार की कुल राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6
1.	सरदार पटेल उत्कृष्ट भा.कृ.अ.प. संस्थान पुरस्कार	वार्षिक	3	5.00	15.00
2.	चौधरी देवी लाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना पुरस्कार	वार्षिक	1	1.00	1.00
3.	उत्कृष्ट स्नातकोत्तर कृषि अनुसंधान के लिए जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार	वार्षिक	18	0.20	3.60
4.	पंजाब राव देशमुख महिला कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार	वार्षिक	2	0.50	1.00
5.	बारानी कृषि में अनुसंधान उपयोग के लिए वसंतराव नाईक पुरस्कार	वार्षिक	1	1.00	1.00
6.	जगजीवन राम किसान पुरस्कार	वार्षिक	2	1.00	2.00

1	2	3	4	5	6
7.	विविध कृषि के लिए एन.जी. रंगा किसान पुरस्कार	वार्षिक	1	1.00	1.00
8.	कृषि अनुसंधान तथा विकास में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए चौधरी चरण सिंह पुरस्कार	वार्षिक	1	1.00	1.00
9.	कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में हिन्दी में तकनीकी पुस्तकों के लिए डा. राजेन्द्र प्रसाद पुरस्कार	वार्षिक	9	0.50	4.50
10.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सर्वश्रेष्ठ वार्षिक रिपोर्ट पुरस्कार	वार्षिक	2	—	—
11.	आदिवासी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कृषि अनुसंधान के लिए फखरूदीन अली अहमद पुरस्कार	द्विवार्षिक	2	0.50	1.00
12.	कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों में उत्कृष्ट बहुविषयी दल अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पुरस्कार	द्विवार्षिक	9	1.00	9.00
13.	उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए भारत रतन डा. बी.सी. सुब्रमण्यम पुरस्कार	द्विवार्षिक	9	0.50	4.50
14.	सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केन्द्र पुरस्कार	द्विवार्षिक	2	0.50	1.00
15.	लाल बहादुर शास्त्री युवा वैज्ञानिक पुरस्कार	द्विवार्षिक	10	0.25	2.50
16.	हरिओम आश्रम न्यास पुरस्कार	द्विवार्षिक	4	0.40	1.60
17.	स्वामी सहजानन्द सरस्वती प्रसार वैज्ञानिक/ कार्यकर्ता पुरस्कार	द्विवार्षिक	4	0.25	1.00
18.	रफी अहमद किदवई पुरस्कार	द्विवार्षिक	9	1.00	9.00
	कुल	—	89	—	59.70

पर्यटन उद्योग का विकास

130. **श्री सुरेश अंगड़ि :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पर्यटन उद्योग के विकास हेतु वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकारों विशेष रूप से कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) अभी भी लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) से (च) दसवीं योजना अवधि के दौरान, पर्यटन मंत्रालय गंतव्यों और परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास की अपनी योजना के अंतर्गत, परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति, परियोजना के गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर, अवसंरचना के विकास हेतु कर्नाटक समेत राज्य सरकारों की सहायता करता रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से परियोजनाओं की पहचान की है, जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान वित्तीय सहायता हेतु लिया जाएगा।

सूखा प्रवण जिलों में भूजल स्तर को बढ़ाना

131. **श्री पी.एस. गढ़वी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय के सहयोग से केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने गुजरात सहित अन्य राज्यों के सूखा प्रवण जिलों में भूजल स्तर को बढ़ाने हेतु विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनाओं, को किस प्रकार कार्यान्वित किए जाने की संभावना है तथा इस प्रयोजनार्थ पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए राज्य क्षेत्र के तहत 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन" संबंधी स्कीम का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्तावित स्कीम को विभिन्न राज्यों के अतिदोहित एवं डार्क ब्लाकों के अभिज्ञात क्षेत्रों, सूखा प्रवण और जल अभाव वाले क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों तथा लवणीय जल के प्रवेश से प्रभावित द्वीपों, अन्तर्देशीय लवणता वाले क्षेत्रों भूजल स्तर में अत्यधिक गिरावट दर्शाने वाले शहरी क्षेत्रों और उप-पर्वतीय/पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाएगा। इस स्कीम को सीजीडब्ल्यूबी के तकनीकी दिशानिर्देश में राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

मुम्बई से मुख्य भूमि के बीच समुद्री संपर्क

132. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार मुख्य भूमि के विकास में तेजी लाने के लिए द्वीप शहर में भीड़-भाड़ कम करने के उद्देश्य से मुम्बई से मुख्य भूमि को समुद्री संपर्क से जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव स्वीकृति हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास लंबित पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। प्रस्तावों को पहले ही पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिंचाई हेतु बाढ़ के पानी का उपयोग

133. **डा. चिन्ता मोहन :**
डा. के. धनराजू :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में जून से अक्तूबर में हुई मानसून वर्षा के कारण आई बाढ़ लगभग हर वर्ष की बात हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा बाढ़ के कारण आए अतिरिक्त पानी की मात्रा का आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मात्रा कितनी है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस अतिरिक्त पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जल आयोग देश के सभी मुख्य नदी बेसिनों पर 173 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों का प्रचालन करता है। इन केन्द्रों में से प्रत्येक के लिए खतरे का निशान निर्धारित किया गया है। जब नदी में प्रवाह खतरे के निशान को पार कर जाता है तो परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना होती है। बाढ़ से आने वाली अतिरिक्त जल की मात्रा संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, हां। जल संसाधन मंत्रालय ने 1980 में जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी जिसके दो घटक अर्थात प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास हैं और इसमें एक बेसिन से जल की कमी वाले दूसरे बेसिन में अधिशेष उपलब्ध जल का इस्तेमाल करते हुए लम्बी दूरी तक जल का हस्तांतरण करने की योजना है। राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण ने विभिन्न अध्ययनों के बाद व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए तीस सम्पर्कों की पहचान की और एक बेसिन से जल की कमी वाले दूसरे बेसिन में अधिशेष जल का इस्तेमाल करते हुए प्रायद्वीपीय विकास घटक के अंतर्गत 14 संपर्कों और हिमालयी नदी विकास घटक के अंतर्गत दो संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी कर ली हैं।

[अनुवाद]

विद्याधरपुर में सी.आर.आर.आई. द्वारा अनुसंधान कार्य

134. **श्री जुएल ओराम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में विद्याधरपुर, कटक के केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संस्थान के अनुसंधान कार्यों से इन वर्षों के दौरान उड़ीसा के किसानों को किसी प्रकार की मदद मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक द्वारा चावल फसल सुधार, उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों के विकास, फार्म उपस्कर, जल प्रबंधन, कृषि प्रणाली अनुसंधान, खेतों में परीक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अन्य संबंधित क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। संस्थान द्वारा विकसित चावल की किस्मों का उत्पादन प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ किसानों के खेतों में मूल्यांकन किया गया है। इसके अलावा, संस्थान चावल उत्पादन प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विषय विशेषज्ञों और अन्य कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी देता है।

(ख) और (ग) जी हां, चावल की किस्में, उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यक्रमों, खेतों में प्रदर्शन का आयोजन, कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने, गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन, विस्तार कार्यकर्ताओं और किसानों को प्रशिक्षण और सी आर आर आई, कटक की इसी प्रकार की गतिविधियों से कृषि उतपादन और उत्पादकता को बढ़ाने, आजीविका देने और आमदनी बढ़ाने में किसानों को काफी मदद मिली है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, संस्थान ने उड़ीसा की विभिन्न कृषि पारिस्थितिक स्थितियों में उगाने के लिए चावल की 6 अधिक पैदावार देने वाली किस्मों और दो संकर किस्मों का विकास किया है। उड़ीसा में चावल की उत्पादकता 2000-2001 के 1041 कि.ग्रा./है. से बढ़कर 2003-2004 में 1511 कि.ग्रा./है. हो गई।

किसानों की दशा

135. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक कृषि शक्ति के रूप में भारत के उभरने के बावजूद भारत के किसानों के जीवनयापन की स्थिति पूर्णत: असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था की नींव इन किसानों के कल्याण के लिए कोई नई नीति बनाई गई है/बनाई जाएगी;

(ग) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या किसानों की सामाजिक तथा वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए कृषि क्षेत्र में कुछ सुधार लाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों से इस संबंध में क्या प्रस्ताव यदि कोई हों तो, मिले हैं तथा इन पर क्या कार्रवाई/कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) सरकार का देश में किसानों की जीवन यापन स्थितियों में सुधार करने का लगातार प्रयास रहा है। किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कृषि क्षेत्र को और अधिक गतिमान तथा परिवर्तनात्मक बनाने हेतु सरकार द्वारा प्रतिपादित रणनीति में ये शामिल हैं:– (i) गुणवत्ताप्रद आदानों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना; (ii) बागवानी कार्यकलापों सहित अधिक मूल्य वाली फसलों के विविधिकरण की प्रक्रिया को तेज करना; (iii) उपलब्ध जल संसाधनों के कुशल उपयोग को सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से इष्टतम बनाना तथा शुष्क भूमि कृषि/वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली की सततता को बढ़ाना; (iv) कृषक-अनुकूल, मांग वाहित कृषि विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देना; (v) बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना; (vi) कृषि मंडियों में सुधार करना तथा फसल कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग; (vii) संस्थागत ऋण प्रवाह को बढ़ाना और सहकारिता ऋण ढांचे को सुदृढ़ बनाना; तथा (viii) किसानों के लिए एक विस्तृत जोखिम प्रबंध तंत्र तैयार करना।

जब भी सुधारों हेतु सुझाव प्राप्त होते हैं तो सरकार द्वारा कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु नीति/कार्यक्रम बनाते समय उन पर उचित रूप से विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वृद्धि में प्रतिशत कमी

136. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल :**
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौंवी पंचवर्षीय योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफ पी आई) में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा वृद्धि में प्रतिशत कमी के क्या कारण है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) एक अनुमान के अनुसार, 9वीं योजना के अंतिम कुछ सालों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वृद्धि दर 7.1% थी। अनुमान है कि दसवीं योजना अवधि के दौरान 6% सकल घरेलू उत्पाद दर पर वृद्धि होने की स्थिति में 7.3% की दर से वृद्धि होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु किए जा रहे अन्य संवर्धनात्मक उपायों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के सृजन, अनुसंधान एवं विकास हेतु समर्थन, मानव संसाधन विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना स्कीमें पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग के लिए स्थापित किए जाने वाले नए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को 5 साल के लिए लाभ पर 100% और अगले पांच वर्षों के लिए लाभ पर 25% छूट दी गई है। सरकार ने बागवानी क्षेत्र के लिए आदि से लेकर अंत तक दृष्टिकोण (एंड टू एंड एप्रोच) सुनिश्चित करने के लिए 1.4.2005 से एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ करने की घोषणा हाल ही में 28 फरवरी, 2005 को संसद में की है।

खाद्य तेल का आयात

137. **श्री मो. ताहिर**
श्री मुन्शी राम :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री अजय चक्रवर्ती :
मोहम्मद शाहिद :
श्री भाल चन्द्र यादव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण,** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान सरकार द्वारा कितने खाद्य तेल का आयात किया गया तथा इसकी कुल लागत कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेल के उत्पादन तथा आयात की वर्ष-वार वृद्धि दर कितनी है;

(ग) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान देश में खाद्य तेलों के उत्पादन में कमी आने की अपेक्षा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खाद्य तेल के आयात में बढ़ोतरी करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी अतिरिक्त धनराशि लगाने की संभावना है; और

(च) खाद्य तेल के बढ़ते मूल्यों को रोकने के लिए देश में खाद्य तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) वर्ष 2004-2005 के दौरान सरकार द्वारा खाद्य तेल का आयात नहीं किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेल के उत्पादन के अनुमान और आयात को नीचे दर्शाया गया है:—

(लाख टन में)

वर्ष	खाद्य तेलों का उत्पादन (सभी घरेलू स्रोतों से निवल उपलब्धता	खाद्य तेल का आयात
2001-2002	61.46	43.22
2002-2003	46.64	43.65
2003 2004	71.64	52.90

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान इस अवस्था में तिलहनों के उत्पादन और इसी कारण खाद्य तेलों के उत्पादन के बारे में अनुमान लगाना बहुत जल्दबाजी होगी।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) इस संबंध में किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं-

(i) खाद्य तेलों (नारियल तेल को छोड़कर) का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन करने की अनुमति दी गई है।

(ii) खाद्य तेलों के आयात शुल्क ढांचे की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(iii) सरकार देश में खाद्य तेलों के मूल्यों और उनकी उपलब्धता की स्थिति पर निगरानी रख रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति

138. श्री पवन कुमार बंसल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या पंचायती राज संस्थाओं को पर्यावरण संरक्षण में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संयोजन के रूप का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक मसौदा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति तैयार की है।

(ख) मसौदा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति संविधान में अधिदेशित, स्वच्छ पर्यावरण के लिए हमारी राष्ट्रीय वचनबद्धता की प्रतिक्रिया है। इसकी मान्यता है कि स्वस्थ्य पर्यावरण का रखरखाव केवल राज्य की ही नहीं वरन् प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की सभी विकास गतिविधियों में पर्यावरणीय मुद्दों को मुख्यधारा में लाकर सतत् विकास प्राप्त करने में सहायता करने की मंशा है। इसमें देश द्वारा वर्तमान में और भविष्य में सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों, पर्यावरण नीति के उद्देश्य, नीतिगत कार्रवाई पर बल देते हुए नियामक सिद्धान्त, हस्तक्षेप के लिए रणनीतिक विषय, रणनीतिक विषयों को पूरा करने के लिए विधायी और संस्थागत विकास के आवश्यक विस्तृत संकेतों, तथा क्रियान्वयन और पुनरीक्षा के लिए मैकेनिज्मों का वर्णन है।

नीति के विस्तृत उद्देश्य है:— नाजुक पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण, इन्टरा-जनरेशनल इक्विटी: गरीब के लिए आजीविका सुरक्षा, इन्टर-जनरेशनल इक्विटी, आर्थिक और सामाजिक विकास में पर्यावरणीय मुद्दों का एकीकरण, पर्यावरणीय संसाधन उपयोग में दक्षता, उन्नत पर्यावरणीय गवर्नेन्स और, पर्यावरणीय संरक्षण के लिए संसाधनों में वृद्धि करना।

(ग) जी, हां।

(घ) 'राज्य और स्थानीय स्तरों पर संस्थानों का विकेन्द्रीकरण और सशक्तिकरण' मसौदा नीति का एक प्रमुख क्षेत्र है। राज्य और स्थानीय सरकारों को राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के अनुरूप अपनी रणनीतियां और कार्य योजनाएं बनाने के लिए विशेषतया प्रोत्साहित किया जाएगा। मसौदा नीति विशिष्टत: पंचायती राज संस्थानों को पर्यावरणीय सुरक्षा से जोड़ने के लिए निम्नलिखित प्रदान करती है:–

(i) पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों को पर्यावरणीय अनुपालन की मॉनीटरी करने और संबंधित प्रवर्तन प्राधिकरणों को अतिक्रमणों की रिपोर्ट देने के लिए अधिक कानूनी मान्यता दी गई है।

(ii) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 (पी ई एस ए) के प्रावधानों पर विचार करते हुए वन में निवास करने वाली जनजातियों के परंपरागत अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करना।

रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या में कमी

139. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 में की गई गणना में पाए गए 632 रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या घटकर 319 हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इन बाघों के संरक्षण तथा उनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां। वर्ष 1972 से वर्ष 2001-02 में किए गए ऐसे पिछले आकलन की राज्यवार अखिल भारत बाघ संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बाघों के संरक्षण् के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में बाघों की संख्या

क्र. स.	राज्य का नाम	1972	1979	1984	1989	1993	1997	2001-02
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	35	148	164	235	197	171	192
2.	अरुणाचल प्रदेश	69	139	219	135	180	*	61***
3.	असम	147	300	376	376	325	458	354
4.	बिहार	85	110	138	157	137	103	76
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	***	***	227
6.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	गोवा	–	–	–	2	3	6	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	गुजरात	8	7	9	9	5	1	शून्य
9.	हरियाणा	—	—	1	—	शून्य	शून्य	शून्य
10.	हिमाचल प्रदेश					शून्य	शून्य	शून्य
11.	जम्मू एवं कश्मीर					शून्य	शून्य	शून्य
12.	झारखण्ड	—	—	—	—	***	***	34
13.	कर्नाटक	102	156	202	257	305	350	401
14.	केरल	60	134	89	45	57	73	71
15.	मध्य प्रदेश	457	529	786	985	912	927	710
16.	महाराष्ट्र	160	174	301	417	276	257	238
17.	मणिपुर	1	10	6	31	*	*	शून्य
18.	मेघालय	32	35	125	34	53	*	47
19.	मिजोरम	—	65	33	18	28	12	28
20.	नागालैण्ड	80	102	104	104	83	*	23^
21.	उड़ीसा	142	173	202	243	226	194	173
22.	पंजाब	—	—	—	—	शून्य	शून्य	शून्य
23.	राजस्थान	74	79	96	99	64	58	58
24.	सिक्किम	—	—	2	4	2	*	एन आर
25.	तमिलनाडु	33	65	97	95	97	62	60
26.	त्रिपुरा	7	6	5	—	एन आर	*	एन आर
27.	उत्तरांचल	—	—	—	—	***	***	251
28.	उत्तर प्रदेश	262	487	698	735	465	475	284

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	पश्चिम बंगाल	73	296	352	353	335	361	349
	कुल	1827	3015	4005	4334	3750	3508	3642

एन आर राज्य द्वारा सूचना नहीं दी गई
• बाघों की गणना नहीं की गई
•• संकलन/जांच के अधीन
••• केवल नामदाफा बाघ रिजर्व के लिए
•••• आंकड़ों में अविभाजित राज्य शामिल है।
^ संपूर्ण राज्य शामिल नहीं है।

विवरण-II

(1) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत बाघों सहित वन्यजीवों के शिकार एवं वाणिज्यिक दोहन के विरुद्ध वैधानिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

(2) वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से क्षमता एवं अवसंरचना को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

(3) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा दायर करने की शक्तियां प्रदत की गई है।

(4) वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने रराज्य सरकारों को फील्ड संरचनाओं को सहायता देने के लिए कहा है।

(5) देश में वन्यजीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए अनेक कार्य-बिन्दुओं और प्राथमिक परियोजनाओं के साथ एक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016 आरम्भ की गई है।

केन्द्रीय मत्स्यन अनुसंधान संस्थान, कोचीन

140. श्री पी. करुणाकरन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय मत्स्यन अनुसंधान संस्थान कोचीन, केरल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संस्थान की कार्यप्रणाली विशेषकर परिणामों की समीक्षा की है तथा कोई कमी या खामियां मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि संस्थान के पंचवर्षीय समीक्षा दल द्वारा नियमित आवधिक समीक्षा प्रक्रिया अनुसार की जा रही है।

[हिन्दी]

सोन गंगा फर्टिलाइजर इकाई को पुनः शुरू करना

141. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के रोहतास जिले में अमझोर स्थित पायराइट्स फॉस्फेट तथा केमिकल्स लिमिटेड की सोन गंगा फर्टिलाइजर इकाई को बंद कर दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में उक्त कारखाने को पुन: शुरू करने की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो यह कब तक शुरू हो जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त कारखाने को बंद होते समय उत्पादन क्षमता कितनी थी तथा भविष्य में इसकी क्षमता क्या रहने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) जी हां, सरकार ने 5 जून, 2003 को अमझोर इकाई सहित पूरी पाइराइटस, फॉस्फेट एण्ड केमिकल्स लि. (पीपीसीएल) को बन्द करने का निर्णय लिया क्योंकि इसका प्रचालन प्रौद्यो-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था।

(ग) जी नहीं, तथापि सरकार ने उर्वरकों के रूप में सीधे तौर पर प्रयोग किए जाने वाले कृषि ग्रेड के पाइराइटों के खनन एवं विपणन की प्रौद्यो-आर्थिक व्यवहार्यता हेतु हाल ही में एक समिति गठित की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अमझौर इकाई के बंद होने के समय उसकी संस्थापित उत्पादन क्षमता 2.64 लाख मी. टन सिंगल सुपर फॉस्फेट की थी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत लंबित परियोजनाएं

142. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न परियोजनाएं विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ राष्ट्रीय बागवानी मिशन के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा अब तक इन पर क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(ग) बागवानी के विकास तथा बागवानी क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए मिशन द्वारा विचार किए जा रहे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) 12 राज्यों से राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस परियोजना प्रस्तावों का जून 2005 के दौरान मंत्रालय में मूल्यांकन किया गया था संबंधित राज्यों से इस स्कीम के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश के अनुसार परियोजनाओं को संशोधित करने का अनुरोध किया गया था।

(ग) इस मिशन में क्षेत्र आधारित समग्र दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है जिसमें उत्पादन व उत्पादकता सुधार, फसल कटाई पश्चात् प्रबंध और विपणन से संबंधित पहलू शामिल हैं। सूक्ष्म-प्रजनन, संरक्षित खेती, उच्च सघनता रोपण और समेकित कीट प्रबंध जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियां इस मिशन के अभिन्न अंग हैं।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के नए डिपो

143. **श्री रामदास आठवले** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम देश में अधिक बेस डिपो स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ये कब तक खोल दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारण गोदामों का निर्माण किए जाने के प्रस्तावों और उनकी वर्तमान स्थिति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

राज्य का नाम	प्रस्ताव और उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा
1	2
जम्मू व कश्मीर	बड़गाम और कुपवाड़ा में क्रमश: 2500 और 5000 टन क्षमता के गोदाम निर्माधाधीन हैं और उनके इस वर्ष के अंत तक पूरा होने

1	2
	की संभावना है। लेह में 1000 टन क्षमता का गोदाम निर्माणाधीन है और इसमें से 3340 टन क्षमता को जून, 2005 में भंडारण के योग्य बना लिया गया है।
असम	चौलखोवा (4170 टन) सेनचोवा (1670 टन) और बदरपुरघाट (5000 टन) में भंडारण बढ़ाई जा रही है।
मिजोरम	लुंगनलेई में 2920 टन क्षमता का गोदाम और लांगतलाई में 3340 टन क्षमता का गोदाम निर्माणाधीन है।
त्रिपुरा	चंद्रपुर में 5000 टन क्षमता के गोदाम की योजना है।
हिमाचल प्रदेश	2500 टन क्षमता के भंडारण गोदाम का निर्माण करने की योजना बनाई गई है।
तमिलनाडु	सलेम में 10000 टन क्षमता के गोदाम बनाने की योजना में से प्रत्येक 3340 टन क्षमता की दो यूनिटें पूर्ण कर ली गई हैं। तीसरी यूनिट का निर्माण चल रहा है।
कर्नाटक	तुमकुर में 15000 टन क्षमता के गोदाम बनाने की योजना में से 10000 टन क्षमता का निर्माण कर लिया गया है। शेष क्षमता का कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

केरल में पर्यावरण तथा वन विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

144. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में केन्द्रीय पर्यावरण तथा वन विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांग की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संकटापन्न प्रजातियों की संख्या/संरक्षण

145. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में संकटापन्न प्रजातियों के नाम क्या हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान अब तक दिल्ली तथा अन्य राज्यों में कितनी संख्या में तेंदुए की खालें तथा उसके अंगों को जब्त किया गया है तथा जब्त किए गए माल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अद्यतन गणना के अनुसार विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों, रिजर्व तथा अभयारण्यों में तेंदुओं की संख्या कितनी है तथा विडाल जाति की इस बड़ी प्रजाति की संख्या में वृद्धि करने तथा उनका संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I और अनुसूची-II के भाग-I तथा -II में श्रेणीबद्ध हमारे वन्यजीवों की संकटापन्न प्रजातियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) मंत्रालय में अब तक राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2001 से 2005 तक तेंदुए की खाल/शरीर के अंगों का विवरण और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली और अन्य राज्यों में की गई इस प्रकार की जब्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार स्तर पर केवल राज्यवार संख्या के ही आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। वर्ष 2001-2002 में किए गए पिछले आकलन के अनुसार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

संकटापन्न प्रजातियों का नाम

अनुसूची-I

भाग-I

स्तनपायी जीव

1. अन्दमान जंगली सूअर

1-क भारल

1-ख बिन्टुरोंग

2. ब्लैक बक

3. ब्रो-एन्टलरेड डीयर अथवा थामिन

3-क हिमालयी ब्राऊन बीयर

3-ख कैप्ड लंगूर

4. काराकल

4-क सेटासीन

5. चीता

5-क चाइना पैंगोलिन

5-ख चिंकारा अथवा इण्डियन गजेल

6. मेघश्याम तेंदुआ

6-क क्रैब-इटिंग मकाक

6-ख डेजर्ट कैट

6-ग डेजर्ट फाक्स

7. डुगांग

7-क अरमाइन

8. फिशिंग कैट

8-क चौसिंगा हिरण

8-घ गंग-डोल्फिन

8-ङ गौड़ अथवा इण्डियन बिसोन

9. गोल्डन कैट

10. गोल्डन लंगूर

10 क जायंट गिलहरी

10 ख हिमालयी आइबेक्स

10 ग हिमालय तेहर

11. हिस्पिड तेयर

11 क हॉग बडेगर

12. हुलॉक

12 ख इण्डियन एलीफैंट

13. इण्डियन लायन

14. इण्डियन वाइल्ड एस

15. इण्डियन बुल्फ

16. कश्मीर स्टैग

16 क लीफ मंकी

16 ख लेपर्ड अथवा पैंथर

17. लेपर्ड कैट

18. सैसर अथवा रैड पाण्डा

19. लायन टेल्ड मकाक

20. लोरिस

20 क लिटल इण्डियन

21. लिंक्स

22. मालाबार सिवेट

22 क माले अथवा सन-बीयर

23. मार्बल्ड कैट

24. मारखोर

24 क माऊस डीयर

25. मस्क डीयर

25 क नीलगिरि लंगूर

25 ख नीलगिरि तेहर

26. न्यान अथवा ग्रेट तिब्बती भालू

27. पल्ला कैट

28. पैंगोलिन

29. पिग्मी हॉग

29 क राटेल

30. इण्डियन वन हार्न रीनोसोरस

31. रस्टी स्पाटेड कैट

31 क सीरो

31 ख क्लालैस ऑटर

31 ग स्लाथ बीयर

32. स्लो लॉरिस

33. स्नो लेपर्ड

33 क स्नबफिन डाल्फिन

34. स्पाटेट लिनसेंग

35. स्वैम्प डीयर

36. टॉकिन अथवा मिश्मी टॉकिन

36 क तिब्बती एन्टीलोप अथवा चिरू

36 ख तिब्बती लोमड़ी

37. तिब्बती गज़ेल

38. तिब्बती जंगली गधा

39. बाघ

40. उरियल अथवा शापू

41. जंगली बैल

41 क जंगली याक

41 ख तिब्बती भेड़िया

42 रांगटोन फ्री टेल्ड बैट

43 सलीम अलीम फ्रूट बैट

भाग–II

उभयचर और रेंगने वाले जीव

1. आगर मॉनीटर छिपकली

1 ख आडिथिया टर्टल

1 ग बार्ड, ओवल अथवा यैलो मॉनीटर छिपकली

1 घ मगरमच्छ

1 ङ बाटागूर टेरापिन

1 च ईस्टर्न हिल टेरापिन

2. घड़ियाल

3. गैंजिस साफ्ट शेल्ड टर्टल

3 क गोल्डन गीको

4. ग्रीन सी टर्टल

5. हाक्सबिल टर्टल

7. इण्डियन एग ईटिंग स्नेक

8. इण्डियन साफ्ट शेल्ड टर्टल

9. इण्डियन टैंट टर्टल

9 क केरल फारेस्ट टेरापिन

10. जार्ज बंगाल मॉनीटर लिजर्ड

11. लेदरी टर्टल

12. लॉगर हैड टर्टल

13. आलिव रिडले टर्टल

14. पीकॉक मार्कंड सापट शेल्ड टर्टल

14 क पीथॉस

14 ख सेल टेरापिन

14 ग स्पार्टेड बलैक टेरापिन

17 क वॉटर लिजर्ड

भाग–II –क

मछलियां

1. ह्वेल शार्क

2. शार्क एण्ड रे

3. सी हार्स

4. जायंट ग्रुपर

भाग–II

पक्षी

1. अन्दमान टील

1 क असम बाम्बू पार्टरिज

1 ख बाजास

1 ग बंगाल फ्लोरिकैन

1 घ ब्लैक् नैक्ड क्रेन

1 ड ब्लड फीसेंट

2. चीयर फीसेंट

2 क ईस्टर्न व्हाईट स्टार्क

2 ख फारेस्ट स्पाटेड ओलेट

2 ग फ्राग माऊथस

3. ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड

4. ग्रेट इण्डियन हार्नबिल

4 क हॉक्स

4 ख हुडेड क्रेन

4 ग हार्नबिल्स

4 घ होबारा बस्टर्ड

4 ड ह्यूम्स बार-बैक्ड फीसेंट

4 च इण्डियन पाइड हार्नबिल

5. जर्डोन्स कर्सर

6. लेमर गीयर

7. लार्ज फाल्कोन्स

7 क लार्ज विसलिंग टील

7 ख लैसर फलोरिकन

7 ग मोनल फीसेंट

8. माउंटेन क्वाइल

9. नारकोंडम हार्नबिल

10. निकोबार मेगापोड

10 क निकोबार कबूतर

10 ख आसप्रे अथवा फिश ईटिंग ईगल

10 ग पीकॉक फीसेंट

11. पीकाऊल

12. पिंक हैडेड डक

13. स्केलेटर मोनाल

14. साइबेरियन व्हाइट क्रेन

14 क तिब्बती स्नो कॉक

15. ट्रेगोपन फीसेंट

16. व्हाईट बेलीड सी ईगल

17. व्हाईट स्पूनबिल

17 क व्हाईट स्पूनबिल

18. व्हाईट विंग्ड वुड डक

19. स्विफटलेट्स

20. हिल माइना

21. तिब्बती कार फीसेंट

22. कालिज फीसेंट

23. लार्ड डर्बी पैराकीट

24. वल्चर

25. व्हाईट बेलीड हीरोन

भाग-IV
क्रस्टेशिया और कीट

1 तितलियां और पतंगे

फेमिली अमेथुसिल्डे

फेमिली डानेडे

फेमिली लाइकेनिडे

बिडुआंडा मेलिसा साइना

फेमिली निम्फालिडे

फेमिली पापिलियनीडे

फेमिली मेटाइरिडे

1क कोकोनट अथवा रबड़ क्रैब

2 ड्रैगन फ्लाई

भाग-IV क
कोएलंटिरेट्स

1. रीफ बिल्डिंग कोरल

2. ब्लैक कोरल

3. आर्गन पाइप कोरल

4. फायर कोरल

5. सी फैन

भाग-IV ख
मोलस्क

1. केसिस केरनुटा

2. केरोनिया ट्रिटोनिस

3. कोनस मिल्नीडवार्सी

4. साइप्रेकेसिस रूफा

5. हिपोपस हिपोपस

6. नॉटीलस पाम्पीलियस

7. ट्रेडेक्ना मेक्सिमा

8. ट्राइडेक्ना सक्वामोसा

9. टयूडिक्ला स्पाइरिलस

भाग-IV ग
एकीनोडर्माटा

सी कुकुम्बर

अनुसूची-I

भाग-I

1क असमी मकाक

2. बंगाल पोरक्यूपाइन

3क बोनट मकाक

3ग अनुसूची I और अनुसूची क के भाग में सूचीबद्ध प्रजातियों से भिन्न सिटेशियन प्रजातियां

4क कामन लंगूर

7. फेरेट बैजर्स

11 हिमालयी क्रेस्टलैस पोरक्यूपाइन

11क हिमालयी न्यूट अथवा सालामंदेर

16 पिग टेल्ड मकाक

17क रैसस मकाक

19 स्टम्प डेल्ड मकाक

22 वाइल् डाग अथवा धोल

24 केमेलियान

25 स्पाइनी टेलड लिजर्ड अथवा साण्डा

भाग–II

2 (1) बीटीस

फैमिली अमेथुसिडे

एइमोना अमेथुशिया अमेथुशिया

अमेथुशिया फिलिपस एन्डेमेनियस

अमेथुशिया अमाडथाओनम

डिस्कोफोरा डेक, डियोडोइड्स

डिस्कोफोरा टिमारा अण्डामेनिमिस

एनिस्पे सिक्नस

फानिस सुरनियस अस्समा

स्टिकोप्थाल्मा नूरमहल

थोरिया एलिरिस एम्पलीफेशिया

फैमिली केराबिडे

एगोनोटरीयस एन्ड्रुसी

आमरा ब्रूमी

आमरा एलीगनफुला

ब्राचिनस एट टिपेनिस

ब्रोसोसोमा प्रेसाइल

ब्रोसोपस बिपिलिफट

ब्रोटर ओटीकोलिस

केलाथस अमाराबडस

केलिस्टोमिनस बेल्ली

क्लेनियस चेम्पीओनी

क्लेनियस मसोनी

फैमिली क्रिसोमेलिडे

एक्रोक्रिप्टा रोटुन्डाटा

बिमला इण्डिका

क्लाटिया इण्डिका

गोपाला पिटा

ग्राइवा साइनीपेनिस

निसोटरा कार्डोनी

निसोटरा मेडुर्रेसिस

निसोटरा निगरीपेनिस

निसोटरा सेमीकोलेलिया

निसोटरा स्ट्रिएटिपेनिया

नोनारग्रा पटकाइया

साइलाइयोड्स प्लाना

साइलाइयोड्स शिरा

सिबेथी सरवाइना

सिबेथी पटकाइया

स्फेरोडर्मा ब्रेवीकोर्न

फेमिली कुकुजिडे

केरिनोफ्लास रेफरेई

कुकुजस ग्रोवेली

कुकंजस इम्पेरियलिस

हेटेरोजीनस सेमीलेक्टेनियस

लेमोफ्लोइस बेललली

लेमोफलोइस इनसर्टस

पेडियाकस रूफाइप्स

फेमिली डेनाइड

यूप्लोइया मेलन ओलेका

यूप्लोइया मिडेमस रागनहोफेरी

फेमिली एरिसिनिडे

अबिसारा कोसाम्बी

डोडोना अडोनिरा

डोक्लोना डिपोइया

डोडोना इजियन

लिबिथिया लेपिटा

फेमिली हेस्पेरीडे

बायोरिस फिलिफना

बेबासा सेना

हाल्पे होमोलिया

फेमिली इनोपेप्लिडे

इनोपेप्लस एल्बोनोटालुस

फेमिली लाइकेनेडे

एलाटिनस सबवाइयोलाशियस मेनीकस

एम्बलीपोडिया अबेरंस

एम्बलीपोडिया एइनीया

एम्बलीपोडिया अगाबा ओरेलिया

एम्बलीपोडिया अगरेटा

एम्बलीपोडिया अलेशिया

एम्बलीपोडिया एपीसियानस अहेमस

एम्बलीपोडिमा अरस्टे अरेस्टे

एम्बलीपोडिया बेजालाइड्स

एम्बलीपोडिया केमडेक

एम्बलीपोडिया ऐलिसी

एम्बलीपोडिया फुला इग्नारा

एम्बलीपोडिया जनेसा वाटसोनी

एम्बलीपोडिया पारागरीसा जेफप्रीटा

एम्बलीपोडिया परेलिया

एम्बलीपोडिया सिल्हेर्टेसिस

एम्बलीपोडिया सुफुसा सुफुसा

एम्बलीपोडिया यॅंडवा

अफराइटिस टिलासिनस

एरोट्स लेपिथिस

आर्टिपे एरिक्स

बिनक्लाहारा फोसाइड्स

बोथरीनिया चेनीली

केस्टेलियस रोक्सस मानल्यूना

केटापोसिल्मा डेलीकेटर्न

केटापोसिल्मा एलीगन्स मायोसिटिना

चराना जलिन्द्रा

चेरिटर्लिया ट्रंसिपर्मिस

चिलारिआ कीना

डीयूडयू वाय एक्स हायपराग्यिरिआ गेईटू लिआ

इन्क्रिसोप्स ऑनलस

एनरस कलारोई

हेलीफोरस और रॉक्लस ग्रूरेई

होराग ऑमक्स

होरागा वॉयला

हाइपोलीसेना निलगिरीका

हाइपोलीसेना थेक्लोईडेस निकोबा टी सा

इराओटा रोचना बॉसबेलीआना

जमीडेस एलेक्टोकान्डूयीआना

जमीडेस सीलीओडस प्यूरा

जमीडेस कानकेना

लामथीडेस बोइटीक्स

लीलासेआ एल्बोकेईरलेआ

लीलासेआ एट्रोगुटांटा

लीलासेआ लीलासेआ

लीलासेआ मेलाना

लीलासेआ मिनीम्स

लीलासेआ मासालिआ

लाइकाऐन्सथेस लाइकाऐनिमा

महाथाला अमेरिआ

महाथाला एटकिनसोनी

मगीस्बा मलाया प्रेसबाइटर

नाकाडूबा एल्टूआ कोइलेसाटिस

नाकाडूबा एन्काएरा अबेरेन्स

नाकाडूबा क्लूबीओसा फलवा

नाकाडूबा हेलीकॉन

नाकाडूबा हर्मस मेजर

नाकाडूबा पेक्टोलस

न्यूचेरीट्रे फेबरोनिआ

निफान्डा सिन्बिआ

ऑरथोमिला पोन्टिस

पिथकॉप्स फलजेस

पॉलीमेटस डेवानिका डेवानिका

पॉलीमेट्स मेटालिका मेटालिका

पॉलीमर एटस ऑर्बीटयूलस जलोका

पॉलीमेटस यियोन्धुसबंडी

पॉरीटिआ ऐरीसीनोईडेस एल्सेई

पॉरीटिआ हेनिटसोनी

पॉरीटिआ फ्लसराटा गेटा

प्रतापा भोटेस

प्रतापा ब्लांका

प्रतापा देवा

प्रतापा आईसटास

रपाला बक्सारिआ

रपाला चन्द्राना चन्द्रान्स

रपाला नसाला

रपाला रिफलजेन्स

रपाला रूबीडा

रपाला सिनटिला

रपाला ऑफिन्क्स ऑफिसन्स

रपाला वरुणा

स्पिनडासिस इलीमा इलीमा

स्पिनक्लासिस लोहिता

स्पिनक्लासिस निपालीक्स

सुआसा लिसिडेस

सुरेन्द्र टोडारा

तजुरिआ एल्बीप्लागा

तजुरिआ सिप्पस सिप्पस

तजुरिआ कल्टा

तजुरिआ डायूस

तजुरिआ इंल्लूरगुडेस

तजुरिआ इल्लूरगिस

तजुरिआ जंगला एन्डामानिका

तजुरिआ मेलास्टिगमा

तजुरिआ सेबोंगा

तजुरिआ थिडिआ

तजुरिआ यजना इस्ट्रोडिस

तारुक्स कैलीनारा

तारुक्स धारता

थाडुका मल्टीकोडाटा कनारा

थेकला ऐटाक्स ऐटान्स

रेहक्ला बिटेई

थेकला इकाना

थेकला जाकामेनिसिस

थेकला कबरेआ

थेकला खासिया

थेकला किरबारिनसिस

थेकला सुरेईआ

थेकला साएला असामिका

थेकला विट्टटा

थेकला जिबा

थेकला जोआ

उना उस्ता

यसोसिआ ट्रिपुन्क्टटा

फेमीली निम्फालीडेमा

एडोलिअस सिआनीपारक्लस

एडोलहअस डिरटिआ

एडोलिअस खासिआना

एपाट्यरा चेवना

एपाटूरा चेवना

एपाटूरा पर्वता

एपाटूरा सोरडिडा

एपाटूरा उल्लूपी फ्लोऐनसिआ

एरमीनिस एडीपे पेलीसिआ

एनगीनिस एल्टीसिसीमा

एरगीनिस क्ला टा क्लारा

एनगीनिस पेल्स होरला

ऐटेला इस्कीपे

केलीनागा बुद्धा ब्राहमण

चारक्सेज एरसोगिटोन

चारक्सज फेबिअस सल्फ्युरेस

चारकेसज फेबिअस सल्फ्युरेस

चारकेसज नाबरुबा

चारकेसज मारमेक्स

चारकेसज पोलीऐम्ना हेमन

चेरसोनेसिया रहरिआ अरहरीओडेस

साइरेसटिस कोकलेस

डिआगोरा परसीमिलिस

डेलेशालिआ बिसालटीक्त मालाबारिका

ऐरीबोइआ अथामस एन्डामानिक्स

ऐरीबोइआ डेलीफिस

ऐरीबोइआ डेलोन

ऐरीबोइआ लिसाईनेई

यूरीपस कान्सीमिलिस

यूरीपस हलटीथेरसेस

यूथालोआ एनोसिआ

यूथालोआ फोसाएटेस

यूथालोआ ड्यूडा

यूथालोआ दुर्गा दुर्गा

यूथालोआ ईनरलिना लन्कीबिलास

यूथालोआ फान्सीऐआ

यूथालोआ गौडा एकोनटीअस

यूथालोआ लेपीडेआ

यूथालोआ मर्टा ऐसीफासेला

यूथालोआ नारा नारा

यूथालोआ पटाला टाओना

यूथालोआ टयूटा

हेरोना पाराध्स एन्डामाना

हाइपोलीमनस मिसीपस

हाइपोलीमनस पोनीनाईस बिरमाना

कल्लीमा एल्बोकाससिआटा

कल्लीमा एलोमपोरा

कल्लीमा फिलारकस हांर्सफील्ड

लिमेनटिस ऑसटेनिआ ऑसर्टनिआ

लिमेनटिस डामावा

लिमेनटिस ड्यूडू

मेलीटेआ रॉबर्टसी ल्यूटको

नेपटिस अनन्ता

नेपटिस अन्जना नशोना

नेपटिस ऑरिलिआ

नेपटिस मगधा खासिआना

नेपटिस नानडीना हामसोनी

नेपटिस नारायण

नेपटिस राधा राधा

नेपटिस सोना

नेपटिस जायेदा

न्यूरोसिगमा डबलडायी डबलडायी

पैनटोपोरिआ डासूरा असुरा

पैनटोपोरिआ फन्वा फारकिस

पैनटोपोरिआ लेरमना सिआमेनसिस

पैनटोपोरिआ प्रवर एक्यूटीपेमनिस

पैनटोपोरिआ रंगा

पार्थेनोस सिल्वा

पेन्थमा लिसर्डा

सिमब्रेन्थिआ निफन्डा

वनेसा एगा एग्नीक्यूला

वनेसा लालबम

वनेसा पोलीक्लोरोस फरविडा

वनेसा प्रारसोईडेस डॉहर्टेयी

वनेसा उर्टीको रिजमा

फेपीली पेपलीओनीडेअ

भूटानीटिस फिडरडाक्षी

चिल्सा ऐपीसाईडेसं ऐपीसाईडेस

चिल्सा पैराडोक्सा टेलीअसक्स

चिल्सा स्लटेरी स्लटेरी

ग्राफीअम एरीसटयूस एन्टीक्रेट्स

ग्राफीअम एरीक्लस ऐरीक्लस

ग्राफीअम यूरीफाएलस मेक्रोनिअस

ग्राफीअम ईवमॉन एल्बोसिलीअटेस

ग्राफीअम ग्यास ग्यास

ग्राफीअम मेगारस मेगारस

पेपीलिओ बूटेस

पेपीलिओ बुद्धघा

पेपीलिओ फसकस एन्डामेनीकस

पेपीलिओ मैकॉन बेरीटाए

पेपीलिओ मायो

पर्नाससिअस चेरीटोन चारलटोअस

पर्नाससिअस इपाफस हिलेनार्सस

पर्नासिसअस जैकोमान्टी जेकामॉन्टी

पॉलीडोरस लेर्टईलिअ कबरूआ

पॉलीक्लोरस प्लटोनिअस टिटलेरी

टेईनोपटपस इमपेरीआलिस इमपेरीआलिस

फेमिली पिअरीडेअ

एपोरिआ नेबेलफिका

ऐपेईस एलबिना डराडा

ऐपेईस इन्द्र शिवा

ऐपेईस लिनासिडा लटीफासीईटा

ऐपेईस वारडका

बाल्टिआ बटलेरी बटलेरी

सेपोरा नाडीअन रेन्वा

सिओरा नेरीस्सा डाफा

कोरीस ओकेन्डीसा हिन्दुकूसीआ

कोलीअस ओजीन

कोलीअस लाटाकेनसिस

कोलीअस सटोलीकाना मिरान्डा

डेलीअस लेटीविट्टा

डेरकस लाईकोरिअस

यूक्लो चारलोनिआ लूसीला

यूरेमा एन्डरसोनी ऑरमी स्टोनी

मेटापोरिआ अगाथॉन

पीरिस डिओटा

पोन्टिआ क्लोरीडाईस एल्पीना

मेलटारा पान्डा क्रीसेआ

वेलरिआ अवतार अवतार

फैमिली सेटीरीडेअ

अलोसेरा ब्राहमिनस

सिलोपीन्स सुरादेव

एलीमनीअस मेलीलस मिलाम्बा

एलीमनीअस वासुदेवा

ऐरीबिआ अनाडा सुरोईआ

ऐरीबिआ हाइग्रिवा

ऐरीबिआ कालीनसिआ कानीन्डा

ऐरीबिआ मान्नी मान्नी

ऐरीबिआ सेन्डा ओपीमा

ईरीटेस फाईसिपेनिस

हिप्पारकिस हेयडेनरिकी शान्द्रा

लेथ एटकिनसोनी

लेथ बलदेवा

लेथ ब्रिसान्डा

लेथ गोलपारा गोलपारा

लेथ इन्साना इन्साना

लेथ जालाऊरिडा

लेथ काबरूआ

लेथ लाटीअरिस लाटीआर्रस

लेथ मोईलेरी मोईलेरी

लेथ नागा नागा

लेथ नाईसटेला

लेथ पुलाह्म

लेथ स्कान्डा

लेथ सर्बोनिस

लेथ साईडेरीआ

लेथ सिनोरिक्स

लेथ ट्रिस्टीगमाटा

लेथ वॉयलासिओडिक्टा कन्जुपकुला

लेथ विसर्वा

लेथ यामा

मानीओला देवेन्द्र देवेन्द्र

मेलनीटिस जिटानिअस

माइकलेसिस अडागसोनी

माइकलेसिस एनाकिअस

माइकलेसिस बोटामा चम्बा

माइकलेसिस हेरी

माइकलेसिस लेपचा बेथामी

माइकलेसिस मालसरीडा

माइकलेसिस मिसेनअस

माइकलेसिस मेसट्रा

माइकलेसिस माइसटेस

माइकलेसिस सुअवोलेन्स

निओरिना हिल्डा

निओरिना पटरिआ वेस्टवुडी

ओइनिस बुदधा गुरवालिका

पारन्टीहोआ मार्शली

पारान मेअरूला मेअफुला

रगाडिआ क्रिसील्डा त्रिटो

रहापीसेरा स्ट्रीक्स कबरुआ

यिपधिना बोलनीका

यिपधिना लाएक्स लाएक्स

यिपधिना माथोरा माथोरा

यिपधिना सिमीलिस अफेक्टेटा

जिपाटिस सेईटिस

मलाबार सिवेट को छोड़कर , (1-ए सिवेट विवेरीडेअ की सभी प्रजातियां)

,(1-बी सामान्य लामड़ी (वल्पेस बेन्गालेनसिस)

,(1-सी उड़न गिलहरी (जनरा बुलोपेट्स पेटायूरीस्टा, पेलूमिस और यूपेटायूरस)

,(1-डी जाइन्ट स्किवरल (रटूफा इन्डीका, और आर. बाईकलर)

,(2 *****)

,(2-ए, हिमालय काला भालू (सेलेनारक्टोस थिबेटानस)

,(2-बी जैकॉल किनीस आरेस)

,(2-सी जंगल कैट (फेलीस कॉस)

,(2-डी मारमॉटस (मारमोटा बोबक हिमालयाना, एम. कॉडाटा)

,(2-ई मांरटेंस (मॉरटेस फॉईना इन्टरमीडिआ, अम फ्लेवीगुला, एम. वाटकीनसी)

, (3*****)

, (4***)

4 उदबिलाव (लूथरा, एल. परपीसीलेटा)

(4-ए धुन्नीय बिल्लियां (बरमेला पेरीगुसना, एम. पुटोरिअस)

4-बी लाल लोमड़ी (वल्पेस वल्पेस, वी. मोन्टाना, बी. ग्रीफिथी)
(5 स्लॉथ बीअर (मेलुरसस उरसीनस)

(5-ए स्पर्म व्हेल (फाएसटेर मैग्रोसेफालस)

(6*****)

(7 वीसल्स (मस्टेला सिबीरिका, एम. कथीअन, एम. अल्टाईका)

(8 चेककरड कीलबैक स्नेक (जेना क्रोफिस पिसकेटर)

9 धामन अथवा रैट स्नेक (टाएअसम्यूकोसस)

10 डॉग-फैस्ड वाटर स्नेक (सरबेरस राईनकोपी)

11 भारतीय नाग (नाजा जीनस की सभी उप-प्रजातियां)

12 नाग (आफीओफेगस हन्नाह)

13 ऑलिवसिअस कीलबैक स्नेक (अर्टीटीअस)

14 रसेल्लस वाईपर (विपेरा रसेली)

15 वारनस प्रजातियां (पीली मॉनीटर छिपकली को छोड़कर)

विवरण-II

वर्ष 2001-2005 के लिए जब्ती डाटा (तेंदुआ और उसके शारीरिक अंग

राज्य	वर्ष	तेंदुए के जब्त किए शारीरिक अंग
1	2	3
उत्तर प्रदेश	2001	42 खालें
	2002	8 खालें
	2003	12 खालें
	2004	—
	2005	3 खालें
पंजाब	2001	1 खाल
महाराष्ट्र	2001	14 खालें
	2002	3 खालें 3 पंजे
	2003	7 खालें 2 खोपड़ियां, 5 किलो हड्डियां और दांत
पश्चिम बंगाल	2001	3 खालें
	2002	1 जीवित तेंदुआ, 500 ग्रा. मांस
	2003	30 खालें, 1 खोपड़ी 1 मातंट
तमिलनाडु	2001	30 खालें
	2003	—
कर्नाटक	2001	—
	2002	1 खाल
उत्तरांचल	2001	11 खालें
	2002	10 खालें
	2003	29 खालें
दिल्ली	2001	9 खालें
	2002	11 खालें
	2003	5 खालें
	2004	6 खालें
	2005	तेंदुओं की 84 खालें, तेंदुए और बाघ के 14 दांत, बाघ/तेंदुए के 60 पंजे, बाघ/तेंदुए के 3 किलो पंजे, बाघ/तेंदुए के 10 जोड़े पंजे, बाघ/तेंदुए की 40 छोटी हड्डियां
मध्य प्रदेश	2001	12 खालें हड्डियां
	2002	2 खालें
	2003	1 खाल
मिजोरम	2001	—
आंध्र प्रदेश	2001	4 खालें
	2003	—

1	2	3
राजस्थान	2001	7 खालें
	2002	1 खाल
हिमाचल प्रदेश	2001	5 खालें
	2002	7 खालें
छत्तीसगढ़	2001	2 खालें
	2002	1 खालें
हरियाणा	2001	6 खालें
	2002	1 खाल
	2003	—
	2004	15 खालें
असम	2001	1.7 किलो हड्डियां
गुजरात	2001	1 खाल
	2002	4 खालें
केरल	2002	4 खालें, 1 कंकाल
झारखण्ड	2002	1 खाल
चंडीगढ़	2002	1 खाल

विवरण-III

तेंदुओं की अनुमानित संख्या का राज्यवार विवरण (2001-2002)

क्र.स.	राज्य का नाम	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	505
2.	अरुणाचल प्रदेश	सूचना प्राप्त नहीं हुई
3.	असम	248
4.	बिहार/झारखंड	164
5.	गोवा/दमन एवं दीव	41
6.	गुजरात	999
7.	हरियाणा	सूचना प्राप्त नहीं हुई
8.	हिमाचल प्रदेश	सूचना प्राप्त नहीं हुई
9.	जम्मू कश्मीर	7
10.	कर्नाटक	सूचना प्राप्त नहीं हुई
11.	केरल	सूचना प्राप्त नहीं हुई
12.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	2206
13.	महाराष्ट्र	513
14.	मणिपुर	सूचना प्राप्त नहीं हुई
15.	मेघालय	सूचना प्राप्त नहीं हुई
16.	मिजोरम	सूचना प्राप्त नहीं हुई
17.	नागालैंड	42
18.	उड़ीसा	457
19.	राजस्थान	481
20.	सिक्किम	सूचना प्राप्त नहीं हुई
21.	तमिलनाडु	41
22.	त्रिपुरा	सूचना प्राप्त नहीं हुई
23.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	2168
24.	पश्चिम बंगाल	331

1	2	3
25.	दादर नागर हवेली	सूचना प्राप्त नहीं हुई
26.	अंडमान/निकोबार	सूचना प्राप्त नहीं हुई
	योग	8203

दिल्ली दुग्ध योजना

146. **डा. के. धनराजू :**
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली दुग्ध योजना के कुछ डीलर दिल्ली दुग्ध योजना के दूध को बेचने के बजाय निजी-कंपनियों के दूध की बिक्री करते हैं और उनके दूध की बिक्री को बढ़ावा देते हैं क्योंकि उन्हें निजी कंपनियों से अधिक कमीशन मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ग) दिल्ली-दुग्ध योजना ने किन कारणों से ऐसे डीलरों के साथ अपने व्यापारिक संबंध जारी रख हुए हैं; और

(घ) उक्त डीलरों के विधि विरुद्ध कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए उनकी डीलरशीप रद्द करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) अभी हाल में दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो इस बारे में हैं कि दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो धारकों द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के साथ-साथ अन्य ब्रांडों का दूध भी बेचा जा रहा है। उनमें से एक शिकायत ठीक नहीं पाई गई। दूसरी शिकायत के मामले में, भविष्य में ऐसी अनियमितता न दोहराने के लिए संबंधित डिपो धारक को कड़ी चेतावनी दी गई है।

पश्चिम एशिया से पर्यटकों का आगमन

147. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की मई में दुबई में आयोजित होने वाले अरेबियन ट्रेवल मार्केट में अब तक की अपनी सर्वाधिक व्यापक उपस्थिति दर्ज कराने की कोई योजना है तथा क्षेत्र के प्रमुख यात्रा तथा पर्यटन प्रदर्शनी में नए उत्पाद बाजार में उतारने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य पूर्व भारत के पर्यटन उद्योग के विकास के लिए रणनीतिक महत्व का है जो वर्तमान में देश के सकल घरेलू उत्पाद में दो प्रतिशत का योगदान रखता है; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम एशिया से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय एक पसंदीदा पर्यटक गंतव्य के रूप में भारत को प्रदर्शित करने के लिए दुबई के अरेबियन ट्रेवल मार्केट में भाग लेता है। मध्य पूर्व की महत्वपूर्ण पर्यटक सृजन मार्केटों में देश के विविध पर्यटन उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए सह-प्रदर्शकों के रूप में राज्य सरकारों/निजी क्षेत्र के साथ एक भारतीय पेविलियन स्थापित किया जाता है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय दुबई में अपने कार्यालय के माध्यम से, पश्चिम एशिया से पर्यटक आगमन बढ़ाने के उद्देश्य से, विज्ञापन, यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, भारतीय सेमिनारों और कार्यशालाओं आदि आयोजित करने सहित संवधर्नात्मक कार्यकलापों की एक रेंज कार्यान्वित करता है।

[हिन्दी]

भविष्य निधि क्षेत्र में सुधार

148. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) के न्यासी बोर्ड ने वर्ष 2004-05 के लिए ब्याज दर 9.5 प्रतिशत रखने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य निधि क्षेत्र में व्यापक सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने दिनांक 28.2.2005 को आयोजित अपनी विशेष बैठक में वर्ष 2004-05 के लिए 9.5% की दर से ब्याज की सिफारिश की है। कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई ब्याज की दर को सरकार ने अभी अभिपुष्ट करना है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

राष्ट्रीय वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन

149. **श्री असादुद्दीन ओवेसी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संगठित अवैध शिकारियों के गिरोहों से निपटने के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके मुख्य कार्य क्या है

(ग) क्या इस ब्यूरो के गठन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस ब्यूरो के कब तक गठित हो जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यूरों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है–

i. संगठित वन्यजीव अपराध से संबंधित आसूचना एकत्र करना तथा उसका विश्लेषण करना और अपराधियों को पकड़ने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने हेतु इसे रराज्य और क्षेत्रिय प्रवर्तन अभिकरणों को प्रसारित करना।

ii. वन्यजीव अपराधों में वैज्ञानिक और व्यवसायिक जांच के लिए अवसंरचना और क्षमता का निर्माण करना और वन्य जीव अपराधों से संबंधित मामलों की बेहतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करना।

iii. विभिन्न संगठनों जैसे पुलिस, डी आर आई, सी बी आई, आई बी, आई.टी.बी.पी, बी.एस.एफ, सीमा शुल्क और वन और वन्य जीव विभागों से पूर्ण कालिक अधिकारियों को लेकर एक मल्टी एजेंसी के रूप में कार्य करना।

iv. विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों जैसे कन्वेंशन ऑन इन्टरनेशनल ट्रेड इन एनडेन्जर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाइना (साइटस), इंटरनेशनल ह्वेलिंग कमीशन, आदि, भारत जिनका पक्षकार है, के अंतर्गत लिए गए संकल्पों और निर्णयों को कार्यान्वित करना।

v. इन्टरपोल वन्यजीव अपराध कार्य दल, दी वर्ल्ड कस्टम आर्गेनाइजेशन, साइटस टाइगर एन्फोर्समेंट टास्क फोर्स और देश में विभिन्न अन्य कानून प्रवर्तन अभिकरणों के साथ सहायोग करना।

vi. प्रवर्तन और जांच को व्यावसायिक तरीके से करने के लिए राज्य वन विभागों के व्यापार, प्रवर्तन और क्षमता निर्माण को विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की नीति विकसित करना।

vii. राज्य वन विभागों, गैर सरकारी संगठनों आदि के साथ निकटता से कार्य करते हुए अग्रिम सूचना और कार्रवाई के लिए देश भर में एक आसूचना नेटवर्क स्थापित करना।

viii. व्यापार को मॉनीटर करना और समय-समय पर नीति और कानून में अपेक्षित परिवर्तनों पर भारत सरकार को सलाह देना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न उठता।

[अनुवाद]

उत्तरांचल में डेयरी विकास

150. **श्री राजेन्द्र कुमार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तरांचल में डेयरी विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा योजना-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इस धनराशि के उपयोग को मॉनीटर करती है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में डेयरी विकास में क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) इस मंत्रालय ने "सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी)" के अंतर्गत 2443.93 लाख रुपए के संयुक्त परिव्यय से परियोजनाओं को स्वीकृति दी है अर्थात् 2002-2003 और 2004-2005 के दौरान प्रथम परियोजना में देहरादून, हरिद्वार, नैनिताल और उद्यमसिंह नगर के जिलों को शामिल किया गया है जबकि दूसरी परियोजना में अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को 1545.61 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी) द्वारा प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम को सहायता (स्टेप) योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान 81.02 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

(ख) राज्य सरकार के संबंधित सचिव की अध्यक्षता में तकनीकी प्रबंधन समिति (टीएमसी) जिसमें अन्य सदस्यों के अतिरिक्त इस मंत्रालय तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, द्वारा आईडीडीपी के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी की जा रही है। परियोजना की प्रगति का विश्लेषण करने के लिए समय-समय पर फील्ड दौरे भी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार वास्तविक तथा वित्तीय उपलब्धियों को दर्शाने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्ट भी भेजती है। परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए नियमित आधार पर समीक्षा बैठकें और वीडियो सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं।

एक राज्य स्तरीय समिति स्टेप परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करती है जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं।

(ग) सघन डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, 59,210 कृषिक सदस्यों के साथ 1115 डेयरी सहकारिताएं गठित की गई है और 31.3.2005 तक प्रतिदिन लगभग 99,370 लीटर दूध की खरीद की गई है।

स्टेप योजना के अंतर्गत, लगभग 40 महिला सहकारिता समितियों का गठन किया गया है जिससे 4450 महिला सदस्य लाभान्वित हो रही हैं।

जैव संवर्धित खाद्य उत्पाद

151. **डा. एम. जगन्नाथ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमेरिकन बहुराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कंपनी, मोसान्टो द्वारा किये गए अध्ययन रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें जैव संवर्धित खाद्य उत्पादों का स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव का उल्लेख किया गया है जैसा कि 04 जून, 2005 के 'द हिन्दू' में 'इमपोर्टेड सोया, कॉर्न प्रोडक्ट्स में भी हार्मफुल' शीर्षक के अंतर्गत समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय बाजार में जैव संवर्धित खाद्यान्नों को बेचने पर प्रतिबंध लगाने का है जैसा कि विभिन्न नागरिक समिति समूहों तथा गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) द्वारा अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय जोकि जी एम ओ के नियमन का केन्द्रीय मंत्रालय है, ने मंत्रालय को सूचित किया है कि मंत्रालय में जैव संवर्धित खाद्य उत्पादों से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) भारत में जैव संवर्धित आर्गेनिज्म और उसके उत्पादों का नियमन निर्माण, उपयोग, आयात और निर्यात और जोखिमपूर्ण माइक्रो-आर्गेनिज्म के भंडारण, जैव संवर्धित आर्गेनिज्म अथवा सैल, विनियम 1989 के अंतर्गत किया जाता है जिन्हें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत बनाया जाता है। ये विनियम सभी खाद्यों, खाद्य घटकों और संयोजनों जिसमें जैव संवर्धित आर्गेनिज्म अथवा सैलों

के प्रसंस्करण साधन शामिल हैं, का जैव संवर्धित अनुमोदन समिति (जी ई ए सी) के अनुमोदन के बिना उत्पादन, बिक्री, आयात अथवा प्रयोग न किया जाए। किसी नई प्रौद्योगिकी को शुरू करने के लिए दीर्घकालिक स्थाई लाभों/प्रभावों के ध्यानपूर्वक मूल्यांकन की जरूरत है। इसलिए, सरकार जी एम उत्पादों का अनुमोदन मामलेवार करने की नीति को अपना रही है। निर्धारित जैव सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के लिए अनुमोदन से पहले सभी जैव संवर्धित खाद्यों की विषाक्तता और एलर्जी की दृष्टि से जांच करने की आवश्यकता है। अभी तक जी ई ए सी ने देश में उपभोग के लिए जी एम खाद्यों के उत्पादन और आयात के लिए अनुमोदन नहीं दिया है। प्रवेश स्तर पर खाद्य उत्पादों के परीक्षण के लिए दिशा-निर्देशों को खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम, 1954 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को पुनर्जीवित करना

152. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को पुनर्जीवित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने एम ए पी एल में एक स्वैच्छिक विलगन योजना (वीएसएस) लागू की है और एम ए पी एल में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) को 3.10.2003 को गैर-योजनागत ऋण के रूप में 6.94 करोड़ रुपए जारी किए हैं। फलस्वरूप, एम ए पी एल के सभी कर्मचारी वीएसएस के अन्तर्गत मुक्त कर दिए गए हैं।

कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य

153. **श्री रूपचन्द मुर्मू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपेक्षित मूल्य न पाने वाले कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया है तथा होने वाले घाटे को राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घाटे की पूर्ति के लिए किसी राज्य को कोई धनराशि आबंटित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार समर्थन मूल्य से हुए घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल को कोई धनराशि आबंटित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के समक्ष राज्य सरकारों को कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य निर्धारित करने का प्राधिकार देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं तथा ये देश भर में समरूप हैं।

(ग) से (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार

154. **श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2010 तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे न्यूनतम 2000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा;

(ग) क्या वाणिज्य तथा उद्योग परिसंघ (एसोचैम) के अनुसार अध्ययन में पाया गया है कि आयात करो में कमी, गैर-टैरिफ बाधाओं के हटने से तथा घरेलू कृषि को राजसहायता में कमी के कारण भारत जैसे देशों को कृषि तथा कृषि आधारित प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए विकसित देशों का बाजार निर्यात के अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा; और

(घ) यदि हां, तो देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) मैसर्स राबो इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग का लक्ष्य वर्ष 2005 और 2015 के दौरान लगभग सालाना 10 प्रतिशत की दर से बढ़ने का होना चाहिए। अनुमान है की इस अवधि हेतु प्रसंस्करण क्षमता, बुनियादी सुविधा और बाजार विकास के निर्माण के वास्ते 99,700 करोड़ रु. के पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु किए जा रहे अन्य संवर्धनात्मक उपायों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के सृजन, अनुसंधान एवं विकास हेतु समर्थन, मानव संसाधन विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं स्कीमें तैयार और कार्यान्वित की गई हैं। हाल ही में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग के लिए स्थापित की जाने वाले नए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को पांच साल के लिए लाभ पर 100% और अगले 5 वर्षों के लिए लाभ पर 25% छूट दी हैं डेरी प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डेरी मशीनरी पर 16% के वर्तमान उत्पाद शुल्क को पूरी तरह हटा दिया गया है। मांस, पॉल्ट्री और मछली पर उत्पाद शुल्क को 16% से कम करके 8% कर दिया गया हैं खाद्य तेल में प्रयोग किए जाने वाले खाद्य ग्रेड हैक्सन पर उत्पाद शुल्क को 32% से कम करके 16% कर दिया गया है। बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 2005 से एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया है। वर्ष 2005-06 के बजट में परिष्कृत खाद्य तेल पर प्रतिकिलो लगने वाले 1 रु. और वनस्पति पर प्रतिकिलो लगने वाले 1.25 रु. के उत्पाद शुल्क को समाप्त किया गया है। प्रशीतित वैनों पर लगने वाले सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 10% किया गया है।

पर्यटन केन्द्रों को जोड़ना

155. **श्री डी. विट्टल राव** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में प्रमुख पर्यटन केन्द्रों को बेहतर तरीके से जोड़ने पर जोर दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना आयोग इस योजना का समर्थन कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) से (ग) देश में प्रमुख पर्यटक केन्द्रों को बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने यह मामला सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ उठाया है।

(घ) और (ङ) योजना आयोग ने पर्यटन मंत्रालय के बजट 2005-06 में, विश्व विरासत स्थलों से राष्ट्रीय राजमार्गों और हवाई अड्डों के लिए बेहतर सड़क संपर्क हेतु और इन स्थलों में अवसंरचना के सुधार हेतु आगरा और वाराणसी प्रत्येक के लिए 25 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।

अस्पतालों द्वारा प्रतिरक्षण कचरे का निपटान

156. **श्री मोहन रावले** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि प्रतिरक्षण कचरे का उचित निपटान नहीं किया जा रहा है और देश में विभिन्न अस्पतालों द्वारा अनेक पुनर्चक्रण और पुनः प्रयोग की खबरें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतिरक्षण कचरे को जलाने से मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के प्रति नुकसानदेह खतरनाक गैसों का उत्सर्जन होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रतिरक्षण कचरा के निपटान के लिए कोई नयी प्रौद्योगिकी का प्रस्ताव किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) प्रतिरक्षण अपशिष्ट का सही ढंग से निपटान न किए

जाने के बारे में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ध्यान में कोई रिपोर्ट नहीं लाई गई है। प्रतिरक्षण अपशिष्ट भी जैव-चिकित्सा अपशिष्ट है जिसका जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अंतर्गत उचित शोधन एवं निपटान किया जाना अपेक्षित है।

(ग) से (च) प्रतिरक्षण के दौरान जनित सरिंजों को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998 के अंतर्गत्त जलाने की अनुमति नहीं है क्योंकि इसके परिणामस्वरू हानिकारक प्रदूषकों का उत्सर्जन हो सकता है। इस अपशिष्ट के निपटान की अन्य विधि में रसायन उपचार/आटोक्लेविंग/माइक्रोवेविंग द्वारा विसंक्रामण करना और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियम की अनुसूची-I के अनुसार इनका खण्डन और विखण्डन करना है आटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग के लिए मानक जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियम की अनुसूची-V में अनुबद्ध है।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा

157. **श्री परसुराम मांझी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम उड़ीसा में वांछित परिणाम देने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके मार्ग की रुकावटों की पहचान करने और उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वन प्रभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी (एफ डी ए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे एफ एम सी) के द्विस्तरीय विकेन्द्रीकृत मेकेनिज्म के माध्यम से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी का कार्यान्वयन कर रहा है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा केन्द्र सरकार स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की विषय निर्वाचन समिति और राज्य स्तर पर राज्य-स्तरीय समन्वय समिति द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की चुनींदा जारी परियोजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा कराया जाता है।

(ग) से (ङ) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम परियोजनाओं की प्रगति उत्साहवर्धक है।

[हिन्दी]

रिहन्द बांध

158. **श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 1963 ई. में निर्मित रिहन्द बांध में कंपनियों द्वारा नियमित रूप से रसायन का उत्सर्जन करने के कारण नदी में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है जिससे बांध के 'टनल' को खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रदूषण को रोकने और बांध की यथास्थिति बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। रिहन्द बांध के जलाशयों में रसायन के उत्सर्जन के कारण नदी में खतरे की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, जिससे बांध और इसके घटक को कोई क्षति हो।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द बांध संरचनात्मक व्यवहार मानीटरिंग समिति (आरडीएसबीएमसी) नामक एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जो बांध की सुरक्षा और बांध से संबंधित अन्य कार्यों की मानीटरिंग करती है। केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला (सीएसएमआरएस), नई दिल्ली, जो कि इस समिति का एक सदस्य है, निरन्तर इस जलाशय के जल के नमूने एकत्र कर रहा है और जलाशय के जल के प्रदूषण स्तर की मानीटरिंग कर रहा है।

इस्पात भण्डार में निरंतर वृद्धि

159. **श्री चंद्रकांत खैरे :**
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के भण्डार में निरंतर वृद्धि के बावजूद वर्ष 2005-06 के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ हुए समझौता ज्ञापन में 40 प्रतिशत से 20 प्रतिशत कम इस्पात जारी करने का करार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या "सेल" भण्डार बढ़ाकर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचा रहा है;

(ग) क्या समझौता ज्ञापन के समय "सेल" ने नई कंपनियों से भी आवेदन मंगाया था किन्तु किसी भी नई कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन करने से इंकार कर दिया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) 2005-06 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) योजना के तहत नए सीधे ग्राहक आमंत्रित करके ग्राहक आधार को बढ़ाने का प्रयास किया गया था। उन्हें आपूर्ति करने के लिए उत्पादों की कुछ श्रेणियों के अंतर्गत व्यापारियों को आपूर्ति करने के लिए मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए गए थे। ग्राहकों द्वारा सीधे माल नहीं उठाने के कारण स्टॉक बढ़ गया है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में इस्पात की सामग्रियों के मूल्य में कमी के रुख के कारण ग्राहकों द्वारा कम माल उठाया गया है, जिसके फलस्वरूप पिछले कुछ महीनों में स्टॉक में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर कहा गया है, ग्राहकों से सीधे आवेदन आमंत्रित किए गए थे और उत्पादों की कुछ श्रेणियों में व्यापारियों को आपूर्ति के संबंध में मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए गए थे।

[अनुवाद]

नदी तल से बालू खनन

160. **श्री डी.वी. सदानन्द गौडा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी तलों से बड़ी मात्रा में बालू खनन के कारण समुद्री जल नदियों में घुस आया है जिससे कई पुलों के खंभे गंभीर रूप से अस्थिर हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भू-जल में खारापन आ गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक राज्य-वार कितने प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा अनुरक्षण का प्राथमिक दायित्व नौवहन, सड़क यातायात तथा राजमार्ग मंत्रालय का है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, नदी तटों पर भारी मात्रा में बालू के खनन से पुलों में संरचनात्मक अस्थिरता एवं समुद्र जल के प्रवेश की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) समुद्रतटीय क्षेत्रों में नदी तटों पर बालू खनन से भूमि जल में लवणता के प्रवेश का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रमुख नदियों के मार्ग के पास वाले भूमि जल में लवणता का मुख्य कारण ज्वारभाटे के दौरान समुद्र जल का प्रवेश करना है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश जल, भूमि एवं वृक्ष अधिनियम, 2002 के तहत जिन क्षेत्रों में खनन से भूमि जल प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वहां, भूमि खनन पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया है।

[हिन्दी]

भू-जल स्तर में गिरावट

161. **श्री अवतार सिंह भड़ाना** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि लगातार अकाल और वर्षा न होने के कारण कई राज्यों में जल स्तर घटा है जिसके परिणामस्वरूप इन राज्यों में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन राज्यों को इस स्थिति से निपटने के लिए कोई विशेष सहायता देने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों को कब तक सहायता दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा भूजल स्तरों के दीर्घकालिक विश्लेषण से देश में 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 362 जिलों के कुछ भागों में भूजल स्तर में कमी का पता चला है। यह कमी कम वर्षा सहित विभिन्न कारणों की वजह से रही।

(ख) और (ग) जल संसाधन मंत्रालय, भूजल स्तरों में कमी को रोकने के लिए कोई विशेष सहायता मुहैया कराने पर विचार नहीं कर रहा है। ''जल'' राज्य का विषय होने के कारण, भूजल स्तर में सुधार के लिए स्कीमें कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का होता है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं:–

(i) दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के लिए 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम विचाराधीन है।

(ii) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल/ दिशा निर्देशों का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट के रुख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(iii) केन्द्रीय मंत्रालयों/रेल, डाक, दूरसंचार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन भवनों में छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले भवनों पर जल संचयन संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(v) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आने वाले स्थानीय निकायों को यह सलाह दें कि जो व्यक्ति अपने अहाते/परिसर में छत के वर्षा जल संचयन को अपना रहे हैं उन्हें संपत्ति कर में छूट दें।

(vi) सीजीडब्ल्यूबी ने राज्य सरकार अधिकरणों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी उद्यमों और व्यक्तियों सहित लगभग 1800 अभिकरणों को वर्षा जल संचयन के संबंध में तकनीकी दिशानिर्देश मुहैया कराये हैं।

(vii) वर्षा जल संचयन की विभिन्न तकनीकों और भविष्य में उपयोग के लिए इसके भंडारण के संबंध में जनता को जागरूक और शिक्षित करने के लिए छत के वर्षा जल संचयन पर एक वेबसाइट (**डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीजीडब्ल्यूबी.नेट**) की शुरूआत करना।

(viii) वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी जन-जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठयक्रमों का आयोजन।

(ix) युवा और बच्चों, महिलाओं, किसानों तथा ग्रामवासियों, नीति और विचारकर्ताओं जैसे विभिन्न लक्षित समूहों को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संचयन अभियान चलाया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार, दूरदर्शन पर स्पाट का प्रसारण, रेडियो पर संदेशों का प्रचार-प्रसार, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि का आयोजन किया गया है।

(x) शहरी विकास एव गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने भवन उपनियम, 1983 में संशोधन कर दिल्ली में 100 वर्गमीटर और इससे अधिक के प्लाटों में सभी नए भवनों में वर्षा जल सहित अपवाह जल संचयन के माध्यम से जल संचयन का प्रावधान रखा है। उसी प्रकार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और केरल सरकारों ने विशेष मामलों में छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया है।

[अनुवाद]

पर्यावरण संबंधी परियोजनाएं

162. श्री जोवाकिम बखला :
श्री रवेन बर्मन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषत: पश्चिम बंगाल में शुरू की गयी केन्द्र द्वारा प्रायोजित पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा कुल कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी;

(ग) इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आगामी तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में शुरू की जाने वाली ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

परिवहन और भण्डारण सुविधा

193. **श्री एम. राजामोहन रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त परिवहन और भण्डारण सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण देश में प्रतिवर्ष फलों और सब्जियों के कुल उत्पादन का एक बड़ा प्रतिशत नष्ट हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) देश में फलों और सब्जियों की हानि का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। तथापि, डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली एक समिति ने जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की 25 से 30% तक हानि की सूचना दी है।

(ग) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है जिनका उद्देश्य बागवानी उत्पादों में होने वाली हानि को कम करना है:–

(i) "बागवानी उत्पादों हेतु शीतागार के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता", और

(ii) उत्पादन तथा फसल कटाई पश्चात प्रबंध के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास।

इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2005-06 के दौरान "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की है जिसके अंतर्गत फसल कटाई पश्चात प्रबंध अवसंरचना के लिए सहायता परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

दुधारू पशुओं की उन्नत नस्ल का विकास

164. **श्री हरिकेवल प्रसाद**
श्री वी.के. थुम्मर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुधारू पशुओं की उन्नत नस्ल विकसित करने वाले संसाधनों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त पशुओं के नाम क्या हैं और उनकी दुग्धोत्पादन की क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इन पशुओं के दुग्धोत्पादन की लागत का अनुमान लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसानों को इन पशुओं की अनुमानित वार्षिक उपलब्धता कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, गोपशु परियोजना निदेशालय, मेरठ ने मिलिट्री फार्मों के साथ सहयोग में और केरल पशुधन विकास बोर्ड ने गोपशु की सुधरी हुई संकर नस्लें विकसित की हैं।

(ख) इनके नाम करण स्विस, करण फ्रीस और फ्रीसवाल रखे गये हैं। इनकी औसत कुल दुग्ध काल पैदावार, निम्न रूप में है :

नस्ल	दुग्ध पैदावार क्षमता
1	2
करण स्विस	
(i) औसत दुग्ध उत्पादन (कि.ग्रा./305 दिन)	3316 कि.ग्रा.

1	2
(ii) अधिकतम दुग्धकाल में दूध की रिकार्ड की गई पैदावार (कि.ग्रा./356 दिन)	8239 कि.ग्रा.
करण फ्रीस	
(i) औसत दुग्ध उत्पादन (कि.ग्रा./305 दिन)	3393 कि.ग्रा.
(ii) अधिकतम दुग्धकाल में दूध की पैदावार (कि.ग्रा./305 दिन)	8338 कि.ग्रा.
फ्रीसवाल	
(i) औसत दुग्ध उत्पादन (कि.ग्रा./300 दिन)	3072 कि.ग्रा.
(ii) पूर्ण दुग्धकाल में औसत दुग्ध उत्पादन (315 दिन)	3398 कि.ग्रा.

(ग) जी, हां।

(घ) 1999 के अनुमान के अनुसार दुग्ध उत्पादन का मूल्य (रु./लीटर दूध) निम्न प्रकार है :

करण स्विस 8.42

करण फ्रीस 6.64

फ्रीसवाल पशुओं के दुग्धोत्पादन का मूल्य अभी अनुमानित किया जाना है।

(ङ) सर्वोत्कृष्ट गायें बढ़िया सांडों के उत्पादन के लिए हैं। करण स्विस, करण फ्रीस और फ्रीसवाल के वीर्य किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध कराये जाते हैं। फ्रीसवाल गायों के संबंध में अतिरिक्त पशु (बढ़िया सांड, गायें और बछड़े) बुक वैल्यू आधार पर मिलिट्री फार्मों द्वारा किसानों और सरकारी एजेंसियों को दिये/बेचे जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कल्याण कार्यक्रमों हेतु खाद्य पदार्थ

165. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गेहूं, चावल, दलहन और अन्य फसलों के उत्पादन में गिरावट का रुझान दिखाई दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कमी ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, काम के बदले अनाज कार्यक्रम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी प्रभावित किया है;

(घ) यदि हां, तो पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन की कमी में सरकार द्वारा अपने कल्याणकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) कम उत्पादन के कारणों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) वर्ष 2004-05 और 2003-04 हेतु गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन, कपास गन्ना और पटसन व मेस्ता का उत्पादन नीचे दर्शाया गया है–

(मिलियन टन)

फसल	2004-05*	2003-04
गेहूं	72.00	72.11
चावल	85.31	88.28
दलहन	13.38	14.94
तिलहन	26.10	25.29
कपास #	17.00	13.87
गन्ना	232.32	237.31
पटसन व मेस्ता ##	10.49	11.23

* 06.07.05. की स्थिति के अनुसार चौथा अग्रिम अनुमान

\# 170 कि.ग्रा. प्रत्येक मिलियन गांठे

\## 180 कि.ग्रा. प्रत्येक की मिलियन गांठे

वर्ष 2004-05 में कुछ फसलों में निम्नतर उत्पादन स्तर दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान हुई कम वर्षा के कारण था। वर्ष 2003 की तुलना में, वर्ष 2004 में दक्षिण-पश्चिम मानसून अनियमित रहा और कमजोर/क्षीण मानसून स्थितियां लम्बे समय तक रहीं जो जून के अंत, जुलाई में अधिकतर समय, अगस्त के अंत की अवधि और सितम्बर के शुरू की अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में प्रभावी रही। पूरे देश के लिए, 1 जून से 30 सितम्बर तक मौसमीय वर्षा वर्ष 2004 की इसकी लम्बी अवधि औसत (एल पी ए) की 87% थी।

(ग) और (घ) सरकार के पास विभिन्न राज्यों/के.शा. प्रदेशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टी डी पी एस और कल्याण स्कीमों के अधीन खाद्यान्नों का पर्याप्त भण्डार है।

(ङ) खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्यों वाले कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल है–

(i) चावल आधारित फसलन प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी- चावल)

(ii) गेहूं आधारित फसलन प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी- गेहू)

(iii) मोटे अनाज आधारित फसलन प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी- मोटे अनाज)

अक्तूबर, 2000 से इन स्कीमों को बृहत् प्रबंधन कार्यक्रम के अधीन मिला दिया है ताकि राज्यों की क्षेत्रीय विशिष्ट जरूरतों के अनुसार लचीलापन प्रदान किया जा सके।

"पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु ऑन फार्म जल प्रबंध" संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 2002-03 से शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य पूर्वी भारत में प्रचुर भू/सतही जल के दोहन के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। इस स्कीम के तहत, पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में (i) पम्पिंग सेटों के साथ उथले नलकूप (एस टी डब्ल्यू) लगाने, (ii) विद्युत/डीजल जल पम्पिंग सेटों, (iii) लो लिफ्ट इरिगेशन प्वांईट्स (एल आई पी) और (iv) खुदे कुओं के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है। यह स्कीम असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम पार्श्वात ऋण संबद्ध है और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीणठ विकास बैंक के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

जहां तक दलहन का संबंध है, अप्रैल 2004 में शुरू की गई समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का (आईसोपाम) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन प्रजनक बीज की खरीद, आधारी बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीज के उत्पादन व वितरण, बीज मिनिकीटों आदि के वितरण के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है।

[हिन्दी]

जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों में कमी

166. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कैंसर और एड्स की दवाओं सहित अन्य जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों को कम करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निर्णय के कब से प्रभावी होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) में जीवन रक्षक दवाओं तथा अन्य औषधों के बीच कोई भेद नहीं किया गया है। किसी औषध को जीवन रक्षक औषध के रूप में वर्गीकृत करने के बारे में कोई विशिष्ट मानक या मार्गनिर्देश नहीं है। सामान्यतया, प्रत्येक औषध को जीवन रक्षक तथा दीर्घजीवी बनाने के लिए उपयोगी माना जाता है।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) को सरकार द्वारा दिनांक 6.1.1995 के सां.आ. 189(अ) के द्वारा प्रख्यापित किया गया था। इसकी प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 प्रपुंज औषध और उन पर आधारित फार्मूलेशन, मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं तथा उनके मूल्य, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा डीपीसीओ, 95 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। सितम्बर, 1994 में घोषित "औषध नीति 1986 में संशोधन" में उल्लिखित मानदंड के आधार पर इन औषधों को डीपीसीओ, 95 में मूल्य नियंत्रण के अधीन रखने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। इन मानदंडों में विभिन्न औषधों के इस्तेमाल की सीमा और बाजार प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखा जाता है। डी पी सी ओ, 95 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 प्रपुंज औषधों में से कोई भी कैंसर रोधी औषध नहीं है।

गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण, विनिर्माताओं द्वारा स्वयं उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान एवं विकास व्यय, व्यापारिक कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पाद सुधार, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सार्वजनिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में सरकार द्वारा उपचारी उपाए किए जाते हैं।

प्रपुंज औषधों/फार्मूलेशनों की कीमतों का निर्धारण/संशोधन, एन पी पी ए द्वारा की जाने वाली सतत प्रक्रिया है।

नया कृषि विश्वविद्यालय

167. **श्री हंसराज जी. अहीर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार स्थापित नए कृषि विश्वविद्यालय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नए कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने में कृषि विशेषज्ञों की कमी मुख्य बाधा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किये गये कृषि विश्वविद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है:

गुजरात :	1.	दांतावाड़ा, कृषि विश्वविद्यालय, दांतीवाड़ा
	2.	आनन्द कृषि विश्वविद्यालय, आनंद
	3.	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़
	4.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी
कर्नाटक:	5.	कर्नाटक पशुचिकित्सा, पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, बिदार

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वन्यजीव व पर्यावरण संरक्षण

168. **श्री सुरेश कुरूप :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण में सरकारी नीतियों के संबंध में 40 वन्यजीव और पर्यावरण से जुड़े संगठनों द्वारा हस्ताक्षरित कोई पत्र प्राप्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 4.10.2004 को पत्र में उठाए गए प्रमुख संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वन भूमि और वन्यजीव पर्यावास सुरक्षा विभिन्न कानूनों के तहत की जाती है जिनमें भारतीय वन अधिनियम, 1927 वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 शामिल हैं। गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए वन और वन्यजीव पर्यावासों के अपवर्तन और उपयोग से संबंधित सभी मामलों की जांच इन कानूनों के प्रावधानों और समय-समय पर जारी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत अतिनियम निष्ठ तरीके से विशेषज्ञ समितियों द्वारा की जाती है। विकास परियोजनाओं के लिए स्वीकृति देते समय उनकी आवश्यकता के संबंध में भली-भांति सोच-विचार करने के बाद संरक्षण पहलुओं को जोखिम में डाले बिना क्षति पूरक वनीकरण, पर्यावास पुनरुद्धार सहित पुनर्वास उपाय करना एक परमावश्यक प्रावधान है।

विवरण

कर्मठ कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों और अन्य व्यक्तियों के दिनांक 4 अक्तूबर, 2004 के पत्र में उनके द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे नीचे दिए गए हैं:—

1. पूरे भारत में 'विकास परियोजनाओं' से वन्यजीव पर्यावासों और उनकी संख्या को लगातार गंभीर खतरा बना हुआ है।

2. कई किस्म की विकास परियोजनाओं को अत्यधिक निकृष्ट पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के बावजूद जिसमें किसी दूसरे के अध्ययनों को स्पष्ट रूप से अपना अध्ययन बताकर प्रस्तुत करना भी शामिल है, स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर अथवा एकदम उनकी सीमा पर कई विध्वंसक विकास परियोजनाओं के लिए अनुमति प्रदान की गई है।

4. नागरिकों निविष्टियों को पूरी तरह से नजर अंदाज करके कई स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।

5. भारतीय वन्यजीव बोर्ड और विशेषज्ञ समितियों को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अशक्त बनाया गया है।

6. क्षतिपूरक मेकेनिज्म को परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए व्यापक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को आधार बनाकर समुचित निर्णय का प्रतिस्थायी नहीं बनाया जा सकता।

7. पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाओं में बार-बार फेर-बदल करने से वन्यजीव पर्यावासों और संवेदनशील पारितंत्रों पर विकास गतिविधियों का अधिक दबाव पड़ा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कृषि बीमा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसान

169. **श्री. मुकीम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत आज की तिथि तक शामिल किसानों, फसलों और कृषि भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत फसलवार प्रीमियम की दर निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) केन्द्र सरकार और राज्य/संघ क्षेत्र द्वारा वित्तीय दायित्वों की सहभागिता का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य में उक्त योजना के लिए कुल कितना प्रीमियम संग्रहीत हुआ है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान और आज तक बीमा दावों के विरुद्ध कितना भुगतान किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन ए आई एस) उत्तर प्रदेश में खरीफ 2000 से कार्यान्वित की गई है। योजना के अधीन कवर की गई फसलें है:– खरीफ में धान, मक्का, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, तिल, उड़द, गन्ना तथा रबी मौसम में गेहूं, चना, सरसों एवं तोरिया, मटर, मसूर और आलू। उत्तर प्रदेश में इस योजना के अधीन रबी 2004-05 तक 85.03 लाख हैक्टे. क्षेत्र में लगभग 54 लाख किसान कवर किए गए।

(ख) एन ए आई एस के अधीन प्रभारीय प्रीमियम दरों की दो श्रेणियां हैं। खाद्य एवं तिलहन फसलों का बीमा कराने के लिए प्रीमियम की समान दरें प्रभारित की गईं। इन्हें शामिल जोखिम तथा किसानों की भुगतान क्षमता के ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों का बीमा कराने के लिए प्रभारित प्रीमियम की बीमांकित दरें दूसरी श्रेणी है। ये दरें उपज में परिवर्तनीयता के आधार पर परिकलित की जाती हैं।

(ग) प्रीमियम राजसहायता, बैंक सेवा प्रभारों तथा प्रशासनिक व प्रचालनात्मक खर्चों के संबंध में वित्तीय देयताओं के दावों को केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश में वर्षवार भुगतान किए गए दावे तथा एकत्रित किया गया प्रीमियम नीचे दर्शाया गया है:–

(लाख रु. में)

वर्ष	एकत्रित प्रीमियम	भुगतान किए गए दावे
2002-03	1762.82	2811.31
2003-04	1686.93	3695.92
2004-05*	3176.53	1528.85

* वर्ष 2004-05 के दावों के निपटान की प्रक्रिया चल रही है।

[अनुवाद]

तिलहन की खरीद

170. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राजस्थान से कुल कितनी मात्रा में सरसों की खरीद की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में किस कीमत पर सरसों की खरीद की गई है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद जारी रखने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) रबी फसल मौसम 2005 के दौरान राजस्थान में मूल्य समर्थन योजना के अधीन 1700 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14,03,781 टन सरसों की वसूली की गई है।

(ग) और (घ) राजस्थान सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की वसूली जारी रखने का अनुरोध किया था। धन संबंधी बाधाओं के कारण कुछ अवधि के लिए वसूली की रफ्तार में कमी आई थी, तथापि, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन वसूली को वसूली केन्द्रों पर फसल की आमद होने तक जारी रखा गया था।

[हिन्दी]

दिल्ली में दुग्ध की मांग और आपूर्ति

171. **श्री सूरज सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में मिलावटी दुग्ध की आपूर्ति के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त नगरों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और इस पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई के क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) क्या दिल्ली में दुग्ध की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है और इस मांग को पाउडर वाले दुग्ध की आपूर्ति करके पूरा किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का दुग्धापूर्ति प्रणाली में कोई सुधार लाने का प्रस्ताव है?

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो शुद्ध दुग्ध की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) महानगरों में सप्लाई किए जा रहे दूध में अपमिश्रण से संबंधित कोई भी शिकायत हाल ही में प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (च) दिल्ली में मांग और आपूर्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं है। कमी के दिनों यानी मई से अगस्त तक, यदि कोई कमी होती है तो उसकी पूर्ति स्कीम दूध पाउडर के साथ ताजे दूध के मिश्रण से की जाती है तथा ताजे दूध से मक्खन निकाला जाता है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुमोदन

172. **श्री पी. मोहन :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) के कन्वेंशन संख्या 87, 98, और 154 जो लोक सेवा के कर्मचारियों और मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार देता है, को अनुमोदन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमयों का राष्ट्रीय कानून और विनियमों के पूरी तरह अनुरूप होने के बाद ही अनुसमर्थन

किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय 87,98,151 और 154 का अनुसमर्थन नहीं किया गया है और अनुसमर्थन करना प्रस्तावित नहीं है क्योंकि इन अभिसमयों में कामगारों और कर्मचारियों के साथ सरकारी कर्मचारियों को उनकी परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारत में सरकारी कर्मचारियों को एक पृथक श्रेणी के रूप में माना जाता है और उनके लिए दूसरे शिकायत निराकरण तंत्र हैं। उन्हें हमारे संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण भी दिया गया है।

[हिन्दी]

'सीपेट' केन्द्र

173. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :**
श्री श्रीचन्द कृपलानी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में सेन्ट्रल इंस्टीटयूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नालाजी (सीपेट) केन्द्र किन राज्यों में कार्य कर रहे है;

(ख) इसका राजस्व व्यय कौन-सी एजेंसी वहन करती है;

(ग) क्या सरकार को देश में विशेषत: महाराष्ट्र और राजस्थान में नए सीपेट केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(च) सीपेट केन्द्र खोलने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) सिपेट केन्द्र आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में कार्यरत हैं।

(ख) इन सभी केन्द्रों पर राजस्व व्यय सिपेट द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार को महाराष्ट्र, राजस्थान तथा हरियाणा में सिपेट केन्द्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और इन्हें अनुमोदित करने के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की स्थायी वित्त समिति की बैठक जुलाई, 2005 के अंतिम सप्ताह में होनी निश्चित हुई है। योजना आयोग ने इन केन्द्रों की स्थापना के लिए सिद्धान्त रूप से अनुमति दे दी है और हरियाणा, राजस्थान तथा महाराष्ट्र राज्यों में प्रत्येक में एक केन्द्र की स्थापना के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की वार्षिक योजना 2005-06 में प्रत्येक के लिए 5 करोड़ रु. का प्रावधान किया है। एक नए सिपेट केन्द्र की स्थापना पर व्यय को संबंधित राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा 50 : 50 लागत सहभागिता आधार पर वहन किया जाता है। राज्य सरकार का योगदान भूमि, भवन तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के रूप में होता है जबकि केन्द्र के लिए संयंत्र एवं मशीनरी और जनशक्ति की व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

(ङ) सामान्यतया, भारत सरकार के अनुमोदन के बाद नए केन्द्र की स्थापना में तीन वर्ष का समय लगता है।

(च) नए सिपेट केन्द्र का आरंभ विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है जिनमें ये शामिल हैं- संबंधित क्षेत्र में चल रहे प्लास्टिक उद्योगों की संख्या, भारत सरकार की नीति के अनुसार लागत सहभागिता आधार पर भागीदारी हेतु संबंधित राज्य सरकार की तत्परता, राज्य में रोजगार संभावना, प्लास्टिक के संवर्धन हेतु सांस्थानिक अपेक्षाएं, कोर इंजीनियरी क्षेत्र की उपलब्धता, आवश्यकता आधार पर प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देना और राज्य-विशिष्ट तकनीकी - आर्थिक पहलू आदि।

[अनुवाद]

कृषि मजदूर

174. **श्री वृज किशोर त्रिपाठी** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषत: उड़ीसा में कृषि मजदूरों की कुल संख्या कितनी है और कुल आबादी में इनका राज्यवार प्रतिशत कितना है;

(ख) राज्य और केन्द्र स्तर पर कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा अलग-अलग क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में कितना कार्य किया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) वर्तमान में खासतौर पर कृषि श्रमिकों के कल्याण हेतु केन्द्र या उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा कोई योजना लागू नहीं की जा रही है। तथापि, ये कामगार ग्रामीण गरीबों हेतु जिसमें कृषि श्रमिक शामिल हैं, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लागू की जा रही अनेक गरीबी उन्मूलन/रोजगार सृजन योजनाओं हेतु पात्र हैं। ऐसी कुछ योजनाओं में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ-साथ, गरीबी रेखा से कुछ ऊपर आने वाले व्यक्तियों के लिए जनश्री बीमा योजना और सर्वजन स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी बीमा योजनाएं हैं।

विवरण

जनगणना 2001 के अनुसार राज्यवार कुल कृषि श्रमिक, कुल जनसंख्या और उनका प्रतिशत

भारत/राज्य	कृषि श्रमिक	कुल जनसंख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
	106,775,330	1,028,610,328	10.4
आंध्र प्रदेश	13,832,152	76,210,007	18.2
अरुणाचल प्रदेश	18,840	1,097,968	1.7
असम	1,263,532	26,655,528	4.7
बिहार	13,417,744	82,998,509	16.2
छतीसगढ़	3,091,358	20,833,803	14.8
गोवा	35,806	1,347,668	2.7
गुजरात	5,161,658	50,671,017	10.2
हरियाणा	1,278,821	21,144,564	6.0
हिमाचल प्रदेश	94,171	6,077,900	1.5
जम्मू और कश्मीर	246,421	10,143,700	2.4
झारखंड	2,851,297	26,945,829	10.6
कर्नाटक	6,226,942	52,850,562	11.8
केरल	1,620,851	31,841,374	5.1
मध्य प्रदेश	7,400,670	60,348,023	12.3
महाराष्ट्र	10,815,262	96,878,627	11.2
मणिपुर	113,630	2,166,788	5.2
मेघालय	171,694	2,318,822	7.4
मिजोरम	26,783	888,573	3.0
नागालैंड	30,907	1,990,036	1.6
उड़ीसा	4,999,104	36,804,660	13.6
पंजाब	1,489,861	24,358,999	6.1
राजस्थान	2,523,719	56,507,188	4.5
सिक्किम	17,000	540,851	3.1
तमिलनाडु	8,637,630	62,405,679	13.8
त्रिपुरा	276,132	3,199,203	8.6
उत्तर प्रदेश	13,400,911	166,197,921	8.1
उत्तरांचल	259,683	8,489,349	3.1
पश्चिम बंगाल	7,362,957	80,176,197	9.2
अंडमान और निकोबार दीप समूह	5,169	356,152	1.5
चंडीगढ़	563	900,635	0.1
दादर और नगर हवेली	14,715	220,490	6.7
दमन और दीव	1,323	158,204	0.8

1	2	3	4
दिल्ली	15,773	13,850,507	0.1
लक्षदीव	—	60,650	0.0
पांडिचेरी	72,251	974,345	7.4

*टिप्पणी : भारत और मणिपुर के आंकड़ों में मणिपुर राज्य में सेनापति जिले के माओ मारम, पाओमाटा और पुरुल उप संभाग के आंकड़े शामिल नहीं है क्योंकि प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से जनगणना के परिणाम रद्द कर दिये गये थे।

[हिन्दी]

रात्रि बाजार योजना

175. **श्री अजीत जोगी :**
श्री हरिश्चंद्र :
श्री संतोष गंगवार :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में 'रात्रि बाजार' योजना बनायी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना कितने शहरों में शुरू की गयी थी और सरकार द्वारा इस पर कितनी राशि खर्च की गयी है; और

(घ) इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) से (घ) पर्यटन मंत्रालय ने देश की पारम्परिक कला और सांस्कृतिक स्वरूपों को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के साथ-साथ, एक अद्वितीय शॉपिंग अनुभव प्रदान करने के प्रयास के रूप में, रात्रि बाजार की अवधारणा तैयार की है। एक पॉयलट परियोजना के रूप में पहला रात्रि बाजार अशोक होटल, नई दिल्ली के लिली पॉड लॉन्स में 27.03.2005 से 29.05.2005 तक चला।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की बरबादी

176. **श्री प्रहलाद जोशी :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में उचित दर दुकानों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को वितरण के लिए बड़ी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित राज्य सरकारों द्वारा न उठाए जाने के कारण बर्बाद हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अनाजवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे राज्यों को इस घाटे के लिए उत्तरदायी ठहराने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी बर्बादी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख), से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) खाद्यान्नों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए स्टॉक का गोदामों में वैज्ञानिक रूप से भंडारण किया जाता है। आवश्यक रोगहर, रोगनिरोधी और जन्तुबाधा नियंत्रण संबंधी उपाय किए जाते हैं और प्रशिक्षित तथा कुशल गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों द्वारा स्टॉक का आवधिक रूप से निरीक्षण किया जाता है।

रैंडम ह्यूमैन ब्लड सैम्पलस संबंधी अध्ययन

177. **श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब के मालवा क्षेत्र में रैंडम ह्यूमैन ब्लड सैम्पलस पर आधारित हाल के अध्ययन के अनुसार इस क्षेत्र में किसानों के रक्त में कीटनाशकों की मात्रा अमेरिका के किसानों के रक्त में उपस्थित कीटनाशकों की मात्रा से 15 से 605 गुणा अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में सभी राज्यों और संघ राज्य

क्षेत्रों में किसानों को कीटनाशकों के विवेकपूर्ण प्रयोग हेतु उपाय करने हेतु शिक्षित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 2005 में विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा प्रकाशित ''पंजाब के गांवों से खून के नमूनों में कीटनाशी अवशेषों का विश्लेषण'' संबंधी अध्ययन के निष्कर्षों का विश्लेषण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है और वह जो भी आवश्यक होगा उसके लिए सुधारात्मक नीति उपायों की सिफारिश करेगी।

(ग) से (ङ)सरकार पहले से ही समेकित कीट प्रबंध (आई पी एम) की नीति को बढ़ावा दे रही है जिसमें कीटनाशियों के केवल आवश्यकता आधारित उचित प्रयोग और कीट नियंत्रण के जैविक, यांत्रिक, सांस्कृतिक और अन्य विधियों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। आई पी एम संबंधी कृषक क्षेत्रीय स्कूलों (एफ एफ एस) में प्रशिक्षण के दौरान किसानों को कीटनाशियों का अविवेकपूर्ण प्रयोग करने से उसके बुरे प्रभावों पर भी बल दिया जाता है। पौध संरक्षण, संगरोध और भण्डारण निदेशालय द्वारा 1994-95 से 2004-05 तक कुल 9111 एफ एफ एस आयोजित किए गए है जिनमें 37,281 कृषि विस्तार अधिकारियों और 2,75,056 कृषकों को आई पी एम में प्रशिक्षित किया गया है।

[हिन्दी]

अच्छी गुणवत्ता के उर्वरकों हेतु मानदंड

178. **श्री रामसेवक सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में कितनी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की रसायन और उर्वरक विनिर्माण कंपनियां कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसानों को अच्छे उर्वरक प्राप्त न होने के कारण उनकी फसल की उत्पादकता और भूमि की उर्वरता प्रभावित हो रही है;

(ग) सरकार द्वारा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उर्वरक विनिर्माता कंपनियों के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आगामी खरीफ की फसल हेतु किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) भेषजों को छोड़कर रसायन सेक्टर में दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं और निजी सेक्टर में बड़ी संख्या में रासायनिक इकाइयां हैं। देश में उर्वरक का विनिर्माण करने वाले 45 प्रमुख संयंत्र-सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्र में हैं।

(ख) और (ग) कृषकों को अच्छी गुणवत्ता के उर्वरक प्राप्त नहीं होने के बारे में कोई ऐसी रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आयी है। तथापि, देश भर में किसानों को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार ने उर्वरक को एक आवश्यक वस्तु घोषित किया है और आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) की धारा 3 के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (एफसीओ), 1957 को अधिनियमित किया है। तदन्तर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (एफसीओ) को 1985 में संशोधित किया गया था। एफसीओ देश में उर्वरकों के व्यापार मूल्य, गुणवत्ता और वितरण को विनियमित करता है। विभिन्न उर्वरकों के मानक एफसीओ की अनुसूची-I भाग क में विनिर्दिष्ट हैं और अनुच्छेद 19 के तहत केवल ऐसे उर्वरकों की बिक्री/विनिर्माण अनिवार्य है जो एफसीओ की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हों। किसी व्यक्ति को उन उर्वरकों की बिक्री/विनिर्माण की अनुमति नहीं है जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप न हो। ऐसे किसी उल्लंघन के लिए दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक और प्रशासनिक कार्रवाई होगी। एफसीओ के प्रावधानों को लागू करने के लिए मुख्य रूप से राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं और आदेश/ईसीए के तहत कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं। देश में उर्वरक निरीक्षकों द्वारा इलाके/निर्माताओं से लिए गए नमूनों की जांच के लिए फरीदाबाद, चेन्नई, मुम्बई और कल्याणी स्थित केन्द्र सरकार के 4 प्रयोगशालाओं सहित 67 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं। इन प्रयोगशालाओं की विश्लेषण क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 1.25 लाख नमूने हैं और वर्ष 2003-2004 के दौरान केवल 5.5% नमूने गैर-मानक वाले पाए गए हैं।

(घ) विभाग ने यूरिया विनिर्माण यूनिटों को अपने स्ट्रीम दिनों को बढ़ाकर, टर्न एराउन्ड आदि को स्थगित करके अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन करने के लिए कहा है। इस सीजन में लगभग

3.5 लाख मी. टन अतिरिक्त यूरिया के उत्पादन का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, सरकार - ओमान ऑयल कंपनी और इफ्फको तथा क्रिभको द्वारा सुर, ओमान में स्थापित एक संयुक्त कंपनी - ओ एम आई एफ ओ से प्रतिवर्ष लगभग 16.52 लाख मी.टन का आयात करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अपेक्षित अतिरिक्त डायअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) का आयात करने के लिए संचालन एजेन्सी अर्थात आई पी एल और एमएमटीसी के साथ भी करार किया है ताकि आपूर्ति को संपुष्ट किया जा सके। यह आशा है कि ये उपाय चालू खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे।

राजस्थान की नर्मदा नहर परियोजना

179. **श्री श्रीचंद कृपलानी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने कोई धनराशि आवंटित की है ताकि समय-सीमा के अंतर्गत परियोजना को पूरा किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने परियोजना हेतु किसी अतिरिक्त सहायता की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकारी की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त कर रही नर्मदा नहर परियोजना को 2009-2010 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

(ख) और (ग) राजस्थान स्थित नर्मदा नहर परियोजना के लिए वर्षवार बजट आबंटन नीचे दिए गए अनुसार है :

वर्ष	बजट आबंटन (रुपये करोड़ में)
1	2
1998-99	36.00
1999-2000	25.00
2000-01	9.00
2001-02	15.64
2002-03	21.00
2003-04	375.00
2004-05	160.00
2005-06	200.00

(घ) और (ङ) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान के रूप में इस स्कीम के लिए 1998-99 से 2004-05 तक 476.293 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। पिछले दो वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने अतिरिक्त केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान के लिए अनुरोध किया था जो कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जारी की गई है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	मांगी गई मूल केन्द्रीय ऋण सहायता	मांगी गई संशोधित केन्द्रीय ऋण सहायता	जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान
2003-04	40.00	291.13	291.125
2004-05	80.00	119.85	119.848

[अनुवाद]

कर्नाटक में डेयरी प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु सहायता

180. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक सरकार को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दूध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से राज्य में डेयरी प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु और अधिक सहायता प्रदान करने हेतु अनुरोध प्रापत हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) 2002-03 से 2004-05 तक तथा मौजूदा वर्ष के दौरान दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने के लिए कर्नाटक सरकार को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	जारी धनराशि (लाख रुपए में)
2002-03	313.88
2003-04	589.00
2004-05	1592.56
2005-06	–

(ख) से (घ) कर्नाटक सरकार ने राज्य में डेयरी प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से 250 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ नवम्बर 2004 में एक समझौता ज्ञापन किया है।

जनवरी, 2005 में कर्नाटक सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें अनुदान अथवा 250 करोड़ रु. की सहायता के ऋण भाग पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को देय ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में 250 करोड़ रुपए का 30% जारी करने के लिए कहा गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगने के बाद कर्नाटक सरकार को सूचित किया गया था कि ऋण की सीमा तथा केएमएफ/दुग्ध संघों को सहायता का अनुदान हिस्सा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव/प्रत्येक दुग्ध संघ/परिसंघ/परियोजना का तकनीकी आर्थिक अध्ययन करने के बाद ही निर्धारित किया जाएगा जिसमें ब्याज की लागत भी स्वाभाविक रूप से शामिल होगी।

बांस हेतु कार्य योजना

181. **श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस में फूल आने से उत्पन्न समस्या से निपटने के लिए 105 करोड़ रुपये की कार्य योजना स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) योजना आयोग ने पूर्वोत्तर प्रदेश में मुली बांस में फूलों के गुच्छों का प्रबन्धन करने संबंधी योजना हेतु सिद्धान्ततः 85 करोड़ रुपये का अनुमोदन प्रदान किया है और इस मंत्रालय की व्यय वित्त समिति ने भी इसका अनुमोदन किया है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजना के प्रमुख घटकों में अवसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके इस समस्या का समाधान करने हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देना पुनरुद्भव कार्यकलाप, अग्नि नियंत्रण के उपाय कृन्तक नियंत्रण और निवारक स्वास्थ्य उपाय करना शामिल है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

182. **श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन को शुरू करने को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) देश में इस मिशन की बागवानी के विकास हेतु किस तरह से लाभदायी होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी हां। सी सी ई ए ने दसवीं योजना अवधि के दौरान 2300 करोड़ रु. के परिव्यय से राष्ट्रीय बागवानी मिशन को प्रारम्भ करने की अनुमति दे दी है मिशन उत्पादन, कटाई पश्चात प्रबंधन और विपणन को कवर करते हुए प्रारम्भ से अंत तक विधिवत दृष्टिकोण को सुनिश्चित करते हुए बागवानी विकास पर ध्यान देगा।

(ग) मिशन अच्छी गुणवत्ता वाली पौध सामग्री की आपूर्ति के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा देने, उन्नत किस्मों के साथ नए क्षेत्रों को कवर करने, जार्जीण बागानों के नवीकरण, समेकित कीट प्रबंधन,

रोग पूर्वानुमान अवसंरचना के सृजन, कटाई पश्चात प्रबंधन एवं विपणन के लिए सहायता पर विचार करता है। जिससे देश में बागवानी के समग्र विकास को पूर्ण रूप से सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

वन भूमि पर आदिवासी और जनजातीय बस्तियां

183. **श्री कृष्ण मुरारी मोघे :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश में वन भूमि आदिवासी और जनजातीय लोगों को बसाने का प्रस्ताव किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था;

(ख) इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) कितने मामले अभी लम्बित हैं और उक्त बसाने के कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास मध्य प्रदेश की कितनी योजनाएं लंबित है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों और अनुसूचित जातियों को वन भूमियों पर बसाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने केवल 1980 से पूर्व के वन भूमि पर पात्र अवैध कब्जों को नियमित करने और 925 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। केन्द्र सरकार ने पहले ही 2.25 लाख हैक्टेयर वन भूमि पर 1980 से पूर्व के पात्र अवैध कब्जों को नियमित कर दिया है। जहां तक 925 वन ग्रामों को परिवर्तित किए जाने का संबंध है इनमें से 315 वन ग्राम 11 जिलों अर्थात् खरगांव, देवास, राजगढ़, गुना, सिद्धि, विदिशा, बदवान, दिन्दोरी, छिन्दवाड़ा, रायसेन और ओबेदुल्ला गंज और सागर को पहले ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया गया है। नियमित अवैध कब्जे और परिवर्तित ग्रामों के लगभग 80% लाभभोगी अनुसूचित जाति के हैं। वन ग्रामों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.11.2000 के आदेश के कारण रुकी हुई है। जहां शीर्ष न्यायालय ने वनों/राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों को अनारक्षित करने पर रोक लगाई हुई है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश से वानिकी मंजूरी के लिए प्राप्त 12 प्रस्ताव मंत्रालय में जांच के विभिन्न चरणों में है। वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग वाले परियोजना प्रस्तावों की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, वन (संरक्षण) नियमावली, 2003 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया और उसके अंतर्गत समय-समय पर जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार जांच की जाती है। प्रस्तावों की पूर्ण जांच और निर्णय एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ने नियमों के अंतर्गत पूर्व प्रस्तावों पर कार्रवाई करने और निर्णय लेने के लिए स्वयं के लिए 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की है।

[अनुवाद]

देर से मानसून आने का प्रभाव

184. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
श्री जी.वी. हर्ष कुमार :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई भागों में खरीफ की फसल की बुवाई मानसून में विलम्ब के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन सी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं;

(ग) क्या नमी के अभाव से आगामी रबी की फसल भी प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई आकस्मिक योजना बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जून, 2005 माह में मानसून का रुख अनिश्चित था और अखिल भारतीय स्तर पर 1 जून से 29 जून तक कुल वर्षा सामान्य से 20% कम हुई। तथापि इसके पश्चात मानसून फिर से शुरू हो गया और अखिल भारतीय स्तर पर 1 जून से 13 जुलाई, 2005 तक वर्षा सामान्य से 1% अधिक हुई। देश के 36 एम एस डी में से 28 मौसमी उप-प्रभागों (एम एस डी) में कुल वर्षा अधिक/सामान्य थी।

दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के देरी से आने के कारण बुवाई क्रियाकलाप प्रभावित हुए। कृषि मंत्रालय के फसल मौसम निगरानी दल द्वारा अपने दिनांक 18.7.2005 को हुई बैठक में दी गई रिपोर्ट के अनुसार खरीफ 2004-05 की तुलना में 2005-06 की इसी अवधि में फसलों की खेती इस प्रकार रही है–

(लाख हैक्टेयर)

फसल/वर्ष	2005-06	2004-05
चावल	90.64	122.32
मोटे अनाज	121.67	116.51
दलहन*	32.59	50.79
तिलहन*	84.30	100.73
कपास	51.58	59.81
गन्ना	40.85	37.49
पटसन	7.88	7.69

दिनांक 15.07.2005 तक

तथापि मानसून के नियमित क्षेत्र में बुवाई कार्यों में तेजी आई और आशा की जाती है कि आगामी सप्ताहों में फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में सुधार होगा।

(ग) से (ङ) रबी फसलों की खेती नमी संरक्षण की कमी की स्थिति में होती है। सितम्बर और उसके बाद से रबी फसल के बचाव के लिए मृदा में नमी की मात्रा महत्वपूर्ण होगी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून मौसम के अन्त में एक मूल्यांकन कराया जाएगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार की हैं। जब भी कभी आवश्यकता होगी तो इन योजनाओं को कार्यरूप में परिणत किया जाएगा।

कृषि भूमि जिस पर खेती हो रही है

185. **श्री जसुभाई दानाभाई धारड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से गुजरात में खेती के अधीन कुल कितने हेक्टेयर कृषि भूमि है;

(ख) इन कृषि भूमियों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेष रूप से गुजरात में कृषि में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) कृषि मंत्रालय द्वारा संकलित भू-उपयोग सांख्यिकी के अनुसार गुजरात में कृषि के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र देश में 154.4 मिलियन हैक्टेयर की तुलना में 10.4 मिलियन हैक्टेयर है।

(ख) 2001 की संगणना के अनुसार गुजरात में कृषि में लगे हुये कुल व्यक्तियों की संख्या 109,64,339 थी जिसमें से 58,02,681 कृषक और 51,61,658 कृषि श्रमिक थे।

(ग) अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को ध्यान में रखते हुये, केन्द्रीय बजट 2005-06 में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के लिये बजटीय परिव्यय में 2004-05 की तुलना में पर्याप्त वृद्धि की गई है। चूंकि कृषि में निवेश की गत में तेजी लाने के लिये ऋण का प्रवाह महत्वपूर्ण है, अत: कृषि ऋण के वितरण की राशि को 2004-05 में 1,15,243 करोड़ रु. जो 2003-04 में किये गये 86,981 करोड़ रु. के वितरण से 32% अधिक था, की तुलना में 30% बढ़ाने का प्रस्ताव है। कृषि में वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किये गये ये उपाय गुजरात राज्य में भी क्रियान्वित किये जायेंगे। इसके अलावा, गुजरात राज्य में गहन कपास विकास कार्यक्रम (कपास प्रौद्योगिकी मिशन का मिनी-मिशन-II) तथा अनाज कार्यक्रम और एस यू बी ए सी एस (गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास) कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को संशोधित/खारिज करना

186. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री मो. ताहिर :
श्री मुन्नी राम :

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को संशोधित/खारिज करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से आदिवासियों को क्या लाभ हो रहे हैं;

(ङ) क्या इस अधिनियम की वजह से धात्विक मार्गों के निर्माण में बाधा आ रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किये गए/किये जाने वाले उपचारात्मक उपाय क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 एक विनियामक अधिनियम है न कि निषेधात्मक।

(घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के मामलों पर कार्रवाई की जाती है। आदिवासियों सहित वनों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम के अंतर्गत संरचनात्मक परियोजनाओं जैसे स्कूल डिस्पेंसरी/अस्पताल, बिजली की लाइनें, पेयजल, वर्षा जलकृषि ढांचा, लघु सिंचाई नहर, अपराम्परिक उर्जा स्रोत, कौशल बढ़ाना/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, विद्युत सब-स्टेशन आदि के लिए 3 जनवरी 2005 को सामान्य अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरांचल में अब तक 510 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया गया है। इसके साथ ही 1980 से पूर्व के पात्र अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए 3.65 लाख है० वन भूमि वनेतर प्रयोग के लिए दी है। केन्द्र सरकार ने वनभूमि पर अधिकरों को सुरक्षित करने के लिए दिनांक 22.2.2004 और बाद के दिनांक 12.5.2005 के पत्र के तहत राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को बिना उचित जांच किए वनभूमि से आदिवासियों (जनजातियों) सहित वनों में रहने वाले लोगों को निष्कासित न किए जाने के निर्देश भी जारी किए हैं।

(ङ) जी हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन क्षेत्रों में 1980 से पूर्व बनी कच्ची सड़कों का दर्जा बढ़ा कर पक्की सड़कें किए जाने के लिए 30 अप्रैल, 2005 को पहले ही विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं और ऐसे वनेतर प्रयोग का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंध पर कोई प्रभाव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्ति से सम्बद्ध लाभकारी योजनाएं

187. श्री ई. पोन्नुस्वामी :
श्री वाडिगा रामकृष्ण :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति एवं बचत सर्वेक्षण, 2004 के अनुसार सेवानिवृत्ति के निकट लगभग 4.5 करोड़ व्यक्ति किसी भी सेवानिवृत्ति से सम्बद्ध लाभकारी योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं जैसा कि दिनांक 16 जून, 2005 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तथ्य क्या है; और

(ग) इतने अधिक व्यक्तियों का पुनर्वास सरकार किस प्रकार करेगी?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) एशियाई विकास बैंक के साथ एक तकनीकी सहायता अनुबंध के अंतर्गत भारतीय श्रम बल की आय, व्यय और बचत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण करवाया गया था। एक स्वतंत्र परामर्शदाता इनवैस्ट इण्डिया इकोनॉमिक फाउण्डेशन ने सूचित किया है कि उनके निष्कर्ष इन आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित हैं। सरकार गरीबों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) लागू कर रही है। एन एस ए पी का एक घटक राष्ट्रीय वृद्धिवस्था पेंशन योजना है। लगभग सभी राज्य सरकारें ऐसी योजना लागू कर रही हैं जिसमें वृद्धि व्यक्तियों को पेंशन के भुगतान का प्रावधान है।

मानसून पर्यटन

188. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मानसून पर्यटन को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु पहचान किये गए गंतव्य कौन-कौन से हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा मानसून पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नई दिल्ली में 16 जुलाई, 2005 को पर्यटन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन "द मानसून इंडिया" आयोजित किया गया। विभिन्न राज्यों में एक समन्वित तरीके से मानसून पर्यटन का संवर्धन करने का प्रस्ताव सम्मेलन का थीम था।

(ग) पर्यटन मंत्रालय, मानसून गंतव्यों सहित विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर प्रकाश डालते हुए, वर्ष भर के एक गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करता है।

पर्यटन से अर्जित आय

189. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्री ए. साई प्रताप :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन क्षेत्र से अर्जित विदेशी मुद्रा विदेशों में खर्च की गई मुद्रा की तुलना में बहुत कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अभिजात्य विदेशी पर्यटक हमारे देश का भ्रमण नहीं करना चाहते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इसका प्राथमिक कारण मार्ग, होटल सुविधा इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाओं का न होना है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने और भारतीयों द्वारा छोटे-मोटे विदेशी भ्रमण पर अंकुश लगाने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित एवं भेजी गई जानकारी के अनुसार 2002-03 से 2004-05 तक की अवधि के दौरान पर्यटन से आय में लगभग 17% की औसत वृद्धि हुई है। तथापि, इसी अवधि के दौरान भारत में बहिर्गामी पर्यटन के कारण यात्रा के भुगतानों में लगभग 24% की औसत वृद्धि हुई है।

(ख) गत तीन वर्षों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित यात्रा से प्राप्तियां एवं भुगतान नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

(मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	प्राप्तियां	भुगतान
2002-03	3312	3341
2003-04	4122	3511
2004-05	5029	5526

(ग) और (घ) इस तथ्य के बावजूद कि भारत एक दूरस्थ गंतव्य है, यहां होटल आवास की कमी है, विशेषकर व्यस्त पर्यटक मौसम के दौरान और कई गंतव्यों तक जाने के लिए सड़क मार्ग भी ठीक नहीं है। अनेक घटक ऐसे हैं, जो उच्च श्रेणी के पर्यटकों समेत, विदेशी पर्यटकों को भारत की यात्रा पर आने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि, इसकी अपार प्राकृतिक संपदा; कला, वास्तुकला एवं दार्शनिक विचारों की इसकी विशाल सम्पदा; इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत; ग्रामीण जीवन एवं वन्य जीव तथा शारीरिक एवं मानसिक उपचार के लिए योग, सिद्ध, आयुर्वेद एवं यूनानी प्रणालियां, आदि। यह हाल के वर्षों में विदेशी पर्यटक आगमन में हुई वृद्धि से साफ दिखाई देता है।

(ङ) और (च) विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

– महत्वपूर्ण गंतव्यों/परिपथों में पर्यटन अवसंरचना का सुधार करना;

– होटल अवसंरचना विशेषतया बजट होटलों की वृद्धि पर ध्यान देना;

– प्रमुख पर्यटक आकर्षणों के लिए एयर क्षमता में वृद्धि करने और सड़क अवसंरचना में सुधार करने के माध्यम से सम्पर्क बेहतर करना।

– ''इन्क्रेडिबल इंडिया'' अभियान द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडियया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच स्थापित करना;

– विश्व स्तर की प्रचार सामग्री का सृजन करना;

– केन्द्रीयकृत इलेक्ट्रानिक मीडिया अभियान;

– विदेशों में टूअर ऑपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष सहकारी मार्केटिंग करना;

– उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना;

– व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना;

– सम्पादकीय जनसम्पर्क तथा प्रचार को अधिकतम करना;

– इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना;

– पर्यटन संबंधी प्रकाशनों का सृजन करना;

– विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों और टूअर ऑपरेटरों को भारत की सुपरिचितिकरण यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए आतिथ्य कार्यक्रम को पुन: प्रवर्तित करना, जिसमें एयर पैसेज प्रदान करना भी शामिल होगा; और

– यूरोप के प्रमुख स्रोत बाजारों में रोड़ शोज प्रारम्भ करना।

[हिन्दी]

अधूरी सिंचाई परियोजनाएं

190. श्री ब्रजेश पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी राज्य की सिंचाई परियोजनाएं राज्य सरकारों की अनदेखी की वजह से अधूरी पड़ी हैं जैसाकि दिनांक 31 मई, 2005 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन राज्यों के क्या नाम है जहां परियोजनाऐं लम्बित पड़ी हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं हेतु प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के दुरूपयोग को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी, निष्पादन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। 1.4.2004 की स्थिति के अनुसार 169 वृहद और 219 मध्यम निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं का ब्योरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है जो नौवीं पंचवर्षीय योजना से दसवीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई हैं। केन्द्र सरकार ने देश में उन अनुमोदित निर्माणाधीन वृहद/ मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जो पूरी होने की अन्तिम अवस्था में हैं और जो राज्यों की संसाधन क्षमता से परे हैं, को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) मुहैया कराने के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत मार्च, 2005 तक 24 राज्यों में 184 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 17120.82 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता अनुदान मुहैया कराया गया है। मुहैया कराई गई इस सहायता से 40 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। 31 मई, 2005 को दैनिक जागरण ने मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि कुछ राज्यों ने निधि को ऐसे अन्य कार्यकलापों में लगाया है जिसका संबंध एआईबीपी से नहीं है। राज्यों के नाम और अन्यत्र लगाई गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) संघ सरकार ने विभिन्न कमियों, जो इस कार्यक्रम के आरंभ से ही प्रकाश में आई हैं, को दूर करने के लिए कार्यक्रम में 2003 में संशोधन किया। अपनाए गए संशोधन उपायों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सहायता जारी करने के 15 दिनों के भीतर राज्य

सरकार को परियोजना प्राधिकारियों को सहायता जारी करनी है तथा समय-समय पर उपलब्धियों का पुनरीक्षण करने के लिए वास्तविक और वित्तीय प्रगति के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

विवरण-I

(रुपए करोड़ में/हजार हेक्टेयर)

क्र. स	राज्य का नाम	परियोजना की संख्या			नवीनतम अनुमानित लागत		1.4.2004 को शेष लागत (प्रत्याशित)		1.4.2004 को शेष लागत (प्रत्याशित)	
		वृहद	मध्यम	कुल	वृहद	मध्यम	वृहद	मध्यम	वृहद	मध्यम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	15	9	24	17593.75	481.28	8444.49	134.51	655.64	50.44
2.	असम	5	5	10	1677.54	163.34	1284.12	60.63	123.78	13.17
3.	बिहार	9	3	12	4444.61	180.21	2237.84	66.32	667.36	11.97
4.	छत्तीसगढ़	3	5	8	1742.16	190.17	236.57	113.46	126.24	31.99
5.	गोवा	1	0	1	966.56	0.00	464.95	0.00	13.68	0.00
6.	गुजरात	3	18	21	31118.35	843.44	14453.64	252.49	1575.84	62.68
7.	हरियाणा	4	0	4	962.13	0.00	191.31	0.00	86.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1	2	3	203.84	84.73	121.55	74.00	23.80	8.24
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0	7	7	0.00	226.30	0.00	83.23	0.00	24.21
10.	झारखंड	5	19	24	4670.05	1077.94	3246.62	656.55	418.57	83.54
11.	कर्नाटक	16	18	34	19175.60	1363.25	7232.26	329.92	750.93	53.76
12.	केरल	4	4	8	1884.80	724.00	600.78	487.77	106.51	28.13
13.	मध्य प्रदेश	16	5	21	17777.83	218.80	11682.48	164.52	1577.85	46.61
14.	महाराष्ट्र	56	95	151	32543.65	7151.91	17683.61	3204.22	1917.26	403.54
15.	मणिपुर	2	1	3	639.22	63.10	230.56	37.02	44.40	7.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मेघालय	0	1	1	0.00	57.07	0.00	34.48	0.00	5.15
17.	उड़ीसा	10	10	20	6504.12	674.40	3413.95	210.67	472.69	29.17
18.	पंजाब	1	0	1	1324.18	0.00	1196.09	0.00	0.00	0.00
19.	राजस्थान	4	4	8	6497.19	366.76	2346.45	20.27	386.54	12.12
20.	तमिलनाडु	0	2	2	0.00	105.36	0.00	19.24	0.00	7.19
21.	त्रिपुरा	0	3	3	0.00	178.00	0.00	40.39	0.00	23.42
22.	उत्तरांचल	3	0	3	5334.11	0.00	5081.03	0.00	290.60	0.00
23.	उत्तर प्रदेश	9	0	9	7534.32	0.00	3286.93	0.00	1440.28	0.00
24.	पश्चिम बंगाल	2	8	10	2663.34	65.08	1666.92	22.55	516.76	4.03
	कुल	169	219	388	165257.35	14215.14	85102.15	6012.24	11194.73	906.9

विवरण–II

क्र.स.	राज्य का नाम	राशि (राशि करोड़ में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.87
2.	बिहार	30.55
3.	छत्तीसगढ़	1.60
4.	गुजरात	8.23
5.	हरियाणा	44.74
6.	जम्मू एवं कश्मीर	29.15
7.	कर्नाटक	22.08
8.	केरल	0.36
9.	मध्य प्रदेश	195.37
10.	महाराष्ट्र	366.97
11.	उड़ीसा	3.94
12.	पंजाब	0.50
13.	राजस्थान	27.19
14.	उत्तर प्रदेश	7.54
15.	पश्चिम बंगाल	1.25
	कुल	741.34

स्वयंसेवी संगठनों से प्राप्त अनुदान

191. श्री तुकाराम गणपत राव रेंगे पाटील :
श्री वी.के. दुग्मर :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले स्वंयसेवी संगठनों के क्या नाम हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु विभिन्न स्वंयसेवी संगठनों को कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जिन मदों के लिए अनुदान प्रदान किया गया उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन स्वंयसेवी संगठनों द्वारा किये गए कार्यों की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पोस्को द्वारा उड़ीसा में भूमि का अधिग्रहण

192. **श्री अनन्त नायक :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोस्को द्वारा उड़ीसा में अपने इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली प्रस्तावति भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके कितने लोग विस्थापित होंगे;

(ग) इससे संबंधित लोगों को किस दर पर मुआवजा दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या पोस्को द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि के विरुद्ध कतिपय संगठनों ने अभ्यावेदन दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) पोस्को को लगभग कितनी मात्रा में लौह-अयस्क की आवश्यकता होगी; और

(छ) पोस्को को उसके लौह-अयस्क के उपभोग के स्तर के संबंध में दी गई अनुमति/दी जाने वाली अनुमति की क्या स्थिति है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) पत्तन सुविधाओं और कोककर कोयले के लिए एक भंडारण यार्ड सहित इस्पात परियोजना और सम्बद्ध सुविधाओं के लिए कंपनी को लगभग 4000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, बस्ती विकसित करने तथा सभी सम्बद्ध सामाजिक अवसंरचना विकास कार्यों के लिए कंपनी को लगभग 2000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। सम्पूर्ण परियोजना के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के लिए अपेक्षित भूमि के अतिरिक्त कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन परियोजना, जल परियोजना और अवसंरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित किसी अन्य परियोजना के विकास के लिए भूमि के अतिरिक्त पॉकिटों की आवश्यकता हो सकती है।

(ख) संभावित विस्थापित लोगों की संख्या का पता पोस्को द्वारा भूमि के लिए अपेक्षित मांग करने के बाद ही पता चल पाएगा।

(ग) उड़ीसा सरकार की विद्यमान पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

(घ) चूंकि भूमि का अधिग्रहण अभी शुरू नहीं हुआ है इसलिए अधिग्रहण के विरुद्ध किसी अभ्यावेदन का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) राज्य सरकार और पोस्को के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी को 12 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के अपने प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के लिए 30 वर्ष की अवधि हेतु लगभग 600 मिलियन टन लौह अयस्क की आवश्यकता होगी।

(छ) लौह अयस्क खानों के आबंटन के लिए कंपनी ने अभी तक आवेदन नहीं किया है।

चूककर्ता इकाइयां/स्थापनाएं

193. **श्री मदन लाल शर्मा :**
श्री रघुनाथ झा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा कुल कितनी चूककर्ता इकाइयों/स्थापनाओं का पता लगाया गया है और इसमें राज्यवार कितनी धनराशि संलिप्त है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जिन चूककर्ता इकाइयों/स्थापनाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार किन-किन स्थापनाओं पर एक करोड़ से अधिक धनराशि के बकाया लम्बित हैं; और

(घ) ऐसी इकाइयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या 96978 थी जिनके पास भविष्य निधि के रूप में चूक की राशि के तौर पर 211526.80 लाख रुपये थे। क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) बकायों की वसूली के लिए हर चूककर्ता प्रतिष्ठान के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई कार्रवाई का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है।

(घ) भविष्य निधि की बकाया राशि की वसूली कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार की जाती है। इनमें सम्पत्ति की ज़ब्ती और बिक्री, चूककर्ताओं की गिरफ्तारी और उन्हें रोके रखना तथा चूककर्ताओं की सम्पत्ति के प्रबंधन हेतु रिसीवर की नियुक्ति करना शामिल हैं।

विवरण-I

चूककर्ता प्रतिष्ठानों का क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र. सं.	क्षेत्र	चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या	चूक की राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	16507	12137.68
2.	बिहार	1965	4879.30
3.	छत्तीसगढ़	1702	1048.11
4.	दिल्ली	3434	6558.13
5.	गोवा	502	333.88
6.	गुजरात	733	5518.23
7.	हरियाणा	979	6175.51
8.	हिमाचल प्रदेश	70	395.11
9.	झारखण्ड	266	12341.20
10.	कर्नाटक	5948	12537.67
11.	केरल	1966	9378.35
12.	मध्य प्रदेश	3019	11583.02
13.	महाराष्ट्र	10977	24507.70
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	2085	4628.12
15.	उड़ीसा	2850	11859.00
16.	पंजाब	16364	5789.88
17.	राजस्थान	3909	3638.95
18.	तमिलनाडु	5570	19268.87
19.	उत्तरांचल	1908	4277.33
20.	उत्तर प्रदेश	12805	14845.86
21.	पश्चिम बंगाल	3419	39825.30
	कुल	96978	211526.80

विवरण–II

पिछले तीन वर्षों 2002-2005 के दौरान चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई दबावकारी कार्रवाई

क्र. सं.	क्षेत्र	धारा 14 के तहत अभियोजन	आई पी सी की धारा 406/409 के तहत कुल शिकायत	बैंक खातों की ज़ब्ती	सम्पत्ति की ज़ब्ती
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	-646	94	10814	295
2.	बिहार	182	6	406	0
3.	छत्तीसगढ़	907	8	318	0
4.	दिल्ली	18	9	88	12
5.	गोवा	769	99	1350	3
6.	गुजरात	141	59	1471	63
7.	हरियाणा	204	44	898	5
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	56	0
9.	झारखण्ड	475	1	694	1
10.	कर्नाटक	3134	455	2926	50
11.	केरल	4112	1460	2098	394
12.	मध्य प्रदेश	537	53	1563	195
13.	महाराष्ट्र	98	76	1057	147
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	0	41	892	80
15.	उड़ीसा	830	103	2273	116
16.	पंजाब	1079	89	2430	23
17.	राजस्थान	184	38	1822	8
18.	तमिलनाडु	3508	2420	10534	970

1	2	3	4	5	6
19.	उत्तरांचल	36	6	73	4
20.	उत्तर प्रदेश	13	19	1497	76
21.	पश्चिम बंगाल	2809	784	3106	185
	कुल	18390	5864	46366	2627

विवरण-III

चूकदार स्थापनाओं की सूची 31.3.2005 को एक करोड़ रुपये तथा अधिक

[भविष्य निधि, पेंशन एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना अंशदान, प्रशासनिक प्रभार व शास्तिक नुकसानी सहित]

क्र. स.	कार्यालय	कोड सं.	स्थापना का नाम	चूक की राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5
			आंध्र प्रदेश	
1.	गुन्टुर	1184	पनयाम सिमेंट व मिनरल इन्डस्ट्रीय लि., कुरनूल डि.	658.63
2.	गुन्टुर	2	नेली मारला जूट मिल्स	610.04
3.	हैदराबाद	144	प्रागा टूल्स लिमिटेड	385.56
4.	गुन्टुर	370	सरवारया टैक्सटाइल राजामुन्दी	269.82
5.	हैदराबाद	3071	एच एम टी लिमिटेड (मशीन टूल्स डिवीजनं)	253.88
6.	हैदराबाद	26391	आल्विन चॉचेज लिमिटेड, मोडक डिस्ट्रिक्ट	238.25
7.	हैदराबाद	11898	अदिलाबाद कॉटन ग्रोवर्स को-ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल्स, आदिलाबाद	224.96
8.	गुन्टुर	294	जी.एन. प्रोडेक्टस् प्रा.लि., कुरनूल जिला	211.61
9.	गुन्टुर	22041	चित्तूर डिस्ट्रिक्ट मिल्स प्रोडयूसर्स को-ओपरेटिव यूनियन लिमिटेड, चित्तूर	201.85
10.	गुन्टुर	2814	सरवारया टैक्सटाइल्स लिमिटेड	194.31
11.	गुन्टुर	19888	पार्किन्स टैक्सटाइल्स लिमिटेड, चित्तूर डिस्टिक्ट	129.16

1	2	3	4	5
12.	गुन्टुर	23	रायालसीमा मिल्स लिमिटेड, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट	115.53
			कुल	3493.60
			बिहार	
1.		2806	बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, पटना	2399.55
2.		3	एन.जे.एम.सी. कटिहार	271.19
3.		1806	बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	223.65
4.		20 & 2226	कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड	215.07
5.		290	न्यूनपेपर्स एंड पब्लिकेशन्स, पटना	195.03
6.		3256	अशोक पेपर मिल	173.77
7.		3481	बिहार राज्य बीज निगम	161.68
			कुल	3639.94
			छतीसगढ़	
1.		1681	केडिया केटल एंड डिल्लोन इंडस्ट्रीज, कुम्हारी	174.57
2.		6482	केडिया डिस्टलरीज, भिलाई	143.73
			कुल	318.30
			दिल्ली	
1.	दिल्ली-उत्तरी	171	डी टी सी	1820.86
2.	दिल्ली-उत्तरी	7413	गैस अथॉरिटी आफ इंडिया	1581.61
3.	दिल्ली-उत्तरी	2271	फूड कारपोरेशन आफ इंडिया	259.62
4.	दिल्ली-उत्तरी	4831	सेवा इंटरनेशनल	251.36
5.	दिल्ली-उत्तरी	1091	प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड	238.60
6.	दिल्ली-उत्तरी	10148	एलबी सर्विसिज प्रा.लि.	129.20

1	2	3	4	5
7.	दिल्ली-उत्तरी	24673	स्टायलिश फैब्रिकेटरर्स	124.38
8.	दिल्ली-उत्तरी	17946	डी एस एस मोबाईल कमीशन लि.	101.35
9.	दिल्ली दक्षिणी	8076	आल्टेस इंडिया लिमिटेड	177.33
			कुल	4684.31
			गुजरात	
1.	अहमदाबाद	353	मैसर्स महिन्द्रा मिल, कलोल, गांधी नगर	202.51
2.	अहमदाबाद	4471	मैसर्स एस एल एम मानेकलाल, वटवा, अहमदाबाद	196.02
3.	अहमदाबाद	264	मैसर्स दि अहमदाबाद केसरेहिन्द मिल, रायपुर गेट, अहमदाबाद	176.59
4.	अहमदाबाद	4514	मैसर्स टी मानेकलाल, वटवा	123.23
5.	सूरत	1383	मैसर्स बड़ौदा रेयान कारपोरेशन लिमिटेड	456.46
6.	सूरत	1045	साराभाई कैमिकल्स बड़ौदा	294.24
7.	सूरत	9269	मैसर्स एल.डी. टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	120.60
8.	अहमदाबाद	1003	मैसर्स परशुराम पोट्री वर्क्स	131.42
			कुल	1701.07
			हिमाचल प्रदेश	
1.		10429	सिद्धार्थ शूगर स्पीनिंग मिल्स लि., सोलन	100.35
			कुल	100.35
			हरियाणा	
1.		16166	हुडा, पंचकुला	2529.80
2.		286	मैसर्स जलानी टूल्स	571.00
3.		1061	एच एम टी लिमिटेड	488.46
4.		2058	हरियाणा शीट ग्लास	198.70

1	2	3	4	5
5.		954	रोलाटेनर्स लिमिटेड	145.32
6.		1152	झलानी टूल्स	105.71
			कुल	4038.99
			झारखंड	
1.		1465	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	9890.35
2.		16	मैसर्स खटारी सीमेंट लि., रांची	333.66
3.		2203	मिकॉन इंडिया	288.40
4.		6562	मैसर्स जॉनसन एंड निकोलसन इंडिया लि.	272.73
5.		11055	मैसर्स झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डवलपमेंट कारपोरेशन	200.88
6.		935	मैसर्स आर एंड डी सेंटर फार आयरन एंड स्टील	159.70
7.		5152	मेसर्स श्रीराम निडल लिमिटेड	158.60
8.		422	आई ए जी कंपनी लि.	132.31
9.		2630	मैसर्स डेल्टॉनगंज सेन्ट्रल को-आ. बैंक लिमिटेड	118.54
10.		1230	इंडियन फायरब्रिक्स इंसुलेटर कं.लि.	110.66
			कुल	11665.83
			कर्नाटक	
1.	बैंगलोर	873ए	एच एम टी वांच फैक्ट्री	2571.54
2.	बैंगलोर	6820	कर्नाटक हैंडलूम डवलपमेंट कारपोरेशन	2036.30
3.	बैंगलोर	873	एच एम टी मशीन टूल्स	1100.64
4.	बैंगलोर	2260	आइडियल जावा इंडिया लिमिटेड	1068.52
5.	बैंगलोर	873ई	एच एम टी कारपोरेट ऑफिस	548.86
6.	बैंगलोर	44	मैसूर लैम्प्स	338.69

1	2	3	4	5
7.	बैंगलोर	970	मैसूर मिनरल्स	184.72
8.	बैंगलोर	1	बिन्नी मिल्स लिमिटेड	113.97
9.	बैंगलोर	154	एच एम पी सीमेंटस	110.90
10.	बैंगलोर	3853	कर्नाटक एग्रो इंडस्ट्रीज	109.27
11.	बैंगलोर	13490	विक्ट्री ग्लास एंड इंडस्ट्रीज	102.51
			कुल	8285.92
			केरल	
1.		68	मंजुमाले, एस्टेट राम बहादुर ठाकुर लिमिटेड, इडुकी डिस्ट्रिक्ट	253.45
2.		270	थुंगामाले एस्टेट राम बहादुर ठाकुर लिमिटेड, इडुकी डिस्ट्रिक्ट	225.84
3.		12344	केल्ट्रॉन इक्यूपमेंट कम्पलेक्स स्पेशल प्रोडक्टस	209.18
4.		16	ट्रावनकोर रेयन्स लिमिटेडद्व अर्नाकुलम	197.44
5.		622	ट्रावनकोर प्लाइवुडस् लि., पुनालूर, कोलम डिस्ट्रिक्ट	188.87
6.		267	पम्बानार एस्टेट, राम बहादुर ठाकुर लि., इडुकी डिस्ट्रिक्ट	184.47
7.		67	कोझीकानम एस्टेट, राम बहादुर ठाकुर लि., इडुकी डिस्ट्रिक्ट	170.69
8.		2985	दि केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	163.79
9.		2568	मद्रास स्पीनर्स लि., पालाकड	162.80
10.		294	पासुमल्ले एस्टेट, राम बहादुर ठाकुर लि., इडुकी डिस्ट्रिक्ट	159.24
11.		266	थेंगाक्कल एस्टेट, राम बहादुर ठाकुर लि., इडुकी डिस्ट्रिक्ट	152.83
12.		268	ग्रांडबाई एस्टेट, राम बहादुर ठाकुर लि., इडुकी डिस्ट्रिक्ट	151.15
13.		15	एलूमीनियम इंडस्ट्रीज लि., कुन्डारा	145.67
14.		2638	थिरुवेपैथी मिल्स लि., कन्नूर	138.24
15.		10160	आटो कास्ट लि. चेरथालाई, एल्लीपी	131.60

1	2	3	4	5
16.		3110	माउंट एस्टेट, राम बहादुर ठकुर लि., इडुकी डिस्ट्रिक्ट	115.46
17.		390	बोनाकाड एस्टेट, त्रिवेन्द्रम	111.41
			कुल	2862.13
			महाराष्ट्र	
1.	मुंबई-II	1654	रालीवोल्फ लिमिटेड	617.72
2.	पुणे	1459	हिन्दुस्तान एन्टीबॉयोटिक्स लिमिटेड	483.90
3.	नागपुर	80393	मराठवाड़ा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी	418.11
4.	पुणे	348	लक्ष्मी विष्णु टैक्सटाइल मिल्स लि.	389.87
5.	मुंबई-I	9264	करोना लिमिटेड	381.09
6.	नागपुर	15491	वसन्त सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड	326.21
7.	पुणे	11718	कोल्हापुर जिला शेतकारी विनकारी सहकारी सूत जिरानी लि.	314.15
8.	नागपुर	21949	गोदावरी मानर एस एस के लिमिटेड	272.21
9.	मुंबई-I	93	ब्रॉडबरी मिल्स लिमिटेड	272.12
10.	नागपुर	18279	विनायक एस एस के लिमिटेड	269.88
11.	नागपुर	80005	गजानन एस एस के लिमिटेड	265.37
12.	नागपुर	60244	बालाजी सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड	260.98
13.	नागपुर	18982	अम्बा जोगई एस एस के लिमिटेड	239.79
14.	पुणे	3746	वसन्त दादा सेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड	235.06
15.	नागपुर	19443	झलानी टूल्स लिमिटेड	222.54
16.	नागपुर	15480	सतपुड़ा तापी परिसर सहकारी शक्कर कारखाना	220.88
17.	नागपुर	3771	गंगापुर एस एस के लिमिटेड	214.68
18.	नागपुर	36194	जैना एस एस के लिमिटेड	193.34

1	2	3	4	5
19.	पुणे	37877	तुलजाभवानी एस एस के लिमिटेड	181.01
20.	नागपुर	18166	कन्नड एस एस के लिमिटेड	175.10
21.	नागपुर	19479	मराठवाड़ा सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड	174.95
22.	पुणे	32889	पी आई रजकर एंड कंपनी	174.10
23.	नागपुर	13350	पंजारकन सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड	169.59
24.	नागपुर	80683	पाटिल कंस्ट्रक्शन	166.28
25.	पुणे	12644	यशवंत साह्य सूत गिरनी	162.76
26.	पुणे	13506	वसंत दादा को-ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल्स लि.	157.34
27.	नागपुर	22194	संत एकनाथ सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड	147.51
28.	मुंबई-I	101	हिन्दुस्तान स्पिनींग एण्ड विविंग मिल्स	146.95
29.	मुंबई-II	1492	इण्डियन डाई स्टफ इण्डस्ट्रीज (नोविना लिमिटेड)	144.54
30.	नागपुर	22493	महाराष्ट्र एण्टीबॉयोटिक्स एण्ड फार्मा लिमिटेड	133.62
31.	पुणे	29122	मानगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि.	132.17
32.	मुंबई-I	5291	कामनी ट्यूब्स	129.08
33.	नागपुर	21403	कादा एस.एस.के.लि.	128.12
34.	पुणे	29634	तास गांव सहकारी शक्कर कारखाना लि.	121.55
35.	मुंबई-I	415	श्री सीताराम मिल्स लि.	120.22
36.	पुणे	11482	सोलापुर विनकर सहकारी सूत गिरनी	114.31
37.	पुणे	998	न्यू फल्टान शूगर वॉक्स	110.24
38.	पुणे	29088	यशवंत सहकारी शक्कर कारखाना लि.	104.91
39.	मुंबई-I	4395	नवीनो लि.	100.63
			कुल	8592.89

1	2	3	4	5
			मध्य प्रदेश	
1.		1267	एमपीएसआरटीसी, बैरागढ़	920.16
2.		225	एमपीएसआरटीसी, ग्वालियर	661.68
3.		11	विनोद मिल्स लि., उज्जैन	599.96
4.		2070	श्री सन्थेटिक्स, उज्जैन	515.76
5.		264	एमपीएसआरटीसी, जबलपुर	501.20
6.		4044	एमपीएसआरटीसी, उज्जैन	439.67
7.		4046	एमपीएसआरटीसी, रीवा	427.45
8.		1143	एमपीएसआरटीसी, इन्दौर	420.18
9.		5416	एमपीएसआरटीसी, खरगौन	271.90
10.		3839	इन्दौर डेवलपमेंट ऑथरिटी इण्डस्ट्रीज	267.35
11.		1378	एमपीएसआरटीसी, भोपाल	239.68
12.		5417	एमपीएसआरटीसी, सिवनी	220.73
13.		3982	जी.एस.आई.टी.एस., इन्दौर	186.47
14.		11ए	विनोद मिल्स लि., उज्जैन	181.45
15.		4	राजकुमार मिल्स, इन्दौर	180.53
16.		1382	एम.पी. हाथकरघा बुनकर सहकारी एस. जबलपुर	163.52
17.		229	एमपीएसआरटीसी, ग्वालीयर लि.	131.82
18.		79	बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी, जबलपुर	114.48
19.		2663	जयन्त विटामिन्स, रतलाम	102.68
			कुल	6596.67
			उत्तर-पूर्व क्षेत्र	
1.		1874	असम पालिस्टर को. ऑपरेटिव सोसाईटी लि., गुवाहाटी	350.91

1	2	3	4	5
2.		830	मेघालय ट्रान्सपोर्ट कॉरपोरेशन, शिलांग	339.70
3.		1366	असम स्मॉल माइनर ईरीगेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, गुवाहाटी	320.51
4.		1339	त्रिपुरा जूट मिल्स, लि., त्रिपुरा	294.98
5.		1268	सेंट एन्थोनी कॉलेज, शिलांग	286.31
6.		613	असम स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटिंग एण्ड कंज्यूमर्स फेडरेशल लि.	230.69
7.		403	असम स्मौल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, गुवाहाटी	188.78
8.		923	असम प्लान्टेशन क्राप्स, गुवाहाटी	181.88
9.		922	फर्टीकैम लि.	175.13
10.		746	प्रेसबिटेरियन चर्च स्टूड हॉस्पीटल	158.95
11.		518	असम एग्रो इण्डस्ट्रीज	151.43
12.		741	त्रिपुरा रोड ट्रान्सपोर्ट कॉरपोरेशन, त्रिपुरा	120.69
13.		886	असम टी-कॉरपोरेशन, गुवाहाटी	105.44
14.		219	ब्रम्हपुत्र शूगर मिल, बरूआ बामन गांव, गोला घाट डिस्ट्रीक	102.71
			कुल	3008.11
			उड़ीसा	
1.		1	उड़ीसा टेक्सटाईल मिल्स	1027.85
2.		439	उड़ीसा इण्डस्ट्रीज लि.	957.83
3.		1690	भुवनेश्वर डेवलपमेंट ऑथरिटी	664.46
4.		87	ओएसआरटीसी	622.88
5.		917	ओडब्ल्यूसीएस मिल	474.59
6.		1833	कलिंग डब्ल्यूसीएस मिल्स	465.63
7.		655	भास्कर टैक्सटाईल्स मिल्स	438.27
8.		5649	उड़ीसा पॉवर जेनरेशन कॉरपोरेशन	364.67

1	2	3	4	5
9.		700	उड़ीसा एग्रो इण्डस्ट्रीज	272.22
10.		347	हीराकुण्ड इण्डस्ट्रीयल वर्क्स	255.35
11.		3164	सोनपुर स्पीनींग मिल्स	172.94
12.		3464	जी.सी. साह	146.74
13.		8 और 107	ओसीएल	134.55
14.		3115	बरीपरा स्पीनींग मिल्स	130.78
15.		1361	ओएसआरटीसी	111.35
16.		2063	उत्कल वीवर्स को-ऑपरेटिव स्पीनींग मिल्स	108.56
17.		3121	आईडीसीओएल, पाइपिंग एण्ड इंजीनियरिंग	100.39
			कुल	6449.06
			पंजाब	
1.	चण्डीगढ़	4715	पुनवायर, मोहाली	414.47
2.	चण्डीगढ़	12777	एफसीआई, एफएसडी, राजपुरा, पटियाला	110.11
			कुल	524.58
			राजस्थान	
1.		5723	आवास विकास संस्थान, जयपुर	1176.56
2.		3962	परफैक्ट थ्रेड मिल्स, उदयपुर	215.08
3.		5	जयपुर मेटल एण्ड इलैक्ट्रीकल्स लि., जयपुर	177.60
4.		2993	आरएसआरडीसीसी लि.	120.20
5.		4195	तिरुपति फाइबर्स इण्डस्ट्रीज लि., सिरोही	116.62
			कुल	1806.06
			तमिलनाडु	
1.	कोयम्बटूर	153	श्री उ मा परमेश्वरी मिल्स लि.	318.13

1	2	3	4	5
2.	मदुरै	6357	स्वामीजी मिल्स लि.	309.26
3.	कोयम्बटूर	128	अकलन्देश्वरी मिल्स लि.	289.90
4.	मदुरै	2133	साऊथ इण्डिया को-ऑपरेटीव स्पीनींग मिल्स	289.30
5.	कोयम्बटूर	5562	मैसर्स करूर डिस्ट्रीक को-ऑपरेटीव स्पीनींग मिल्स	282.46
6.	कोयम्बटूर	5531	मैसर्स नागापट टूनम डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटीव स्पीनींग मिल्स	245.04
7.	कोयम्बटूर	8400	कॉगरर स्पीनर्स	228.43
8.	कोयम्बटूर	16681	उमा माहेश्वरी मिल्स, लि.	221.20
9.	मदुरै	7130	स्यादु बीड़ी कम्पनी	204.09
10.	मदुरै	159	महालक्ष्मी मिल्स, लि., पासुमलाई, मदुरै	183.69
11.	मदुरै	861	श्री विशालाक्ष्मी मिल्स (प्राईवेट) लि.	177.08
12.	मदुरै	20905	विश्वभारती टैक्सटाइल्स (प्राईवेट) लि.	175.92
13.	चेन्नई	8427	टी.एन. सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन	174.75
14.	कोयम्बटूर	6091	अरकोट टैक्सटाइल्स मिल्स	170.70
15.	मदुरै	2298	सीतालक्ष्मी मिल्स लि., तिरूनगर मदुरै	170.58
16.	मदुरै	11266	वेंकटेश्वर पेपर एण्ड बोर्डस् लि.	168.92
17.	कोयम्बटूर	.6517	सेलम टैक्सटाइल लि.	160.77
18.	मदुरै	5610	कन्याकुमारी डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटीव स्पीनींग मिल्स लि.	151.83
19.	मदुरै	3926	तिरूचेन्दूर को-ऑपरेटीव स्पीनींग मिल्स लि.	150.60
20.	मदुरै	20567	रमनातापुरम डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटीव स्पीनींग मिल्स लि.	149.37
21.	मदुरै	1115 बी	अन्ना मलाईयर टैक्सटाइल्स (प्राईवेट) लि.	145.33
22.	मदुरै	5518	मदुरै को-ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल्स	141.04
23.	कोयम्बटूर	55	कोयम्बतूर पायोनियर मिल्स	140.40

1	2	3	4	5
24.	कोयम्बटूर	1038	कोयम्बतूर पायोनियर मिल्स	129.59
25.	कोयम्बटूर	3179	त्रिचिरापल्ली कन्ज्यूमर को-आपरेटिव होलसेल्स स्टोर्स लि.	127.15
26.	चेन्नई	4981	श्री सरस्वती मिल्स	123.39
27.	चेन्नई	19769	डन्प इण्डिया लि.	119.62
28.	मदुरै	1707	शीलारानी टैक्सटाइल्स लि., थेन्नूर	118.21
29.	मदुरै	861ए	श्री विशालाक्ष्मी मिल्स (प्रोईवेट) लि.	116.63
30.	मदुरै	935	गीतान्जली मिल्स लि.	116.29
31.	चेन्नई	19937	के. अब्दुल अजीज एण्ड सन्स	109.80
32.	मदुरै	3115	श्रीविल्ली पुतूर को-ऑपरेटीव स्पीनींग मिल्स लि., मदुरै	109.68
33.	चेन्नई	31	बिन्नी इंजीनियरिंग लि.	107.37
34.	चेन्नई	4683	चेन्नई पेट्रो केमिकल लि.	103.94
35.	चेन्नई	23718	किलबर्न इलैक्ट्रिकल्स लि.	102.70
36.	कोयम्बटूर	8132	सेम टर्बो इण्डस्ट्री लि.	101.60
			कुल	6130.76
			उत्तर प्रदेश	
1.		4049	डंकन्स इण्डस्ट्रीज, कानपुर	788.30
2.		5384	यूपी इलैक्ट्रोनिक्स कॉरपोरेशन लि., लखनऊ	748.85
3.		423	यूपी स्टेट सीमेंट कॉरपोरेशन, चुर्क्ज	482.56
4.		423	यूपी स्टेट सीमेंट, सोनभद्र	482.55
5.		4427	यूपी स्टेट सीमेंट कॉरपोरेशन, लि. सोनभद्र	434.60
6.		4427	यूपी स्टेट सीमेंट कॉरपोरेशन, लि. इलाहाबाद	434.60
7.		338	इलाहाबाद पत्रिका प्राईवेट लि.	426.85

1	2	3	4	5
8.		203	अयोध्या शूगर मिल, मुरादाबाद	400.64
9.		6918, 6946, 784, 4805, 791, 792	यूपीएसआरटीसी (5 यूनिट)	303.76
10.		1189	यूपीआईसीए, कानपुर	297.18
11.		14436	उत्तर प्रदेश सहकारी कटाई मिल, अमरोहा	283.56
12.		13852	बेतवा रीवर बोर्ड, ललितपुर	274.46
13.		4572	किसान सहकारी चीनी मिल	209.12
14.		856	यूपीएसआरटीसी, मुरादाबाद	195.41
15.		14182	राजेन्द्र स्टील्स लि., कानपुर	176.52
16.		526	यूपीएसएससी, भटनी, देवरिया	169.68
17.		7493	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि., झांसी	160.25
18.		5384	यूपी इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, लखनऊ	157.66
19.		843	यूपीएसआरटीसी, आजमगढ़	153.71
20.		795	यूपीएसआरटीसी, वर्कशाप, आगरा	143.48
21.		933	यूपीएसआरटीसी, बरेली	136.38
22.		1151	सिन्थेटिक व केमीकल लि., बरेली	132.63
23.		11399	नगीना सहकारी कताई मिल्स, बजनौर	131.96
24.		6156	किसान सहकारी चीनी मिल	131.01
25.		513	यूपीएसआरटीसी, वाराणसी	125.92
26.		797	यूपीएसआरटीसी, अलीगढ़	116.04
27.		495	सीतापुर प्लाईवुड, सीतापुर	115.25
28.		14779	अरिहन्त इंड., बुलन्दशहर	115.10
29.		4136	इंडियन टेलीफोन इंड., नैनी, इलाहाबाद	109.59

1	2	3	4	5
30.		5525	यूपीएसआरटीसी, साहिबाबाद (गाजियाबाद)	105.81
31.		176	यूपी स्टेट शुगर कारपोरेशन, हरदोई	104.30
32.		735	यूपीएसआरटीसी, मेरठ	100.83
			कुल	8148.56
			उत्तरांचल	
1.		1261	ओएनजीसी लि.	2166.58
2.		14072	एचएमटी वाच फैक्ट्री	583.00
3.		1281	यूपीएसआरटीसी, देहरादून	284.11
4.		32512	नगर निगम, देहरादून	172.41
5.		16927	क्रिस्टल क्रेडिट	101.36
			कुल	3307.46
			प. बंगाल	
1.	कोलकाता	78 और 10839	एनजेएमसी (नेशनल)	3372.82
2.	कोलकाता	36 और 47	दी नुडिया मिल्स कं.लि.	2442.00
3.	कोलकाता	49, 51 और 5529	न्यू सैन्ट्रल जूट मिल कं.लि.	2164.39
4.	कोलकाता	48, 55	एनजेएमसी (किनीसन)	2012.33
5.	कोलकाता	11, 43	एनजेएमसी (खरदा)	1714.25
6.	कोलकाता	338	टीटागढ जूट मिल नं. 2	1271.71
7.	कोलकाता	32	हुगली जूट मिल्स (हुकमचन्द जूट मिल)	1214.28
8.	कोलकाता	46	एनजेएमसी (अलेकजेन्डर)	1133.74
9.	कोलकाता	97	कनोरिया जूट व इंडस्ट्रीज लि.	948.34
10.	कोलकाता	64	दी समनुगुर जूट फैक्ट्री कं.लि.	939.51

1	2	3	4	5
11.	कोलकाता	62 & 71	विक्टोरिया जूट कं.लि.	874.74
12.	कोलकाता	8	एनबेएमसी (यूनियन)	868.97
13.	कोलकाता	63	अंगस जूट वर्क्स	763.38
14.	कोलकाता	375	गौंदलपारा जूट मिल्स	642.98
15.	कोलकाता	2, 27 & 40	बारांगोर जूट फैक्ट्री	625.88
16.	कोलकाता	7 & 25	दी गोरीपुर कं. लि.	548.15
17.	कोलकाता	35	मेघना जूट मिल्स	536.84
18.	कोलकाता	23	केल्विन जूट मिल्स	469.06
19.	कोलकाता	542	सैन्ट्रल कॉटन मिल्स	456.37
20.	कोलकाता	37	अगरपारा जूट मिल्स लि.	422.18
21.	कोलकाता	1267	अमृतबाजार पत्रिका	418.00
22.	कोलकाता	11732	एसबीएसटीसी	406.54
23.	कोलकाता	89ए	आकलैंड इंअरनेशनल लि. (अंबिका जूट मिल्स)	353.52
24.	कोलकाता	26232	नेशनल थरमल पावर कार.	347.00
25.	कोलकाता	9608	एससीआईएल इंडिया लि.	331.51
26.	कोलकाता	4	हुगली मिल्स कं.लि.	315.47
27.	कोलकाता	1 & 24	बज बज कं.लि.	296.96
28.	कोलकाता	16165	फेवरेट स्माल इंवेस्टमेंटस लि.	292.09
29.	कोलकाता	1266	स्टेटसमैन लि.	284.66
30.	कोलकाता	1651	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	267.44
31.	कोलकाता	26	दी एम्पायरजूट कं.लि.	267.07
32.	कोलकाता	30	हुगली मिल्स कं.लि. (वेवरली जूट मिल्स)	256.93
33.	कोलकाता	28	केलेडोनियन जूट एण्ड इंड.	241.17

1	2	3	4	5
34.	कोलकाता	1630	ईस्टर्न पेपर मिल्स लि.	227.01
35.	कोलकाता	716	डनलप इंडिया लि.	221.05
36.	कोलकाता	57, 61	इंडिया जूट मिल्स	207.72
37.	कोलकाता	118	बावरा काटन मिल कं.लि.	204.06
38.	कोलकाता	12201	इंडो जापान स्टील्स लि.	188.80
39.	कोलकाता	3405 & 11543	इलैक्ट्रो स्टील कास्टिंग लि.	174.96
40.	कोलकाता	15	कनकनारा कं.लि.	173.45
41.	कोलकाता	12646	एलाय स्टील मेके. कारपोरेशन	148.32
42.	जलपाईगुरी	694	कलचीनी टी ई	141.60
43.	कोलकाता	9744	व्यूल कोमर्स आफ (इं.) लि.	131.16
44.	कोलकाता	12317	ईस्टंड पेपर (प्रा.) लि.	131.02
45.	कोलकाता	28546	स्टार सिक्योरिटी व डिटेक्टिव एजेंसी	129.78
46.	कोलकाता	9152	हालमेन क्लाइमेक्स मैन्यु. लि.	117.52
47.	जलपाईगुरी	670	रेमटेंग टी ई	107.50
48.	कोलकाता	593	स्माल टूल्स मैनयु. कं. (ई.) लि.	102.73
			कुल	29906.96
			कुल योग	115261.55

महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड को सहायता

194. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड, मुम्बई ने केन्द सरकार को 195 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को यह सहायता कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड ने प्रस्तावित राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना (एन सी पी पी) में शामिल करने के लिए जुलाई, 2002 में 195.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक प्रस्ताव किया है।

(ख) चूंकि एन सी पी पी की आयोजना विदेशी वित्त पोषण के लिए की गई है, तटीय सुरक्षा पर एक दृष्टिकोण पत्र तैयार कर योजना आयोग को सौंपा गया है। योजना आयोग ने इस विषय को आर्थिक मामलों संबंधी विभाग के साथ विदेशी वित्तपोषण प्राप्त होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए उठाया है।

धोलेरा पत्तन परियोजना को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

195. **श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात मैरिन बोर्ड ने धोलेरा पत्तन परियोजना की स्वीकृति हेतु मंत्रालय से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात में खम्बात की खाड़ी में कोयला अन्य भारी कार्गो के हथालन के लिए बारहमासी पोर्ट के परिकल्पित निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव को पर्यावरणीय मंजूरी संरचनात्मक विकास और विविध परियोजनाओं की विशेषज्ञ समिति द्वारा आकलन के बाद दी जा सकती है। मिति ने प्रस्ताव का पहले ही आकलन कर लिया है और परियोजना की मंत्रालय द्वारा प्रस्तावक से अपेक्षित स्पष्टीकरणों को प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर हाल ही में सिफारिश की है।

[हिन्दी]

किसानों को बैंक ऋण

196. **डा. चिन्ता मोहन :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र को कृषि ऋणों के आसानी से उपलब्ध न होने के कारण देश के 29 प्रतिशत किसान अभी भी निजी क्षेत्र पर ऋण हेतु निर्भर हैं;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसी समयबद्ध योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र पर से किसानों की निर्भरता समाप्त करने के लिए कतिपय प्रबंध किए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, हां। ऋण से ग्रस्त किसानों को राहत प्रदान करने के लिये भारत सरकार की दिनांक 18 जून, 2004 की घोषणा का अनुसरण करते हुये बैंकों को उन किसानों को ऋण देने की अनुमति प्रदान की गई है जो गैर संस्थागत साहूकारो से ऋण के अत्यधिक बोझ के कारण गम्भीर मुसीबत की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत बैंकों द्वारा 31 मार्च, 2005 तक 16,758 किसानों को 57 करोड़ रु. के ऋण की राशि प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों का आगमन

197. **श्री जुएल ओराम :**
श्री नवजोत सिंह सिद्धू :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री राजेन्द्र कुमार :
श्री राकेश सिंह :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक भारत में राज्यवार कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया है;

(ग) क्या सरकार ने दसवीं योजना के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन को बढ़ाने के लिए कोई रणनीति अपनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर दसवीं योजना के दौरान अवसंरचना के विकास हेतु उठाए गए विशेष कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों में विदेशी पर्यटक आगमन लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2003 में 6716479 की तुलना में 8296983 होना अनुमानित है। वर्ष 2003 और 2004 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों के आगमन की संख्या देते हुए एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत में विदेशी पर्यटक आगमन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे:–

- विश्व स्तर की प्रचार सामग्री का सृजन करना।
- केन्द्रीयकृत इलेक्ट्रानिक मीडिया अभियान।
- विदेशों में टुअर ऑपरेटरों तथा थोक विक्रताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष सहकारी मार्केटिंग करना।
- उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना।
- व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना।
- सम्पादकीय जनसम्पर्क तथा प्रचार को अधिकतम करना।
- इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना।
- पर्यटक संबंधी प्रकाशनों का सृजन करना।
- विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों, टूअर ऑपरेटरों को भारत के सुपरिचितिकरण यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए आतिथ्य कार्यक्रम को पुन: प्रवर्तित करना जिसमें एयर पैसेज प्रदान करना भी शामिल होगा।
- यूरोप के प्रमुख स्रोत बाजारों में रोड़ शोज प्रारम्भ करना।
- होटल अवसंरचना विशेषतया बजट होटलों की वृद्धि पर ध्यान देना।
- प्रमुख पर्यटक गंतव्यों के लिए एयर क्षमता में वृद्धि करने और सड़क अवसंरचना में सुधार करने के माध्यम से सम्पर्क बेहतर करना।
- स्टेकहोल्डरों के बीच "अतिथि देवो भव:" नामक एक सामाजिक जागरूकता अभियान की शुरूआत करना।

10वी योजना के दौरान अवसंरचना के विकास के उद्देश्य से सरकार निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:–

1. पर्यटक परिपर्थो का एकीकृत विकास
2. उत्पाद/अवसंरचना एवं गंतव्य विकास
3. भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता।

विवरण

क्र. स.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विदेशी आगमन 2003	विदेशी आगमन 2004
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	479318	501019
2.	अरुणाचल प्रदेश	123	269
3.	असम	6610	7285
4.	बिहार	60820	38118
5.	गोवा	314357	363230
6.	गुजरात	37534	21179
7.	हरियाणा	84981	66153
8.	हिमाचल प्रदेश	167902	204344
9.	जम्मू एवं कश्मीर	24330	40242
10.	कर्नाटक	249908	530225
11.	केरल	294621	345546
12.	मध्य प्रदेश	92278	145335

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	986544	1218382
14.	मणिपुर	257	249
15.	मेघालय	6304	12407
16.	मिजोरम	279	326
17.	नागालैण्ड	743	1084
18.	उड़ीसा	25020	28817
19.	पंजाब	4589	7312
20.	राजस्थान	628560	971772
21.	सिक्किम	11966	14646
22.	तमिलनाडु	901504	1058012
23.	त्रिपुरा	3196	3171
24.	उत्तरांचल	55228	62885
25.	उत्तर प्रदेश	825000	974000
26.	छत्तीसगढ़	1150	3000
27.	झारखण्ड	3223	4375
28.	पश्चिम बंगाल	705457	775694
29.	अण्डमान एवं निकोबार	4142	4578
30.	चण्डीगढ़	17057	16137
31.	दमन एवं दीव	3274	4111
32.	दिल्ली	693827	839574
33.	दादरा एवं नगर हवेली	136	168
34.	लक्षद्वीप	682	1285
35.	पांडिचेरी	25559	32053
	जोड़	6716479	8296983

[हिन्दी]

वन/आदिवासी क्षेत्रों में निर्माण कार्य

198. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल :**
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन/आदिवासी क्षेत्रों में कोई निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा आदिवासियों और वन में रहने वाले अन्य लोगों को सुविधाओं के संबंध में निदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (घ) पर्यावरणी चिन्ताओं पर समझौता न करते हुए आदिवासियों और वनवासियों को मूलभूत और आवश्यक विकासात्मक सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया करा कर उनके विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने 3.1.2005 को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत सभी राज्य/संघ शासित सरकारों के सरकारी विभागों को वन भूमि के वनेतर उपयोग का सामान्य अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसमें विद्यालयों, औषधालों/हस्पतालों, विद्युत एवं संचार लाईनों, पेयजल, जल/वर्षा जल संचय ढांचों, लघु सिंचाई नहरों, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों, कौशल बढ़ाना/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, विद्युत सब स्टेशनों, संचार पोस्टो और पोलीस स्थानपनाओं अर्थात पोलीस स्टेशनों/आऊट पोस्टो/सीमा आऊटपोस्टो, वच टावरों पर कुछ शर्तें लगाई गई है।

घटिया उर्वरक और बीज

199. **श्री मो. ताहिर :**
श्री मुन्शी राम :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाह :
प्रो. मधुकेश्वर शिवनकर :
मोहम्मद शाहिद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के कई राज्यों में बेचे जाने वाले उर्वरकों और बीजों के नमूनों का कोई सर्वेक्षण/परीक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत उर्वरक और बीज घटिया पाये गए और इससे किसानों कोई कितना घाटा हुआ;

(ग) राज्यों के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसे नमूनों का परीक्षण किया गया है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव दोषी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) राज्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा क्रमशः उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985/बीज अधिनियम/एवं बीज (नियंत्रण) आदेश के अनुसार आवधिक रूप से उर्वरक और बीज के नमूने लिए जाते हैं और उनकी गुणवत्ता की सुनिश्चितता के लिए परीक्षण भी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय उर्वरक निरीक्षकों द्वारा फील्ड में जाकर यादृच्छिक नमूने भी लिये जाते हैं और इनकी रिपोर्ट राज्य सरकारों को भेजी जाती है। वर्ष 2003-04 के दौरान जिन उर्वरकों एवं बीजों के राज्यवार आंकड़े लिए गए उनकी और उनमें से जो नमूने मानकों के स्तर पर खरे नहीं उतरे उनकी जानकारी क्रमशः संलग्न विवरण I एवं II में दी गई है।

(घ) और (ङ) एफ.सी.ओ., 1985/ई सी ए, 1955, बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के अंतर्गत रराज्य सरकार के द्वारा अवमानक उर्वरकों तथा बीजों के नमूनों के मामलों में प्रशासनिक/कानूनी कार्रवाई की जाती है।

विवरण-I

2003-04 के दौरान विश्लेषित और घटिया पाये गये उर्वरक नमूनों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	लेबों की संख्या	वार्षिक विश्लेषण क्षमता	नमूनों की संख्या विश्लेषित	घटिया नमूने			क्षमता उपयोग का प्रतिशत	घटिया नमूनों का प्रतिशत
					अपर्याप्त पोषक तत्व	भौतिक मानक एवं अशुद्धिया	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	असम	1	250	76	1	0	1	30.4	1.3
2.	मिजोरम	1	250	0	0	0	0	0.0	0.0
3.	झारखण्ड	1	1500	432	2	0	2	28.8	0.5
4.	बिहार	1	2000	861	43	13	56	43.1	6.5
5.	उड़ीसा	2	3500	2534	112	27	139	72.4	5.5
6.	पश्चिम बंगाल	3	4500	3180	249	92	341	70.7	10.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	कुल पूर्व एवं एन ई आर	9	12000	7083	407	132	539	59.0	6.9
7.	गुजरात	3	7750	8267	102	5	107	106.7	1.3
8.	मध्य प्रदेश	4	9150	5060	872	143	1015	55.3	20.1
9.	छत्तीसगढ़	1	2843	2007	92	0	92	70.6	4.6
10.	महाराष्ट्र	4	12000	12145	719	350	1069	101.2	8.8
11.	राजस्थान	3	6000	4671	106	10	116	77.9	2.5
	कुल पश्चिम अंचल	15	37743	32150	1891	508	2399	85.2	5.2
12.	हरियाणा	2	3305	3082	91	0	91	93.3	3.0
13.	हिमाचल प्रदेश	2	2000	1335	9	0	9	66.8	0.7
14.	जम्मू व कश्मीर	2	1280	1268	2	1	3	99.1	0.2
15.	पंजाब	2	3500	3525	65	0	65	100.7	1.8
16.	उत्तर प्रदेश	3	10000	11098	1061	0	1061	111.0	9.6
17.	उत्तरांचल	2	800	396	12	0	12	49.5	3.0
	कुल उत्तरी अंचल	13	20885	20704	1240	1	1241	99.1	6.2
17.	आंध्र प्रदेश	5	15000	9207	183	28	211	61.4	1.1
18.	कर्नाटक	4	8150	5872	177	170	347	72.0	5.9
19.	केरल	2	5000	4355	249	6	255	87.1	5.9
20.	पांण्डिचेरी	1	700	519	0	0	0	74.1	0.0
21.	तमिलनाडु	14	16800	17028	285	231	516	101.4	3.0
	कुल दक्षिणी अंचल	26	45650	36981	894	435	1329	81.0	3.4
22.	भारत सरकार	4	8500	7729	191	86	227	90.9	3.6
	कुल अखिल भारत	67	124778	104647	4623	1162	5785	83.9	5.5

विवरण-II

2003-04 के दौरान आहरित और विश्लेषित नमूनों की राज्यवार संख्या

क्र. सं	राज्य	अधिसूचित निरीक्षकों की संख्या	आहरित नमूनों की संख्या	घटिया पाये गये नमूनों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1160	9413	672
2.	असम	474	—	—
3.	अंडमान	—	—	—
4.	अरुणाचल प्रदेश	—	1029	147
5.	*बिहार		उपलब्ध नहीं	
6.	चण्डीगढ़ यू टी			
7.	छत्तीसगढ़	237	535	16
8.	दिल्ली	10	163	3
9.	दादर व नागर			
10.	दमन दीव			
11.	गुजरात	76	3332	98
12.	गोवा	10	1170	—
13.	हरियाणा	81	3281	65
14.	हिमाचल प्रदेश	225	675	—
15.	जम्मू व कश्मीर	6	192	11
16.	झारखण्ड	22	721	95
17.	कर्नाटक	1232	6107	61
18.	*केरल		उपलब्ध नहीं	
19.	लक्षद्वीप			
20.	मध्य प्रदेश	4980	3360	271
21.	मेघालय		शून्य सूचना	
22.	महाराष्ट्र	884	10902	408
23.	मणीपुर		शून्य सूचना	
24.	मिजोरम	8	1000	245
25.	नागालैंड		शून्य सूचना	
26.	उड़ीसा	748	1812	159
27.	पंजाब	1190	4195	313
28.	पाण्डिचेरी	14	153	9
29.	राजस्थान	352	3829	36
30.	सिक्किम	8	1304	18
31.	तमिलनाडु	59	21685	1243
32.	त्रिपुरा	54	—	—
33.	उत्तर प्रदेश	228	4093	133
34.	उत्तराचंल	20	56	13
35.	पश्चिम बंगाल	258	4648	841
	कुल	12348	80667	4785

[अनुवाद]

भू-जल का दोहन

200. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री संतोष गंगवार :
श्री एन.एन. कृष्ण दास :
डा. रामचन्द्र डोम :
श्री लक्ष्मण सेठ :
श्री स्वदेश चक्रवर्ती :
श्री इज्ञान मोल्लाह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को भू-जल के भन्डारण के असीमित दोहन की तुलना में इसे संरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार भू-जल के उपयोग को कम करने के लिए कोई विशेष योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रतिदिन कृषि हेतु भू-जल की निकासी की औसत दर क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) 'जल' राज्य का विषय होने के कारण, भूजल के अति-दोहन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का दायित्व मूलत: संबंधित राज्य सरकारों का होता है। हालांकि वर्ष 1970 में केन्द्र सरकार ने भूजल विकास के विनियमन एवं नियन्त्रण के लिए एक माडल बिल सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया, जिसे अपनाने के लिए पुन: 1992, 1996 और 2005 में परिचालित किया गया। अब तक आन्ध्र प्रदेश, गोवा, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप एवं पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने माडल बिल की तर्ज पर भूजल कानून का अधिनियमन एवं कार्यान्वयन कर लिया है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों ने कानून तो पास कर दिया है परन्तु इसे अधिनियमित नहीं किया है। नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, पंजाब और चंडीगढ़ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि वे इस संबंध में कानून के अधिनियमन को आवश्यक नहीं समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मणिपुर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कानून के अधिनियमन के लिए कार्यवाही आरंभ कर लेने की सूचना दी है।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कृषि के लिए भूजल निकासी की दर फसल प्रणाली, वर्षा आदि पर निर्भर रहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग-अलग होती है। तथापि सिंचाई के लिए निवल वार्षिक भूजल निकासी 150 बिलियन घन मीटर अनुमानित की गई है।

राष्ट्रीय उद्यानों का रख-रखाव

201. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री जी ने हाल ही के अपने रणथम्बोर बाघ अभयारण्य के दौरे के दौरान राष्ट्रीय उद्यानों के रख-रखाव पर असंतोष जताया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अनुपालनात्मक क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या बाघों और अन्य जानवरों के शिकार को रोकने के लिए और उद्यानों के रखरखाव में सुधार के लिए कोई नई रणनीति तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) इस मंत्रालय को ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 17.3.2005 को हुई दूसरी बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर प्रधानमंत्री ने बाघ रिजर्व प्रबंधन की पुनरीक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

टास्क फोर्स के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है:—

1. देश में बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए उपायों का सुझाव देना।

2. बाघों के संरक्षण् में स्थानीय समुदायों को प्रोत्ससाहन देने के उपायों का सुझाव देना।

3. अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में तैनात सीनीय वन स्टाफ को प्रोत्साहन देना और बाघ संरक्षण/वन्य जीव प्रबंधकों के लिए प्रभावी मानव संसाधन योजना के उपायों का सुझाव देना।

4. बाघ गणना और पूर्वानुमान के पद्धति में सुधार के उपाय

5. वन्य जीव उद्यानों की पारदर्शी व्यावसायिक लेखा परीक्षा और जनता के सामने बाघठ संरक्षण के आंकड़े प्रस्तुत करने का सुझाव देना।

6. नए वन्य जीव प्रबंधन नमूना का सुझाव देना जिसमें बड़े पैमाने पर जनता के साथ संरक्षण विषयों पर भागीदारी हो।

निर्धन परिवारों हेतु खाद्यान्न

202. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों को कितना खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया और 2005-06 के दौरान कितनी आपूर्ति की जाने की संभावना है; और

(ख) गत वर्ष की तुलना में 2005-06 के दौरान बी पी एल परिवारों को आपूर्तित खाद्यान्न की मात्रा में कितना अंतर आया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (अंत्योदय अन्न योजना परिवारों, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का भाग होते है) को खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की आबंटित मात्रा निम्नानुसार है:–

(लाख टन में)

वर्ष	मात्रा
1	2
2002-03	628.99
2003-04	27.05
2004-05	273.31

पिछले वर्ष की तुलना में 2005-06 के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित) को आबंटित की जाने वाली खाद्यान्नों की संभावित मात्रा में किसी परिवर्तन की परिकल्पना नहीं की गई है।

संकटापन्न वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं पर अधिसमय

203. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में विश्व वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं पर कन्वेशंन ऑन इन्टरनेशनल ट्रेड इन इनडेंजरड स्पिसीज (सी आई टी ई एस) पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त समझौते को क्रियान्वित करने की मौजूदा स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) भारत, अक्तूबर, 1976 में वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कन्वेंशन (साइटस) का पक्षकार बना है।

(ख) इस कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों को प्रबंधन और वैज्ञानिक प्राधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है:–

I **प्रबंधन प्राधिकारी**

– वन महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली

– निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली

II **सहायक प्रबंधन प्राधिकारी**

– उप निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, उत्तरी प्रदेश, नई दिल्ली

– उप निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, दक्षिणी प्रदेश, चेन्नई

– उप निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, पूर्वी प्रदेश, कोलकाता

– उप निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, पश्चिमी प्रदेश, मुम्बई

– उप निदेशक, बाघ परियोजना, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

iii वैज्ञानिक प्राधिकारी

– निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता

– निदेशक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता

– केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन

– भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून

साइटस के अधीन नामोद्दिष्ट पत्तन

दिल्ली, कोलकाता, गुवाहटी, चेन्नई, मुम्बई, कोचीन और अमृतसर

(ग) साइटस के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत साइटस के परिशिष्ट-i की पादप और प्राणी प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार को प्रतिबन्धित करने और परिशिष्ट II और III की प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करने हेतु इस संधि के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु बाध्य है। सामान्यत: सभी वन्य प्राणी और वनस्पति जात और विशेषकर साइट्स के अंतर्गत शामिल प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 भारत सरकारी की आयात-निर्यात नीति अरौर सीमाशुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत संयुक्त रूप से विनियमित किया जाता है।

मछुआरों हेतु आवासों का निर्माण

204. डा. के. धनराजू :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत मछुआरों के लिए आवासों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मछुआरों को यह आवास आवंटित किए गए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान मछुआरों के लिए निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या कितनी है और इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार कितना आवंटन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। 12458 नए आवासों तथा स्वीकृत 10018 पूर्व के एककों के निर्माण के लिए 2004-05 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 1505.30 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है।

(ग) और (घ) आवास निर्माण का काम एक सतत प्रक्रिया है तथा इसके लिए क्रियान्वयन एजेंसियों को धनराशि किश्तों में दी जाती है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद राज्य सरकार आवासों को नियत लाभार्थियों को आवंटित करती है।

(ङ) राज्यों को आवास के लिए केंद्रीय सहायता आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाती है तथा इस तरह का कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, 5729 नए आवासों तथा पूर्व के 9527 स्वीकृत एककों के निर्माण के लिए विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 8.7.2005 तक 834.07 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है।

पर्यटन क्षेत्र में भारत और रोमानिया के बीच समझौता

205. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रोमानिया ने वीजा प्रक्रिया को सुगम बनाने और दोनों देशों के मध्य पर्यटन और यात्रा संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) दोनों देशों के मध्य संबंधों में कितना सुधार आया है और पर्यटकों के आवागमन में कितनी वृद्धि हुई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) से (ग) पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत ने दिनांक 2 जून, 1994 को रोमानिया के साथ एक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किया है। यह पर्यटक आदान-प्रदान को बढ़ावा, पर्यटन एवं होटल उद्योग के क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रोत्साहन, पर्यटन संसाधनों पर संवधर्नात्मक सामग्री और सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था करता है। करार पर दोनों देशों के लिए लाभप्रद पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर हस्ताक्षर किया गया। इसने पर्यटन क्षेत्र में पारस्परिक विचार-विमर्श के संवर्धन में सहायता की है और यह भविष्य में दोनों देशों के मध्य पर्यटक यातायात की वृद्धि को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है।

पक्षियों को फ्लू से बचाना

206. **श्री असादूद्दीन ओवेसी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पक्षी अभयारण्यों को फ्लू से बचाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) फ्लू के फैलने के कारण/स्रोत क्या हैं; और

(घ) चीनी प्रवासी पक्षियों में हाल में पाए गए एवियन इंफ्लूएंजा से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) सभी मुख्य वन्यजीव वार्डनों को प्रवासी पक्षियों के प्रमुख स्थलों पर निगरानी बढ़ाने का निदेश दिया गया है। पशु पालन और डेयरी विभाग को देश के प्रमुख पक्षी-अभयारण्यों के बारे में सूचना मुहैया की गई है और उन्हें पालतु मुरगा-मुरगिओं और प्रवासी तथा आवासी पक्षियों की सुरक्षा हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और राज्य वन विभागों के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है।

(ग) बर्ड-फ्लू फैलने का सही कारण ज्ञात नहीं है। तथापि, विशेषज्ञों की राय है कि मुरगी पालन की अस्वस्थकर प्रेक्टिर्सो, जीवित मुरगे-मुरगियों और मुरगी उत्पादों की बिक्री और ढुलाई, वन्य पक्षियों के व्यापार और वन्य प्रवासी पक्षियों विशेषकर बत्तखों की सामान्य आवा-जाही के कारण ऐसा हो सकता है।

(घ) संभावित जोखिमों और इस संबंध में भारत की मुस्तैदी के बारे में पशु-पालन विभाग, कृषि मंत्रालय और देश के पक्षी विशेषज्ञों के साथ बातचीत शुरू की गई है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों को सतर्क रहने और शीघ्र रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया गया है।

रोजगार आयोग

207. **श्री निखिल कुमार** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष देश में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए एक रोजगार आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) क्या रोजगार सृजन की मौजूदा प्रणाली कारगर नहीं है और

(घ) यदि हां, तो रोजगार आयोग के गठन से देश से बेरोजगारी की समस्या किस सीमा तक हल हो जायेगी?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) वर्तमान में, श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास देश में रोजगार आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एफपीआई की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता

208. **श्री राजेन्द्र कुमार** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की गति तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात, आज की तिथि तक उत्तरांचल सरकार से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) पिछले तीन सालों के दौरान और आज की तारीख तक, उत्तरांचल राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए विभिन्न यूनिटों से वित्तीय सहायता हेतु 21 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में तैयार की गई स्कीम परियोजना विशिष्ट है न कि राज्य/क्षेत्र विशिष्ट और इसलिए परियोजना को लागू करने वाली एजेंसी को उक्त सहायता दी जाती है। तदनुसार पिछले तीन सालों के दौरान और आज की तारीख तक उत्तरांचल में विभिन्न परियोजनाओं हेतु 127.09 लाख रु. की धनराशि जारी की गई है।

कीटनाशकों के खतरों के विरुद्ध जागरूकता कैंप

209. **डा. एम. जगन्नाथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कीटनाशकों के उपयोग और उपयोग से उत्पन्न होने वाले खतरों के संबंध में जागरूकता कैंप आयोजित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) केन्द्र और राज्य सरकारें पहले से ही किसानों को कीटनाशियों के सुरक्षित और न्याय संगत प्रयोग करने के बारे में प्रशिक्षण दे रही हैं। समेकित कीट प्रबंधन पर फार्मर्स फील्ड स्कूलों में किसानों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान कीटनाशियों के अन्धाधुन्ध प्रयोग के बुरे प्रभाव पर भी प्रकाश डाला जाता है। 1994-95 से 2004-05 तक पादप संरक्षण संगरोध एवं संचयन निदेशालय ने कुल 9111 फार्मर्स फील्ड स्कूलों का आयोजन किया है जिसमें 37281 कृषि विस्तार अधिकारियों और 2,75,056 किसानों को समेकितन कीट प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया गया है।

वुलर बैराज के संबंध में भारत-पाकिस्तान की बैठक

210. **श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वुलर बैराज के मसले पर भारत और पाकिस्तान के जल सचिवों की बैठक हुई थी;

(ख) क्या पाकिस्तान ने इस बात का दावा किया है कि यदि बैराज का निर्माण हो जाता है तो इससे झील की ओर जाने वाले जल के प्रवाह में बाधा आएगी;

(ग) यदि हां, तो बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई थी;

(घ) क्या बकाया सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) पाकिस्तान का मानना है कि बैराज का अभिप्राय झेलम नदी के प्रवाह की "मानव निर्मित" बाधा से है और इस बाधा से जल के दैनिक प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन होगा।

(ग) भारतीय सचिव ने अगस्त, 1992 में हुई वार्ता का हवाला दिया जब पाकिस्तानी पक्ष ने बताया था कि पाकिस्तान की चिंताओं का समाधान करने के लिए व्यापकतौर पर चर्चा और समायोजन से समझौते का मसौदा उनके माननीय प्रधानमंत्री के विचाराधीन था जिसके पश्चात वर्ष 1994 में पाकिस्तान सरकार ने बताया कि यह सही नहीं है कि पूर्व में वार्ता के दौर में इस मामले के सभी तकनीकी और विधिक मामलों का समाधान कर लिया गया था और सिन्धु जल संधि के अनुरूप सभी पहलुओं पर व्यापक तौर पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय सचिव ने आगे यह बताया कि इस संधि में गैर-खपतकारी उपयोग तक समिति नदी के प्रवाह में हस्तक्षेप, नौवहन के लिए जल का नियंत्रण अथवा उपयोग की व्यवस्था है बशर्ते कि पानी वही शेष रह जाता है अथवा उसी नदी में बहने दिया जाता है और दूसरे पक्ष द्वारा नदी के जल संबंधी उपयोगों के मामले के बिना भेदभाव के जल का गैर-खपतकारी उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना में कोई मानव-निर्मित भंडारण नहीं है क्योंकि जबतक झील का स्तर बढ़ता रहता है तब तक गेटों को पूरी तरह उठा दिया जाता है, इस प्रकार झील में प्राकृतिक रूप से भंडारण होने दिया जाता है। जब झील का स्तर निर्धारित स्तर से नीचे आने लगता है तब गेटों को जल स्तर से कमी को नियंत्रित करने के लिए अनुप्रवाह उपयोगों के प्रति बिना किसी भेदभाव के बंद कर दिया जाता है ताकि

नौवहन में असुविधा न हो और यह सुनिश्चित किया जाता है कि बहिर्वाह अन्तर्वाह से अधिक अथवा उसके बराबर हो।

पाकिस्तानी सचिव ने बताया कि परियोजना की डिजाइन के बारे में किसी समझौते अथवा परिवर्तनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और यदि ऐसे किसी समझौते को पूर्व में अंतिम रूप दे दिया गया होता तो इसके समाधान के लिए बैठकें जारी रखने का कोई कारण नहीं बनता। उन्होंने आगे बताया कि इस संधि में पाकिस्तान की ओर बहने वाली पश्चिमी नदियों के प्रवाह में भारत द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है और भारत के लिए अनुमत कुछ विशिष्ट उपयोगों को छोड़ कर पाकिस्तान के निर्बाध उपयोग के लिए जल के ऊपर भारत का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह कि प्रस्तावित बैराज का अभिप्राय झेलम नदी के प्रवाह की मानव-निर्मित बाधा से है और इस बाधा से जल के दैनिक प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन होगा। झेलम नदी की मुख्य शाखा पर भारत को भण्डारण की अनुमति नहीं है। झेलम मुख्य पर बैराज में होने वाला भंडारण 10,000 एकड़ फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी विशेष अवधि अथवा मौसम में जल को रोके रखना और उसे बाद की अवधि अरोर मौसम में छोड़े जाने को जल के गैर-सरकारी उपयोग के लिए नियंत्रण के रूप में नहीं माना जा सकता है। पाकिस्तानी सचिव ने यह भी बताया कि इस नौवहन परियोजना की व्यवहार्यता स्पष्ट नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) दोनों पक्षों के तकनीकी विशेषज्ञों ने इन मामलों पर चर्चा की और दोनों पक्षों के विचारों को रिकार्ड किया गया। दोनों ही पक्ष इस संधि (सिन्धु जल संधि 1960) के प्रावधानों के अनुरूप इस मामले का समाधान करने दृष्टि से वार्ता प्रक्रिया के अगले दौर में चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए।

[हिन्दी]

उर्वरक उद्योग की बकाया राजसहायता

211. **श्री सीताराम सिंह :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004 के अंत तक उर्वरक उद्योग की कंपनी-वार कुल कितनी बकाया राशि बाकी है;

(ख) बकाया राशि इकट्ठी होने के क्या कारण हैं;

(ग) उर्वरक उद्योग के निष्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिए बकाया राशियों के भुगतान हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदम क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) वर्ष 2004 के अंत तक यूरिया उत्पादन इकाइयों को राजसहायता के रूप में देय भुगतान की कुल राशि 194.41 करोड़ रुपए थी और वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंत तक अर्थात् 31.3.2005 तक इसका भुगतान कर दिया गया था। इकाईवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया है।

जहां तक नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पी एंड के) उर्वरकों का संबंध है, उर्वरक विभाग नियंत्रणमुक्त उर्वरकों (पी एंड के) के बिक्री पर एक रियायत योजना चलाता है जिसके अंतर्गत योजना में शामिल उत्पादकों/आयातकों को 85%/90% तक का 'लेखागत' भुगतान किया जाता है। रियायतों के दावों को अंतिम रूप से तभी निपटाया जाता है जब संबंधित राज्य सरकारें, जहां उर्वरक बेंचा गया था, बिक्री को प्रमाणित कर देती हैं। रियायत के दावों के अंतिम निपटान में देरी के लिए राज्य सरकारों से बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने में विलम्ब जिम्मेदार रहा है। राजसहायता के रूप में देय राशि दैनिक आधार पर बदलती रहती है। स्वदेशी उत्पादकों के मामले में 1.10.2000 से 31.3.2005 तक और आयातकों के लिए 1.10.2000 से 31.1.2004 तक के दौरान कंपनीवार रियायत के लंबित दावे दर्शाने वाले दो क्रमशः ब्यौरे संलग्न विवरण II और विवरण III में दिया गया है।

(ग) और (घ) पी एंड के उर्वरकों की बिक्री को प्रमाणित करने के लिए राज्य सरकारों हेतु रियायत योजना पर दिनांक 5.8.2002 को जारी दिशा-निर्देशों में एक समय-सीमा निर्धारित की गई है। राज्यों द्वारा निधारित समय-सीमा में बिक्री प्रमाणन न देने से रियायत का व्यापक असमायोजित भुगतान एकत्र हो गया है। इसे कम करने के लिए उर्वरक विभाग ने 2003 में एक अभियान चलाया था जिसमें राज्य सरकारों को वर्ष वार अंतिम तारीख तक बिक्री को प्रमाणित करने के लिए कहा गया था। इस संबंध में कंपनियों को भी राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इससे एक और रियायत के असमायोजित 'लेखागत' भुगतान में काफी कमी आई और दूसरी और कंपनियों की बकाया राशि का देय भुगतान भी जारी किया गया।

विवरण-I

यूरिया इकाइयों के 31.12.2004 तक के दावों का देय भुगतान

(रुपए करोड़ में)

क्र.स.	इकाई का नाम	राशि
1.	सी एफ सी एल-गडेपन-I	3.86
2.	सी एफ सी एल-गडेपन-II	31.63
3.	जी एस एफ सी-वडोदरा	4.23
4.	बी वी एफ सी एल-नामरूप-III	0.11
5.	इफको-आवला-I	1.16
6.	इफको-आवला-II	1.20
7.	इफको-कलोल	19.12
8.	इफको-फूलपुर-I	18.62
9.	इफको-फूलपुर-II	25.50
10.	इण्डो-गल्फ-जगदीशपुर	1.27
11.	कृभको-हजिरा	5.47
12.	एन एफ एल-पानीपत	3.86
13.	एन एफ एल-भटिंडा	7.03
14.	एन एफ एल-नांगल	6.86
15.	ओ सी एफ एल-शाहजहांपुर	0.75
16.	एस एफ सी-कोटा	5.94
17.	एस पी आई सी-तूतीकोरिन	26.08
18.	टी सी एल-बबराला	15.38
19.	जेड आई एल-गोवा	16.34
	योग	194.41

विवरण-II

नियंत्रणमुक्त पी एण्ड के उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादकों के संबंध में 1.10.2000 से 31.3.2005 तक के दौरान रियायत का लंबित भुगतान दर्शाने वाला विवरण

क्र. स.	कंपनी का नाम	राशि (रुपए करोड़ में)
1	2	3
1.	आन्ध्रा शुगर	0.43
2.	एग्रो फॉस	0.00
3.	आशा	0.30
4.	अरावली फॉस	0.23
5.	अरीहंत फॉस	0.00
6.	एशियन फर्टिलाइजर	0.43
7.	बालाजी फर्टिलाइजर	0.17
8.	बसन्त एग्रो	0.65
9.	बी ई सी	1.56
10.	भारत फर्टि.	0.05
11.	भवानी मिश्र	0.10
12.	बोहरा इंडस्ट्रीज	0.21
13.	सी एफ एल	25.25
14.	कैमटेक	0.05
15.	कोयम्बटूर पाइनियर	0.25
16.	दीपक	1.33
17.	डीएमसीसी	0.92
18.	फैक्ट	19.26

1	2	3
19.	गायत्री स्पिन	0.12
20.	जी एफ सी एल	31.66
21.	जीएन्वीएफसी	5.66
22.	जीएसएफसी	49.08
23.	हिंडालको	18.95
24	इफको	82.33
25.	इफको (जीएफसीएल)	0.60
26.	आईपीएल (एसएसपी)	0.01
27.	जय राम फोस	0.14
28.	जय श्री	0.50
29.	जुबलिएंट आर्गे.	-0.06
30.	जुबलिएंट आर्गे (साधना)	0.03
31.	खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर-I	4.36
32.	काशी उर्वरक	0.00
33.	कृष्ण इंडट्रिज कार्पोरेशन	0.15
34.	लिबर्टी फॉस	1.64
35.	लिबर्टी उर्वरक	0.41
36.	मध्य भारत फॉस	0.07
37.	मार्डिया	0.16
38.	मंगलम	0.08
39.	एफसीएफएल	8.34
40.	मुकतेश्वर	0.00
41.	महादेव	0.09
42.	एम एफ एल	22.82
43.	नटराज आर्गे	0.04
44.	निरमा	0.64
45.	ओसीएफएल	86.33
46.	फॉस्फेट कंपनी	0.52
47.	पी पी सी एल	0.00
48.	पी पी एल	85.88
49.	प्रगति फर्टि.	0.21
50.	प्रेमसखी	0.26
51.	प्रराथयाउसा	0.05
52.	प्रियंका	0.04
53.	रामा फॉस (आई)	1.28
54.	रामा फॉस (यू)	0.55
55.	राशि	0.02
56.	राज लक्ष्मी	0.03
57.	आर सी एफ	15.60
58.	आरकेआरएल	0.60
59.	शिव	0.39
60.	श्री गनपति	0.03
61.	श्री कृष्णा	0.04
62.	शाह वालेस	0.08
63.	साधना	0.24
64.	सोना	0.01

1	2	3
65.	शूरवी कोलोर	0.05
66.	एसपीआईसी	7.96
67.	सुबोध्य	0.10
68.	श्री एसिड	0.33
69.	स्वास्तिक	0.05
70.	टाटा केमिकल्स	42.09
71.	टेडको ग्रेनाइट	0.18
72.	तिस्ता एग्रो	0.83
73.	टी जे एग्रो	0.10
74.	तुंगभद्रा	0.19
75.	जेड आई एल	19.48
	योग	543.43

विवरण-III

नियंत्रणमुक्त पी एण्ड के उर्वरकों के आयातकों के संबंध में 1.10.2000 से 31.12.2004 तक के दौरान लंबित दावों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. स.	कंपनी का नाम	कुल राशि (रुपए करोड़ में)
1	2	3
1.	कारगिल	11.09
2.	सी एफ सी एल	7.27
3.	सी एफ एल	4.94
4.	डी आई एल	0.03
5.	फैक्ट	0.41
6.	जी एफ सी एल	0.04
7.	जी एन वी एफ सी	0.80
8.	टाटा	12.58
9.	इफको	4.04
10.	आई पी एल	83.24
11.	एम एफ एल	0.73
12.	एम एम टी सी	0.01
13.	पी पी एल	5.40
14.	आर सी एफ	3.66
15.	आर आई एल	0.56
16.	एस एफ सी	20.29
17.	एस पी आई सी	0.71
18.	जेड आई एल	2.97
	योग	158.77

राष्ट्रीय नदी कार्य योजना

212. **श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 20 मार्च, 2004 को औरंगाबाद के पैथान कस्बे में गोदवरी नदी पर राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अंतर्गत अनुमोदनार्थ एक प्रस्ताव भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन न देने के क्या कारण हैं और भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 70 प्रतिशत राशि जारी न करने के क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी हां।

(ख) परियोजना पर दसवीं योजना के दौरान निधि की कठिनाई के कारण अनुमोदन हेतु विचार नहीं किया जा सका। यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकार राज्य योजना प्रावधानों से परियोजना का कार्य करे और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ परियोजना को शुरू करने की संभावनाओं का पता लगाने सहित योजना आयोग से आवश्यक निधि मांगे।

औषधीय पौधों की खेती

213. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में औषधीय पौधों की खेती करने और वनस्पति उद्यानों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु पहचान किये गए स्थलों के नाम क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है; और

(घ) औषधीय पौधों के चयन के लिए सरकार ने कौन-कौन सी नीतियां तैयार की हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) सरकार ने देश में जड़ी बूटी वाले पौधों की खेती को बढ़ाने के लिए और ''बाटनिकल गार्डेस (वनस्पति उद्यानों) की स्थापना के लिये कोई भी सर्वेक्षण नहीं कराया है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय औषधिक पादप बोर्ड (एन एच पी बी) देश में जड़ी बूटियों समेत औषधिक पौधों के विकास के लिए एक स्कीम चला रहा है। इसके अलावा, कृषि मंत्रालय कुछ चुने हुए राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) के संस्थानों को जड़ी बूटी के बगीचों को लगाने के लिए कृषि संबंधी बृहद प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत सहायता दे रहा है।

[अनुवाद]

नये होटलों का निर्माण

214. **श्री एस.के. खारवेनथन** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विदेशी पर्यटकों की सुविधा हेतु पर्याप्त होटल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि का उपयोग होटलों के निर्माण हेतु करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एयरपोर्टों, अर्थात् आई जी आई एयरपोर्ट, दिल्ली, सी एस आई एयरपोर्ट, मुम्बई तथा एन एस सी बी आई एयरपोर्ट, कोलकाता के मास्टर प्लानों के आधार पर, वहां भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर पहले से ही होटल मौजूद हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने (7) नान-मेट्रो एयरपोर्टों पर बजट श्रेणी/सितारा श्रेणी के होटलों के निर्माण के लिए जगह की पहचान की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में चीनी मिलें

215. **मो. मुकीम** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में कार्यरत चीनी मिलों का क्षेत्र-वार ब्यौरा और उनका वार्षिक कारोबार कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान उक्त राज्यों में सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो अवस्थिति-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) चीनी मौसम 2004-2005 के दौरान कार्यरत चीनी मिलों का क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नवत है:—

क्र.स.	क्षेत्र	चीनी मिलों की संख्या
1.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	27
2.	मध्य उत्तर प्रदेश	36
3.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	42
4.	उत्तरांचल	10

जहां तक चीनी मिलों के वार्षिक कारोबार का संबंध है, केन्द्रीय सरकार देश की चीनी मिलों के वार्षिक कारोबार से संबंधित सूचना नहीं रखती है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार देश के किसी भाग में और किसी क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित नहीं करती है। चीनी उद्योग को 11.9.1998 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। उद्यमी मौजूदा चीनी मिल से 15 किलोमीटर की दूरी बनाए रखते हुए अपनी परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार चीनी मिल स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

जैव-कृषि को प्रोत्साहन

216. **श्री दुष्यंत सिंह :**
श्री जुएल ओराम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों को जैव कृषि प्रोत्साहित करने हेतु सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जैव कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार "राष्ट्रीय कार्बनिक कृषि परियोजना के जरिये जैविक फार्मिंग (कार्बनिक खेती) को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों की सहायता कर रही है। सरकार ने 2004-05 के दौरान विभिन्न राज्यों को 322.44 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:—

क्र. सं	राज्य	राशि (लाख रु. में)
1	2	3
1.	असम	1.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.49
3.	छत्तीसगढ़	14.98
4.	गुजरात	2.00
5.	हिमाचल प्रदेश	2.00
6.	कर्नाटक	1.53
7.	केरल	1.71
8.	महाराष्ट्र	5.32
9.	मणीपुर	6.69
10.	मेघालय	2.34
11.	मिजोरम	45.31
12.	मध्य प्रदेश	6.89
13.	पंजाब	0.24
14.	सिक्किम	10.34
15.	त्रिपुरा	8.98

1	2	3
16.	तमिलनाडु	1.00
17.	उत्तर प्रदेश	9.35
18.	उत्तरांचल	48.20
19.	नाबार्ड के माध्यम से	150.00
	योग	322.44

भोज वृक्षों की कटाई/तस्करी

217. **श्री अजीत जोगी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोज वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और तस्करी के कारण यह प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन वृक्षों के संरक्षण हेतु कोई कार्य-योजना तैयार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भोज वृक्षों सहित वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

(i) भारतीय वन अधिनियम, 1927 वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 और इसके लिए नियमावली, दिशा-निर्देश जैसे कानूनी उपाय।

(ii) अनुमोदित कार्य योजनाओं के अनुसार वनों, वन विकास अभिकरणों और संयुक्त वन प्रबंधन का कार्य चालन जैसे प्रबंधन उपाय।

(iii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता मुहैया करना जैसे वित्तीय उपाय।

'एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, जो 2002-03 से प्रचालन में है, के अंतर्गत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को वनों की अवैध कटाई, आग, अतिक्रमणों आदि से सुरक्षा के लिए अवसंरचना को मजबूत करने हेतु धन उपलब्ध कराया जाता है।

(iv) सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

218. **श्री प्रहलाद जोशी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य जल प्रवाह को समुद्र में जाने से रोकने का है; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी, निष्पादन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से और उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। लघु सिंचाई परियोजनाएं राज्य सरकारें स्वयं अनुमोदित करती हैं। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जिनमें अन्तर्राज्यीय जटिलताएं शामिल नहीं हैं, की आयोजना, अनुमोदन और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है। अन्तर्राज्यीय नदियों पर मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया जाता है ताकि जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति इसे स्वीकार कर सके और तदुपरांत योजना आयोग से निवेश अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। लम्बित अनुमोदन वाली मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। इन परियोजनाओं की स्वीकृति इस पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का कितनी तत्परता से पालन करती है।

विवरण

1.7.2005 के अनुसार नई मध्यम परियोजनाओं का राज्यवार सार

क्र.स.	राज्य	मध्यम		
		क	ख	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6	10	16

1	2	3	4	5
2.	छत्तीसगढ़	—	1	1
3.	हरियाणा	1	—	1
4.	हिमाचल प्रदेश	1	—	1
5.	जम्मू और कश्मीर	9	2	11
6.	कर्नाटक	1	—	1
7.	केरल	1	—	1
8.	महाराष्ट्र	28	9	37
9.	मणिपुर	—	1	1
10.	नागालैंड	—	1	1
11.	उड़ीसा	1	7	8
12.	पंजाब	2	1	3
13.	राजस्थान	6	—	6
14.	तमिलनाडु	—	1	1
15.	उत्तर प्रदेश	1	—	1
	कुल जोड़	57	33	90

क-मूल्यांकन के विभिन्न चरणों के तहत परियोजना

ख-जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकारी समिति द्वारा कतिपय टिप्पणियों के अधीन स्वीकृत

[हिन्दी]

राजस्थान में जल उद्वह एवं आपूर्ति परियोजना

219. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बाड़मेर जिले में जल उद्वह एवं आपूर्ति परियोजना से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के कितने चरणों को पूरा किया गया है; और

(ग) उक्त परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान के कितने शहरों और ग्रामों को कवर किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी, निष्पादन तथा वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। राजस्थान की राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान के बाड़मेर जिले में जल उत्थापन एवं आपूर्ति परियोजना के संबंध में राज्य सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पेय जल आपूर्ति के लिए प्रमुख परियोजनाएं नामशः पोकरन फलसूंद बालोतरा सिवारा लिफ्ट परियोजना, बाड़मेर लिफ्ट जल आपूर्ति परियोजना एवं नर्मदा नहर आधारित जल आपूर्ति परियोजना, बाड़मेर जिले के कस्बों और गांवों के लिए पर्याप्त हैं।

[अनुवाद]

इस्पात हेतु कच्ची सामग्री

220. **श्री बालासाहिब विखे पाटील :**
श्री जुएल ओराम :
श्रीमती पी. सतीदेवी :
श्री समिक लाहिरी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा इस्पात उत्पादन हेतु क्या विधि अपनाई गई है;

(ख) प्रत्येक विधि से एक टन इस्पात का उत्पादन करने हेतु लौह अयस्क की अनुमानित आवश्यकता कितनी होगी;

(ग) क्या उड़ीसा में स्थापित होने वाली किसी भी नए इस्पात संयंत्र में कोई आधुनिकतम विधि अपनाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस्पात के उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री की आपूर्ति इसकी मांग की तुलना में कम है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) इस्पात का उत्पादन करने के लिए विभिन्न सरकारी/निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं:

(i) कोक ओवन, सिंटर प्लांट-ब्लास्ट फर्नेस-बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस-कन्टीन्यूअस कास्टिंग।

(ii) डायरेक्ट रिडयूस्ड आयरन-इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस/इंडक्शन फर्नेस-कन्टीन्यूअस कास्टिंग।

(iii) डायरेक्ट रिडयूस्ड आयरन एवं/अथवा ब्लास्ट फर्नेस-इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस-कन्टीन्यूअस कास्टिंग।

(iv) पैलेट कोरेक्स फर्नेस-बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस-कन्टीन्यूअस कास्टिंग।

(v) इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस।

(vi) इंडक्शन फर्नेस।

(vii) डारेक्ट रिडयूस्ड आयरन/इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस।

(viii) डायरेक्ट रिडयूस्ड आयरन/इंडक्शन फर्नेस।

(ix) ब्लास्ट फर्नेस/एनर्जी ओप्टिमाइजिंग फर्नेस-कन्टीन्यूअस कास्टिंग।

(ख) उपरोक्त प्रक्रियाओं के जरिए 1 टन तप्त धातु का उत्पादन करने के लिए लगभग 1.65 टन लौह अयस्क की आवश्यकता होती है।

(ग) पोस्को ने सूचित किया है कि वे अपनी उड़ीसा परियोजना में फाइनेक्स आयर मेकिंग प्रोसेस अपनाने पर विचार कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में फीड स्टॉक के रूप में सस्ते लौह अयस्क चूरे कम राख वाले अकोककर कोयले का प्रयोग किया जा सकता है।

(घ) फाइनेक्स प्रक्रिया में लौह अयस्क चूरे को चार सर्कूलेटिंग फ्लूाईज्ड बैड रियेक्टरों की श्रृंखला से गुजारा जाता है, जिनमें मैल्टिंग गैसफायर से कार्बन मोनो ऑक्साइड की अपचयित गैस गुजारी जाती है, जो लौह अयस्क चूरे को प्रत्यक्ष अपचयित लोहे (डीआरआई) में अपचयित करती है, जो तप्त ब्रिक्वेटिड आयरन (एचबीआई) में परिवर्तित करने के लिए एक हॉट ब्रिक्वेट संयंत्र में ले जाया जाता है। आकेककर कोयला ब्रिक्वेटिड है और ब्रिक्वेटिड कोयला और एचबीआई को मैल्टर गैसीफायर में फीड किया जाता है, जिसमें एचबीआई में आयरन ऑक्साइड को और अपचयित किया जाता है मैल्टिड आयरन और स्लैग को विभिन्न टैप हॉलों के जरिए बाहर निकाला जाता है। मैल्टर गैसीफायर में कार्बन मोनो ऑक्साइड के रूप में अकोककर कोयले को ऑक्सीडाईज्ड किया जाता है, जिसमें उच्च दाब पर प्योर ऑक्सीजन इंजैक्ट की जाती है ओर आयरन ऑक्साइड को डीआरआई में रिडयूस करने के लिए फ्लूाईज्ड बेड रियेक्टरों से गुजारा जाता है, जिसे बाद में इस्पात में परिवर्तित किया जाता है।

(ङ) और (च) इस्पात के उत्पादन के लिए अपेक्षित प्रमुख कच्ची सामग्रियां लौह अयस्क, कोककर कोयला, अकोककर कोयला तथा फलक्स सामग्री जैसे चूना-पत्थर आदि हैं।

लौह अयस्क — देश में लौह अयस्क की कोई कमी नहीं है।

कोककर कोयला — देश में कोककर कोयले की कमी है और आवश्यकता की अधिकांश मात्रा का आयात किया जाता है।

अकोककर कोयला — देश में कम राखयुक्त अकोककर कोयले की कमी है। अत: इसका भी आयात किया जाता है।

इस्पात गलन स्क्रैप — इसकी भी कमी है।

उठाए गए/प्रस्तावित उपचारात्मक कदम :

(i) स्पंज लोहा इस्पात गलन स्क्रैप का आंशिक एवजी है इसलिए स्पंज लोहे के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ii) अपनी कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्पात उत्पादकों को निजी कोयला ब्लॉक आबंटित किए जा रहे हैं।

(iii) सरकार द्वारा कोककर कोयले और धातुकर्मीय कोक पर सीमा शुल्क में काफी कमी की गई है।

(iv) भिन्न-भिन्न कंपनियां कच्चे माल के लिए अपनी-अपनी व्यवस्था करती हैं। अपनी कारोबार नीति के एक भाग के रूप में इनमें से कुछ कंपनियां विदेशी कंपनियों से कोककर कोयला प्राप्त करके अथवा साम्या/संयुक्त उद्यम के जरिए इन खानों के विकास में भागीदारी के जरिए कोककर कोयले की आश्वस्त आपूर्ति प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगा रही हैं।

[हिन्दी]

वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत लंबित परियोजनाएं

221. **श्री कृष्ण मुरारी मोघे :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत सरकार के पास लंबित पड़ी मध्य प्रदेश की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं को कब तक अनुमोदित करने की संभावना है;

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश से वानिकी मंजूरी के लिए प्राप्त 12 प्रस्ताव मंत्रालय में जांच के विभिन्न चरणों में है। इन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग वाले परियोजना प्रस्तावों की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, वन संरक्षण नियमावली, 2003 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया और उसके अंतर्गत समय-समय पर जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार जांच की जाती है। प्रस्तावों की पूर्ण जांच और निर्णय एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ने नियमों के अंतर्गत पूर्व प्रस्तावों पर कार्रवाई करने और निर्णय लेने के लिए स्वयं के लिए 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की है।

विवरण

मध्य प्रदेश के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वानिकी मंजूरी हेतु परियोजनाओं का विवरण

क्र.स.	प्रस्ताव का नाम	जिला	क्षेत्र (हे०)	परियोजना की श्रेणी
1	2	3	4	5
1.	132 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	रीवा	7.155	ट्रांसमिशन लाइन
2.	मैसर्स नार्थन कोल फील्ड लि. के पक्ष में बिना परियोजना	सिद्धि	378.935	खनन
3.	मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के पक्ष में 200 कि.वा. सतना-छत्तरपुर विद्युत लाइन बिछाना	सतना	38.883	ट्रांसमिशन लाइन
4.	एम पी ई बी के पक्ष में 33 के वी ट्रांसमिशन लाइन बिछना	दतिया	0.41	ट्रांसमिशन लाइन
5.	गांव सिवदाह में श्री रविन्द्र कुमार द्वारा बालू खनन	दतिया	0	खनन
6.	मैसर्स नार्थन कोल फील्ड लि. के पक्ष में ब्लाक बी, गोरबी परियोजना	सिद्धि	447	खनन
7.	मैसर्स मैगनीश और इंडिया लि. की टिरोडी खान का नवीकरण	बालाघाट	115.473	खनन
8.	सतपुड़ा बाघ रिजर्व से बडकचर गांव का पुनर्वास	होशंगाबाद	200	पुनर्वास

1	2	3	4	5
9.	मैगनीश और इंडिया लि. भारवेली खान के पक्ष में खनन पट्टा	बालाघाट	29	खनन
10.	मैसर्स भारत पेट्रोलियम लि. के पक्ष में पैट्रोलियम पाइप लाइन बिछाना	शाजांपुर	1.249	अन्य
11.	एम पी ई बी के पक्ष में गीना से अमरपाटन तक 132 के वी ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	सतना	4.59	ट्रांसमिशन लाइन
12.	मैसर्स खजुराहो मिनरल के पक्ष में पायरोफ्लाइट खनन का नवीकरण	छतरपुर	4.65	खनन

[अनुवाद]

वन संरक्षण

222. **प्रो. एम. रामदास :**
श्री बीर सिंह महतो :
श्री लक्ष्मण सेठ :
श्री काशीराम राणा :
श्रीमती पी. सतीदेवी :
श्री स्वदेशी चक्रवर्ती :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में वनाच्छादित क्षेत्रों का क्षेत्रफल घट रहा है;

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण है;

(ग) कुल भू-क्षेत्र की तुलना में वनाच्छादित क्षेत्र की प्रतिशतता कितनी है;

(घ) विभिन्न राज्यों में वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने और इस प्रयोजन हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वनाच्छादित क्षेत्र के संरक्षण हेतु सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार भूमि क्षेत्र की तुलना में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) देश में वन आच्छादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(i) भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, और पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम, 1986 तथा उनके नियम और दिशानिर्देश जैसे वैधानिक कदम उठाए गए है।

(ii) प्रबंधन उपाय जैसे अनुमोदित कार्य योजनाओं के अनुसार वन कार्य व्यवस्था, वन विकास एजेंसियां तथा संयुक्त वन प्रबंधन।

(iii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों ओर बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करने जैसे वित्तीय उपाय।

(iv) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासन द्वारा उनके निजी संसाधनों तथा भारत सरकार की सहायता से शुरू किए गए वनीकरण कार्यक्रम।

(v) सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(vi) राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों से भूमि वाले सभी विभागों में वृक्षारोपण में बढ़ोत्तरी करने, एक संचार रणनीति बनाने और उसका कार्यान्वयन करने और वृक्षारोपण में वृद्धि के लिए जन जागरूकता बढ़ाने हेतु संचार योजना बनाने के लिए संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समितियां गठित करने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) 10वीं योजना के दौरान वनीकरण कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता प्राप्त करने के लिए वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफडीए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जेएफएमसी) के विकेन्द्रीकृत द्वि-स्तरीय तंत्र द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग) कि.मी.) में	वन रिपोर्ट 2003 के अनुसार वन आच्छादित क्षेत्र (वर्ग कि.मीटर)	भूमि क्षेत्र की तुलना में वन आच्छादित क्षेत्र का (%)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2,75,069	44,419	16.15
अरुणाचल प्रदेश	83,743	68,019	81.22
असम	78,438	27,826	35.48
बिहार	94,163	5,558	5.90
छत्तीसगढ़	1,35,191	55,998	41.42
दिल्ली	1,483	170	11.47
गोवा	3,702	2,156	58.24
गुजरात	1,96,022	14,946	7.62
हरियाणा	44,212	1,517	3.43
हिमाचल प्रदेश	55,673	14,353	25.78
जम्मू और कश्मीर	2,22,236	21,267	9.57
झारखंड	79,714	22,716	28.50
कर्नाटक	191,791	36,449	19.00
केरल	38,863	15,577	40.08
मध्य प्रदेश	3,08,245	76,429	24.79
महाराष्ट्र	3,07,713	46,865	15.23
मणिपुर	22,327	17,219	77.12
मेघालय	22,429	16,839	75.08
मिजोरम	21,081	18,430	87.42
नागालैंड	16,579	13,609	82.09
उड़ीसा	1,55,707	48,366	31.06
पंजाब	50,362	1,580	3.14
राजस्थान	3,42,239	15,826	4.62
सिक्किम	7,096	3,262	45.97
तमिलनाडु	1,30,058	22,643	17.41
त्रिपुरा	10,486	8,093	77.18
उत्तर प्रदेश	2,40,928	14,118	5.86
उत्तरांचल	53,483	24,465	45.74
पश्चिम बंगाल	88,752	12,343	13.91
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8,249	6,964	84.42

1	2	3	4
चंडीगढ़	114	15	13.16
दादर व नगर हवेली	491	225	45.82
दमन व द्वीव	112	8.34	7.45
लक्षद्वीप	32	23	71.88
पाण्डिचेरी	480	40	8.33
योग	32,87,263	678,333	20.64

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी

223. **श्री वीर सिंह महतो :**
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली में कई उद्योग अपने कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहे है और श्रम न्यायालय श्रम कानूनों को लागू करने के अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा विभिन्न श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) न्यूनतम मजदूरी के न दिए जाने के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) से (ग) दिल्ली में कतिपय प्रतिष्ठानों द्वारा सांविधिक न्यूनतम मजदूरी की अदायगी न किये जाने के मामले प्रकाश में आए हैं। दिल्ली में राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्रों में अनुसूचित नियोजनों के संबंध में क्रमशः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और मुख्य श्रम आयुक्त (के.) द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाता है, जबकि श्रम न्यायालय केवल उन्हें संदर्भित किए गए मामलों का न्याय-निर्णयन करते हैं। दिल्ली में राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान इस अधिनियम के प्रवर्तन को दर्शाने वाले क्रमशः ब्यौरे संलग्न विवरण I और II के रूप में दिये गये हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्य क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्तन को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	शिकायतें		किए गए निरीक्षण	अनियमितताएं			लाभान्वित कामगारों की संख्या	अदा की गई धनराशि (लाख रु. में)
	प्राप्त हुई	निपटाई गई		पता चली	ठीक की गई	अभियोजना चलाएं गए		
2002	9167	8886	8546	4946	4121	939	2326	127.77
2003	7270	6969	7245	4747	3723	859	2992	64.94
2004	8583	8377	8101	6460	4880	1223	3497	131.71

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली रीजन में केन्द्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रवर्तन दर्शाने वाला विवरण

क्र. स.		2002-03	2003-04	2004-05
1.	किये गये निरीक्षणों की संख्या	453	396	486
2.	पता चली अनियमितताओं की संख्या	4548	3724	4390
3.	लंबित दावा मामलों की संख्या	81	75	48
4.	दायर दावा मामलों की संख्या	64	110	84
5.	निर्णीत दावा मामलों की संख्या	70	137	72
6.	लंबित अभियोजन मामलों की संख्या	778	919	952
7.	दायर अभियोजन मामलों की संख्या	247	287	280
8.	निर्णीत अभियोजना मामलों की संख्या	106	254	85
9.	प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति धनराशि	7.93	11.14	6.72
10.	लगाए गए जुर्माने की कुल धनराशि (लाख रुपयों में)	3.04	2.65	6.75

[अनुवाद]

ब्याज दर में वृद्धि

224. **श्री ई. पोन्नुस्वामी :**
श्री वाडिगा रामकृष्णा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2004-05 हेतु ब्याज दर में 9.5 प्रतिशत की अचानक वृद्धि करने के कारण 719 करोड़ रुपए की हुई कमी को पूरा करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मुद्दे का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर के संबंध में सरकार की भविष्य की क्या योजनाएं है और इस हेतु वित्त-पोषण का स्रोत क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) से (घ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने 28.05.2005 को आयोजित अपनी विशेष बैठक में वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के खातों में जमा किये जाने वाले ब्याज की अंतिम दर 9.5 प्रतिशत रखने की सिफारिश करने का निर्णय लिया था। घाटे को पूरा करने के लिए विशेष आरक्षित निधि से 716.07 करोड़ रुपये की धनराशि को अंतरित करने का निर्णय लिया गया था।

इसके अतिरिक्त, यह संकल्प लिया गया कि भविष्य में किसी भी मामले में ब्याज अदायगी संबंधी देयता संबंधित विशेष वर्ष के दौरान निधि की ब्याज की आय से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कृतक बल का गठन

225. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री गणेश सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के बाघ अभयारण्यों में बाघों का पता लगाने हेतु एक कृतक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कृतक बल ने देश भर के सभी बाघ अभयारण्यों का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कृतक बल द्वारा पता लगाए गए बाघों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ङ) देश में बाघों के संरक्षण को सुदृढ़ करने हेतु कृतक बल द्वारा क्या उपाय सुझाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा इन सुझावों को क्रियान्वयन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 17.3.2005 को हुई राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर देश में बाघ रिजर्वों के प्रबंधन की पुनरीक्षा के लिए गए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) टास्क फोर्स ने अपने अध्ययन के दौरान निम्नलिखित बाघ रिजर्वों का प्रतिनिधित्व मामले के रूप में दौरा किया।

- पेरियार (महाराष्ट्र)
- पेंच (महाराष्ट्र)
- पेंच (मध्य प्रदेश)
- कान्हा (मध्य प्रदेश)
- सरिस्का (राजस्थान)
- रणथम्भौर (राजस्थान)

(घ) टास्क फोर्स ने फील्ड दौरे के दौरान 15 बाघों (पेंच मध्य प्रदेश) में एक और कान्हा (मध्य प्रदेश में 14) को देखा।

(ङ) विचारार्थ विषयों के अनुसार टास्क फोर्स द्वारा तीन माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(1) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत बाघों सहित वन्यजीवों के शिकार एवं वाणिज्यिक दोहन के विरुद्ध वैधानिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

(2) वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से क्षमता एवं अवसंरचना को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कारवाई जा रही है।

(3) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा दायर करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(4) वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को फील्ड संरचनाओं को सहायता देने के लिए कहा है।

(5) देश में वन्यजीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए अनेक कार्य बिन्दुओं और प्राथमिक परियोजनाओं के साथ एक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) आरम्भ की गई है।

ग्रामीण पर्यटन

226. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :**
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में और अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कोई प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी पर्यटकों के लिए ग्रामीण भारत को और अधिक आकर्षक बनाए जाने की आशा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की योजना पर्यटन लक्षित प्रदेश के कतिपय गांवों को प्रोत्साहन देने की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटक आगमन में और वृद्धि करने के लिए एक समन्वित मार्केटिंग एवं संवर्धन रणनीति के माध्यम से तथा यात्रा व्यवसाय एवं राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक समन्वित अभियान के जरिए पर्यटन संवर्धन का कार्य निरंतर किया जा रहा हैं संवर्धन संबंधी इन गतिविधियों में प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन जारी करना, मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना, सेमिनार/कार्यशालाएं एवं रोड शोज आयोजित करना, ब्रोशर एवं संयुक्त विज्ञापन समर्थन, सत्कार कार्यक्रम के अंतर्गत मीडिया कार्मिकों, टूर ऑपरेटरों तथा मत निर्माताओं को भारत की यात्रा पर आमंत्रित करना शामिल है।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्र के विकास में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारते हुए लो-इम्पैक्ट परिवेश में एक अद्वितीय यात्री अनुभव के रूप में ग्रामीण पर्यटन को अवस्थित करने के लिए ''ग्रामीण पर्यटन योजना'' की घोषणा की गई है। इस श्रेणी के अंतर्गत लगभग 31 प्रमुख ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए चिन्हित किए गए हैं। इसका उद्देश्य गांवों के जनजीवन, कला, संस्कृति एवं धरोहर को उजागर करते हुए स्थानीय समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभान्वित करना है और पर्यटक अनुभव बढ़ाने और समृद्ध करने के लिए पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों के बीच सम्पर्क स्थापित करना है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है और भारत सरकार - यू एन डी पी के अधीन क्षमता निर्माण आदि के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

10वीं योजना के दौरान स्वीकृत राज्यवार ग्रामीण पर्यटन योजना/परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य		परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि	अवमुक्त राशि
1	2		3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1	जिला नालगोंडा में पोचमपल्ली का विकास	2003-04	50.00	40.00
		2	कोनासीमा गांव, पूर्वी गोदावरी जिले में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	50.00
		3	अनन्तपुर जिले में पुट्टापारथी का विकास	2004-05	49.50	39.60
		4	पूर्वी गोदावरी जिले में चिंचीनाडा का विकास	2004-05	50.00	40.00
		5	चित्तौड़ जिले में श्रीकालाहस्ती का विकास	2004-05	50.00	40.00
2.	असम	6	जिला गोलाघाट के दुर्गापुर में ग्रामीण पर्यटन	2002-03	46.83	14.04
		7	देहिंग - पटाकाई क्षेत्र, जिला तिनसुकिया	2004-05	44.33	35.46
		8	कामरूप जिले के सुवालकाची में ग्रामीण पर्यटन	2004-05	50.00	40.00

1	2		3	4	5	6
3.	बिहार	9	नेपुरा गांव, जिला नालंदा में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2003-04	50.00	40.00
4.	छत्तीसगढ़	10	चित्रकूट गांव, जिला बस्तर में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2003-04	50.00	15.00
		11	चित्रकूट गांव, जिला बस्तर में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2003-04	50.00	40.00
		12	चम्पारण, जिला रायपुर में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2003-04	50.00	15.00
		13	जिला बस्तर के नगरनार में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	48.00	38.40
		14	कोंडागांव, जिला बस्तर का विकास	2005-06	50.00	40.00
5.	दिल्ली	15	कोटला मुबारकपुर में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	09.78	09.78
		16	नांगली, राजापुर, दिल्ली में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	36.30	36.30
6.	गुजरात	17	टेरा में हैरिटेज गांव का विकास	2003-04	50.00	40.00
		18	होडका, जिला कच्छ में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
		19	जिला राजकोट में नवागांव और मालेगांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2003-04	92.70	27.81
7.	हरियाणा	20	ज्योतिषर, जिला कुरूक्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
8.	हिमाचल प्रदेश	21	नग्गर, जिला कुल्लू में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
		22	परागपुर, जिला कांगड़ा घाटी में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	15.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	23	गांव डूंग, जिला बारामुला में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2005-2006	50.00	40.00
		24	गांव सुरींसर, जिला जम्मू में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2005-2006	50.00	40.00
		25	गांव गगनगीर, जिला श्रीनगर में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2005-2006	50.00	40.00
10.	कर्नाटक	26	कोक्कारे बेल्लूर, जिला बेल्लूर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2002-03	50.00	15.00

1	2		3	4	5	6
		27	जिला उत्तर कन्नड़ा में ग्रामीण पर्यटन परियोजना के रूप में अतिवेरी पक्षी विहार का विकास	2003-04	60.00	48.00
		28	बनवासी जिला, उत्तर कन्नड़ा में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
		29	अनेगुंदी, जिला बेल्लारी में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2003-04	50.00	40.00
		30	कुर्ग में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2003-04	50.00	40.00
11.	केरल	31	जिला एर्नाकुलम में ग्रामीण पर्यटन गंतव्य के रूप में कुम्बलांगी का विकास	2003-04	50.00	40.00
		32	एर्नामुला, जिला पथानामथिट्टा में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2003-04	20.00	16.00
		33	तिरुवनन्तपुरम जिले में बलरामपुर गांव का विकास	2004-05	50.00	40.00
12.	मध्य प्रदेश	34	झटवा गांव में ग्रामीण पर्यटन	2002-03	44.00	13.20
		35	चौगन, जिला मांडला में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
		36	परानपुर जिला अशोकनगर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2003-04	48.00	38.00
		37	ओरछा, जिला टीकमगढ़ में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2005-06	50.00	40.00
13.	महाराष्ट्र	38	सुलीभन्जन-खुलताबाद, जिला औरंगाबाद में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
14.	नागालैण्ड	39	मोपुनचुपकेट में ग्रामीण पर्यटन	2002-03	50.00	15.00
15.	उड़ीसा	40	रघुराजपुर, जिला पुरी में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2002-03	60.00	40.00
		41	पुरी जिले में पिपली गांव का विकास	2004-05	50.00	40.00
16.	राजस्थान	42	नीमराना, जिला अलवर में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
		43	समेड़ गांव जिला जयपुर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2003-04	50.00	40.00
17.	सिक्किम	44	उत्तरी जिले में लाचेन गांव का विकास	2004-05	50.00	40.00

1	2	3	4	5	6
18.	तमिलनाडु	45 जिला टुथुकुड्डी में ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत कायुगुमलई का विकास	2003-04	48.66	38.94
		46 तीर्थामलाई, जिला धर्मापुरी का विकास	2003-04	50.00	40.00
		47 काराईकुड़ी, जिला शिवगंगा में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
		48 देवीपट्टीनम (रामनाथपुरम जिले में नवमाशनम) का विकास	2005-06	50.00	40.00
		49 थिरूकुरुंगुड़ी, जिला तिरूनेवेली	2005-06	50.00	40.00
19.	त्रिपुरा	50 कमलासागर, जिला पश्चिम त्रिपुरा में ग्रामीण पर्यटन	2002-03	42.92	13.48
		51 चम्पुई हिल्स, जिला नार्थ त्रिपुरा में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	15.00
20.	उत्तरांचल	52. जगेश्वर, जिला अलमोड़ा में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2002-03	50.00	40.00
		53 अगोरा गांव (डोडीताल), जिला उत्तरकाशी में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2005-06	48.50	38.80
		54 मोटाड और इसके सैटेलाइट स्टेशनों में हब गांव का विकास	2005-06	48.05	38.44
21.	पश्चिम बंगाल	55 जिला बीरभूम के वल्लभपुर डांगा में ग्रामीण पर्यटन केन्द्र का विकास	2003-04	50.00	15.00
		56 सोनाडा गांव, जिला दार्जिलिंग का विकास	2004-05	50.00	40.00
				2737.57	1891.25

विवरण-II

वर्ष 2004-2005 के दौरान स्वीकृत की गई जीओआई-यू एनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना

(लाख रुपयों में)

क्र.स.	स्थल	जिला	राज्य	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीशैलम्पल्ली	नालगोंडा	आंध्र प्रदेश	20.00	16.00

1	2	3	4	5	6
2.	होडका	कच्छ	गुजरात	20.00	16.00
3.	सुलीभंजन-खुलताबाद	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	20.00	16.00
4.	अरनमुला	पथानमथिट्टा	केरल	20.00	16.00
5.	कराईकुडी	शिवगंगा	तमिलनाडु	20.00	16.00
6.	बनवासी	उत्तर कन्नड़ा	कर्नाटक	20.00	16.00
7.	चित्रकोट	बस्तर	छत्तीसगढ़	20.00	16.00
8.	परानपुर	अशोक नगर	मध्य प्रदेश	20.00	16.00
9.	नेपुरा	नालंदा	बिहार	20.00	16.00
10.	रघुराजपुर	पुरी	उड़ीसा	22.00	17.60
11.	काजुगुमलाई	थुथुकुडी	तमिलनाडु	20.00	16.00
12.	कुम्बलांगी	एर्नाकुलम	केरल	20.00	16.00
13.	नग्गर	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश	20.00	16.00
14.	लाचेन	नार्थ जिला	सिक्किम	20.00	16.00
15.	सुआलकुची	कामरूप	असम	19.95	15.96
16.	हल्दीघाटी	राजसमंद	राजस्थान	19.32	15.45
17.	माना	चमोली	उत्तरांचल	20.00	16.00
18.	श्रीकालाहस्ती	चित्तूर	आंध्र प्रदेश	19.80	15.84
19.	दुर्गापुर	गोलाघाट	असम	20.00	16.00
20.	नगरनार	बस्तर	छत्तीसगढ़	20.00	16.00
21.	ज्योतिषर	कुरुक्षेत्र	हरियाणा	20.00	16.00
22.	चौगान	मांडला	मध्य प्रदेश	20.00	16.00
23.	पिपली	पुरी	उड़ीसा	20.00	16.00
24.	राजासांसी	अमृतसर	पंजाब	20.00	16.00

1	2	3	4	5	6
25.	नीमराना	अलवर	राजस्थान	20.00	16.00
26.	समोड	जयपुर	राजस्थान	20.00	16.00
27.	कमलासागर	वेस्ट त्रिपुरा	त्रिपुरा	20.00	16.00
28.	भागुवाला	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	19.75	15.50
29.	बल्लभपुर	बीरभूम	पश्चिम बंगाल	20.00	16.00
30.	मुकुटमणिपुर	बांकुरा	पश्चिम बंगाल	20.00	16.00
31.	जगेश्वर*	अलमोड़ा	उत्तरांचल	20.00	—
			कुल	620.82	480.35

*अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

[हिन्दी]

उर्वरक भंडारण कार्य

227. **श्री ब्रजेश पाठक** : क्या रससायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मई, 2005 में एग्रीकल्चरल इंवेस्टमेंट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, मल्लावन, जिला-हरदोई (उत्तर प्रदेश) से उर्वरक भंडारण कार्य आरंभ करने के संबंध में में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) खरीफ, 2004 के दौरान एग्रीकल्चरल इंवेस्टमेंट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, मल्लावन, जिला हरदोई (उत्तर प्रदेश) की भंडारण सुविधा का लाभ उठाने पर सहमत हो गया था बशर्ते कि सोसाइटी संसूचित निबंधनों और शर्तों को पूरा करे। चूंकि, सोसाइटी ने आवश्यक निबंधनों और शर्तों को पूरा नहीं किया इसलिए उसे भंडारण कार्य की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। सोसाइटी को भंडारण सुविधा का लाभ उठाने के लिए इफको द्वारा कोई जमानत राशि नहीं मांगी गई थी।

(ग) भंडारण और विपणन संबंधी कार्य वाणिज्यिक तथा तकनीकी आधारों को ध्यान में रखते हुए उर्वरक उत्पादकों द्वारा किया जाता है और इस कार्य में सरकार की सीमित भूमिका होती है।

[अनुवाद]

बीमा कवर के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक

228. **श्री अनन्त नायक** :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दुग्ध उत्पादकों को बीमा कवर के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या दुग्ध क्षेत्र में कार्यरत लोगों की कुल संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं दुग्ध उत्पादकों को बीमा कवर के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है; तथापि पशुधन बीमा को शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। कोई भी सर्वेक्षण केवल डेयरी क्षेत्र में लगे लोगों की कुल संख्या उपलब्ध नहीं कराता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विकास कार्यों की समीक्षा

229. श्री अदल सिंह शेखावत
श्री डी. पिट्टल राव
श्री अनंत गुडे

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापक नीति उपाय/पैकेज के मद्देनजर से कृषि और संबंधित गैर-फसल क्षेत्र की विकास दर में तेजी लाने हेतु समुचित रणनीति तैयार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें उद्घाटित हुए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जरूरतमंद क्षेत्रों, विशेषकर गैर-हरित/शुष्क एवं कृषि हेतु उठाए गए नवीन कृषि कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक आंकलन के दौरान कृषि तथा संबंधित क्षेत्र के त्वरित विकास के लिये कई क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है। इनमें शामिल हैं, सार्वजनिक निवेश, विशेषकर सिंचाई तथा जल संसाधन में, की दिशा में आगे बढ़ना, सपोर्ट तथा डिलीवरी सिस्टम में सुधार तथा उसका पुनरुत्थान, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में सुधार, जिन्सों की वाणिज्यिक विधियों में संशोधन जिससे कि अनुबंधित कृषि को सहज बनाया जा सके; और दूध तथा दुग्ध उत्पादों के मांग व प्रबंधन को मुख्य प्राथमिकता देना।

(ग) नये उठाये गये कदमों में शामिल हैं- 2011-12 तक बागवानी उत्पादन को दो गुना करने के लिये राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू करना और बारानी खेती की पद्धति की संपोषकता में बढ़ोत्तरी लाने और उपलब्ध जल संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए माइक्रोइरिगेशन के लिए कार्यक्रमों को तैयार किया जाना। *[हिन्दी]*

कृषिजीवी परिवार

230. डा. चिन्ता मोहन
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में कृषिजीवी परिवारों की कुल अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) एक हेक्टेयर भूमि से कम की भू-धारिता वाले कृषिजीवी परिवारों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) ऋणग्रस्त कृषिजीवी परिवारों की प्रतिशतता कितनी है;

(घ) इतनी अधिक संख्या में इनके ऋणग्रस्त होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट सं. 498: किसानों की ऋणग्रस्तता (जनवरी-दिसम्बर, 2003) के अनुसार देश में कृषक परिवारों की संख्या 89.36 मिलियन है जिसमें से 38.91 मिलियन कृषि परिवारों के पास एक हेक्टेयर या एक हेक्टेयर से कम जमीन है। उक्त रिपोर्ट से यह भी जाहिर होता है कि ऋणग्रस्त कृषक परिवारों की संख्या

48.6% है और उन्होंने विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण ले रखा है जैसे कि फार्म तथा गैर फार्म कार्यों में निवेश के लिये, शादी, संस्कार, शिक्षा, चिकित्सा उपचार आदि के लिये।

(ङ) कृषि में निवेश को बढ़ावा देने और इसकी वृद्धि में तेजी लाने और किसानों की आय में बढ़ोतरी लाने के लिए कृषि प्रयोजनों हेतु बिना किसी झंझट के तथा उपयुक्त ब्याज दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना और ऋण संबंधी जरूरतों के लिये साहूकारों पर निर्भरता को कम करना, एक प्रमुख कारक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार ने 18 जून, 2004 को एक व्यापक ऋण नीति की घोषणा की है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं: तीन सालों में ऋण के प्रवाह को दुगुना करना, संस्थागत ऋण के कवरेज को बढ़ाना तथा निम्नलिखित मामले में ऋण का पुनर्निर्धारण करना यथा (क) किसानों के संकटग्रस्त हो जाने पर; (ख) किसानों पर बकाया होने पर (ग) छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक ही बार में निपटान (घ) किसानों पर गैर संस्थागत साहूकारों का ऋण हो जाने पर। इस उद्घोषणा के अनुसार, कृषि ऋण के लक्ष्य को 2003-04 के 86000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2004-05 में 1,05,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वास्तविक वितरण 2003-04 के 86981 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004-05 में 1,15,242 करोड़ रुपये हो गया है जो कि 32.5% की वृद्धि बताता है। संस्थागत ऋण के दायरे में 50 लाख नए किसानों को लाने के लक्ष्य की तुलना में 2004-05 में 78 लाख नये किसानों को संस्थागत स्रोतों से ऋण उपलब्ध कराया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.23 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई, 2005/4 श्रावण, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री राजनरायन बुधौलिया श्री दलपत सिंह परस्ते	1
2.	श्री एम. अंजनकुमार यादव डा. धीरेंद्र अग्रवाल	2
3.	श्री बालासाहिब विखे पाटील डा. के. धनराजू	3
4.	श्री कृष्णा मुरारी मोघे डा. राम लखन सिंह	4
5.	श्री चन्द्रभूषण सिंह श्री मोहन सिंह	5
6.	श्री प्रह्लाद जोशी श्री दानवे रावसाहेब पाटील	6
7.	प्रो. एमः रामदास श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	7
8.	श्री ई. पोन्नुस्वामी श्री बाडिगा रामकृष्णा	8
9.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री असादूद्दीन ओवेसी	9
10.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ श्री कीर्तिवर्धन सिंह	10
11.	श्री काशीराम राणा श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	11
12.	श्री ब्रजेश पाठक	12
13.	श्री अनन्त नायक श्री जुएल ओराम	13
14.	श्री महबूब जाहेदी	14
15.	श्री मदन लाल शर्मा श्री सुरेश अंगड़ि	15
16.	श्री प्रबोध पाण्डा श्री हंसराज जी. अहीर	16
17.	डा. चिन्ता मोहन	17
18.	श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" श्री रामजीलाल सुमन	18
19.	श्री निखिल कुमार श्री अधीर चौधरी	19
20.	श्री जी. करुणाकर रेड्डी	20

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	23, 78
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	59, 119, 152

1	2	3
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	132, 194, 225
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	111, 136, 198
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	167
6.	अजनाला, डा. रतन सिंह	52
7.	अंगड़ि, श्री सुरेश	130
8.	आठवले, श्री रामदास	45, 124, 143
9.	''बाबा'', श्री के.सी. सिंह	34
10.	बंसल, श्री पवन कुमार	40, 138
11.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	12, 106, 185, 202
12.	बर्मन, श्री रनेन	75, 162
13.	बखला, श्री जोवाकिम	18, 75, 162
14.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	13
15.	भडाना, श्री अवतार सिंह	68, 71, 161
16.	बिश्नोई, श्री जसंवत सिंह	37, 68, 82
17.	बोस, श्री सुब्रत	38, 85
18.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	114
19.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	57, 200, 222
20.	चक्रवर्ती, श्री अजय	77, 119, 137
21.	चन्देल, श्री सुरेश	51, 148
22.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	47, 85, 184
23.	चव्हाण,, श्री हरिश्चंद्र	7, 47, 101, 175
24.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	37, 46, 62, 136, 186
25.	चिन्ता मोहन, डा.	133, 196, 230

1	2	3
26.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	20
27.	चौधरी, श्री अधीर	124, 128
28.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	119
29.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	15
30.	धनराजू, डा. के.	133, 146, 204
31.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	52
32.	डोम, डा. रामचन्द्र	200
33.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	17, 135
34.	गढ़वी, श्री पी.एस.	36, 131
35.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	119, 124, 186, 226
36.	गंगवार, श्री संतोष	124, 175, 200
37.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	70, 160
38.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	68, 158
39.	गुढ़े, श्री अनंत	229
40.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	184
41.	जगन्नाथ, डा. एम.	58, 151, 209
42.	जय प्रकाश, श्री (मोहन लाल गंज)	22, 110
43.	झा, श्री रघुनाथ	193
44.	जोगी, श्री अजीत	93, 175, 217
45.	जोशी, श्री प्रहलाद	82, 176, 218
46.	कनोडीया, श्री महेश	72
47.	करुणाकरन, श्री पी.	41, 140
48.	खैरे, श्री चंद्रकांत	69, 159, 212

1	2	3
49.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	29
50.	खन्ना, श्री अविनाश राय	1, 120
51.	खारवेनथन, श्री एस.के.	6, 50, 100, 119, 214
52.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	11, 104, 159
53.	कोया, डा. पी.पी.	35
54.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	97, 173, 179, 219
55.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	89, 200
56.	कुरूप, श्री सुरेश	84, 168
57.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	39, 137, 186, 199
58.	लाहिरी, श्री समिक	220
59.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	230
60.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	52
61.	महाजन, श्री वाई.जी.	7, 47, 101
62.	महतो, श्री बीर सिंह	24, 111, 16, 222, 223
63.	महतो, श्री सुनिल कुमार	46, 198, 223
64.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	114
65.	माझी, श्री परसुराम	36, 66, 157
66.	माने, श्रीमती निवेदिता	119, 124, 189, 226
67.	मेघवाल, श्री कैलाश	21
68.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	32, 119,
69.	मिश्रा, डा. राजेश	79
70.	मोदी, श्री सुशील कुमार	43, 141
71.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	117, 183, 221

1	2	3
72.	मोहन, श्री पी.	90, 172
73.	मुकीम, मो.	86, 169, 215
74.	मो. ताहिर, श्री	39, 137, 186, 199
75.	मोहिते, श्री सुबोध	5
76.	मोल्लाह, श्री हन्नान	200
77.	मूर्ति, श्री ए.के.	8, 73
78.	मुन्शी राम, श्री	39, 137, 186, 199
79.	मुर्मू, श्री हेमलाल	54
80.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	80, 153
81.	नायक, श्री ए. वेंकटेश	63, 95
82.	नम्बाडन, श्री वेलायुधन	64
83.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	10, 173
84.	नायक, श्री अनन्त	99, 192, 228
85.	निखिल कुमार, श्री	105, 207
86.	ओराम, श्री जुएल	134, 197, 216, 220
87.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	149, 206
88.	पलनिसामी, श्री के.सी.	30
89.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	36
90.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	204
91.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	53, 119, 124
92.	पाठक, श्री ब्रजेश	31, 126, 190, 227
93.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	116, 182, 220
94.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	166, 213

1	2	3
95.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	31
96.	पिंगले, श्री देविदास	81
97.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	123, 187, 224
98.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	76, 102, 164
99.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	83, 119
100.	राजेन्द्र कुमार, श्री	56, 150, 197, 208
101.	रामदास, प्रो. एम.	122, 222
102.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	36, 123, 187, 224
103.	राणा, श्री कासीराम	125, 222
104.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	61, 119, 124, 154, 210
105.	राव, श्री डी. विट्टल	65, 155, 229
106.	रावले, श्री मोहन	2, 156
107.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	80, 107, 180
108.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	73, 163
109.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	42
110.	रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	77
111.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	85, 184
112.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	9, 102, 115, 125, 191
113.	साई प्रताप, श्री ए.	50, 189
114.	सरडगी, श्री इकबाल अहम्द	47, 49, 119, 147, 205
115.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	80, 116
116.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	57, 220, 222
117.	सत्पथी, श्री तथागत	124

1	2	3
118.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	48, 116, 145, 203
119.	सेठ, श्री लक्ष्मण	200, 222
120.	शाहिद, मोहम्मद	114, 137, 199
121.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	146
122.	शर्मा, श्री मदन लाल	129, 193, 229
123.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	77, 165
124.	शिवन्ना, श्री एम.	63, 95, 96
125.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	39, 137, 199
126.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	16
127.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	4, 103, 139, 197, 200
128.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3, 37
129.	सिंह, श्री रामसेवक	28, 178
130.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	118, 184
131.	सिंह, श्री चन्द्रभान	25
132.	सिंह, श्री दुष्यंत	87, 170, 197, 216, 228
133.	सिंह, श्री गणेश	63, 124, 225
134.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	119, 124, 189, 226
135.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	67, 177
136.	सिंह, श्री राकेश	197
137.	सिंह, श्री सीताराम	14, 108, 211
138.	सिंह, श्री सुग्रीव	53, 119, 124
139.	सिंह, श्री सूरज	88, 171
140.	सिंह, श्री उदय	26, 32, 119, 124, 128

1	2	3
141.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	78, 94
142.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	23, 72
143.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	74
144.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	19, 109, 181
145.	सुमन, श्री रामजीलाल	133, 196
146.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	47, 144
147.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	27, 112, 195
148.	थामस, श्री पी.सी.	91
149.	तुम्मर, श्री वी.के.	3, 62, 76, 164, 191
150.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	53, 92, 174
151.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	44, 142, 197, 201
152.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	200
153.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3, 37
154.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	113, 188, 225
155.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	119, 124, 189, 226
156.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3, 115
157.	यादव, श्री भाल चन्द्र	137
158.	यादव, श्री गिरिधारी	9, 37
159.	यादव, श्री पारसनाथ	98
160.	यादव, श्री राम कृपाल	55
161.	यादव, श्री सीता राम	33, 121
162.	जाहेदी, श्री महबूब	127

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	6, 7, 11
रसायन और उर्वरक	:	12
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	5, 16, 20
पर्यावरण और वन	:	1, 4, 8
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
श्रम और रोजगार	:	2, 15, 17, 18, 19
इस्पात	:	13
पर्यटन	:	9
जल संसाधन	:	3, 10, 14

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	3, 5, 6, 9, 10, 18, 20, 22, 23, 28, 37, 51, 54, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 76, 80, 83, 85, 88, 91, 98, 100, 106, 107, 118, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 134, 135, 140, 142, 146, 150, 151, 153, 163, 164, 165, 167, 169, 171, 177, 180, 182, 184, 185, 196, 199, 204, 209, 213, 216, 228, 29, 230
रसायन और उर्वरक	:	4, 14, 26, 44, 47, 52, 60, 84, 94, 101, 105, 120, 141, 152, 166, 173, 178, 211, 227
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	30, 34, 38, 40, 41, 45, 57, 75, 104, 111, 137, 143, 170, 176, 202, 215
पर्यावरण और वन	:	1, 2, 8, 11, 12, 17, 19, 21, 24, 25, 29, 35, 36, 42, 46, 48, 53, 56, 63, 67, 69, 71, 72, 74, 79, 81, 82, 86, 89, 95, 99, 102, 103, 116, 117, 122, 123, 132, 138, 139, 144, 145, 149, 156, 157, 162, 168, 181, 183, 186, 191, 195, 198, 201, 203, 206, 212, 217, 221, 222, 225
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	33, 108, 115, 136, 154, 208

श्रम और रोजगार	:	13, 49, 78, 90, 92, 97, 148, 172, 174, 187, 193, 207, 223, 224
इस्पात	:	7, 32, 93, 119, 159, 192, 220
पर्यटन	:	39, 43, 50, 73, 114, 130, 147, 155, 175, 188, 189, 197, 205, 214, 226
जल संसाधन	:	15, 16, 27, 31, 77, 87, 96, 109, 110, 112, 113, 126, 131, 133, 158, 160, 161, 179, 190, 194, 200, 210, 218, 219

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।